Monday, 31 August, 1970

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवाँ सत्र
Eleventh Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
12-8-92
Fumigated
On 3.2.87
Parliament Library

[खण्ड 44 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद । संक्षिप्त अनूदित संस्करण

31 अगस्त, 1970 । 9 भाद्र, 1892 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
xii	पंक्ति 15, 'स्थिति' के स्थान पर 'द्वितीय' पढ़िये ।
xviii	पंक्ति 13 और 14 पर दी संख्याओं को क्रमश: '4681 तथा 4682' पढ़िये ।
xix	पंक्ति नीचे से 7 में 'सदस्यों' से पूर्व 'संसद्' पढ़िये ।
1.	पंक्ति 23 'विषय 'महत्त्वपूर्ण औषधियों का आयात तथा इसके पश्चात् की समस्त पंक्तियों और पृष्ठ 2 की प्रथम 6 पंक्तियों एवं 12 से 27 तक पंक्तियों को पृष्ठ 1 के फुट नोट में पढ़िये ।
2.	पंक्ति 28, 'डा. त्रिगुण सेन' को 'पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (श्री त्रिगुण सेन)' पढ़िये ।
7.	पंक्ति नीचे से 11, 'रोजाना' शब्द निकाल दीजिये
12	पंक्ति नीचे से 2, 'नियुक्त' के स्थान पर 'विमुक्त' पढ़िये ।
13	पंक्ति 14, 'पंजीकृत' के स्थान पर 'पूंजीगत' पढ़िये ।
19	पंक्ति 22 में शब्द 'रोड' और 'रन' के स्थान पर क्रमश: 'राले' और 'रही' पढ़िये ।

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—25, सोमवार, 31 अगस्त, 1970/9 भाद्र, 1892 (शक)
No.—25, Monday, August 31, 1970/Bhadra 9, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
691. महत्वपूर्ण औषधियों का आयात	Import of Vital Drugs	1—5
692. सरकारी क्षेत्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of I. A. S. Personnel in Public Sector	5—9
693. फिल्म अभिनेताओं को बीमा पालिसियों के माध्यम से भुगतान	Payment to Film Stars through Insurance Policies	10—12
694. तालचेर उर्वरक परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता	Foreign Exchange Requirements of Talcher Fertilizer Project	12—15
695. मूंदड़ा कम्पनियों की ओर राष्ट्रीयकृत बैंकों का बकाया ऋण	Outstanding Loans from Nationalised Banks to Mundhra Concerns	15—18
696. अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस की आय के स्रोतों की जांच	Enquiry into Sources of Income of All India Trade Union Congress	18—21

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

697. पी० एल० 480 निधि के प्रयोग पर नियंत्रण	Control on Disbursement of PL-480 Funds	22—23
698. पश्चिमी बंगाल में फ्रीजड्राइड टीकों का निर्माण	Manufacture of Freeze Dried Vaccine in West Bengal	23
699. राष्ट्रीयकृत बैंकों के मतदान अधिकारों के बारे में उनको जारी किये गये निर्देश	Directive Issued to Nationalised Banks regarding Exercise of their Voting Rights	24
700. एस्सो द्वारा भारत में अपने व्यापार में सरकार को भागीदारी में अधिक भाग देने की पेशकश	Cffer by Esso for Government's Majority Partnerships in their Business in India	25
701. चीनी उद्योग द्वारा चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहायता की अपेक्षा	Seeking of Banks help for Modernisation of Sugar Factories	25
702. नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी के साथ किये गये डेरियस कच्चे तेल के करार का पुनरीक्षण	Revision of Darius Crude Agreement with National Iranian Oil Company	25—26
703. आवास तथा नगरीय विकास निगम के लिये पी०एल० 480 निधि से राशि	PL-480 Funds for Housing and Urban Development Finance Corporation	26
704. नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु	Death of Children below Age of 15 Years in the Willingdon Hospital, New Delhi	26—27
705. मंत्रालय/विभाग में प्रतिनियुक्ति के दौरान भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि	Tenure of Stay of Officers of the Indian Audit and Accounts Department while on Deputation to a Ministry/Department	27—28

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
706.	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा विदेशों को धन भेजना	Remittances abroad by Foreign Oil Companies	28
707.	कृषि पर सम्पत्ति कर	Wealth Tax on Agriculture	28 – 29
708.	भारत के उर्वरक विस्तार कार्यक्रम के लिये विश्व बैंक से सहायता	World Bank Assistance to India's Fertilizer Expansion Programme	29
709.	पैट्रोल पम्प मालिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Petrol Pump Owners	29—30
710.	फारस की खाड़ी में तटदूर तेल छिद्रण उद्यम का कार्यकरण	Working of Off Shore Oil Drilling Venture in Persion Gulf	30
711.	दिल्ली के एक अस्पताल में लाइन में प्रतीक्षा करते समय शिशु जन्म	Child Birth while Standing in a Queue in Delhi Hospital	30—31
712.	चिकित्सा स्नातकों को रोजगार देने के लिये कार्यवाही	Steps for Employment of Medical Graduates	31—32
713.	दिल्ली में सरकारी आवास प्राप्त सरकारी कर्मचारियों की प्रतिशतता	Percentage of Government Servants Provided with Government Accommodation in Delhi	32
714.	मैंगनीज अयस्क उद्योग तथा व्यापार में संकट	Crisis in Manganese ore Industry and Trade	32—34
715.	ऋण गारंटी निगम	Credit Guarantee Corporation	34—35
716.	डाकू-बहुल चम्बल घाटी में सड़कें बनाने तथा भूमि के कृष्यकरण के लिये मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Madhya Pradesh for Construction of Roads and Reclamation of Land in Dacoit Infested Chambal Valley	35
717.	युनेस्को द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations by UNESCO	35
718.	मैसूर राज्य के गुप्तचर विभाग द्वारा अन्तर्राज्यीय बैंक जालसाजी का पता लगाया जाना	Inter State Bank Fraud detected by Mysore State CID	36

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
719.	केन्द्रीय आवास तथा नगरीय विकास वित्त निगम के लिये एक अन्तरिम बोर्ड की स्थापना	Interim Board for Central Housing and Urban Development Finance Corporation	36
720.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Public Sector Undertakings	36—37

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.			
4521.	कैंसर के इलाज के लिये औषध निर्माण हेतु संस्था की स्थापना	Settirg up of Institution to Manufacture Medicine for Cancer Treatment	37
4522.	राजस्थान में अकाल सहायता कार्य	Famine-Relief works in Rajasthan	37—38
4523.	अन्तर्राज्य चिटफंड जालसाजी	Inter State Chit Funds Racket	38—39
4524.	सरकारी अधिकारी का रामपुर के नवाब के निवास स्थान पर जाना	Government Official's Visit to residence of Nawab of Rampur	39—40
4525.	बेगम रामपुर की मूल्यवान वस्तुएं	Valuables belonging to Begum of Rampur	40
4526.	स्टेट बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के खातेदारों द्वारा नामित व्यक्ति का नाम भरा जाना	Filling of names of Nominees by Depositors of State Banks and Nationalised Banks	40—41
4527.	वायु सेना लेखा कार्यालय में डाक सहायक लेखा अधिकारी का एक ही स्थान पर कार्य करते रहना	Tenure of Stay of Accounts Officers in Air Force Accounts	41
4528.	दिल्ली में विदेशी मुद्रा का गोलमाल करने वाला गिरोह	Foreign Exchange Rackets in Delhi	42

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
4529. लघु उद्योगों के विकास के लिये और कुएं खोदने के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया की रतलाम शाखा द्वारा विनियोजित धनराशि	Amount Invested by Ratlam Branch of State Bank of India for Development of Small Scale Industries and Digging of Wells	43
4530. राष्ट्रीयकृत बेंकों की नई शाखायें खोलना	Opening of new Branches of Nationalised Banks	44
4531. स्टेट बैंक आफ इंडिया की उज्जैन स्थित शाखा द्वारा लघु उद्योगों के विकास तथा कुए खोदने में लगाई गई पूंजी	Amount Invested by Ujjain Branch of State Bank of India for Development of Small Scale Industries and Digging of Wells	44—45
4532. शाहदरा क्षेत्र दिल्ली का विकास	Development of Shahdara Area, Delhi	45–46
4533. शाहदरा क्षेत्र, दिल्ली में सहकारी समितियों को प्राथमिकतायें	Priorities to Cooperative Societies in Shahdara Area, Delhi	46
4534. गुजरांवाला गृह नि॰ण सहकारी समिति, दिल्ली	The Gujranwala House Building Cooperative Society, Delhi	46—47
4535. दिल्ली में गृह निर्माण संस्थाओं को भूमि का आबंटन	Allotment of Land to House Building Societies in Delhi	47—48
4536. महाराष्ट्र में बीयर का कारखाना	Beer Factory in Maharashtra	48
4537. सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टूल्स गिन्डी	Progress at Central Institute of Plastics Engineering and Tools Guindy	48—49
4538. दिल्ली में विदेशी तेल कम्पनियों में बेकार जन-शक्ति	Idle Man Power of Foreign Oil Companies in Delhi	49
4539. भारत स्थित विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा धीरे-धीरे अपना कारोबार बन्द किये जाने के कारण बेरोजगार होने वाले कर्मचारी	Workers Rendered Unemployee due to Gradual Closure of Business by Foreign Oil Companies in India	49—50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4540.	शाहदरा क्षेत्र दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों को भूमि पर कब्जा देना	Possession of Land to Cooperative House Building Societies in Shahdara Area, Delhi	50
4541.	छोटे समाचार पत्रों को परिवार नियोजन सम्बन्धी विज्ञापन देना	Allocation of Family Planning Advertisement to Small Newspapers	50—51
4542.	अखिल भारत महापौर कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष का ज्ञापन	Memorandum from Chairman of All India Maysor Executive Committee	51—52
4543.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में श्रेणी तीन तथा चार के सरकारी कर्मचारियों को स्थायी करना	Confirmation of Class III and IV Employees in C. P. W. D.	52
4544.	दिल्ली नगर निगम द्वारा श्यामाप्रसाद मुखर्जी पार्क कालोनी को अपने कब्जे में लिया जाना	Taking over of Shyama Prasad Mukerjee Park Colony by Delhi Municipal Corporation	52—53
4545.	मुकर्जी पार्क, दिल्ली के निवासियों को नागरिक सुविधाएं	Civil Amenities to Residents of Mukerjee Park, Delhi	53
4546.	ग्रेटर कैलाश भाग 2, नई दिल्ली में खरीदे प्लाटों को रजिस्टर कराने की अनुमति	Permission for Registration of Plots Purchased in Greater Kailash Part II, New Delhi	53—54
4547.	ग्रेटर कैलाश भाग 2, नई दिल्ली में मकान बनाने की अनुमति	Permission for Construction of Houses in Greater Kailash Part II, New Delhi	54
4548.	नागपुर के मैसर्स श्रीराम दुर्गा प्रसाद के विरुद्ध जांच	Enquiry against M/s Shriram Durga Prasad by Nagpur	55
4549.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में दाखिले के लिये परीक्षा	Test for Admission to M. B. B. S. Course in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi	55—56

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4550.	शिशु भोज्य पदार्थों में मोनोसोडियम ग्लूटेमेट	Monosodium Glutamate in Baby Foods	56
4551.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में नर्सों की पदोन्नति	Promotion of Nurses in All India Institute of Medical Sciences	56
4552.	कोहाट रिफ्यूजी कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली	Kohat Refugee Cooperative House Building Society, Delhi	57
4553.	रद्दी इस्पात पर आधारित उत्पादन शुल्क का लौटाया जाना	Refund of Excise Duty on Scrapbased Steel	57
4554.	अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के लिये पदोन्नतियों में आरक्षण	Reservation in Promotion to Scheduled Caste Employees	57—58
4555.	रामाकृष्णपुरम के सैक्टर दो में अलाटियों द्वारा क्वार्टरों को किराये पर देना	Quarters in Sector II of R. K. Puram let out on Rent by Allottees	58—59
4556.	श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली में 'एच' टाइप क्वार्टरों पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति	Unauthorised Occupants of 'H' Type Quarters in Shrinivaspuri, New Delhi	59—60
4557.	लू लगने के कारण लोगों की मृत्यु	Human Casualties due to Heat Wave	60
4558.	जीवन बीमा निगम की 'अपना घर बनाओ' योजना	'Own your House Scheme' of L. I. C.	60
4559.	बिड़ला भवन, नई दिल्ली	Birla House, New Delhi	61
4560.	सरकारी उपक्रमों के मुसलमान कर्मचारियों को रांची में पृथक क्षेत्रों में आवासों का आवंटन	Allotment of Accommodation to Muslim Employees of Public Undertakings in Separate Areas in Ranchi	61
4561.	रेलवे द्वारा इन्डेन्ट किये गये तांबे के तारों के स्थान पर एलुमिनियम के तारों का लिया जाना	Procurement of Alluminium Cable instead of Copper Cables Indented for Railways	61—62

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4562.	बिड़ला बन्धुओं द्वारा मैसूर में संगठित की गई कम्पनियों पर केन्द्रीय करों की बकाया राशि	Central Taxes due from Companies Organized by Birlas in Mysore	62
4563.	शहरी सम्पत्ति का अधिग्रहण	Acquisition of Urban Property	63
4564.	रूसी वस्तुओं पर लिये गये कमीशन पर कर लगाना	Levy of Tax on Commission Charged on Russian Supplies Income	63–64
4565.	सरकारी उपक्रमों के लिये बोर्ड	Board for Public Undertakings	64
4566.	स्टर्लिंग के अवमूल्यन के कारण भारत और युगोस्लाविया के बीच मतभेद	Differences between India and Yugoslavia due to Devaluation of Sterling	64
4567.	पेय जल योजना के अंतर्गत जौनपुर (उत्तर प्रदेश) में नलकूप लगाना	Sinking of Tube Wells in Jaunpur (U. P.) under Drinking ater Scheme	64—65
4568.	किसी जिला विशेष के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को उसी विभाग में नियुक्त करना	Posting of C. P. W. D Employees belonging to a Particular District in the same District	65
4569.	भारतीय खरीद मिशनों के विदेश यात्रा के फलस्वरूप उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizer as a Result of Visits by Indian Purchase Missions to Foreign Countries	65—66
4570.	केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों पर खर्च	Expenditure on Gazetted and Non-gazetted Central Government Staff	66—67
4571.	नई दिल्ली स्थित रीगल पार्क में सभा आयोजित करने पर जनसंघ पर मुकदमा चलाया जाना	Prosecution of Jan Sangh for holding Meeting at Regal Park, New Delhi	67
4572.	कलकत्ता की हैरिंगटन स्ट्रीट का पुनः नामकरण करना	Re-naming of Harrington Streets, Calcutta	67—68

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4573.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना के सामने के हिस्से को सुन्दर बनाया जाना	Beautification of Yamuna River Front in Delhi	68
4574.	लेह के बाजारों में चीनी माल का बेचा जाना	Sale of Chinese Goods in Leh Bazars	68—69
4575.	चंडीगढ़ की सहकारी आवास निर्माण समितियां	Cooperative House Building Societies in Chandigarh	69
4576.	दिल्ली नगर निगम स्कूल में अवैध शराब का तैयार किया जाना/बनाया जाना	Manufacture of Illicit Liquor in a Delhi Municipal Corporation School	69—70
4577.	शेख अब्दुल्ला की ओर सरकार की बकाया राशि	Government Arrears Due from Sheikh Abdullah	70
4578.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड का उत्पादन नमूना	Production Pattern of Hindustan Organic Chemicals Ltd.	70 – 71
4579.	लन्दन तथा वाशिंगटन स्थित भारतीय सप्लाई मिशन के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against India Supply Missions, London and Washington	71
4580.	रूसी सहायता से चालित परियोजनाओं में कार्य कर रहे रूसी तकनिशियनों को विशेष सुविधाएं	Special Amenities to Russian Technicians working in Soviet Aided Project	71
4581.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्यात	Exports by Public Sector Undertakings	71—72
4582.	नाइलोन कत्ताई तथा पोलिएस्टर धागा संयंत्र	Setting up of Nylon Spinning and Polyester Fibre Plants	72—73
4583.	जोधपुर संस्थान को सिंदरी उर्वरक कारखाने के साथ संबद्ध करना	Affiliation of Jodhpur Institute with Sindri Fertilizer Factory	73—74
4584.	भारतीय उद्योगों में जर्मनी का विनियोजन	German Investment in Industries	74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4585.	वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों को साम्यशेयरों में परिवर्तित करना	Conversion of Loans by Financial Institution and Banks into Equity Shares	74—75
4586.	घेरजी इस्टंन लिमिटेड, बम्बई	Gherzi Eastern Ltd., Bombay	75 76
4587.	बजट के बाद उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Price of Consumer Goods after Budget	76—77
4588.	चुराए गए केवलों को ले जाते हुए टेम्पो का संसद् भवन के अहाते में पकड़ा जाना	Tempo Carrying Stolen Cables Caught within Parliament House Precincts	77—78
4589.	भारत से पाकिस्तान को कोयले की और पूर्वी पाकिस्तान से भारत को पटसन की तस्करी	Smuggling of Coal from India to Pakistan and Jute from East Pakistan to India	78
4590.	कलकत्ता की जनता के लिये खारा पेय जल	Saline Drinking Water for people of Calcutta	78—79
4591.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाना	Simplification of Procedure for Payment of Central Excise	79—80
4592.	विदेशी तकनीशनों पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Spent on Technicians	80
4593.	पश्चिम बंगाल के बड़े शहरों में लायी गई वस्तुओं पर चुंगी लगाना	Levy of Octroi Duty on Goods brought into Major Cities in West Bengal	81
4594.	राजस्थान में अकालग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य पर अधिकतम सीमा निर्धारण करना	Ceiling on Relief in Famine Hit Areas in Rajasthan	81
4595.	छोटे किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण	Loans to Small Farmers from Nationalised Banks	81—82

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4596.	गेहूं, उर्वरक तथा मशीनरी के लिये कनाडा से ऋण	Loans from Canada for Procurement of Wheat, Fertilizer and Machinery	82–83
4597.	सहकारी समितियों के माध्यम से उत्पादकता के लिये वित्तीय प्रबन्ध	Finance for Farm Productivity through Cooperative Societies	83—84
4598.	प्रतिरक्षा लेखा कार्यालयों के लेखा अधिकारियों का स्थानान्तरण	Tranfer of Accounts Officers of Defence Accounts Offices	84—85
4599.	दिल्ली की झोंपड़ियों को केन्द्रीय अनुदान देना	Central Grants for Jhuggies in Delhi	85
4600.	चण्डीगढ़ एक स्वच्छ नगर बनाना	Maintenance of Chandigarh as a Clean City	85
4601.	चौथी पंचवर्षीय योजना में डाक्टरों की आवश्यकता के बारे में अनुमान	Assessment of Requirement of Doctors during Fourth Five Year Plan	86
4602.	सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने के बारे में पश्चिमी बंगाल की सरकार को जारी किये गये निदेश	Directive to Government of West Bengal Regarding Revision of Pay Scales of Government Servants	86
4603.	एडवर्ड पार्क, में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा लगाना	Installation of Statute of Netaji Subash Chandra Bose in Edward Park	86—87
4604.	डाक्टरी शिक्षा में एकरूपता	Uniformity in Medical Education	87
4605.	परिवार नियोजन में प्रगति	Progress of Family Planning	87—88
4606.	इंडियन आक्सीजन लिमिटेड को पूर्ण चुकाये गये साधारण शेयरों को जारी करना	Issue of Full Paid Ordinary Share to Indian Oxygen Ltd.	88
4607.	सरकारी उपक्रमों के शेयरों का जनता द्वारा खरीदा जाना	Shares of State Undertakings for Subscription thrown Open to Public	89

अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4608.	चैम्बर्स श्राफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन्स की प्रबन्ध समितियों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य प्रबन्धकों का चुनाव	Election of Chief Executive of Public Enterprises to Management Committees of Chambers of Commerce and Industrial Association	89—90
4609.	सरकारी उपक्रमों के शेयर जनता को बेचा जाना	Sale of Shares of Public Undertakings to Public	90
4610.	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बारे में 'लोक उद्योग' में प्रकाशित लेख	Article on Public Sector Enterprises Published in 'Lok Udyog'	90--91
4611.	धातु कर्म कोयला खानें	Metallurgical Coal Mines	91
4612.	सरकारी स्थिति संस्थाओं से धन लेने वाली गैर सरकारी कम्पनियों पर नियंत्रण	Control over Private Companies Receiving Funds from Public Financial Institutions	91—92
4613.	वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यपालिकाओं की सदस्यता	Membership of Executive of Public Sector Undertakings of the Chambers of Commerce and Industry	92—93
4614.	सरकारी उपक्रमों के शेयरों की जनता में बिक्री	Sale of Shares of Public Sector Undertakings to Public	93—94
4615.	भारत में लगाई गई विदेशी पूंजी	Foreign Capital Investment in India	94—95
4616.	सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण	Reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Public Undertakings	95
4617.	दिल्ली बाढ़ नियंत्रण विंग के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य पूल के अन्तर्गत आवास	General Pool Accommodation for Class III and IV Staff in Delhi Flood Control Wing	96

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4618.	दिल्ली बाढ़ नियन्त्रण विंग तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का लागू होना	Applicability of C. G. H. S. Scheme to Class III and Class IV Staff of Delhi Flood Control Wing	96
4619.	बदरपुर बिजली परियोजना के तीसरी और चोथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये सामान्य पूल के अन्तर्गत आवास	General Pool Accommodation for Class III and IV Staff of Badarpur Thermal Power Project	96—97
4620.	बदरपुर ताप बिजली घर के तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ देना	Benefits of C. G. H. S. Scheme to Class III and IV Staff of Badarpur Thermal Power Project	97
4621.	हिप्पियों को विदेशी मुद्रा लाने की अनुमति	Amount of Foreign Exchange Permitted to be brought by Hippies	97
4622.	प्रतिरक्षा लेखों में एस०ए०एस० परीक्षा	S. A. S. Examination in Defence Accounts	98
4623.	विदेशी सहायता का उपयोग	Utilisation of Foreign Aid	98
4624.	डाक व तार विभाग में सर्कल वार लेखा परीक्षण तथा लेखा कार्यों का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Audit and Accounts Works P and T Department, Circle Wise	98—99
4625.	भारतीय फिल्मों की दक्षिण अफ्रीका में तस्करी	Smuggling of Indian Films into South Africa	99
4626.	सूखा की स्थिति के लिये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Banda District in Uttar Pradesh for Drought Conditions	99
4627.	वस्तुओं की खरीद के लिये दर ठेका प्रक्रिया का सरल बनाया जाना	Need for Simplification of Rate Contract Procedure for Purchases	100

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4628.	भारत नेपाल सीमा पर तस्करों को गिरफ्तार करना	Apprehension of Smugglers on Indo-Nepal Border	100
4629.	चण्डीगढ़ में रेहड़ी वालों के लिये अस्थायी दुकानों (बूथ) का निर्माण	Construction of Booths for Rehriwalas in Chandigarh	101
4631.	सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग पर दुर्घटना होने की सम्भावना	Accident Prone Area on Brigadier Hoshiar Singh Road, Sarojani Nagar, New Delhi	101—102
4632.	काण्डला पत्तन तथा इसकी बस्ती का विकास	Progress of Kandla Port and its Township	102
4633.	यमुना पार मंडावली गांव (फजलपुर) दिल्ली के निवासियों को दिया गया बेदखली सम्बन्धी नोटिस	Eviction Notice Served on Residents of Trans-Jamuna Village, Mandavali (Fazalpur), Delhi	102—103
4634.	फर्मों के रजिस्ट्रेशन में परिवर्तन	Changes in Registration of Firms	103
4635.	पारादीप उर्वरक परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता	Foreign Exchange Requirements of Paradeep Fertilizer Project	103—104
4636.	सुकिन्दा, उड़ीसा, में निकल कारखाना स्थापित करने के कार्य में प्रगति	Progress in Establishing Nickel Factory at Sukinda, Orissa	104
4637.	खाना बनाने की गैस के मूल्य में कमी करना	Reduction in Price of Cooking Gas	104—105
4638.	मैसूर राज्य में परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Centres in Mysore State	105
4639.	पिम्परी पेनिस्लीन फैक्टरी के मजदूरों की मांगें	Demand of Workers of Pimpri Pencillin Factory	106
4640.	लोक निर्माण की लागत को कम करने सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of the Committee for Reduction in Construction Cost of Public Works	106

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4641.	काश्मीर हाउस, नई दिल्ली के सर्वेंट क्वार्टरों के अलाटियों को मकान खाली करने के नोटिस	Eviction Notices Served on Allottees of Servant Quarters, Kashmir House, New Delhi	107—10.
4642.	जीवन बीमा निगम द्वारा गृह निर्माण के लिये ऋण की सुविधाएं	Loan Facilities for Housing Purposes by LIC	
4643.	लोकोपकारी संगठनों द्वारा विदेशों से प्राप्त की गई राशि	Amount Received by Philanthropic Organisations from Foreign Countries	.CS
4644.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के संतुलन पत्र	Balance Sheets of Nationalised Banks	109—110
4645.	सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में उर्वरक कम्पनियां	Fertilizer Companies in Public and Private Sectors	110—111
4646.	हार्ड कोक का निर्यात	Export of Hard Coke	111—112
4647.	कम्पनियों में जीवन बीमा निगम द्वारा धन लगाया जाना	L. I. C. Investment in Companies	112—113
4648.	रामपुरा, दिल्ली के निवासियों के लिये नागरिक सुविधाएं	Civil Amenities for the Residents of Rampura, Delhi	113
4649.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा खरीदी गई छपाई की मशीनों का बेकार पड़े रहना	Printing Machines Purchased by Central Board of Excise and Customs Lying Idle	113—114
4650.	विदेशी सहायता के लिये करार	Agreements for Foreign Aid	114—117
4 51.	अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ द्वारा सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण की मांग	Demand Made by All India Insurance Employees Association Regarding Nationalisation of General Insurance	118
4652.	सामूहिक गृह निर्माण समितियों का पंजीकरण	Registration of Group Housing Societies	118—119

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4653.	विदेशी राष्ट्रजनों की नियुक्ति के बारे में भारत के रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति	Prior Approval of Reserve Bank of India regarding Employment of Foreign Nationals	119—120
4654.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल के लिये दक्षिण पूर्व भूटान का सर्वेक्षण	Survey of South Eastern Bhutan for Oil by O. N. G. C.	121
4655.	मोटर गाड़ियों के पुराने टायरों को रसायनों और कच्चे माल में बदलने के लिये प्रणाली	Method for Conversion of Worn out Automobile Tyres into Chemicals and Raw Materials	121
4656.	ग्रांउड-अप पेपर तथा उच्छिष्ट से अशोधित पैट्रोलियम बनाना	Extraction of Crude Petroleum from Ground up Paper and Waste	121—122
4657.	पारी से अलग आवंटन के मामलों का पुनरीक्षण करने के बारे में विधि मंत्रालय की सलाह	Advice of Law Ministry Regarding Review of Out-of-Turn Allotment Cases	122
4658.	राजधानी में सरकारी कर्मचारियों को प्लाट खरीदने तथा मकान बनाने के लिये ऋण	Loans to Government Employees for Purchase of Plot of Land and Construction of Houses	122—123
4659.	सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली से लिये गए इमारती सामान के नमूने का विश्लेषण	Analysis of Sample of Building Materials taken from Safdarjung Enclave, New Delhi	123
4660.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये सफदरजंग एनक्लेव फ्लैट	Safdarjung Enclave Flats Constructed by Delhi Development Authority	123—124
4661.	सादथा जल सम्भरण योजना (हिमाचल प्रदेश) के लिये यूनिसेफ से सहायता	UNICEF Aid for Sadatha Water Supply Scheme (Himachal Pradesh)	124
4662.	दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में प्लाटों की नीलामी	Auction of Plots in Rehabilitation Colonies in Delhi	125—126

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4663.	वर्ष 1969-70 में विदेशी सहायता	Foreign Aid in the Year 1969-70	126
4664.	गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने में यूरिया का उत्पादन	Production of Urea in Fertilizer Factory, Gorakhpur	126
4665.	ऐसेटीलीन तथा अन्य गैस बनाने वाले उपक्रम	Undertakings Producing Aceytylene and Various Gases	127
4666.	राक फास्फेट की कमी के कारण उर्वरक उत्पादन में कमी	Set back to Fertilizer Production due to Shortage of Rock Phosphate	127
4667.	आय कर के निर्धारण के लिये योजनायें	Schemes for Assessment of Income Tax	128
4668.	जीवन बीमा निगम के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत सामूहिक बीमे को लाना	Extension of Field of Activity of L. I. C. Group Insurance	128—129
4669.	पन्ना हीरों पर रायल्टी	Royalty on Panna Diamonds	129
4670.	वसूल किये गये अनाज की बिक्री	Selling of Procured Foodgrains	129
4671.	माचिसों से प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी	Fall in Revenue from Safety Matches	129—130
4672.	सरकारी कर्मचारियों को अपने स्वयं के मकानों से प्राप्त किराये पर आय कर	Income Tax on Rents Received by Government Servants on Housing Owned by them	130
4673.	बिना वारी के अलाटमेंट के लिए आवेदन पत्र	Applications for out of Turn Allotment	130
4674.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना-पार बस्तियों में मकानों का गिराया जाना	Demolishing of Trans-Yamuna Colonies by Delhi Development Authority	130—131
4675.	भारत तथा एशियाई विकास बैंक	India and the Asian Development Bank	131—132
4676.	दिल्ली के निकट तेलशोधक कारखाना	Oil Refinery near Delhi	132
4677,	अन्धपन को रोकने के उपाय	Preventive Measures against Blindness	132—133

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4678.	हल्दिया बरौनी लाइन के बारे में जांच	Inquiry into Haldia Barauni Pipe Line	133—134
4679.	उत्तर प्रदेश रेशम उद्योग सहकारी संगठन, प्रेम नगर, देहरादून द्वारा आय कर का भुगतान	Payment of Income Tax by Uttar Pradesh Silk Industry Cooperative Organisation Prem Nagar, Dehra Dun	134—135
4680.	भारतीय तेल निगम द्वारा गुजरात को सप्लाई किये गये अवशिष्ट ईंधन तेल का मूल्य निर्धारित करना	Fixation of Pricc of Residual Fuel Oil Supplied to Gujarat by Indian Oil Corporation	135—136
5681.	नई दिल्ली में नई दिल्ली नगर पालिका के प्रस्तावित फाइव स्टार होटल की इमारत का खाली पड़े रहना	Building for NDMC's Propose Five Star Hotel, New Delhi Lying Idle	136
5682.	राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों को दिये गये ऋण	Loans Advanced to Agriculturists from Nationalised Banks	136
4683.	गोल्डन टुबैको कम्पनी द्वारा आयकर तथा धनकर का भुगतान	Payment of Income Tax and Wealth Tax by Golden Tobacco Company	137
4685.	भारतीय तेल निगम के साथ अनुचित सौदे करने के कारण स्टेण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Standard Drum and Barrel Manufacturing Company for their Unfair Dealings with Indian Oil Corporation	
4686.	कार्यालयों को दिल्ली से बाहर ले जाया जाना	Shifting of Offices out of Delhi	137—138
4687.	कोलार सोना खान उपक्रम में विदेशी परामर्शदाता	Foreign Consultants in Kolar Gold Mining Undertakings	138
4688.	"ओपरेशन हार्डराक सर्वेक्षण"	"Operation Hardrock Survey"	138—139
4689.	रामपुरा, दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय	C. G. H. S. Dispensary in Rampura Delhi	139

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4690.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मध्य आय वर्गों के लोगों लिये फ्लैट बनाने की योजना	DDA Plan for Construction of Flats for Middle Income Group Persons	140
4691.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया गया धन	Amount deposited in Nationalised Banks	140—142
4692.	भारत के स्टेट बैंकों में जमा राशि	Deposits in State Bank of India	142—143
4693.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में समान वेतनमान	Uniform Pay Scales in Nationalised Banks	144
4694.	मध्य प्रदेश के रायपुर तथा रायगढ़ में पाये गये सोने के निक्षेप	Gold Reserves Found in Raipur and Raigarh Districts of Madhya Pradesh	144
4695.	कलकत्ता में हैजा महामारी	Cholera Epidemic in Calcutta	144—145
4696.	प्रत्यक्ष कर जांच समिति	Direct Taxes Enquiry Committee	145—146
4697.	इण्डियन ओक्सीजन लिमिटेड में विभिन्न वस्तुओं की प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन	Installed Capacity and Production of Various Items at Indian Oxygen Ltd.	146
4698.	केसोराम इण्डस्ट्रीय एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड द्वारा जारी किये गये ऋण पत्र	Debentures Issued by Kesoram Industries and Cotton Mills Ltd.	146
4699.	स्नातकोत्तर संस्था, चण्डीगढ़ में रोगी शैय्यों (इंडोर बैड्स) की निर्धारित क्षमता	Rated Capacity of Indoor Beds in Post Graduate Institute, Chandigarh	147
4700.	बहरे व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों का खोला जाना	Opening of Training Centres for the Deaf	147
4701.	सरकारी अधिकारियों तथा सदस्यों को मुक्त टेलीफोन काल करने की अनुमति	Free Telephone Calls Allowed to Government Officials *vis-a-vis* Members of Parliament	147—148
4702.	केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क विभाग में अपर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति के लिये आयु सीमा में छूट	Relaxation in Age Limit for Promotion of Upper Division Clerks in Central Excise and Customs Department	148

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4703.	दिल्ली में शराब की दुकानों पर छापे	Raids on Liquor Shops in Delhi	148–149
4704.	सीमा शुल्क विभाग, नई दिल्ली द्वारा हथकरघा वस्त्र उत्पाद सामग्री का रोका जाना	Detention of Handloom Cloth Products Consignments at Customs House, New Delhi	149
4705.	उड़ीसा में एल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना	Setting up of an Aluminium Plant in Orissa	149–150
4706.	बलगेरिया के सहयोग से गामा ग्लोब्यूलिन का उत्पादन	Production of Gamma Globulin with Bulgarain Collaboration	150–151
4707.	औषधियों के नमूनों का स्तर घटिया होना	Samples of Drugs Found Sub-Standard	151–152
4708.	कोचीन तेलशोधक कारखाने का विस्तार	Expansion of Cochin Refinery	152–153
4709.	सुदमदेह कोयला खानों के प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच सम्बन्धों का बिगड़ना	Deterioration of Relations between Management and Workers of Sudamdeh Collieries	153
4710.	दरभंगा जिला, बिहार में स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक की शाखाओं में ऋण के लिये विचाराधीन आवेदन पत्र	Applications for Loans Pending with the Branches of State Bank and Central Bank in District Darbhaga, Bihar	153–154
4811.	दिल्ली में बमों के पानी में पेचिश के कीटाणु	Dysentery Germs in Water Drawn from Hand Pumps in Delhi	154
4712.	भिवंडी और जयपुर में नशीले पदार्थों का पकड़ा जाना	Seizure of Narcotics in Bhiwandi and Jaipur	154–155
4713.	कलकत्ता निगम के लिये रूस में बनी मशीनें	Russian made Machines for Calcutta Corporation	155–156
4714.	निकल निक्षेपों का सर्वेक्षण	Survey for Nickel Deposits	156–157
4715.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये स्थायी निदेशक मंडल की नियुक्ति	Appointment of Permanent Board of Directors for Nationalised Banks	157–158

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4716. जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न कम्पनियों तथा फर्मों में लगाई गई पूंजी	Amount Invested by Life Insurance Corporation with Different Companies and Firms	159—160
4717. जीवन बीमा निगम के ऐजेंटों द्वारा ग्राहकों का सीधा बीमा करना	Direct Business with Customers by Agents of LIC	
4718. राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये सहायता	Assistance for Drought Affected Areas in Rajasthan	160
4719. कर अपवंचक	Evaders of Taxes	160
4720. कृत्रिम रेशा उद्योग को उत्पादन शुल्क से राहत	Excise Relief to Fibre Industry	161
27 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Correcting Statement to Unstarred Question No. 89 dated 27-7-1900	161
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	161—165
पश्चिमी बंगाल-बिहार सीमा के निकट हल्दिया बरौनी तेल पाइप लाइन में छुट पुट चोरियां और विनाशक गतिविधियां	Reported Pilfering and Destructive Activities on Haldia Barauni Pipeline near West Bengal-Bihar Border	161 – 165
श्री इन्द्रजीत गुप्ता	Shri Indrajit Gupta	161—164
डा० त्रिगुण सेन	Dr. Triguna Sen	162—165
शाहदरा सहारनपुर लाइट रेलवे के बन्द किये जाने के बारे में	Re. Closure of Shahdara Saharanpur Light Railway	165—166
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	166—170
राज्य-सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	170
भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Indian Telegraph (Amendment) Bill, was Passed by Rajya Sabha	170
सदस्य की दोषसिद्धि	Conviction of Member	170
श्री जगेश्वर यादव	Shri Jageshwar Yadav	170
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House	170

विषय	Subject	Pages
15वां प्रतिवेदन	Fifteenth Report	170
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1968-69	Demands for Excess Grants (Railways), 1968-69	171
राष्ट्रपति के साथ के अधिकारियों के सामान की पालम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य	Correction of Answer to S. Q. No. 6 Re. Search of Baggage of Officers Accompanying President by Customs Authorities at Palam	171
इंडियन एयरलाइन्स फोकर फ्रेंडशिप वायुयान के सिलचर से 29 अगस्त, 1970 से लापता होने के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Indian Airlines Fokker Friendship Aircraft Missing since take off from Silchar on 29-8-70	171—172
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	172
सीमा-शुल्क टैरिफ विधेयक	Customs Tariff Bill	173
प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना	Extension of Time for Presentation of Report of Select Committee	173
राष्ट्रीय गौरव के अपमान का निवारण विधेयक	Prevention of Insults to National Honour Bill	173
पुरःस्थापित किया गया	*Introduced*	173
उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक	Supreme Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill	173
पुरःस्थापित किया गया	*Introduced*	174
दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) सम्बन्धी संविधिक संकल्प—वापस लिया गया—तथा दिल्ली विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक	Statutory Resolution Re. Delhi University (Amendment) Ordinance-withdrawn and Delhi University (Amendment) Bill	174 - 191
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao	175—191
श्री चपलाकांत भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya	177
श्री क० प्र० सिंह देव	Shri K. P. Singh Deo	177—178

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री यादव शिवराम महाजन	Shri Yadav Shivram Mahajan	178
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	178—179
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	179
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	179
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	179—180
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	180
श्रीमती इला पालचौधरी	Shrimati Ila Palchoudhuri	180—181
श्री स० कुण्दू	Shri S. Kundu	181
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	182
श्री अब्दुलगनी डार	Shri Abdul Ghani Dar	182
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	182—183
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra	183
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	187—188
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	189—191
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	191
सभा का अवमान	Contempt of the House	192—193
सदस्य की रिहाई	Release of Member	193
(श्री झारखन्डे राय)	(Shri Jharkhande Rai)	193
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त और अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों पर प्रस्ताव	Motions Re: Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Committee on Untouchability Shri Janeshwar Misra	193—194
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत के बारे में चर्चा	Discussion Re: Interim Relief to Central Government Employees	194—199
श्री उमा नाथ	Shri Umanath	194—198
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen	195
श्री स० कुण्दू	Shri S. Kundu	195—198

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandirika Prasad	195
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	196
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	196
शाहदरा—सहारनपुर लाइट रेलवे के बन्द किये जाने के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Closure of Shahadra-Saharanpur Light Railway	199—202
श्री नन्दा	Shri Nanda	1;9—202

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 31 अगस्त, 1970/9 भाद्र, 1892 (शक)
Monday, August 31, 1970/Bhadra 9, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker ***in the Chair***]

मूलतः 10-8-1970 के तारांकित प्रश्न संख्या * 303 के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर और अध्यक्ष पीठ द्वारा उस पर अग्रेतर अनुपूरक प्रश्न रोके जाने के कारण उस पर अनुपूरक प्रश्न

Supplementaries on Question originally answered on 10th August 1970 under S. Q. No. 303 and held over by the chair for further supplementaries

प्रश्न संख्या 691

श्री स० कुण्डू : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि कुछ औषधियों के विमान से उतरते समय मूल्य से सभी कम्पनियों द्वारा निर्धारित मूल्य और आई०डी०पी०एल०, जो एक सरकारी उपक्रम है, द्वारा निर्धारित मूल्य सात गुना अधिक होता है। उदाहरणार्थ जहाज से उतरते समय टेटरासाइक्लिन का मूल्य 256 रुपये होता है, आई०डी०पी०एल० मूल्य 1,000 रुपये और अन्य कम्पनियों ने मिलकर उसका मूल्य 650 रुपये निर्धारित किया है। इसका क्या कारण है ?

महत्वपूर्ण औषधियों का आयात

*303. **श्री अ० कु० गोपालन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री प० गोपालन :**
श्री क० अनिरुद्धन :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा औषधियों के मूल्य निर्धारण करने सम्बन्धी तैयार

---

*10 अगस्त, 1970 का तारांकित प्रश्न संख्या 303 और उसका उत्तर।

किये गये नये सूत्र के बारे में औषध निर्माताओं की धमकी को देखते हुए सरकार महत्वपूर्ण औषधियों का आयात करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने विदेशों से औषधियों का आयात करने के बारे में एक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए किसी सरकारी दल की नियुक्ति की है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

दूसरे, क्या यह सच है कि सरकार ने मई के महीने में औषधियों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने वाली जो अधिसूचक जारी की थी उसमें अब तक 25 बार परिवर्तन किये हैं ? मैं मंत्री महोदय तथा उनके अधिकारियों पर अपने कर्त्तव्य की गम्भीर रूप से उपेक्षा करने का आरोप लगाता हूं । इस प्रकार की अधिसूचना के प्रति इस प्रकार का सामान्य रवैया अपनाए जाने के कारण औषधियों के मूल्यों में वृद्धि हुई है । क्या मंत्री महोदय ने इस मामले की जांच की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (श्री त्रिगुण सेन) : (क) से (घ). जहां तक प्रचुर औषधियों के उत्पादन का सम्बन्ध है, देश, अभी आत्मनिर्भर नहीं है । कई प्रचुर औषधियों का, जिनका या तो उत्पादन नहीं होता अथवा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्राओं में उत्पादन नहीं होता है ; आयात किया जाता है । औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 की पैरवी कार्यवाही पर विचार करने के लिए हाल ही में धक अन्तर मन्त्रालीय बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय हुआ था कि प्रचुर औषधियों का, जिनके कम प्रदाय की सम्भावना है और जिस मात्रा तक उनकी कम सप्लाई हो सकती है, शीघ्र मूल्यांकन होना चाहिए ताकि अल्प नोटिस पर उनके आयात की व्यवस्था की जा सके । मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप, राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कई प्रचुर औषधियों (अर्थात् विटामिन सी, सल्फाडायजीन, सल्फाडायमाइडीन, क्लारोफेनीकोल आदि) के आवश्यक मात्रा तक आयात की व्यवस्था की गई है । औषध उद्योग ने ऐसी कोई धमकी जिसका जिकर किया गया है नहीं दी है ; यद्यपि उद्योग के कई सैक्शनों ने शंका व्यक्त की कि औषधियों के मूल्य नियन्त्रण की सरकारी नीति प्रचुर औषधियों में कमी कर देगी । औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश के प्रकाशन तथा औषधी उद्योग के साथ विचार विमर्श के बाद उक्त उद्योग ने सरकार को आश्वासन दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि अत्यावश्यक औषधियों में कमियां उत्पन्न न हो वे सरकार को आवश्यक सहयोग देंगे ।

डा० त्रिगुण सेन : आई०डी०पी०एल० में टेटरासाइक्लिन की उत्पादन लागत 820 रुपये है और फाइजर की इसी औषधि की उत्पादन लागत रु० 740.14 पैसे है और सिन्बायटिक्स की रु० 740.67 पैसे है । सभी कम्पनियों ने मिलकर इसका मूल्य 650 रुपये निर्धारित किया है । जहाज से उतरते समय लागत-बीमा भाड़ा मूल्य 352 रुपये है ।

मैं इस आरोप का खण्डन करता हूँ कि नियंत्रण आदेश त्रुटिपूर्ण था । यह अच्छी प्रकार से सोच समझ कर नीति उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुरूप बनाया गया था । माननीय सभा को मैं यह बता दूं इसमें चार बार संशोधन किया जा चुका है और ऐसा पहले दो बार हुआ है कि

औषधियों की कीमतें कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। वहां लगभग 2000 बड़े और छोटे एकक है, 6000 के लगभग सूत्र है, 70,000 के लगभग परचून व्यापारी है तथा अनेक निहित स्वार्थ है। सभा को यह समझ लेना चाहिये कि कीमतों को कम करना कोई आसान काम नहीं है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि इसका गठन ठीक नहीं है। इसका गठन सुचारू रूप से किया गया है और मुझे विश्वास है यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा। यह बिलकुल ठीक है कि इसमें बार-बार संशोधन किया जा चुका है तथा आगे भी संशोधन की आवश्यकता है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : आज समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि कुछ फर्मों को इस षडयन्त्र में भाग लेने के कारण-बताओ-सूचना भेजी गई है? मैं यह पूछना चाहता हूँ कि 15 मई से लेकर आज तक कीमतें बढ़ा कर इन फर्मों ने जो लाभ उठाया है, क्या सरकार के पास उसका कोई लेखा है।

डा० त्रिगुण सेन : आपने समाचार पत्रों में यह भी पढ़ा होगा कि 2550 उत्पादों में से बड़े तथा माध्यम पैमाने के 1102 उत्पादों की कीमतों में सराहनीय कमी हुई है। देश में औषधियों पर प्रतिवर्ष होने वाले कुल व्यय का चौथाई भाग विभिन्न प्रकार की जीवाणु नाशी औषधियों पर होता है और उसमें अब 50 प्रतिशत की कमी कर दी गई है। लगभग 424 औषधियों की कीमतों में वृद्धि हुई थी, जिनमें 114 घरेलू दवाईयां भी थी और मुझे इस बात का खेद है कि जनसाधारण को इसके लिए 20 दिन तक कष्ट झेलना पड़ा। हमने इसकी गणना तो नहीं की परन्तु हमारा अनुमान है कि इससे लगभग 62 लाख रुपया प्राप्त किया गया होगा।

श्री उमानाथ : जो उत्तर दिया गया है उससे ऐसा लगता है कि सरकार ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कुछ औषधियां आयात करने का निर्णय किया है। इसी सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन औषधियों को विदेशों से मंगवाने पर, उन्हें उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त क्या निजी व्यापारियों द्वारा उनके लिए जो कीमत ली जाती है उसमें भी कोई कमी होगी? यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम द्वारा इन्हें मंगवाने से उपभोक्ताओं को किस सीमा तक लाभ होगा?

डा० त्रिगुण सेन : प्रत्येक सरकार की यह राष्ट्रीय नीति होती है कि आधारभूत औषधियों का निर्माण देश में ही किया जावे और यथासम्भव उनके निर्यात को रोका जावे। परन्तु जैसा कि आप जानते ही हैं कि देश में निर्मित औषधियों की अपेक्षा, विदेशों से आने वाली औषधियों की कीमत कम होती है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हम देश में औषधियों का उचित मात्रा में निर्माण नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वह हमें विदेशों से मंगवानी पड़ती है। यह औषधियां हम राज्य व्यापार निगम के माध्यम से केवल इसीलिए आयात करते हैं क्योंकि जब प्राईवेट व्यापारी विदेशों से औषधियां मंगवाते हैं तो उन्हें यह औषधियां उन व्यापारियों की अपेक्षा सस्ती मिल जाती है, जिन्हें हम देश में निर्मित औषधियां सप्लाई करते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि इन बड़े व्यापारियां को तो लाभ हुआ है जबकि देश के छोटे तथा बड़े उद्योग को हानि उठानी पड़ी। हमने सभी निर्माताओं के लिए एक मूल कीमत बना रखी है।

Shri Achal Singh : I would like to ask the hon. Minister whether the price lists of those drugs will be available with the shopkeepers the prices of which have been reduced.

डा० त्रिगुण सेन : इस संशोधन आदेश के द्वारा ही औषधियों की कीमतें कम की गई हैं और मेरे साथी स्वास्थ मंत्री, जिन के अन्तर्गत औषध नियन्त्रण और उसकी सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था है, इस बात के लिए बहुत तत्पर है कि मूल्य सूचियां उपलब्ध हो।

Shri Hukam Chand Kachwai : In view of the complexity of the issue of reductions of drug prices, as stated by the hon. Minister in his reply, may I know whether it is a fact that all the drug producers were invited and you decided to take the decision after discussion with them but later on the decision was announced by your Ministry unilaterally and the producers went back irritated and if so, the reasons therefor and whether an enquiry will be held ? All this has been widely reported in the Press.

डा० त्रिगुण सेन : यह बात सही नहीं है। फरवरी से लेकर अप्रैल तक हमारी इन लोगों के साथ अनेक बैठकें हुई और उनमें चर्चा करने के बाद ही हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश जारी किया जाये।

Shri Sheo Narain : The Patient Bill was passed on last saturday. I would like to know whether in view of the security of like of the people of poor India the hon. Minister will be able to fix the prices of the drugs which are being imported or indigenously manufactured within a month.

डा० त्रिगुण सेन : यही तो मूल्य नियंत्रण आदेश का उद्देश्य है। मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला दूं कि जब हमने इस दिया में कदम बढ़ाया है तो निश्चय ही इसे क्रियान्वित भी करेंगे।

श्री लोबो प्रभु : जनता की तो केवल दो बातों की अपेक्षा है प्रथम यह कि कीमतें उचित हों और दूसरे वह उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध हों।

श्रीमती जयाबेन शाह : स्तर से भी है।

श्री लोबो प्रभु : स्तर एक दूसरी बात है। यह निर्माताओं के नियन्त्रण का ही मामला नहीं है अपितु परचून व्यापारियों के नियंन्त्रण का भी मामला यह देखने में आया है कि निर्माताओं की अपेक्षा परचून व्यापारी बहुत अधिक मूल्य ले लेते हैं और अच्छी किस्म को भी कम करने का प्रयास करते हैं। अतः मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार हर बड़े शहर में औषधियों की एक सरकारी या सहकारी दुकान खोलेगी जहां कि उचित मूल्य पर प्रचुर मात्रा में औषधियाँ उपलब्ध हो सकें ?

डा० त्रिगुण सेन : पहली बात तो यह है कि देश में लगभग 7,000 परचून व्यापारी है। वह यह कार्य कर रहे हैं और हम प्राईवेट क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते और माननीय सदस्य ने ही प्राइवेट क्षेत्र का समर्थन भी कई बार किया है...

श्री लोबो प्रभु : मैं अच्छे प्राईवेट क्षेत्र का तो समर्थक हूं परन्तु बुरे प्राईवेट क्षेत्र का विरोधी हूँ।

श्री रंगा : हम प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्धा के इच्छुक है।

डा० त्रिगुण सेन : परन्तु मेरे साथी, स्वास्थ मंत्री का इस सुझाव पर भी विचार है कि प्रत्येक हस्पताल में औषधियों की दुकान खोली जाये ताकि लोगों को सस्ती दरों पर औषधियां उपलब्ध हो सकें।

श्री प० गोपालन : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार को यह मालूम है कि कुछ औषधि फर्मे कुछ साधारण प्रयोग की औषधियों को कुछ आकर्षक पेटेन्ट नाम देकर उनके लिए असाधारण मूल्य ले रहे हैं। उदाहरणार्थ गलैक्सो का एक निर्माण फरसोलेट है जो कि शुद्ध फैरस सलफेट का उपादान होता है इसकी 100 गोलियां 190 रुपये की दर से बेची जाती है जबकि एस०के०एफ० का निर्माण फैलीफोर जो कि उसी पेटेन्ट का फैन्सी नाम है और फैरस सलफेट का ही उपादान है। इसके 10 कैपसूल 660 रुपये की दर से बेचे जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वह इस प्रकार फैन्सी नामकरण द्वारा जो असाधारण कीमत वसूल की जाती है, सरकार इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कर रही है।

डा० त्रिगुण सेन : सैद्धांतिक रूप से तो हमें केवल आधार भूत औषधियों के निर्माण के लिए ही वैदेशिक सहयोग लेना चाहिये था परन्तु यह खेद की बात है कि हमने उन्हें औषधि निर्धारण की अनुमति भी दे दी जो कि वास्तव में भारतीय छोटे तथा माध्यम क्षेत्र को दी जानी चाहिये थी। उन्होंने औषधियों का निर्धारण किया है और माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह ठीक है। अब हम उनके प्रत्येक निर्धारण के मूल्य का हिसाब लगा रहे हैं और फिर उसका मूल्य निर्धारित करेंगे। हम इस बात का खास ख्याल रख रहे हैं कि वह इस से और अधिक लाभ न उठा सकें।

सरकारी क्षेत्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की नियुक्ति

*692. **श्री एस०एम० कृष्ण :**
श्री देवकी नंदन पाटोदिया :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सरकारी क्षेत्र में माध्यमिक स्तरों पर नियुक्ति करने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का उक्त योजना को कब तक लागू करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) से (ग). प्रथम श्रेणी की सेवाओं से (जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा भी शामिल हैं), अधिकारियों को, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में काम करने तथा अनुभव प्राप्त कराने के उद्देश्य से, अपेक्षाकृत नीचे के स्तरों पर प्रति-नियुक्त करने के अभिप्राय से एक योजना तैयार करने की सम्भावनाओं पर इस समय विचार किया जा रहा है। योजना का अभिप्राय एक निश्चित संख्या में सरकारी कर्मचारियों को सरकारी

क्षेत्र के उद्यमों के काम में प्रशिक्षण देना है जिसके निम्नलिखित तीन उद्देश्य हैं :—

(i) इस प्रकार के प्रशिक्षण से सरकारी कर्मचारियों को वापस सरकारी नौकरी में आने पर सरकारी क्षेत्र की समस्याओं को पहले से अधिक अच्छी तरह समझने और सुलझाने में सहायता मिलेगी ;

(ii) इनमें से सरकारी कर्मचारियों को, जो इस प्रकार के प्रशक्षिण में सफल सिद्ध होंगे हैं, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में ही स्थायी रूप से रखे जा सकेंगे बशर्ते कि वे वहां रहने के लिए राजी हों। यह महसूस किया जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मध्यवर्ती स्तरों पर इस प्रकार की नियुक्तियां करना उनके लिये लाभदायक सिद्ध होगा ;

(iii) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के काम में प्रशिक्षित इन सरकारी कर्मचारियों को उन नये सरकारी उद्यमों में भेजा जा सकता है जो चौथी और पांचवी पंचवर्षीय आयोजनाओं के दौरान स्थापित किये जाएंगे।

इस सम्बन्ध में अंतिम रूप से निर्णय लिया जाना अभी बाकी है।

श्री एस० एम० कृष्ण : देश के विभिन्न सरकारी संस्थानों में लगभग 700 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विभिन्न क्षमताओं में कार्य कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार इन प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में सदैव के लिए रखना चाहती है बावजूद इसके कि वास्तव में उनमें बहुत कमियां हैं। सरकार ने इस प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को यह बताने के लिये समय निर्धारित किया है कि वह सार्वजनिक संस्थानों में रहना चाहते हैं या पुनः अपने प्रशासनिक सेवा संवर्ग पर वापिस लौटना चाहते हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि जब उसने कोई निर्णय ले ही लिया था तो फिर वह उस पर अन्त तक क्यों नहीं टिकी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सत्य नहीं है कि हम भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों या असैनिक अधिकारियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हमेशा के लिए या प्रतिनियुक्ति के रूप में रखना चाहते हैं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है सरकार ने तो स्वयं ही एक ऐसी योजना बनाई थी जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक संस्थानों में इस प्रकार की निरन्तर प्रतिनियुक्तियों को समाप्त किया जा सके। सार्वजनिक सस्थानों में कार्य कर रहे अधिकारियों से यह बताने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की थी कि वह जिन विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों में कार्य कर रहे हैं वही स्थाई रूप से रहना चाहते हैं या पुनः अपने संवर्ग में लौटना चाहते हैं। इन अधिकारियों द्वारा यह अनुरोध करने पर कि उन्हें निर्णय करने के लिए दिया गया समय कम है, हमने यह समय-अवधि और बढ़ा दी। उन्होंने और अधिक समय की मांग की, हमने उस पर विचार किया और इस निर्णय पर पहुंचे कि समय-अवधि बढ़ाने से कोई हानि होने वाली नहीं। हमने समय-अवधि को एक वर्ष और बढ़ा दिया। अब समय अवधि बढ़ा दी गई इसे और आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। उनके विकल्प की समय-अवधि निर्धारित कर दी गई है और विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों में कार्य कर रहे सिविल कर्म-

धारियों को इसी अवधि में अपना विकल्प देना होगा। मेरी वर्तमान सूचना के अनुसार यह समय-अवधि मार्च 1971 है।

श्री एस० एम० कृष्ण : जब से सरकार ने औद्योगिक प्रबन्धक पूल का आरम्भ किया है तब से लेकर अब तक उसमें एक भी भर्ती नहीं हुई है। इससे केवल मेरी इसी धारणा को बल मिलता है कि यहां सभी मामलों में नौकरशाही का बोल बाला है। मंत्री महोदय इसके बारे में निरुपाधि उत्तर दें कि जो 700 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों में कार्य कर रहे हैं उनमें से किसी एक ने भी आज तक इंहीं संस्थानों में कार्य करने के लिए अपना विकल्प नहीं दिया। क्या यह सच है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सत्य नहीं है क्योंकि कम से कम एक ने विकल्प दिया है। किसी दमनकारी प्रभाव का कोई प्रश्न नहीं है। सरकार इस मामले में चुप है। जैसा कि मैंने अपने मुख्य उत्तर में कहा, हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं। मैं यह मानता हूँ कि सरकारी क्षेत्र का अपना संवर्ग होना चाहिए। जो लोग इनमें काम करते हैं, वह जी जान से इसकी बेहतरी तभी कर सकते हैं जब वह इन्हीं का एक अंग हो, यदि वह इसका एक अंग नहीं होते तो वह उतनी कुशलता से इन के हितों की सुरक्षा नही करेंगे। यदि वह सार्वजनिक संस्थानों में अपनी प्रतिनियुक्ति को केवल दो तीन वर्ष का भ्रमणकाल ही समझें रहे, तो वह उस के कार्यों में पूर्ण-रूपेण रुचि नहीं लेंगे। मैं सभी लोगों के लिए ऐसा नहीं कह रहा क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अधिक रुचि लेते हैं परन्तु सैद्धांतिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि वह लोग प्रतिनियुक्ति पर आये हों तो वह संस्थानों के कार्यों में उतनी रुचि नहीं लेंगे जितनी कि वहां स्थाई रूप से कार्य करने वाले कर्मचारी, अपने आपको उसी संस्थान का एक अंग मान कर लेते हों।

श्री एस० एम० कृष्ण : औद्योगिक प्रबन्धक मूल में भर्ती क्यों नहीं की जाती?

श्री विद्याचरण शुक्ल : एक बार भर्ती की गई थी, फिर उसके बाद रोजाना कभी नहीं की गई।

श्री एस० एम० कृष्ण : क्यों?

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्योंकि सरकार ने एक निर्णय ले लिया था इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री देवकी नंदन पटोदिया : उत्तर बहुत ही भ्रामक है। औद्योगिक प्रबन्धक पूल की स्थापना 1959 में की गई थी। गत 13 वर्षों में से केवल एक बार इसके आरम्भिक वर्ष 1959 में ही 100 व्यक्ति भर्ती किये गये थे। मैं इस बात का विस्तृत ब्यौरा तथा विशिष्ट कारण जानना चाहता हूं कि इस सेवा को 13 वर्षों तक बेकार क्यों पड़ा रहने दिया? यदि सरकार के पास इसके उपयुक्त कारण हैं तो सरकार को इस सेवा को समाप्त कर इसके स्थान पर कोई और वैकल्पिक सेवा चलाने में क्या आपत्ति है—भविष्य में, क्या ऐसे रिक्त स्थान बनाने की अपेक्षा

जहां कि प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पक्का किया जा सके, सरकार औद्योगिक प्रबन्धक पूल के व्यक्तियों में से भर्ती करके उन्हें उपयुक्त प्रोत्साहन देगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे आशा है कि जो कुछ मैं कहने लगा हूँ। माननीय सदस्य उसकी ओर उचित ध्यान देंगे। औद्योगिक प्रबन्धक पूल को प्रोत्साहन न देने के भी प्रमुखतया वही कारण है जो कि प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को प्रोत्साहन न देने के हैं। हम यही चाहते हैं एक विशिष्ट सार्वजनिक संस्थान के सारे कर्मचारी उसी के अपने ही हो। यदि यह प्रशासनिक सेवा या औद्योगिक प्रबन्धक पूल से संबंधित हो तो वह एक सार्वजनिक संस्थान से दूसरे में जा सकते हैं। क्योंकि वह पूल से सम्बन्धित होंगे अतः वह एक वर्ष के हिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में कार्य करेंगे, तो फिर हैवी इलैक्ट्रीकल्ज में, फिर हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज में आदि आदि। ऐसी अवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र से सम्बन्धित होने की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। अतः यही बात औद्योगिक प्रबंधक पूल, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं, अखिल भारतीय सिविल सेवाओं या किसी अन्य केन्द्रीय सेवा में हो सकती है क्योंकि वह भी तो औद्योगिक संस्थान प्रबन्धक पूल की तरह ही केन्द्रीय सेवायें हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि जो अधिकारी एक विशिष्ट संस्थान में कार्य कर रहा है उसका सम्बन्ध उसी से हो और वह उसी में अपने आपको लीन कर दें। अपने इस सीमित उद्देश्य की पूर्ति के लिए औद्योगिक प्रबन्धक पूल की अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा और अखिल भारतीय सिविल सेवा से कोई अच्छा नहीं है। यही कारण है कि हम इसे और दोहरा नहीं करना चाहते।

श्री देवकी नन्दन पटोदिया : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरा प्रथम प्रश्न यह था कि इस सेवा को 13 वर्षों तक बनाये रखने के क्या कारण हैं जब कि इस में भर्ती केवल उसी वर्ष की गई जिस वर्ष कि औद्योगिक प्रबन्धक पूल की स्थापना की गई। दूसरे, यह योजना, जिसके अन्तर्गत माध्यमिक स्तरों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, वर्तमान औद्योगिक प्रबन्धक पूल से क्या अधिक अच्छी है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूँ। एक बार जब भर्ती कर ली जाती है तो उन लोगों को जहां कहीं आवश्यकता होती है, विभिन्न संस्थानों में भेज दिया जाता है। उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। इनके लिए हम और भर्ती इसलिए नहीं कर रहे जिस लिए कि हम भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेज रहे। कारण यही है कि हम उन्हें एक विशिष्ट सार्वजनिक संस्थान से सम्बद्ध कार्य में ही पारंगत बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और औद्योगिक प्रबन्धक पूल में कोई विशेष अन्तर नहीं है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : आपने इसे अभी तक बनाये क्यों रखा है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्योंकि उनकी भर्ती सरकार की किसी योजना के अन्तर्गत की गई थी, अतः हमें उन्हें रखना ही था उन्हें बाहर तो नहीं निकाला जा सकता था।

श्री सेझियान : सार्वजनिक संस्थानों के सम्बन्ध में कुछ वर्ष पूर्व जो दी कृष्णा मेनन

समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसमें यह स्पष्ट सिफारिश की गई थी कि सार्वजनिक संस्थानों के लिए एक अलग संवर्ग बनाया जाना चाहिए और इसके लिए उपयुक्त प्रत्याशियों की भर्ती के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग की स्थापना की जानी चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर कोई विचार किया था क्योंकि मन्त्री महोदय ने अभी यह कहा है कि जिनका चयन जिस संस्थान में दिया जाता है वह उसी में रहेंगे और समिति ने यह सिफारिश की थी कि यदि एक व्यक्ति को एक ही संस्थान में रहने दिया गया तो इससे पक्ष-पात और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिये उन्होंने सार्वजनिक संस्थानों में भर्ती के लिये लोक सेवा आयोग जैसी बाहरी संस्था की सिफारिश थी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इस पर विचार कर इसे क्रियान्वित क्यों नहीं किया।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। जब सरकार ने एक बार अन्तिम रूप से यह निर्णय कर लिया कि प्रत्येक सार्वजनिक संस्थान का अलग संवर्ग होगा, तब हमारे समक्ष यह प्रश्न आयेगा कि उस संवर्ग की भर्ती कैसे की जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सम्भवतः फिर हम विशिष्ट सेवा आयोग बना दे जिनके पास विभिन्न सार्वजनिक संस्थान अपनी-अपनी मांगे भेजे कि उन्हें अपने कार्य के लिए कितने अधिकारियों की आवश्यकता है। आयोग फिर आवेदन पत्र मांग कर परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया करेगा। मैं यह नहीं कह रहा कि हमने इस पर विचार किया है या इसे अस्वीकार या स्वीकार किया है परन्तु यह दूसरा कदम होगा। पहला कदम तो यही निश्चय करना पहले यह निर्णय अन्तिम रूप किया जाये कि सार्वजनिक संस्थान के लिए अलग संवर्ग बनाना है या नहीं। इस प्रश्न के बारे में कोई अन्तिम निर्णय करने के बाद ही, माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये दूसरे प्रश्न पर निर्णय किया जा सकेगा।

श्री बलराज मधोक : मन्त्री महोदय ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कोई भी अखिल भारतीय प्रशानिक से या किसी अन्य अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी सार्वजनिक संस्थाओं में ठीक रूप से कार्य नहीं कर सकता क्योंकि संस्थाओं के कार्य की अपनी विशेषतायें होती है। इस तथ्य के प्रकाश में मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना कि क्या सरकार ने सार्वजनिक संस्थानों की कार्य प्रणाली के अपने अनुभव के आधार पर कोई इस प्रकार की योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत यह सार्वजनिक संस्थान अपने उच्च अधिकारियों का चयन अखिल भारतीय स्तर पर कर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सके। ऐसा विशेष रूप से उन गैर-सरकारी या अन्य ऐसे क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जहां की कार्य प्रणाली के लिए विशेष जानबूझ या जानकारी की आवश्यकता हो ताकि इन संस्थानों को इन आम अखिल भारतीय अधिकारियों के प्रभुत्व से मुक्त किया जा सके।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उनको कोई विशेष प्रभुत्व नहीं है। वास्तव में हम भी यही करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसी प्रकार की योजना बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आजकल हम इसी काम में व्यस्त हैं।

फिल्म अभिनेताओं को बीमा पालिसियों के माध्यम से भुगतान

*693. **श्री सीताराम केसरी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फिल्म अभिनेताओं को बीमा पालिसियों के माध्यम से भुगतान करने की फिल्म प्रोड्यूसर्ज गिल्ड की किसी योजना को मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त योजना को किन-किन स्थानों पर और कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत के फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड द्वारा दिये गये सुझावों की सरकार ने जांच की है। सरकार का मत है कि यदि कलाकारों को बीमा पालिसियों के माध्यम से भुगतान करने की योजना उसी प्रकार की है, जैसी स्वर्गीय श्री गुरुदत्त के मामले में स्वीकार की गई थी, तो सरकार उसको स्वीकार कर सकती है। उस योजना से कोई भिन्नता हुई तो उसकी जांच गुणदोषों के आधार पर की जायेगी।

(ख) फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड द्वारा प्रस्तावित किसी योजना का अनुमोदन नहीं किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए, यह प्रश्न रहीं उठता है।

Shri Sitaram Kesri : It has not been stated as to on what grounds Shri Guru Dutt was given compensation and under which scheme The hon. Minister has stated that similar scheme will be acceptable to the Government. Therefore, I want to know the scheme under which Shri Guru Dutt has given compensation ?

Shri Vidya Charan Shukla : If you permit, I can explain it in detail. It is a lengthy and complicated issue. If you wish, I am ready to place it on the Table of the House.

Shri Sitaram Kesri : In my question I wanted to know the details of this scheme. Had it been answered, I would have put my supplementary in better way. But still on the basis of whatever you have stated I want to put a supplementary. Guru Dutt was granted compensation under the scheme which presupposes that the Film Stars have a short span of active life ranging between 10 to 15 years. I would like to know whether Government is also having a similar scheme and whether special expenditure of the artists is accepted, as is the practice in other countries. Are you also going to accept their special expenditure ?

Shri Vidya Charan Shukla : I would like to give a brief outline of that scheme so that hon. Members may have an idea about it. Late Shri Guru Dutt said that he would know an amount of money from some producer. Then under annuity scheme which was in vogue at that time but not now he will have some money, the payment of which will be made in ten years by easy instalments. Thus he was to have some adventage various sections of laws. As you know, later on this annuity scheme was abolised and an alternative scheme was put forth by Film Producers Guild. It is somewhat different. Formerly annuity scheme was there but now it no longer exists and that is why there is some difference. Therefore, we would like to consider this scheme and in case no public loss or tax loss to Government is involved in it and Film artists are benefited, we will be ready to do every possible. If we can help the film artists by purchasing insurance policy or annuity or anything of the kind, we will not hesitate to help them in any way. But at present it is difficult for me to say anything about them.

Shri Sita Ram Kesri : The producer will pay the premium of artist. Now suppose, the producers company fails after one year, artists will not suffer much loss. But when the producers settles to pay some money to artist after five or ten years and company fails, in that case, are you going to do anything for the artist so that he may not be a loser.

Mr. Speaker : If it is done, that will happen, such like questions should not be raised. There should not any introduction, preamble or hyplothical questions. I am all the more surprised when I find that Ministers too indulge in long speeches while answering questions. You should be concise and precise. Members should also be precise in their questions.

Shri Vidya Charan Shukla : In short, I may say that the scheme which has been received contains a suggestion that there should be like insurance policy should be contructed. According to terms and conditions of the policy, the artist, nominee or the person in whose name policy stands, will get the money. I do not want to go into details and waste the time of the House. The main thing is that since the creative life span of our film artists is very short, we are to see that they are not put to loss and that they have not to pay heavy tax in that limited period. We are making efforts to spread it over.

श्री पीलु मोडी : जैसा कि मैं समझ सका हूँ मन्त्री महोदय ने कहा है कि फिल्मी कलाकारों की कमाई का जीवन काल थोड़ा होता है अतः उनके लिए एक योजना बनाने की बात सिद्धांत रूप से उन्होंने स्वीकार कर ली है।

यदि श्री गुरूदत्त को भूतकाल में किसी विशेष योजना का लाभ दिया गया था तो प्राकृतिक न्याय तथा अन्य बातों के अनुसार अन्य कलाकारों को उसी प्रकार की योजना से वे किस प्रकार निराकृत कर सकते हैं ? एक बार पहिले तो उन्होंने अनुमति दे दी है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे दुख है कि मैं क्योंकि हिन्दी में बोला था अतः श्री पीलु मोडी शायद मेरी बात समझे नहीं। मैंने कहा था कि जिस समय श्री गुरूदत्त के सम्बन्ध में योजना अनुमोदित की गई थी उस समय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिकी योजना लागू थी। भाग्य से अथवा दुर्भाग्य से अब वह योजना लागू नहीं है। उस समय लागू वार्षिकी योजना के अन्तर्गत जो कुछ श्री गुरूदत्त को दिया गया था दुर्भाग्यवश अब नहीं दिया जा सकता। इसलिए एक नई योजना प्रस्तुत की गई है। अब हम इसकी जांच करेंगे।

श्री पीलु मोडी : परन्तु समय के अन्तराल को कम किया जाना चाहिये।

Shri Abdul Ghani Dar : Has the Government made a scheme under which it will be ensured that the policies issued to them would be fully paid-up, so that Shri Kesari's point is also met and they are also not put to any loss and they can obtain loan also against those policies in the time of need ?

Shri Vidya Charan Shukla : It would depend upon the proposal received and decision of the L. I. C. there upon. I can not give any details at this stage.

Shri Abdul Ghani Dar : Would it be fully paid-up or not ?

Shri Vidya Charan Shukla : It would be considered.

श्री को० सूर्यनारायण : क्या मैं जान सकता हूं कि निर्माताओं द्वारा, जो इन्शोरेन्स हेतु अदायगी करने के लिए उत्तरदायी हैं क्या कोई गारंटी पालिसी भी प्राप्त की जानी होती है। कोई

करार जरूर होना चाहिए। अन्यथा इस बात की गारंटी नहीं रह जायेगी कि फिल्म निर्माता नियमित रूप से प्रीमियम अदा करेगा और आपको आयकर देगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री अब्दुल गनी डार ने जो प्रश्न एक तरीके के पूछा था उसे ही दूसरे तरीके से यह पूछ रहे हैं। मैंने कहा था कि हम अभी इन ब्यौरों पर विचार नहीं करेंगे। योजना हमें भेजी गयी है। हम विस्तार से उसकी जांच करेंगे और जीवन बीमा निगम से भी हमें पूछना होगा। यह ठीक है कि जीवन बीमा निगम और आयकर अधिनियम में अन्य कानूनी बातों द्वारा ही हम निर्देशित होंगे। पूरी तरह विचार करने के उपरान्त और केवल ऐसा पाने के पश्चात ही कि योजना पूर्णतः उपयोगी एवं दोष रहित है, हम इसके लिए अपनी सहमति देंगे अन्यथा नहीं।

तालचेर उर्वरक परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता

*694. **श्री स० कुन्दू :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर उर्वरक परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा की मंजूरी दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा की मंजूरी दे दी गई है ; और

(ग) उक्त संयंत्र का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). तालचेर के लिए अपेक्षित कुल मुद्रा लगभग 20 करोड़ रुपये अनुमानित है। यह सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) संयत्र के निर्माण कार्य के 1970 के अन्त में शुरू होने की आशा है।

श्री स० कुन्दू : महोदय, मेरा विचार है कि मन्त्री महोदय ने आपका संकेत ग्रहण कर लिया है, क्योंकि उनका उत्तर न केवल छोटा है अपितु रहस्यपूर्ण भी है।

मन्त्री महोदय से मैं विशेषरूप से यह जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन से देश हैं जिनसे विदेशी मुद्रा आश्वासित है, इस संयंत्र के लिए अपेक्षित कच्चा माल क्या होगा, संयंत्र की लागत क्या है तथा इसकी रोजगार संभावनायें क्या होंगी और कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जहां तक संयंत्र को चालू किया जाने का सम्बन्ध है, प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मैंने उल्लेख किया है कि संयंत्र के निर्माण कार्य के 1970 के अन्त में शुरू होने की आशा है।

जहां तक उपलब्ध होने वाले ऋण का सम्बन्ध है यह दो देशों, चेकोस्लावाकिया और इटली से प्राप्त होगा। जहां तक विदेशी मुद्रा के उस भाग का सम्बन्ध है जो इस बीच सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है माननीय सदस्य की सूचना के लिए मैं बताना चाहता हूं कि निम्नलिखित समझौतों के अधीन प्रायोजना के लाइसेंस तथा तकनीकी जानकारी क्रय के लिए सरकार

ने पहिले ही विदेशी मुद्रा स्वीकृत की हुई है। पहले, जर्मनी के मैसर्स हैन्रिच कापर के साथ गैसीकरण प्रक्रिया की जानकारी एवं इन्जीनियरी सेवाओं के प्रदाय हेतु पहले कोयला आधारित संत्रयं के लिए 31,15,000 डी० एम० मूल्य के तथा दूसरे कोयला आधारित संयंत्र के लिए 22.40 लाख डी० एम० मूल्य के लाइसेंस के लिए समझौता।

"गैसों की शुद्धता हेतु रैक्टीसोल प्रक्रिया के लिए पहले कोयला-आधारित संयंत्र के लिए 12,27,000 डी० एम० मूल्य पर तथा दूसरे कोयला-आधारित संयंत्र के लिए 478,000 डी० एम० मूल्य पर मैसर्स लर्गी, पश्चिमी जर्मनी के साथ समझौता। दोनों कोयला-आधारित संयंत्रों की अमोनिया संश्लिष्ट तथा यूरिया संश्लिष्ट प्रक्रियाओं हेतु 3550 लाख इटालियन लीरा के मूल्य पर अमोनिया संश्लिष्ट तथा 7290 लाख इटालियन लीरा के मूल्य पर यूरिया संश्लिष्ट के लिए इटली मैसर्स मान्टेकेटिनि एडीसन के साथ समझौता"।

अतः, ऋण उपलब्ध करा दिया गया है और सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा विमुक्त कर दी गई है। कच्चे माल की बात यह है कि यह कोयला आधारित संयंत्र होगा और इसके लिए प्रतिवर्ष 9 से 10 लाख टन कोयले की आवश्यकता होगी। प्रायोजना की पंजीकृत लागत लगभग 71 करोड़ रुपये होगी और इसके विदेशी मुद्रा भाग का मैंने अभी उल्लेख किया है।

श्री स० कुन्दू : मुझे डर है कि सरकारी क्षेत्र की अन्य प्रायोजनओं की ही तरह यदि इसे भी समय पर पूरा न किया गया तो हम इस देश व इस संसद को उस स्थिति में ले जायेंगे जहां पर हमें लगभग 70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का खर्चा करना पड़ सकता है। जहां तक मुझे बताया गया है कोयले को वहां तक पहुंचाने के लिए प्रारम्भिक कदम भी नहीं उठाये गये हैं। उर्वरक संयंत्र के संबध में क्या कदम उठाये गये गये हैं? इसकी कुल लागत क्या होगी और इन दोनो संयत्रों की रोजगार सम्भावना क्या होगी? सिविल निर्माण कार्य आप कब तक प्रारम्भ करने वाले हैं और इस के लिए नियत राशि कितनी है?

श्री दा० रा० चव्हाण : इस प्रायोजना के निर्माण के लिए कुल राशि जो लगभग 70 करोड़ रुपये है, उपलब्ध करवाई जायगी और यह स्वीकृत कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि 70 करोड़ रुपये उर्वरक निगम को सौंप दिये जाएं जिससे कि वह निर्माण कार्य प्रारम्भ कर सके। जब जब धन की आवश्यकता होगी यह दिया जायगा। जैसा कि मैंने कहा सिविल निर्माण तथा अन्य कार्य इस वर्ष के अन्त तक प्रारम्म होगा। पारादीप के संबंधी में आध घन्टे की चर्चा हुई और मैंने उस का उत्तर दिया है।

श्री क० प्र० सिंह देव : इस संयंत्र के लगने पर उत्पन्न होने वाली रोजगार क्षमता के सम्बन्ध में श्री कुण्डू के प्रश्न का उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। उड़ीसा के स्थानीय लोगों और बेरोजगार इंजीनियरों को जो पद दिये जायेंगे उन की प्रतिशतता तथा ग्रेड क्या हैं? इस संयंत्र में उन में से कितनी को नौकरी दी जायगी? क्या मैं जान सकता है कि पेट्रोलियम तथा रसायन या अन्य सबंद्ध मंत्रालयों को क्या इस संबंध में उड़ीसा सरकार ने लिखा है? इस संबंध में इस मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाया गया है? दूसरे क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या इस संयंत्र के स्थापित

किये जाने के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में स्थापित होने वाले सहायक या छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना के संबंध में क्या सरकार ने स्वयं कोई सर्वेक्षण किया है ? क्या मैं जान सकता हूं कि उड़ीसा सरकार तथा स्थानीय प्रतिनिधियों से क्या इस मंत्रालय को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

श्री दा० रा० चव्हाण : इस संयंत्र की वास्तविक रोजगार संभावना बताने में मैं असमर्थ हूं परन्तु अन्य संयंत्रों के साथ मैं उसकी तुलना कर सकता हूँ। 150,000 मैट्रिक टन नाइट्रोजन की क्षमता के संयंत्र की रोजगार संभावना लगभग 1000 होगी। इस संयंत्र की क्षमता 228,000 मैट्रिक टन नाइट्रोजन खाद होगी। इस प्रकार लगभग 1400 या 1500 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकेगा। सहायक उद्योगों के संबंध में हमने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए नीति इस प्रकार है कि श्रेणी एक तथा श्रेणी दो के पदों को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा और प्रतियोगिता के द्वारा भरती की जायगी। श्रेणी तीन तथा श्रेणी चार के संबंध में नीति यह है कि स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर तथा स्थानीय रोजगार कार्यालयों की सेवायें प्राप्त करके संभव सीमा तक हमें स्थानीय लोगों की भरती करनी चाहिए।

श्री क० प्र० सिंह देव : सहायक उद्योगों संबंधी प्रश्न का उन्होंने उत्तर नहीं दिया। छोटे उत्तर देने का आपने उन्हें संकेत किया। अतः उन्होंने पूर्णतः प्रश्न ही छोड़ दिया। सहायक उद्योगों के लिए सर्वेक्षण करवाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न विदेशी मुद्रा, पास की गई राशि तथा निर्माण प्रारम्भ करने के समय आदि के संबंध में था। आप को कुछ और सूचना द्वारा सन्तुष्ट किया जा सके इस कारण मैं चुप रहा। परन्तु उसका यह अर्थ नहीं कि आप प्रश्न के विस्तार से परे चले जाएं।

श्री क० प्र० सिंह देव : मेरे द्वारा सचिवालय को भेजा गया प्रश्न इससे पूर्णतः भिन्न था। परन्तु इस प्रश्न के साथ मेरा नाम जोड़ दिया गया है।

श्री पीलु मोडी : अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देकर आप इस विषय को यहीं समाप्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न उन्होंने पहले ही पूछ लिया है।

श्री क० प्र० सिंह देव : सहायक उद्योगों के संबंध में सर्वेक्षण करवाने का उड़ीसा सरकार ने अनुरोध किया है। उस क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी इस सम्बन्ध में लिखा है। इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं।

श्री दा० रा० चव्हाण : सहायक उद्योगों के सम्बन्ध में हमने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। सहायक उद्योगों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

श्री हेम बरूआ : श्री फखरूद्दीन अली अहमद ने इस सदन में कहा था कि 500 रुपये के वेतन के पद स्थानीय लोगों को दिये जायेंगे। इस बात को इस फैक्टरी पर भी क्या कार्यान्वित किया जायगा कि नहीं ?

श्री दा० रा० चव्हाण : 500 रुपये तक वेतन पाने वाले तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भरती स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर तथा स्थानीय रोजगार कार्यालयों की सहायता प्राप्त करके की जायेगी ।

मूंदड़ा कम्पनियों की ओर राष्ट्रीयकृत बैंकों का बकाया ऋण

*695. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित प्रत्येक मूंदड़ा/कम्पनी की ओर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की कितनी राशि बकाया है ;

(एक) टर्नर मोरिसन कम्पनी लिमिटेड

(दो) लोदना कोलियरी लिमिटेड

(तीन) शालीमार वर्क्स लिमिटेड ।

(चार) स्मिथ टेनिस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड ।

(पांच) शालीमार स्टार प्रोडक्ट्स लिमिटेड ।

(छः) एंजेलो ब्रदर्स लिमिटेड ।

(सात) अलकाक एशडाउन एण्ड कम्पनी लिमिटेड ।

(ख) क्या जीवन बीमा निगम का एक सेवानिवृत अध्यक्ष इन कम्पनियों का एक निदेशक है ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि इन कम्पनियों को दी गई रकम का किस प्रकार इस्तेमाल किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) प्रश्न में उल्लिखित 7 कंपनियों की ओर 30 जून 1970 को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये और बकाया ऋणों की राशि कुल 127.24 लाख रुपये थी । ये ऋण सम्बद्ध कंपनी की कार्यचालन पूंजी संबन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिये गये थे ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार जीवन बीमा निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष स्व० श्री पी०ए० गोपालकृष्णन (1) लोदना कोलियरी कम्पनी (1920) लिमिटेड और एंजेलो ब्रदर्स लिमिटेड के निदेशक थे ।

(ग) एक कम्पनी के एक मामले को छोड़ कर जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उस कम्पनी ने इस राशि के कुछ भाग को सामूहिक रूप में कंपनियों के शेयरों को खरीदने के लिये इस्तेमाल किया है, अन्य सभी कंपनियों ने ऋण की राशि का उपयोग कार्यचालन पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया है । इस कंपनी के मामले में जिसने विशेष प्रयोजनों के

लिए स्वीकृत राशि का इस्तेमाल उनसे भिन्न प्रयोजन के लिए किया है, संबद्ध बैंक ने अपनी रकम को वसूल करने के लिए दावा दायर कर दिया है।

श्री इंद्रजीत गुप्ता : सदन के सामने रखे गये विवरण से मालूम होता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इन सात कम्पनियों को 30 जून तक एक करोड़ सत्ताईस लाख रु० की राशि का अग्रिम धन दिया है। विवरण के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि इन कम्पनियों में से एक कम्पनी ने तो अपनी निधि का एक भाग कुछ संस्थाओं के शेयर खरीदने पर लगाया है जबकि शेष ने धन को अपनी कार्यकर पूंजी की जरूरतों के लिये उपयोग में लिया है। इस उत्तर से मैं सचमुच हैरान हूं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या उन्हें यह मालूम नहीं कि इन पांच छः कंपनियों की पूंजी, जो सारी की सारी टर्नर मोरिसन कम्पनी द्वारा नियंत्रित कम्पनियां हैं तथा जिन्हें जो हरिदास मुंधरा नियंत्रित करते हैं, श्री मुंधरा ने दिल्ली की ग्लोब मोटर्ज वर्कशाप लि०, ग्लोब मोटर्ज लि० तथा इंडियन मेटेलर्जिकल इंडस्ट्रीज लि० नामक तीन कम्पनी के अलाभकारी शेयर खरीदने के लिए किया है। यह तीनों कम्पनियां बुरी तरह से कर्जदार हैं और उनके शेयर वास्तव में किसी मूल्य के नहीं। क्या वे यह नहीं जानते कि श्री मुंधरा ने टर्नर मोरिसन कम्पनी द्वारा नियंत्रित इन कम्पनियों पर नियंत्रण रखते हुए इन तीन अलाभकारी कम्पनियों के शेयर नाम मात्र कीमतों पर खरीदे और फिर उन्हें इन तीन नियंत्रित कम्पनियों को इन मूल्यों पर बेचा : लोडना कोलिरीज 11.25 लाख रु० ; शालीमार वर्क्स 7.35 लाख रु० ; स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट 2.82 लाख रु० ; अंगेलो ब्रदर्ज 6.82 लाख रु० तथा अलकौक ऐशडाउन 2 लाख रु०, जिसका कुल योग 30.26 लाख रु० होता है। श्री एस० एम० कोडिया नामक दलाल द्वारा किये गये इस सौदे से श्री मुंधरा ने कई लाख रु० अपनी जेब में डाले। ऐसा क्यों है कि मंत्री को इन तथ्यों की जानकारी नहीं और इस विवरण में उन्होंने कहा है कि इनमें से केवल एक ही कम्पनी ने इन संस्थाओं के शेयर खरीदने के लिये अपनी निधि का दुरुपयोग किया है। क्या इसी उद्देश्य के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक ऋण दे रहे हैं ? इस दिशा में क्या क्या कदम उठाये गये ? क्या कोई जाँच तथा उचित कार्यवाही की जावेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने निश्चय ही इस सूचना में कोई नई बात नहीं कही। मैं उन्हें कह सकता हूँ कि मेरे पास वह सूचना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : आपने इसे छिपाया क्यों ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : मैंने इसे छिपाया नहीं। मैंने सोचा कि मुझे उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : यह बात लेखबद्ध होगी कि इन कम्पनियों में से एक ने इस राशि का उपयोग शेयर खरीदने के लिए किया। अगर वे चाहते हैं कि लेखबद्ध होने को मैं महसूस नहीं करता तो यह मेरे लिए ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूँ कि आप इनके मजाक को उसी भाव में लेंगे जिसमें कि यह किया गया है।

श्री नम्बियार : महोदय, यह वर्ष भर का सर्वोत्तम मजाक है।

श्री पीलू मोदी : श्री मुधरा के लिये ये लोग कितने भले हैं।

श्री यशवंत राव चव्हाण : श्री मुधरा के लिए कोई भी भला नहीं। मैंने कहा और अब भी कहता हूँ कि यह कम्पनी, जिसका आप चाहें तो मैं नाम भी बता सकता हूं, यानि लोडमा कौलिरी नामक कम्पनी ने, जैसा कि उन्होंने कहा है निश्चय ही बैंकों से प्राप्त धनराशि का उपयोग ग्लोब मोटर्ज सहित अन्य कम्पनियों के शेयर खरीदने के लिए किया है। इस मामले में बैंक ने ऋण की वापसी मांग कर ली है। उन्होंने भी मुकदमा दायर कर दिया है। ताजी से ताजी सूचना जो मेरे पास है, वह यह है कि कम्पनी ला बोर्ड ने कम्पनीज एक्ट की कुछ धाराओं के अधीन कम्पनी के रिकार्ड की तलाशी की तथा निरीक्षण किया तथा उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो में प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर कर दी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : जीवन बीमा निगम से सम्बन्धित भूतपूर्व प्रसिद्ध मुंधरा स्केन्डल की पुनरावृत्ति की आशंका हटाने के उद्देश्य से जिससे मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय भी हटाना चाहते हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि अब भी जीवन बीमा निगम के बहुत सारे शेयर टर्नर मौरिसन द्वारा नियंत्रित इन कम्पनियों में है, जिनकी निधी का दुरुपयोग, मैं फिर कहता हूँ, श्री मुंधरा ने इस उद्देश्य के लिए किया है। अगर ऐसा है तो जीवन बीमा निगम का इन कम्पनियों में कितना कुछ है और क्या यह सच है कि श्री मुंधरा की पहल पर नियुक्त टर्नर मौरिसन के बोर्ड आफ डाएरेक्टर्ज के अध्यक्ष भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति हैं ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : प्रश्न के आखिरी भाग का उत्तर हां में है।

श्री कुण्डू : खेदपूर्ण।

श्री यशवंत राव चव्हाण : खेदपूर्ण उनके लिए जो बोर्ड में हैं।

श्री कुण्डू : आपके लिए भी तथा देश के लिए भी।

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैं पूरी तरह से सहमत हूँ।

जहां तक जीवन बीमा निगम का सम्बन्ध है, मैंने सूचना प्राप्त करने की कोशिश की है और राजकीय क्षेत्र की सभी वैत्तिक संस्थाओं से प्राप्त करने की कोशिश की है। जीवन बीमा निगम को छोड़कर और सभी सूचना मेरे पास मौजूद है। मैं निश्चय ही सदन को यह सूचना प्रदान करूंगा यदि ये दूसरा प्रश्न प्रस्तुत करें।

श्री पीलु मोदी : आप जीवन बीमा निगम को, उसका अराष्ट्रीयकरण करके दंडित क्यों नहीं करते।

Shri Deven Sen : Is the Minister aware of the fact that the share of provide fund was collected from some 20,000 employees of Turner Morrison and Lodna Colliery and the same was not deposited against the Provident Fund. Secondly, is it a fact that profit sharing bonus has not been paid to the labour their arrears are running into lubbs of rupees ?

अध्यक्ष महोदय : कृत्य: प्रश्न के प्रत्यंग की ओर चलिये । It relates to the loan given by the nationalised banks. How has this question crobbed in ?

Shri Deven Sen : Since all these companies have taken loan worth Rs. 27 lakhs from the nationalised banks and one lakhs of Rupees to the labourers what measures are under consideration of the Minister for recovering all this money ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : इन्होंने मुझसे पूछा है...

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन्हें बता दिया है ।

श्री यशवंत राव चव्हाण : भविष्य निधि आदि के दुरुपयोग के बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि श्री मुंधरा इसके लिये अक्षम है ।

डा० रानेन सेन : इस प्रश्न के उत्तर में दिये गये विवरण के मद् (ख) का कहना है कि उपलब्ध सूचना के अनुसार जीवन बीमा निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री पी० ऐ० गोपालाकृष्णन, अमुक फर्म के संचालक थे । क्या मैं जान सकता हूं कि यह सूचना सरकार को उस भद्रपुरुष की मृत्यु के बाद मिली अथवा इस की जानकारी सरकार को उस समय हुई जब वे जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष थे और अगर सरकार को इसकी जानकारी थी उन्हें अध्यक्ष क्यों रहने दिया गया ? क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसे अनाचारों की आशंका दूर रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : श्री गोपालाकृष्णन संचालक नहीं बल्कि जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष थे । उसके बाद उन्होंने किसी वाणिज्य नौकरी के लिए कोशिश की लेकिन मेरे विचार में गृह मंत्रालय में हमने उन्हें पहिले दो वर्षों में आज्ञा देने से इनकार किया । सेवा निवृति के दो साल बाद एक अधिकारी को सरकार से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं होती । मेरे विचार में वे दो साल बाद ही संचालक बनें । दुर्भाग्यवश अब वे हमारे बीच नहीं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon'ble Minister stated just now that he is not having figures pertaining LIC. I would like to ask as to which financial institutions other than LIC advanced money to the Mundhra concerns. Again, how much money was advanced by the banks to the Mundhra concerns after nationalisation of the banks ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : दो बातें हैं । पहली यह कि अन्य जन वैत्तिक संस्थाओं ने उन्हें कितना ऋण तथा अग्रिम धन दिया । मैंने कहा कि मेरे पास सूचना है । वह सूचना यह है कि अन्य किसी वैत्तिक संस्था ने कोई ऋण नहीं दिया । प्रश्न का दूसरा भाग क्या था ?

Shri Kanwar Lal Gupta : Whether or not banks gave advances after nationalisation ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : अग्रिम धन उन वाणिज्य बैंकों ने दिये जिनका अब राष्ट्रीयकरण हो चुका है । मेरी सूचना के अनुसार उस समय ये वाणिज्य बैंक थे, राष्ट्रीयकृत नहीं ।

Enquiry into sources of income of All India Trade Union Congress

*696. **Shri Oakar Lal Berwa** : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Started Question No. 1559 on the 11th May, 1970 and state :

(a) whether the information on regarding the sources of income of All India Trade Union Congress and it affiliated Trade Unions has since been collected by Government ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor and the time by which the requisite information is likely to be collected and laid on the Table ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The information regarding the sources of income of All India Trade Union Congress has been collected. Collection of the information regarding affiliated Trade Unions will involve such huge time and labour that it may not be commensurate with the results that may be achieved. If information about any particular affiliated Trade Union is desired, it will be collected.

(b) The details of the sources of income of the All India Trade Union Congress are :

(1) Affiliation fees received from Affiliated Trade Unions.

(2) Sale of publications and Trade Union Record.

(3) Donations.

(4) Sale of publications.

(5) Miscellaneous Receipts.

(6) Solidarity Receipts from World Federation of Trade Unions.

(c) Does not arise.

Shri Onkar Lal Berwa : Mr. Speaker. I want to ask two things. One pertains to what the Minister said that the donations...(*Interruption*)

एक माननीय सदस्य : श्री भानु प्रकाश सिंह को इस ओर आने दीजिये...(व्यवधान)

डा० राम सुभग सिंह : हम इन्हें बधाई देते हैं...(व्यवधान)

श्री श्रीधरन : स्वतंत्र पार्टी एक राडे की निकासी का स्वागत कैसे कर रहा है ?

श्री सु० कु० तापड़िया : उस दल में ये ही एक मात्र उत्साही व्यक्ति हैं। राज्यों के बीच एक मात्र राडा...(व्यवधान)

श्री नम्बियार : जनसंघ थैलियों का समर्थन कर रहा है ।

श्री पीलु मोदी : मैं श्री नम्बियार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके दल से यदि किसी साम्यवादी सदस्य ने इस्तीफा दिया तो हम उनका भी स्वागत करेंगे...(व्यवधान)

श्री नम्बियार : हम नीजि थैलियों को हटाने का समर्थन कर रहे हैं। स्वतंत्र और जनसंघ इसके विरुद्ध हैं...(व्यवधान)

Mr. Speaker : It is not known as to who has suffered by this interruption but Shri Berwa his deginitely suffered because the question hour is over.

श्री पीलु मोदी : थोड़ी सी प्रशसा करने पर इन्हें क्यों आपत्ति होनी चाहिये। इससे सिद्ध होता है कि वे कितने छोटे दिल के हैं...(व्यवधान)

Shri Prakash Vir Shastri : This is an ordinary thing. A man has resigned. What is there in that ?

Shri Onkar Lal Berwa : Mr. Speaker, let me put a question. The Hon'ble Minister told just now that this trade union is having this or that source of income. I

would like to know the income derived by them during the last 3 years and also the income tax paid by them during the period. May I know whether they are paying income-tax and if not the reasons therefor ? Secondly, does the amount of donation come from foreign countries or from some other quarters ?

Shri Vidya Charan Shukla : No income tax returns have so far been filed by the All India Trade Union Congress. There have been issued notice to file the returns that no returns have so far been received. So far as the second question is concerned I have already pointed out in my original realy that funds also comes from other corporate bodies of the world...

Shri Onkar Lal Berwa : From which country. Asia, China...(*Interruption*)

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, I rise on a point of order. He asked about the income during the last 3 years. The Hon'ble Minister has not given any reply to it.

Shri Hukam Chand Kachwai : How much income tax was paid ?

Mr. Speaker : Whenever your party talk, it talks in one voice.

Shri Onkar Lal Berwa : You kindly ask the Minister to give a reply.

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। बारह बजकर तीन मिनट पहिले ही हो चुके हैं। मंत्री अपनी सूचना सभा पटल पर रखें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या मैं एक शब्द बोल सकता हूं ? जो कुछ मैं कहता हूं ये लोग ध्यान से नहीं सुनते। मैंने कहा कि तीन साल का आयकर देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता चूंकि इन्होंने अभी तक आयकर का लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया।

Shri Onkar Lal Berwa : How much money was collected in 3 years, kindly ask the Hon'ble Minister to give a reply.

श्री पीलु मोदी : मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार आप एक व्यापारिक संघ शुरू करके काला बाजारी तथा आयकर की चोरी भी कर सकते हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : Please till the amount collected in three years...whether Income tax was recovered...(*Interruption*). Sir, reply to the question should come. You tell us that all get up to speak but no reply is given to a straight question *i. e.* how much income was derived during 3 years ?

Shri Piloo Mody : Rs. 5 crores.

Mr. Speaker : I have been asking you to let him give the reply and you are preventing him to give the reply. Already four minutes have been taken over above the question hour.

Shri Onkar Lal Berwa : Mr. Speaker, what is the use of giving evasive replies why are you shielding the Government. My question is very specific. How much income was derived in 3 years. Why the Government is reluctant to give the reply ?

Mr. Speakar : It is not possible to carry on in this way. How will the business be transacted if you act in this manner...

Shri Hukam Chand Kachwai Government says that the money came through donations but we say as to how much money was received and from where...

Shri Onkar Lal Berwa : Rs. 5 crores were embezzled and the Government income-tax was also evaded...

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, you kindly protect us incase the Government wants to shield them...

Mr. Speaker : What are you doing ? Please sit down. Will you please sit down... you please tell him to sit down last you should later on say that I transessed my powers. Please sit down...

Shri Onkar Lal Berwa : Kindly ask the Hon'ble Minister to give the reply. Why do you ask me to sit...

Mr. Speaker : You possess no qualifications except shanting...

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, I rise on a point of order. You said that he has no other qualifications except shanting. I want to know whether passing of such remarks against a member is proper...

Mr. Speaker : Then why don't you understand.

Shri Kanwar Lal Gupta : There should be no shanting. I agree with you. But is it proper on the part of the chair to remark about a particular hon. Member that be passesses no qualifications except shanting ?

Mr. Speaker ; What I felt, I said it.

Shri Kanwar Lal Gupta : But you think a bit over it is it proper for you to remark this way ?

अध्यक्ष महोदय : अनुशासन का पालन करने के लिए सिवाये इसको स्वीकार करने के सदस्यों के पास और कोई रास्ता नहीं । मैं फिर कहता हूं कि नियमों का पालन करने तथा सदन की प्रतिष्ठा कायम रखने का यह कोई रास्ता नहीं ।

Shri Onkar Lal Berwa : Is it proper for you to shield the Ministers ?

श्री बलराज मधोक : हम आपसे सहमत हैं । लेकिन माननीय मंत्रियों के उत्तर ऐसे हैं कि माननीय सदस्य आवेश में आ जाते हैं । यदि माननीय मंत्री सहयोग दें तो सब बातें ठीक हो जायेंगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इन्हें आज्ञा न देता । लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि प्रश्न पूछने के लिए एक दो तीन तथा चार ही मिनट लिए जाने चाहिए । इसकी कोई सीमा होनी चाहिये ।

श्री क० कु० नायर : आप हमेशा ही हमसे अच्छा व्यवहार करते आ रहे हैं । आपकी झुंझलाहट का ध्यान रखते हुए आपका ऐसा कहना उचित ही था । लेकिन मेरे विचार में ये यहां किन्हीं भिन्न योग्यताओं के कारण हैं । इनके आचरण से शायद आपकी ओर से निन्दा ही हो । लेकिन मेरे विचार में आपकी ओर से हुई ऐसी टिप्पणी किसी को दूषित ही करना है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर मेरी इसके बारे में अच्छी राय होती तो क्या होता ? मेरी इसके बारे में अच्छी राय है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : किसी सदस्य के बारे ऐसा सोचना तथा कहना अध्यक्षपीठ से लिए उचित नहीं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पी० एल० 480 निधि के प्रयोग पर नियंत्रण

*697. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आज तक कितने ऐच्छिक अभिकरण के माध्यम से पी० एल० 480 निधि के शीर्ष II के अन्तर्गत हो गई वस्तुओं और सहायता सम्बन्धी अन्य आवश्यकताओं का कुल मूल्य क्या है ;

(ख) इन एच्छिक अभिकरणों द्वारा इस प्रकार दिये गये धन अथवा वस्तुओं का किस प्रकार प्रयोग किया गया ;

(ग) क्या सरकार को पी० एल० 480 निधि के शीर्ष II के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता पर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस नियंत्रण का क्या स्वरूप है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पिछले तीन वर्षों में पी० एल० 480 के शीर्षक II के अन्तर्गत दी गयी कृषि वस्तुओं और राहत-कार्यों के लिये दी गयी अन्य वस्तुओं का मूल्य बताया गया है ।

विवरण

	अमरीकी राजस्व 1968	अमरीकी राजस्व 1970	अमरीकी राजस्य 1970
	डालर	डालर	डालर
कोआपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवरीव्हेयर	6[illegible],888,000	50,651,000	49,198,000
कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज	23,625,000	25,822,000	26,166,000
चर्च वर्ल्ड सर्विस	12,793,000	9,217,000	9,957,000
लूथेरियन वर्ल्ड रिलीफ	4,203,000	2,855,000	2,897,000
सयुक्त राष्ट्र संघीय बाल आपात सहायता निधि	937,000	2,507,000	—
जोड़	110,376,000	91,052,000	88,218,000

अमरीकी राजस्व वर्ष 1 जुलाई, से 30 जून तक होता है ।

(ख) यह सहायता कृषि-वस्तुओं के रूप में प्राप्त होती है, जिनमें दूध का पाउडर भी शामिल है और इसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वयसेवी अभिकरणों द्वारा भारत में निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिये किया जाता है :

(i) राज्यीय विद्यालय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (स्टेट स्कूल लंच प्रोग्राम)

(ii) स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चों और गर्भवती तथा बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं को खाद्य-वितरण ;

(iii) सामुदायिक कार्यक्रम ।

(ग) जी हां ।

(घ) ये स्वयंसेवी अभिकरण भारत सरकार के पंजीयित है और वे भारत सरकार द्वारा स्वाकृत नियंत्रणों और विनियमों के अनुसार भारत में इन वस्तुओं के आयात और वितरण का प्रबन्ध करते हैं । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारतीय खाद्य निगम इन सारी वस्तुओं को प्राप्त करता है और स्वयंसेवी अभिकरणों के अनुरोध के अनुसार उन्हें गन्तव्य-स्थानों पर भेज देता है । स्वयंसेवी अभिकरण राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के अधिकारियों के साथ परामर्श करके अपने कार्यक्रमों में तालमेल बिठाते हैं और सरकार को आवश्यक विवरणियां और आंकड़े भेजते हैं ।

पश्चिमी बंगाल में फ्रीज-ड्राइड टाकों का निर्माण

*698. **श्री मुहम्मद इस्माइल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है कि पश्चिम बंगाल स्थित सरकारी संस्थान में फ्रीजड्राइड (जलाये हुये तथा सुखाये हुये) टीके और इसी प्रकार की अन्य औषधियों बनाई जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां । यह प्रस्ताव तो केवल चेचक के फ्रीज-ड्राइड टीके तैयार करने के सम्बन्ध में था ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के निरुपण के समय पटवा डंगर (उ० प्र०) बेलगांव (मैसूर), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) तथा गिण्डी (तमिलनाडू) में विद्यमान चार संस्थानों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने का विचार था ताकि चेचक के फ्रीज-ड्राइड टीकों के सम्बन्ध में देश भर की आवश्यकता को पूरा किया जा सके तथा कोई अतिरिक्त उत्पादन एकक स्थापित करने का विचार नहीं था । इस संदर्भ में राज्य सरकार के उक्त प्रस्ताव को न माना जा सका ।

राष्ट्रीयकृत बंकों के मतदान अधिकारों के बारे में उनको जारी किये गये निर्देश

*699. श्री जय सिंह : श्रीमती शारदा मुकर्जी :

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को 50,000 रुपयों से अधिक के ऋणों पर उनके यहां बन्धक रखे गये शेयरों के मामले में अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के बारे में निर्देश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उद्योग की प्रगति पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इन अधिकारों का सार्थक उपयोग सुनिश्चित कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). बैंकों के रुपये से सुस्थापित कम्पनियों के शेयरों को मुट्ठी में करने और उनका नियंत्रण अपने हाथ में लेने की प्रवृति को निरुत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने यह निश्चय किया है कि आगे से सरकारी क्षेत्र के बैंक उनके पास गिरवी रखे गये शेयरों को अपने नाम अन्तरित करा लेंगे और इस प्रकार उनके नाम पंजीकृत किये गये शेयरों के सम्बन्ध में मताधिकारों को जनहित को ध्यान में रखते हुए अपने पास रखेंगे या उनका उपयोग स्वयं करेंगे । इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र का कोई भी बैंक शेयरों के एवज में किसी ऋणकर्ता को ऐसी स्थिति में कोई अग्रिम नही देगा जिस में मतदान के अधिकार के प्रयोग पर कोई शर्त लगी हो अथवा जिसमें प्रतिपत्री (प्राक्सी) दिये जाने की शर्त हो । ऐसे मामलों में यह निश्चय लागू नहीं होगा, जिनमें किसी ऋणकर्ता द्वारा किसी विशेष बैंक के पास शेयर गिरवी रख कर 50,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की सीमा प्राप्त की गयी है । शेयर बाजार के दलालों को दिये जाने वाले अग्रिमों पर भी यह निश्चय लागू नहीं होगा जब तक कि किसी विशेष शेयर के बदले लिये गये अग्रिम की अवधि तीन महीने से अधिक न हो । भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के नाम यह निर्देश जारी किया है कि वे भी इस सम्बन्ध में इसी प्रकार की नीति अपनायें । रिजर्व बैंक के साथ परामर्श कर के सरकार, इस बात को सुनिश्चित करने के लिये एक उचित तंत्र का निर्माण कर रही है, जिससे निश्चय के परिणामस्वरूप बैंक और सरकारी वित्तीय संस्थाएं, अर्थात् भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जिन्होंने शेयरों में पूंजी लगा रखी है, सुदृढ़ सरकारी नीति के सिद्धान्तों पर आधारित समान और एकसी पद्धति अपनाएं ।

सरकार का यह विचार है कि यह निश्चय निगमित क्षेत्र के स्वस्थ विकास में सहायक होगा और इससे विश्वास और सामान्य निवेश में रुचि पैदा होगी जिससे देश के औद्योगिक विकास में और तेजी आयेगी ।

एस्सो द्वारा भारत में अपने व्यापार में सरकार को भागीदारी में अधिक भाग देने की पेशकश

*700. **श्री मि० ब० सिंह :**　　　　**श्री राम किशन गुप्त :**

श्री मृत्युंजय प्रसाद :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एस्सो ने भारत में अपनी कम्पनी के समूचे कार्य-संचालन में सरकार को, भागीदारी में अधिकांश भाग देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). भारत सरकार ने मैसर्स एस्सो से उनके भारत में समूचे कार्य संचालन (मार्किटिंग तथा रिफाइनिंग) में भागीदारों में अधिकाँश भाग देने की पेशकश के बारे में कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं किया है । रिफाइनरी करारों के बारे में तेल कम्पनियों से विचार विमर्श हो चुके हैं, लेकिन ये अन्वेषी अवस्था में हैं, और उन्हें बताना जनहित में नहीं होगा ।

चीनी उद्योग द्वारा चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहायता की अपेक्षा

*701. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग ने चीनी मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिये बैंकों से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं :

(ग) क्या देश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और आवश्यक सूचना सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) और (घ). जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, देश के चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का इस समय कोई विचार नहीं है ।

नेशनल इरानियन आयल कम्पनी के साथ किये गये डेरियस कच्चे तेल के करार का पुनरीक्षण

*702. **श्री नि० रं० लास्कर :**　　　　**श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल इरारियन आयल कम्पनी से डेरियस क्रूड (कच्चे तेल)

के मूल्य कम करने का अनुरोध करने के लिये मंत्री स्तर पर एक व्यापार प्रतिनिधि-मंडल तेहरान भेजने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिनिधिमंडल तेहरान के दौरे पर कब जायेगा ; और

(ग) भारत और नेशनल इरानियन आयल कम्पनी के बीच विवाद के विषय क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). सरकार मामले के समस्त पहलुओं पर विचार कर रही है और इस समय सम्भाव्य पद्धति के लक्षण को बताना जन हित में नहीं है ।

(ग) नेशनल इरानियन आयल कम्पनी और पानिनटोल्यल द्वारा मद्रास शोधनशाला की सप्लाई किये गये कच्चे तेल का आधार मूल्य, और आधार मूल्य शासी एस्केलेशन धाराएं विवाद ग्रस्त हैं ।

आवास तथा नगरीय विकास निगम के लिए पी० एल० 480 निधि से राशि

*703. **श्री जी० वेंकट स्वामी :**
श्री मंगलाथुमाडम :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगरीय विकास निगम को पी० एल० 480 निधि से पांच करोड़ रुपये प्राप्त होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस राशि को किस प्रकार से खर्च किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) इस आशय का अभी तक कोई निर्णय नहीं है ; किन्तु निगम को पी० एल० 480 की कुछ निधियां उपलब्ध करने की संभावना पर संयुक्त-राज्य (अमरीका) के अधिकारियों से बातचीत हो रही है ।

(ख) फिलहाल, प्रश्न ही नहीं उठता ।

नई दिल्ली के विलिंग्डन अस्पताल में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु

*704. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के विलिंग्डन अस्पताल के शिशु-चिकित्सा वार्ड में 23 अप्रेल, 1970 को 15 वर्ष से कम आयु वाले 23 बच्चों की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) क्या शिशु-रोगियों की चिकित्सा करने वाले डाक्टरों के विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उक्त डाक्टरों में से प्रत्येक के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार एक दिन में 23 बच्चों की मृत्यु के मामले की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने का है और यदि हाँ, तो ऐसा कब किया जायेगा और जांच-समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). 23 अप्रैल, 1970 को बिलिंग्डन अस्पताल में केवल एक नौ वर्षीय बच्चे की मृत्यु हुई। बच्चे के पिता से शिकायत मिलने पर अस्पताल अधिकारियों द्वारा प्रेम कुमारी की 23 अप्रैल, 1970 को मृत्यु के कारणों की प्रारम्भिक छान-बीन के निष्कर्षों के आधार पर अब इस मामले में एक नियमित विभागीय जांच करने का विचार है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रालय/विभाग में प्रतिनियुक्ति के दौरान भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि

*705. **श्री राम सेवक यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में तथा सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर गये भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के श्रेणी एक तथा दो के अधिकारियों के लिए प्रतिनियुक्ति की कोई अवधि निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण क्या हैं ;

(ग) क्या वह किसी एक मन्त्रालय/विभाग में गत पांच वर्षों से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर गये भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के श्रेणी एक तथा दो के अधिकारियों का नाम दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे ; और

(घ) उनको वापिस न बुलाये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी हां।

प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम, अवधि इस प्रकार है :—

(i) नियमकालिक पदों के लिये, निर्धारित कार्यकाल ;

(ii) नियतकालिक पदों से भिन्न पदों के लिए, अधिकतम 3 वर्ष। जिन मामलों में अवधि को बढ़ाना लोकहित में समझा जाता है, उनमें प्रशासनिक मंत्रालय अपने सचिव से आदेश प्राप्त करके इस अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा दे सकते हैं ;

(iii) सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति, पर जाने वालों के लिए, यदि प्रतिनियुक्ति की अवधि 28 फरवरी 1971 से पहले समाप्त होती है, अथवा इस प्रकार प्रतिनियुक्ति पर जाने वालों को जिन शर्तों पर सरकारी उपक्रमों में विलीन किया जाना निश्चित हुआ है, उस समय से 6 महीने में से जो भी पहले हो, उस तारीख तक यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

(ग) जी हां। एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा गया है जिसमें भारतीय लेखा

परीक्षा तथा लेखा विभाग के उन सभी श्रेणी I और श्रेणी II के अधिकारियों के नाम दिये गये हैं, जो भारत सरकार के किसी एक ही मन्त्रालय/विभाग में 1 अगस्त 1970 को पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4111/70]

(घ) प्रतिनियुक्ति अवधि की सीमायें पहली बार 1969 और 1970 में निर्धारित की गयी। भारत सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होने वाले आदेशों के अनुसार, उन मामलों को छोड़ कर जिन में भारत सरकार के लेने वाले मन्त्रालय/विभाग की प्रार्थना पर प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाई जाती है, भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के श्रेणी II और श्रेणी I के अधिकारी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर प्रतिनियुक्ति से लौट आते हैं। ये अधिकारी 5 वर्ष से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर इसलिए हैं कि इन की प्रतिनियुक्ति को जारी लोकहित में समझा गया है।

Remittances Abroad by Foreign Oil Companies

*706. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether Government have asked the foreign oil companies in India to review the position regarding remittance of money on account of those items which are not included in the agreement and have directed them to submit their reports in regard thereto at an early date, as reported in the daily 'Hindustan' dated the 3rd June, 1970 ;

(b) if so, the names of the companies which have submitted their reports in this regard and also those which have not done so till now ; and

(c) the details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Government asked the Oil Companies to report the extent of their remittances on account of Engineering Services, Technical Information Services, Royalties, Licence Fees etc.

(b) The replies have since been received from all the four private sector oil companies *i e.*, Esso, Burmah-Shell, Caltex and Burmah Oil Group of Companies.

(c) The oil companies have stated they have not remitted any amount not permissible either under the provisions of the Refinery Agreements or by the provisions of Foreign Exchange Regulations Act.

कृषि पर सम्पत्ति कर

*707. **श्री झारखंडे राय :**

श्री देवराव पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि पर सम्पत्ति कर लगाये जाने के बारे में राज्य सरकारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की इस बीच जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). कुछ राज्य

सरकारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर सरकार ने विचार किया है, किन्तु कृषि-भूमि पर धन-कर समाप्त करने का कोई पर्याप्त औचित्य नहीं पाया गया।

भारत के उर्वरक विस्तार कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक की सहायता

*7: 8. **डा० म० संतोषम् : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की दो उर्वरक परियोजनाओं, जिनके लिए विश्व बैंक से सहायता की पेशकश की है, के बारे में तकनीकी तौर पर मूल्यांकन करने हेतु विश्व बैंक तकनीकी मिशन हाल में नई दिल्ली आया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तकनीकी मिशन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन दोनों परियोजनाओं के कब तक शुरू होने तथा पूरा होने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वा० रा० चव्हाण) : (क) उर्वरक परियोजनाओं अर्थात नांगल तथा कोचीन विस्तार की वित्तीय व्यवस्था के बारे में बातचीत करने के लिये विश्व बैंक का एक दल 14 जून से 7 जुलाई, 1970 के बीच भारत आया था। बैंक ने अभी तक किसी सहायता की पेशकश नहीं की है।

(ख) विश्व बैंक के दल भारत सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते हैं, दल अपनी रिपोर्ट विश्व बैंक को प्रस्तुत करते हैं।

(ग) दोनों परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक जब अपनी अनुमति देगा, इन परियोजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया जायेगा। इन परियोजनाओं के लिये सरकार के अन्तिम रूप से अनुमोदन के बाद, परियोजनाओं को मुकम्मल करने में शायद लगभग 3 वर्ष लगें।

पेट्रोल पम्प मालिकों द्वारा हड़ताल

*709. **श्री समर गुह : श्री रा० बरुआ :**

श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में पेट्रोल पम्प मालिकों ने 5 अगस्त, 1970 को एक दिन की हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन्होंने अपनी मांगों के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन दिया था और यदि हाँ, तो ज्ञापन का पाठ क्या है ; और

(घ) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). हाई स्पीड डीजल आयज पर ऊंची कमीशन दर की मांग के समर्थन में देश के कुछ भागों में, 5.8.70 को पेट्रोलियम डीलर्स ने एक दिन की हड़ताल की।

(ग) फेडरेशन आफ आल इन्डिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स द्वारा दिया गया ज्ञापन एक 14 पेजों का लम्बा ज्ञापन है ; उसमें दी गई मुख्य माँगें निम्न प्रकार हैं :—

(1) मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल पर कमीशन इन उत्पादों के लागत मूल्य का, 10 प्रतिशत निर्धारित किया जाये।

(2) आयल कम्पनीस द्वारा डीलरों के लाइसेंस फीस की वसूली कानूनी आधार पर और फुटकर केन्द्रों के जरिये मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल आयल के आउटपुट पर कमाये गये कमीशन पर प्रतिशत के रूप में निर्धारित की जाये।

(3) डीलरशिप करार की रुक्ष धाराओं में आमूल परिवर्तन किये जाये जिससे डीलरों को उचित सुरक्षा उपलब्ध हो।

(घ) सरकार हाई स्पीड डीजल आयल पर डीलरों का कमीशन बढ़ाने में कोई तर्क संगति नहीं समझती। यद्यपि तेल मूल्यों की कमेटी ने भी इस कमीशन में कुछ बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। डीलरों से कम्पनियों द्वारा वसूल की जाने वाली लाइसेंस फीस के बारे सरकार का विचार है कि यह मामला दोनों पार्टियां द्वारा सुलझाने योग्य है।

डीलरशिप करार में रुक्ष धाराओं के बारे में आयल कम्पनियों को करारों का पुनरीक्षण करने और रुक्ष धाराओं को निकाल देने की सलाह दी गई है।

फारस की खाड़ी में तटदूर तेल छिद्रण उद्यम का कार्यक्रम

*710. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फारस की खाड़ी में तट से दूर तेल छिद्रण हेतु संयुक्त उद्यम के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). हाइड्रोकार्बन्ज इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर फारस की खाड़ी में तेल के संयुक्त उद्यम में हुई प्रगति का सरकार समय समय पर पुनर्विलोकन करती रही है, और उसमें की गई प्रगति से संतुष्ट है।

दिल्ली के एक अस्पताल में लाइन में प्रतीक्षा करते समय शिशु-जन्म

*711. **श्री शारदा नन्द** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान 17 जुलाई, 1970 के 'स्टेट्समैन' के दिल्ली संस्करण

में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि विक्टोरिया जनाना अस्पताल दिल्ली के चिकित्सा अधीक्षक के दुर्व्यवहार के कारण रोगियों की पंक्ति में प्रतीक्षा कर रही एक महिला ने एक शिशु को जन्म दिया ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग से इस मामले की जांच करने और चिकित्सा अधीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करने को कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो नगर निगम द्वारा चिकित्सा अधीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) तथापि दिल्ली नगर निगम से मिली सूचना के अनुसार रोगिणी की जांच स्त्री-रोग बहिरंग में डाक्टर द्वारा की गई और यह पाया गया था कि उसके बच्चा होने ही वाला है। यह बतलाया गया है कि डाक्टर तथा नर्सों की देख-रेख में उसने स्त्री-रोग बहिरंग विभाग के पटल पर एक बच्ची को जन्म दिया। बाद में, उसे वहां से ले जाकर अस्पताल के अंतरंग-वार्ड में भर्ती कर दिया गया।

(ख) और (ग). इस मामले में और आगे जांच की जायेगी।

चिकित्सा स्नातकों को रोजगार देने के लिए कार्यवाही

*712. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जून, 1970 के 'टाइम्स आफ इन्डिया' में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि बिहार के बेरोजगार एम० बी० बी० एस० स्नातकों की शीघ्र ही बेरोजगार इन्जीनियरों तथा कृषि वैज्ञानिकों जैसी हालत होने वाली हैं ;

(ख) क्या कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति पैदा होने की सभावना है ; और

(ग) क्या सरकार देश में विभिन्न चिकित्सा मेडिकल कालेजों से निकलने वाले चिकित्सा स्नातकों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां, 30 जून, 1970 को 'टाइम्स आफ इन्डिया' में छपी खबर सरकार के ध्यान में आई है। बिहार सरकार से अद्यतन सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। ऐसा बताया गया है कि सितम्बर, 1969 के अन्त तक बिहार राज्य में 15 प्राथमिक केन्द्रों में कोई डाक्टर नहीं था तथा 110 केन्द्रों में केवल एक-एक डाक्टर था।

(ख) अन्य राज्यों को भी लिखा गया है और उनकी रिपोर्ट की भी प्रतीक्षा है। मुदालियर समिति के नाम से प्रसिद्ध स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा योजना समिति की सिफारिशों के अनुसार डाक्टर-जनसंख्या अनुपात में 3500 की आबादी के लिए एक डाक्टर के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह अनुमान लगाया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में देश की आवश्यकता को पूरा

करने के लिए 1,70,870 डाक्टरों की आवश्यकता होगी । इसके विरुद्ध अनुमानतः केवल 1,37,930 डाक्टर उपलब्ध हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 32,940 डाक्टरों की कमी की सम्भावना है । सम्भव है कि कुछ राज्यों में अपेक्षाकृत आसानी से डाक्टर उपलब्ध हों।

1969 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 1597 डाक्टरों के नाम दर्ज थे । तथापि, रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण स्वैच्छिक है और इसे बेरोजगारी का विश्वसनीय रूप से सूचक नहीं माना जा सकता । क्योंकि रोजगार में लगे अनेक व्यक्ति भी अच्छे अवसर पाने हेतु अपने नामों का पंजीकरण करा लेते हैं ।

(ग) डाक्टरों की व्यापक कमी को देखते हुए इस समय कोई विशेष कदम उठाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । डाक्टरों की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और ग्रामीण औषधालयों में काम न करने की इच्छा के कारण ही शहरी क्षेत्रों में असन्तुलन उत्पन्न होता है । सरकार उनको ऐसे औषधालयों में काम करने के लिये आकर्षित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन दे रही है ।

दिल्ली में सरकारी आवास प्राप्त सरकारी कर्मचारियों की प्रतिशतता

*713. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में कितने प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास दिये गये हैं ;

(ख) सम्पदा निदेशक, नई दिल्ली के पास सामान्य पूल आवास के अन्तर्गत कितने क्वाटर हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने सभी कर्मचारियों को (शतप्रतिशत) सरकारी आवास देने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास में परितुष्टि की प्रतिशत लगभग 40 है ।

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली में पात्र सरकारी कर्मचारियों को आवंटन के लिए, टाईप I से VIII तक के सामान्य पूल में रिहायशी एककों की कुल संख्या 40,016 है ।

(ग) जी, नहीं । नये रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण समय-समय पर उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है । चतुर्थ योजना के दौरान लगभग 8,300 मकानों का निर्माण किया जायेगा ।

मैंगनीज अयस्क उद्योग तथा व्यापार में संकट

*714 **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैंगनीज अयस्क उद्योग तथा व्यापार को आजकल गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) गत 6 महीनों में कितनी खानों को बन्द किया गया ;

(ग) मैंगनीज पर आधारित अन्य उद्योगों पर इस संकट का कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(घ) इस संकट से भारत के निर्यात पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और विदेशी मुद्रा अर्जन में कितनी कमी हुई है ; और

(ङ) उद्योग के हितों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) यद्यपि इस्पात तथा फैरो-मैंगनीज संयंत्रों की बढ़ी हुई मांग के परिणामस्वरूप आंतरिक खपत में सुधार हो रहा है, फिर भी उच्चतर श्रेणी अयस्क के लिए निर्यात बाजार में गिरावट आ रही है । निर्यातों में गिरावट के कारण निम्न प्रकार से है :—

(1) यूरोपीय तथा अमरीकी बाजारों के निकट आपूर्ति के नये स्रोतों की खोज ;

(2) उच्च श्रेणी अयस्क के मूल्य में साधारण गिरावट ; और

(3) भारतीय मैंगनीज अयस्क के जहाज पर्यन्त मूल्य में वृद्धि ।

(ख) जनवरी से जून 197' के दौरान 18 खानें अस्थायी रूप से और 5 खानें स्थायी रूप से बन्द की गई थी ।

(ग) मैंगनीज पर आधारित स्वदेशी उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव सरकार के ध्यान में नहीं आया है । दूसरी ओर, फैरो-मैंगनीज की, जो उच्च श्रेणी मैंगनीज अयस्क के अधिकतम भाग का उपयोग करती है, देश के भीतर तथा निर्यात बाजार, दोनों में अच्छी मांग है । हाल ही के वर्षों में फैरो-मैंगनीज का निर्यात बढ़ा है ।

(घ) सूचना निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	काले लौह अयस्क सहित मात्रा	मूल्य
	(मैट्रिक टनों में)	(हजार रुपये)
1964	1,598,085	137,878
1965	1,146,514	93,869
1966	1,248,6'5	127,073
1967	',108,371	126,938
1968	1,189,1:1	120,809
1969	1,207,781	116,123

यद्यपि पिछले चार वर्षों के लिए निर्यात के कुल आंकड़े न्यूनाधिक तौर पर स्थिर दिखाई देते हैं, उच्च श्रेणी अयस्कों के निर्यातों की मात्रा में वस्तुतः गिरावट आई है और लोहमय मैंगनीज अयस्कों के निर्यातों की मात्राओं में वृद्धि हुई है। मूल्य की दृष्टि से, विशेष रूप से मध्यम श्रेणी अयस्कों (35 प्रतिशत से 48 प्रतिशत) के मामलों में निर्यातों का मूल्य 1966 की तुलना में 1969 के दौरान पर्याप्त रूप से गिरा है। 1966 वर्ष में 206,104 मैट्रिक टन की तुलना में 1969 वर्ष में उच्च श्रेणी अयस्क के कुल निर्यात 154,494 मैट्रिक टन थे। 1966 वर्ष में 395,780 मैट्रिक टन की तुलना में मध्यम श्रेणी अयस्क के निर्यात 362,020 मैट्रिक टन थे और 1966 में 639,990 मैट्रिक टन की तुलना में लोहमय अयस्क के निर्यात 1969 में 689,687 मैट्रिक टन थे। 1966 वर्ष में प्रति टन प्राप्ति में वृद्धि मुख्य रूप से भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण से है।

(ङ) निर्यातों और आंतरिक बिक्रियों में वृद्धि प्राप्त करने के लिए हर संभव उपाय उठाये जा रहे हैं। मैंगनीज उद्योग द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं को हल करने के उपायों पर विचार करने के लिए सरकार ने एक कार्यकारी दल गठित किया है। कार्यकारी दल की अंतरिम रिपोर्ट के शीघ्र ही मिल जाने की सम्भावना है।

ऋण गारंटी निगम

*715. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण गारन्टी निगम की स्थापना अनुमानतः कब की जायेगी तथा यह निगम कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ;

(ख) थोड़ा ऋण लेने वाले व्यक्तियों को ऋण देने की क्या कसौटी निर्धारित की गई है ; और

(ग) ऋणों की वसूली के लिए क्या व्यवस्था की गयी है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) छोटे ऋणकर्ताओं को दिये जाने वाले बैंक-ऋणों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में जिस ऋण गारन्टी योजना की रूप-रेखा अनुमोदित की है ; उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए समवाय अधिनियम के अन्तर्गत एक कम्पनी स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके आधे से अधिक शेयर रिजर्व बैंक के पास होंगे। रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया है कि वह कम्पनी का ज्ञापन और उसकी अन्तर्नियमावली तैयार करे और कम्पनी को स्थापित करने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई करे।

(ख) बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे ऋणकर्ताओं की ईमानदारी और उनकी आवश्यकताओं की वास्तविकता के बारे में अपनी तसल्ली कर लेंगे और इस विषय में भी अपने आपको आश्वस्त कर लेंगे कि प्रायोजना सामाजिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगी तथा बैंक के देय रकम की वापसी करने के बाद शेष रकम से छोटे ऋणकर्ताओं को आय हो सकेगी।

(ग) जहां उपलब्ध हो, बैंक मूर्त प्रतिभूति लेते हैं। परन्तु जहां उपलब्ध न हो, वहां छोटे ऋणों के मामले में बैंक उपयुक्त वैकल्पिक सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हैं जैसे अन्य पक्ष की सांपा-

श्वंक गारन्टी, जीवन बीमा पालिसी की सांपाश्विंक प्रतिभूति या कुछ विशेष मामलों में सामूहिक गारन्टी जिसके अन्तर्गत छोटे ऋणकर्ता एक दूसरे की गारन्टी देते हैं । बैंकों से आशा की जाती है कि छोटे ऋणकर्ताओं से, अनुचित निष्ठुरता अपनाए बिना ही परिस्थितियों के अनुकूल सतर्कतापूर्ण उपायों द्वारा, प्राप्य रकम वसूल करने की सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे ।

Financial Assistance to Madhya Pradesh for Construction of Roads and Reclamation of Land in Dacoit Infested Chambal Valley

*716. **Shri Ram Avatar Sharma :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh has requested for financial assistance for construction of roads and reclamation of land in the dacoit-infested Chambal Valley ; a d

(b) if so, the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Y B. Chavan) : (a) and (b). The planned development of road communications in the Chambal Valley area covering some adjoining districts in Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh affected by the dacoity menace has been receiving the attention of the Central Government. The matter was recently discussed in the Planning Commission with the representatives of the three State Governments. The State Governments have since been requested to work out their respective programmes ef development of road communications in this area, indicating priorities. The quantum and nature of Central assistance, if any, towards such programmes has not yet been decided.

As regards reclamation of ravines in the area, a provision of Rs. 2 crores exists for taking up a pilot project under a Centrally sponsored schemes. Out of this, an amount of Rs. 53 lakhs is intended to be spent in Madhya Pradesh. The State Government have in addition, provided for an outlay of Rs. 1.25 crores for ravine reclamation and afforestation in their Fourth Five Year Plan.

युनेस्को द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

*717. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री 27 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 1254 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनेस्को द्वारा राजनयिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने और नई दिल्ली के बैंक में परिवर्तनीय चलार्थ खाते (कन्वर्टिबल करेंसी अकाउन्ट्स) का अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में लाने के मामलों की जाँच इस बीच पूरी हो गई है ।

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या निकले हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस मामले में जांच अभी पूरी नहीं हुई है । इसे शीघ्र ही पूरी करने की कोशिश की जा रही है ।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

मैसूर राज्य के गुप्तचर विभाग द्वारा अन्तर्राज्यीय बैंक जालसाजी का पता लगाया जाना

*718. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के गुप्तचर विभाग ने हाल ही में एक अन्तर्राज्यीय बैंक जालसाजी लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो यह जालसाजी कुल कितने धन की की गयी थी और इसके निष्कर्षों का पता का अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग). ऐसा पता चला है कि मैसूर राज्य का गुप्तचर विभाग कुछ ऐसे मामलों की छानबीन कर रहा है जिसमें एक मिलेजुले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों ने जालसाजी द्वारा मार्गस्थ धनादेशों (चेक) और ड्राफ्टों में फेर बदल कर के धन प्राप्त किया है । चूंकि इन मामलों की अभी जांच की जा रही है और सभी कथित अभियुक्तों को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है इसलिये इस संबंध में ब्यौरा देना लोकहित में नहीं होगा ।

केंद्रीय आवास तथा नगरीय विकास वित्त निगम के लिये एक बोर्ड की स्थापना

*719. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आवास तथा नगरीय विकास वित्त निगम के लिये एक अन्तरिम बोर्ड गठित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं और इसके कृत्य क्या होंगे ; और

(ग) इस निगम के लिये एक नियमित बोर्ड कब तक गठित कर दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). निगम के बोर्ड आफ डायरेक्टरों की नियुक्ति होने तक, उसके प्रतिष्ठान-पत्र के अभिदाता (जो विभाग के सचिव, एक उप सचिव और एक अवर सचिव हैं) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 254 के अन्तर्गत उसके डायरेक्टर माने जाते हैं । फिलहाल, वे निगम का प्रारंभिक कार्य कर रहे हैं । इस प्रकार के किसी अन्तरिम बोर्ड का गठन नहीं किया गया है ।

(ग) निकट भविष्य में एक नियमित बोर्ड के गठित किए जाने की आशा है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता

720. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा तैयार की गई एक नई योजना के अनुसार ऐसे

सरकारी उपक्रम जो कि पब्लिक होमटेड कम्पनियां हैं सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता माँग सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). सरकार ने सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट को हाल में परामर्श दिया है कि वे सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के, जो समवाय अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों के रूप में निगमित हैं, वित्तीय सहायता के आवेदन-पत्रों को उसी आधार पर विचारार्थ स्वीकार कर सकते हैं जिस आधार पर गैर-सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक कम्पनियों के आवेदन-पत्रों को स्वीकार किया जाता है। लेकिन यदि उनसे सम्बद्ध संविधियों के जरिये, जिनके अन्तर्गत इन संस्थाओं की स्थापना की गयी है, इस संबंध में कोई सीमाएं निर्धारित की गयी हों, तो उन्हें ध्यान में रखना होगा।

कैंसर के इलाज के लिये औषध निर्माण हेतु संस्था की स्थापना

4521. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कैंसर के इलाज के लिये औषध का निर्माण करने हेतु कोई संस्थान स्थापित किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या किसी कम्पनी ने ऐसा एक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया है ; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे संस्थान की स्थापना के लिये किसी प्रगतिशील देश से भारत की सहायता करने का अनुरोध किया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, नहीं। परन्तु कैंसर के इलाज के लिए अपेक्षित दवाईयां इस समय देश में आयातित प्रचुर औषधियों से तैयार की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

राजस्थान में अकाल सहायता कार्य

4522. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने प्रति मास प्रति व्यक्ति 12.50 रुपये केवल इसलिये दिये थे कि क्योंकि प्रधान मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि यह सहायता उन क्षेत्रों में दी जानी चाहिए जिनमें सहायता कार्य शुरू करने की कोई गुंजाइश नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री ने यह सुझाव लिखित रूप में दिया है ?

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय अध्ययन दल ने यह राय व्यक्त की है कि अकालग्रस्त घोषित किये गये 23 जिलों में से कम से कम आधे जिले इस प्रकार की घोषणा के लिये अपेक्षताओं को पूरा नहीं करते थे ;

(घ) यदि हां, तो उनका इस प्रकार वर्गीकरण किये जाने का क्या कारण था ; और

(ङ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). इसका सम्बन्ध राजस्थान सरकार द्वारा 1969-70 के अन्तिम दिनों में तैयार की गयी मुफ्त सहायता देने की उस विशेष योजना से है जिसके अन्तर्गत राजस्थान के कुछ जिलों के उन लोगों को, जिन्हें उस इलाके में उत्पादक राहत-कार्यों के अभाव के कारण स्थानीय रूप से रोजगार नहीं दिया जा सकता था, प्रति वयस्क 12.50 रुपये प्रतिमास नकद सहायता (आधी ऋण के रूप में और आधी अनुदान के रूप में) प्रदान की गयी थी। 1969-70 के वित्तीय वर्ष में इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय को, केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिये राज्य में सूखा सम्बन्धी राहत-कार्यों के खर्च की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उच्चतम सीमा में शामिल कर लिया गया था। इन इलाकों में भारी मुसीबतों को देखते हुए, केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन से, चालू वित्तीय वर्ष की अप्रैल-मई 1970 की अवधि में मुफ्त सहायता देने की इस विशेष योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी गयी है। मई 1970 में राज्य का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश भी की थी कि चूंकि अब जिला प्राधिकारियों के पास उत्पादक कार्यों को हाथ में लेने की योजनाएं उपलब्ध हो गयी है इसलिये मुफ्त सहायता देने की इस विशेष योजना के स्थान पर अब नियमित राहत-कार्यों के कार्यक्रम को शुरु किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में धन-सम्बन्धी आवश्यकताओं को, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिये स्वीकृत, खर्च की उच्चतम सीमा में शामिल कर लिया गया है।

(ग) से (ङ). केन्द्रीय दल ने किन्हीं विशेष जिलों को अकालग्रस्त घोषित करने के औचित्य अथवा अनौचित्य के सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त नहीं किया था। दल ने राजस्थान में किये जाने वाले राहत-कार्यों के आकार को देखा था और सुझाव दिया था कि राज्य सरकार सम्भवतः अकाल की स्थिति की घोषणा करने से सम्बन्धित नियमों/प्रक्रिया का पुनरीक्षण करना चाहेगी। सूखा और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों के कारण, आवश्यक राहत-कार्यों को शुरू करने और उन्हें क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी सम्बद्ध राज्य सरकारों की होती है। केन्द्रीय दल के सुझावों को राजस्थान सरकार के पास, उसके विचारार्थ भेज दिया गया है।

अन्तर्राज्य चिटफण्ड जालसाजी

4523. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अन्तर्राज्य गिरोह जिसका मुख्यालय विजयवाड़ा में है, पिछले तीन वर्षों से चिटफण्डों में जालसाजी कर रहा है ;

(ख) यदि हां, इन बोगस कम्पनियों के नाम क्या हैं और इस अवधि के दौरान उन्होंने कथित रूप में कुल कितनी राशी ठगी है ;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस जालसाजी में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार, वाजाप्पल्लीज एण्ड वाया ट्रेडिंग चिटफंड प्राइवेट लिमिटेड नामक कम्पनी ने जो मूल रूप से बंगलौर में काम कर रही थी, बाद में अपनी शाखाएं आन्ध्र प्रदेश (विजयवाड़ा में), केरल और मद्रास में विजयवाड़ा खोली स्थित शाखा 1937 में खोली गयी थी। ऐसा बताया गया है कि कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने, अन्नाई चिटफंड प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कम्पनी बंगलौर में पंजीकृत करायी जिसका केन्द्रीय कार्यालय विजयवाड़ा में रखा। इस कम्पनी ने, बाद में अपनी कई शाखाएं आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में खोली। कुछ लोगों ने दोनों चिटफंड कम्पनियों के कार्य-चालन के सम्बन्ध में, जून, 1970 के प्रथम सप्ताह में, आन्ध्र प्रदेश सरकार के गृह मंत्री को एक ज्ञापन दिया था। इस सम्बन्ध में, आवश्यक जांच-पड़ताल करने का काम शुरू कर दिया गया था जो अब भी चल रहा है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है और राज्य के पुलिस प्राधिकारियों ने एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें यह ब्यौरा मांगा गया है कि उन दो कम्पनियों द्वारा कितनी रकमें देय हैं। जब तक जांच-पड़ताल का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक निश्चित रूप से यह नहीं बताया जा सकता कि इन कम्पनियों द्वारा ठीक-ठीक कितनी रकमें देय हैं।

(घ) चूंकि राज्य के पुलिस प्राधिकारी इस मामले की छानबीन कर रहे हैं इसलिए केन्द्रीय जांच कार्यालय द्वारा जाँच कराये जाने के लिए आदेश देने का सरकार का विचार नहीं है।

सरकारी अधिकारी का रामपुर के नवाब के निवास स्थान पर जाना

4524. **श्री जुल्फिकार अली खां :** क्या वित्त मंत्री 18 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10141 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरात की 66 मदों जिन्हें 25 अगस्त, 1969 की रामपुर के नवाब ने सरकारी अधिकारी को अपने निवास स्थान पर दिया था में से प्रत्येक मद का धन कर अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यांकन कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा क्या मूल्यांकन किया गया है ;

(ग) क्या उपरोक्त प्रत्येक वस्तु के मूल्यांकन को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने प्रत्येक मद का क्या मूल्यांकन किया है ; और

(ङ) क्या ये वस्तुएं अभी भी स्टेट बैंक आफ इंडिया के पास हैं अथवा उन्हें दे दी गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। जवाहरात की 66 मदों में से सभी का मूल्य निर्धारण कर लिया गया हैं।

(ख) पूरा विवरण और मूल्य-निर्धारण अनुबन्ध में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—4112/70]

(ग) जब तक इस मूल्य-निर्धारण के विपरीत कोई प्रमाण नहीं पेश किये जाते तब तक सरकार इसी मूल्य-निर्धारण को सही मानेगी।

(घ) उक्त (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जवाहरात की ये मदें अभी भी स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में जमा है।

बेगम रामपुर की मूल्यावान वस्तुयें

4525. **श्री जुल्फिकार अली खां :** क्या वित्त मंत्री बेगम रामपुर की मूल्यवान वस्तुओं के बारे में 30 मार्च 1970 तथा 18 मई, 1970 के क्रमश: अतारांकित प्रश्न संख्या 4370 तथा 10142 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(घ) क्या पकड़ी गई वस्तुएं अभी तक जौहरियों के पास है अथवा सरकार ने उन्हें जब्त कर लियां है ; और

(ङ) क्या इन वस्तुओं को बेगम रामपुर ने अपने सम्पत्ति कर विवरण में दिखाया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). मांगी गई सूचना अभी भी उपलब्ध नहीं हो सकी है। यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

स्टेट बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के खातेदारों द्वारा नामित व्यक्ति का नाम भरा जाना

4526. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक बचत बैंकों में ऐसा कोई नियम है जिसके आधीन खातेदार किसी ऐसे व्यक्ति का नाम मनोनीत कर सकें जो उसकी मृत्यु के बाद उस धन को प्राप्त कर लें ;

(ख) क्या इस नामांकन के आधार पर मनोनीत व्यक्ति उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही उस धन को निकलवा सकता है ; और

(ग) यदि हीं, तो क्या सरकार का विचार खातेदार की सुविधा के लिए स्टेट बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी ऐसे ही नियम लागू करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी हां। 22 अगस्त 1970 तक संशोधित डाकघर बचत बैंक नियमावली के नियम 15(*i*) में यह व्यवस्था

है कि जमादर्ता किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है जो जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उस खाते में जमा रकम प्राप्त करने का हकदार होगा अथवा होंगे। अवयस्कों तथा विक्षिप्त व्यक्तियों के खातों के मामले में नामांकन की अनुमति नही दी जाती। जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर, नामांकित व्यक्ति को, जिसके पक्ष में नामांकन उस समय तक लागू हो, जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण सहित, निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र उस कार्यालय के बचत बैंक के अध्यक्ष के पास भेजना होता है जहां मृत व्यक्ति का खाता होता है।

(ग) सरकार का मत है कि शेयरों, ऋण-पत्रों, घोषित लाभांशों किन्तु जिनका भुगतान न किया गया हो, बैंकिग भिन्न कम्पनियों अथवा फर्मों में जमा रकमों, युनिट पत्रों आदि जैसी अन्य परिसम्पतियों अथवा दावों की तुलना में जिनके सम्बन्ध में उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र पेश करना अनिवार्य होता है, बैंकों में जमा रकमों के लिए किसी प्रकार की विशेष व्यवस्था करने का कोई प्रबल औचित्य नहीं है।

वायु सेना लेखा कार्यालय में डाक सहायक लेखा अधिकारी का एक ही स्थान पर कार्य करते रहना

4527. **श्री राम सेवक यादव :** क्या वित्त मंत्री वायुसेना लेखा कार्यालय में एक डाक सहायक लेखा अधिकारी के एक ही स्थान पर कार्य करते रहने के बारे में 18 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10105 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु सेना लेखा कार्यालय में ऐसे अधिकारी कितने हैं जो दिल्ली में पालम या नई दिल्ली में उनकी नियुक्ति सहित 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक सेवा कर चुके हैं ;

(ख) उनके दिल्ली में इतनी लम्बी अवधि तक सेवा करते रहने के बारे में किये गये पुनरावलोकन के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) उनको दिल्ली से स्थानान्तरित करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि उन अधिकारियों को भी दिल्ली में नियुक्त होने का अवसर दिया जा सके जिन्होंने इसके लिए अनुरोध किया हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) चार।

(ख) और (ग). एक अधिकारी 11 नवम्बर 1970 को अधिवार्षिकी की आयु पर पहुंच चुकेगा तथा उसी तारीख से पेंशन-संस्थापन को स्थानांतरित कर दिया जायगा। एक अन्य अधिकारी की पत्नी का, विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली के मनोरोग चिकित्सक द्वारा विशेष उपचार किया जा रहा है। पहले की गयी शल्य क्रिया के कारण उसके शरीर में बार बार पीड़ा होने से उसे मानसिक व्याघात हुआ है। आजकल उसका जो उपचार दिल्ली में हो रहा है, वह आस-पास के किसी अन्य कस्बे अथवा नगर में नहीं किया जा सकता। इसलिए डाक्टरी आधार पर इस अधिकारी का स्थानान्तरण एक वर्ष के लिए रोक दिया गया है। अन्य दो अधिकारियों का तत्काल स्थानान्तरण किये जाने के बारे में आदेश जारी कर दिये गये हैं।

दिल्ली में विदेशी मुद्रा का गोलमाल करने वाला गिरोह

4528. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में ऐसे कर्मचारियों तथा यात्रा-ऐजन्सियों के क्या नाम हैं जो जाली विदेशी मुद्रा तथा विदेशी यात्रा के दस्तावजों संबंधी एक गिरोह चला रहे थे ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने छापे मारे गये तथा किन-किन तारीखों को ये छापे मारे गये ;

(ग) इन छापों के दौरान पकड़े गये जाली बिलों, जाली प्रयोजन घोषणा फर्मों, पब्लिक नोटरियों के जाली हस्ताक्षरों तथा उनकी सरकारी मुहरों आदि की संख्या क्या है ;

(घ) क्या इस गिरोह में अन्य यात्रा ऐजन्सियां भी शामिल हैं ; यदि हाँ, तो, उनके नाम क्या हैं ; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) श्री वेद रतन आर्य नामक एक व्यक्ति, जो मेसर्स हाईवे ट्रैवेल्स, नई दिल्ली के कार्यालय भवन में बैठा करता था और उसके दो सहयोगी श्री दर्शन सिंह तथा श्री कुलदीप चन्द लेनदेनों से संबंधित पाये गये जिनमें जाली यात्रा-पत्र ग्रस्त थे । अब तक की गई जांच पड़ताल से यह प्रश्न नहीं होता कि मेसर्स हाईवे ट्रैवेल्स, इसके मालिक अथवा कर्मचारी जाली विदेशी-मुद्रा तथा विदेश-यात्रा-पत्रों के जाल चक्र के संचालन में अन्तर्गस्त हैं ।

(ख) 1 मई, 1970 को मेसर्स हाईवे ट्रैवेल्स के कार्यालय-भवन, श्री वेद रतन आर्य तथा उसके सहायोगी श्री दर्शन सिंह के निवास-स्थानों तथा मेसर्स हाईवे ट्रैवेल्स के मालिक के निवास-स्थान पर दिल्ली पुलिस द्वारा छापे मारे गये ।

(ग) श्री वेद रतन आर्य जो मेसर्स हाईवे ट्रैवेल्स के कार्यालय में पाया गया था, की खाना तलाशी लिये जाने पर सौ-सौ डालर के दस जाली अमरीकी डालर बिल बरामद हुए। उसी प्रकार के तीन जाली अमरीकी डालर बिल श्री कुलदीप चन्द की भी खाना तलाशी लिए जाने पर बरामद हुए । श्री कुलदीप चन्द श्री दर्शन सिंह के मकान पर पाया गया था । श्री आर्य के मकान की तलाशी के दौरान, ग्यारह जाली प्रवर्तकता घोषणा-पत्र, जिन पर विभिन्न देशों के लेख्य प्रमाणकों की कार्यालय मुहरें लगी थीं तथा हस्ताक्षर किये थे, और पंजाब के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की सात रबड़ की मुहरें बरामद की गई ।

(घ) अब तक की गई जांच पड़ताल से अन्य यात्रा-एजेन्सियों की सांठ-गाँठ जाहिर नहीं होती ।

(ङ) सर्व श्री वेद रतन आर्य, कुलदीप जन्द तथा दर्शन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है । फिलहाल ये तीनों जमानत पर हैं । आगे जांच पड़ताल जारी है :

Amount Invested by Ratlam Branch of State Bank of India for Development of Small Scale Industries and Digging of Wells

4529. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given in Unstarred Question No. 8378 on the 4th May, 1970 and state :

(a) whether the information asked for in parts (a) to (c) of the question referred to above regarding amount invested by Ratlam Branch of State Bank of India for development of Small Scale Industries and digging of wells has since been collected by Government;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time by which the requisite information is likely to be collected and laid on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The required information is given in the attached Statement.

STATEMENT

Re. part (a) of Unstarred Question No. 8378 answered on 4th May, 1970

Statement showing the limits sanctioned and outstandings of the Ratlam Branch of the State Bank of India as on 31st July, 1969 and 31st March, 1970 (I) for the development of small scale industries and (II) in respect of agricultural advances :

(Rs. in lakhs)

		31st July, 1969		31st March, 1970	
		Limits	Outstandings	Limits	Outstandings
1.	Advances to Small-scale Industries	1 .58	4.81	8.28	4.38
2.	Agricultural Advances	0.25	——	0.61	0.19

Separate figures for advances for digging wells, purchasing pumps and tempos are not available.

Re. part (b) of Unstarred Question referred to above :

(I) Working capital advances in respect of small-scale industries are repayable on demand whereas term loans are repayable over a period not exceeding 7 to 10 years in monthly/quarterly/half yearly/yearly instalments. The rate of interest for working capital advances ranges between 8 per cent and 8¾ per cent whereas, the current rate of interest for term loans is 9 per cent.

(II) Loans for digging of wells are generally granted for periods ranging between 5 and 7 years and for installation of pumpsets between 3 and 5 years repaybale in quarterly, half-yearly or annual instalments ; interest is charged at 9 per cent or ½ per cent more than the rate charged by cooperative locally for similar advances, whichever is higher.

Re. part (c) of Unstarred Question referred to above :

No amount has been earmarked for investment by the branch for the financial year 1970-71. However, the State Bank of India will make every endeavour to provide credit assistance to the extent necessary to small-scale industries and agriculture subject to the availability of resources.

(c) Does not arise.

Opening of New Branches of Nationalised Banks

4530. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of new branches of the nationalised banks likely to be opened in the country during the financial year 1970-71 ; and

(b) the number of branches among them proposed to be opened in the rural and urban areas respectively ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Between 1st April and 30th June, 1970, 462 new offices have been opened by 14 banks which were nationalised on July 19, 1969 of which 352 are in rural areas (i.e. places with population of less than 10,000), and 110 in semi-urban areas. It is not possible to state categorically how many more new offices will be opened by the nationalised banks before the year ending 31st March, 1971. However, licences have been issued or allotments made by the Reserve Bank to the 14 nationalised banks for opening offices at 876 centres, of which 501 are for rural centres. Of these about 670 are likely to be opened by the end of the year 1970 and the rest by 30th June, 1971. In addition, offices may be opened by the banks at some more centres which may be identified by them in the course of the surveys, which are in progress under the 'Lead Bank Scheme'.

Amount Invested by Ujjain Branch of State Bank of India for Development of Small Scale Industries and Digging of Wells

4531. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8377 on the 4th May, 1970 and state :

(a) whether the information asked for in parts (a) to (c) of the question referred to above regarding the amount invested by the Ujjain Branch of the State Bank of India for development of Small Scale Industries and digging of wells has since been collected by Government ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time by which the responsible information is likely to be collected and laid on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The required information is given in the attached Statement.

STATEMENT

Re. part (a) of Unstarred Question No. 8377 answered on 4th May, 1970.

Statement showing the limits sanctioned and outstandings of the Ujjain Branch of the State Bank of India as on 31st July, 1969 and 31st March, 1970 (I) for the development of small-scale industries and (II) in respect of agricultural advances :

(Rs. in lakhs)

	31st July, 1969		31st March, 1970	
	Limits	Outstandings	Limits	Outstandings
1. Advances to Small-scale Industries	17.44	7.78	19.64	12.93
2. Agricultural Advances	0.68	0.20	2.80	2.44

Separate figures for advances for digging wells, purchasing pumps and tempos are not available.

Re. part (b) of Unstarred Question referred to above :

(I) Working capital advances in respect of small-scale industries are repayable on demand whereas term loans are repaybale over a period not exceeding , to 10 years in monthly/quarterly/half-yearly/yearly instalments. The rate of interest for working capital advances ranges between 8 per cent and 8¾ per cent whereas the current rate of interest for term loans is 9 per cent.

(II) Loans for digging of wells are generally granted for periods ranging between 5 and 7 years and for installation of pumpsets between 3 and 5 years repayable in quarterly, half-yearly or annual instalments ; interest is charged at 9 per cent or ½ per cent more than the rate charged by cooperatives locally for similar advances, whichever is higher.

Re. part (c) of Unstarred Question referred to above :

No amount has been earmarked for investment by the branch for the financial year 1970-71. However, the State Bank of India will make every endeavour to provide credit assistance to the extent necessary to small-scale industries and agriculture subject to the availability of resources.

(c) Does not arise.

शाहदरा क्षेत्र दिल्ली का विकास

4532. **श्री प्र० सिं० सहगल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन के स्वीकार करने के उपरान्त शाहदरा क्षेत्र, दिल्ली की विकास योजना का पुनरीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों, टिप्पणियों/निष्कर्षों के अनुसार यथा जो 2:1 का साधारण तरीका आदि है, बनाया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप से क्रियान्वित करने अथवा ; अस्वीकार करने का निर्णय कर लिया है ;

(घ) क्या सरकार को किन्हीं सहकारी समितियों से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि जिनमें तब तक ऐसे पुनरीक्षित योजना को न प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया है जब तक सरकार उक्त प्रतिवेदन पर अन्तिम निर्णय नहीं दे देती है ; और

(ङ) यदि हां तो इस योजना को प्रकाशित करने में शीघ्रता करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां। शाहदरा, क्षेत्र, पूर्व जोन का सामान्य विकास प्लान इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि अनधिकृत अनधिवास के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र इस में से बाहर रखे गये हैं ; तथा समितियों द्वारा भूमि की आवश्यकताओं में कटौती को 15 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत तक कर दिया गया है।

(ख) से (ङ) सरकारी आश्वासनों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली प्रशासन द्वारा प्राथमिकताओं के निर्धारण की कसौटी पर आलोचना की है। तथापि, बढ़ते हुए अनधिकृत

अधिक्रमणों को देखते हुए समिति ने सरकार ने सहकारी आवास निर्माण समितियों को उनकी शिकायतों का समाधान करने के तुरन्त बाद भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है। इस बात को सम्मुख रखते हुए सामान्य विकास योजना को पुनरीक्षित किया गया तथा उसे संबंधित समितियों को परिचालित किया। उनमें से कुछ के अभ्यावेदन प्राप्त हो चुके हैं। सरकार के आश्वासनों पर समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है। इस बीच में दिल्ली प्रशासन समितियों से यह पता लगा रहा है कि क्या वे उनको आवंटित भूमि के पुनरीक्षित सामान्य विकास के योजना से सन्तुष्ट हैं।

शाहदरा क्षेत्र, दिल्ली में सहकारी समितियों की प्राथमिकतायें

4533. **श्री अ० सिं० सहगल :**

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा क्षेत्र, दिल्ली में सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने के बारे में सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति ने आठवें प्रतिवेदन को लोक सभा द्वारा स्वीकार किया गया है और यदि हां तो कब ;

(ख) क्या सरकार प्राथमिकताओं के आवंटन के लिए उक्त समिति द्वारा निर्णीत 2:1 अनुपात के सीधे तरीके को कार्यान्वित करने के लिए अपनी योजना का पुनरीक्षण कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग). सरकारी आश्वासनों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली प्रशासन द्वारा प्राथमिकताओं के निर्धारण की कसौटी पर आलोचना की है। तथापि, बढ़ते हुए अनधिकृत अधिक्रमणों को देखते हुए समिति ने सरकार से सहकारी आवास निर्माण समितियों को उनकी शिकायतों का समाधान करने के तुरन्त बाद भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है। इस बात को सम्मुख रखते हुए सामान्य विकास योजना को पुनरीक्षित किया गया तथा उसे संबंधित समितियों को परिचालित किया। उनमें से कुछ के अभ्यावेदन प्राप्त हो चुके हैं। सरकार के आश्वासनों पर समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है। इस बीच में दिल्ली प्रशासन समितियों से यह पता लग रहा है कि क्या वे उनको आवंटित भूमि के पुनरीक्षित सामान्य विकास योजना से सन्तुष्ट हैं।

गुजरांवाला गृह-निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली

4534. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** 9 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2017 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समिति की पुस्तकों में 1,06,643,04 रुपये की राशि को संदेहप्रद रूप में दिखाये जाने के बारे में लेखा-परीक्षा की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या इतनी अधिक कीमत पर गुलाबी बाग खरीदने के लिए गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति दिल्ली की प्रबन्धक समिति को महासभा की अनुमति प्राप्त थी यदि हां तो इस बात की स्वीकृति किस बैठक में दी गई थी ; और

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय में समिति द्वारा कब अपील दायर की गई थी और इस मामले में अन्तिम निर्णय कब किया गया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) सोसाइटी के 1968-69 वर्ष की हिसाब की लेखा परीक्षा की जा चुकी है। लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि इस राशि के वसूल करने का मामला उच्च न्यायालय में निलम्बित है।

(ख) सोसाइटी के अनुसार, महासभा ने अपनी 25 अक्तूबर, 1959 और 8 जनवरी, 1961 की बैठकों में प्रबंधक समिति के इस निर्णय का अनुमोदन किया कि गुलाबी बाग पर भूमि खरीदी जाए।

(ग) सोसाइटी के अनुसार, उन्होंने 27 सितम्बर, 1965 को उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जो अभी निर्णयाधीन है.

दिल्ली में गृह-निर्माण संस्थाओं को भूमि का आवंटन

4535. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री 27 अप्रैल, 970 के तारांकित प्रश्न संख्या 7528 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरांवाला गृह निर्माण संस्था के सदस्यों को जिन्होंने 300 वर्ग गज के प्लाटों के लिए नाम दर्ज कराये थे 196 में 242 वर्ग गज के प्लाट लेने तथा बाद में 1969 में 168 वर्ग गज के प्लाट स्वीकार करने को कहे जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 300, वर्ग गज के प्लाटों के स्थान पर 168 वर्ग गज के प्लाट स्वीकार करने के लिए किस परिपत्र में कहा गया था उसमें 225 वर्ग गज, 200 वर्ग गज तथा 175 वर्ग गज के प्लाटों के सदस्यों को उपलब्ध होने की बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस भूल के लिए प्रशासन का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) सोसाइटी ने घनता की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए, अधिक से अधिक संख्या में सदस्यों को देने के लिए विभिन्न आकार के प्लाट बनाये हैं। ऐसे सदस्य जो बड़े आकार के प्लाट चाहते थे, उनकी संख्या ऐसे प्लाटों से अधिक थी। ऐसे सदस्यों को जिन्हें बड़े आकार के प्लाट आवंटित नहीं किये जा सके, उन्हें या तो छोटे प्लाट लेने के लिये अथवा सरकार द्वारा अतिरिक्त भूमि के आवंटन की प्रतीक्षा करने को कहा गया।

(ख) जी, हां । सोसाइटी के अनुसार एक गश्ती-पत्र केवल उन सदस्यों को छोटे आकार के प्लाट (160 वर्ग गज) देने के लिए जारी किया गया जो यद्यपि 300 वर्ग गज के लिये सदस्य थे और जिन्हें अन-उपलब्धता के कारण उस आकार के प्लाट पेश न किये जा सके । उन्हें 225 वर्ग गज, 200 वर्ग गज और 175 वर्ग गज के प्लाट पेश न किये जा सके, क्योंकि इन आकार के प्लाटों के लिए पात्र सदस्यों को उन वर्गों में उनकी वरिष्ठता के अनुसार, प्लाट आवंटित कियें गये थे ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में बीयर का कारखाना

4536. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में गैर सरकारी क्षेत्र में बीयर के एक कारखाने के लिये स्वीकृति देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रकार अनुमति के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने आवेदन पत्र भेजे गये हैं तथा उन्हें कब भेजा गया था ;

(घ) क्या सरकार ने इन आवेदन पत्रों पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ). 1968 के अन्त तक औद्योगिक लाइसेंस के लिये छः दरख्वास्तें प्राप्त हुई थीं जिनमें से चार दरख्वास्तों के बारे में राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गयी थी । लाइसेंस जारी करने वाली समिति ने अपनी 8 जनवरी 1969 को हुई बैठक में इन सभी छः दरख्वास्तों पर विचार किया था । बीयर कारखाना सम्बन्धी योजनाओं पर कार्यवाही के लिए उस समय प्रवर्तमान मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक राज्य में केवल एक कारखाने का पंजीकरण करने अथवा लाइसेंस देने की अनुमति देते थे, लाइसेंस जारी करने वाली समिति ने महाराष्ट्र राज्य में, विदेशी सहयोग के साथ, 50,000 हैक्टो लिटर की वार्षिक क्षमता का एक शराब का कारखाना स्थापित करने के लिए केवल मेसर्स शा वैलेस एण्ड कं० की दरख्वास्त मंजूर की और अन्य दरख्वास्तें नामंजूर करने की सिफारिश की । तदनुसार, इस आशय का एक पत्र मेसर्स शा वैलेस एण्ड कं० को जारी किया गया था ।

सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टूल्स गिन्डी

4537. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टूल्स गिन्डी

जोकि एक सरकारी उपक्रम है, ने पर्याप्त प्रगति की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह प्लास्टिक उद्योग के लिए परामर्श देने का कार्य भी करती है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में विदेशों से कुछ अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) इंस्टीट्यूट ने जनवरी, 1969 से कार्य करना शुरू किया और प्रशिक्षुओं का पहला दल प्रशिक्षण पा रहा है इंस्टीट्यूट का जुलाई, 1970 में नये भवन में स्थानान्तरण हुआ, लेकिन निर्माण-क्रिया का एक भाग और कुछ मशीनों का प्रतिस्थापन अभी पूरा होना है ।

(ख) जी हां, इंस्टीट्यूट, प्लास्टिकस उद्योगों से सम्बन्धित प्लाटिक कार्य के सांचे, डाइज और अन्य यान्त्रिक इन्जीनियरिंग कार्य के लिए परामर्श देती है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में विदेशी तेल कम्पनियों में बेकार जन-शक्ति

4538. **श्री क० अनिरुद्धन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की विदेशी तेल कम्पनियों में कार्य करने वाले हजारों व्यक्तियों को कोई काम नहीं दिया जा रहा है तथा वे संबंधित कार्यालयों में बेकार बैठे रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ; और

(ग) विदेशी कम्पनियों पर अपने कर्मचारियों को काफ़ी कार्य देने का जोर डालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) दिल्ली में विदेशी तेल कम्पनियों ने, जिनके साथ इस बारे में सम्पर्क किया गया था, इसकी बाबत इन्कार किया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

भारत स्थित विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा धीरे-धीरे अपना कारोबार बन्द किये जाने के कारण बेरोजगार होने वाले कर्मचारी

4539. **श्री क० अनिरुद्धन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी कम्पनियों द्वारा उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी क्षेत्रों में शनैः-शनैः अपने कारोबार

बन्द करने तथा अपने तेल-शोधक कारखानों में ईंधन तेल के उत्पादन में कमी करने के कारण कितने कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे ; और

(ख) सरकार ने इन कम्पनियों को अपनी सम्पत्ति बेचने से रोकने तथा इसके फलस्वरूप कर्मचारियों में उनकी नौकरी की सुरक्षा से सम्बन्धित पैदा होने वाले भय को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) मेसर्स बर्मा शैल और एस्सो ने सूचित किया है कि इन क्षेत्रों में कारोबार बन्द करने की उनकी इस समय कोई योजना नहीं है कालटैक्स ने उत्तर दिया है कि उनके किसी श्रमिक के बेरोजगार होने का प्रश्न नही उठता ।

(ख) सम्पत्ति के विक्रय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है । यह जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई विक्रय नौकरी को असुरक्षित करता है ।

शाहदरा क्षेत्र दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों को भूमि पर कब्जा देना

4540. **श्री राम धन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा क्षेत्र, दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समितियों को भूमि का कब्जा शीघ्र दिये जाने का विचार है, और यदि हां, तो कब ;

(ख) क्या सरकार ने भूमि पर कब्जा देने से पूर्व ऐसी समितियों से सन्तोषजनक कार्यकरण तथा वास्तविक सदस्यता सम्बन्धी नये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या जब भूमि दी गई थी तब आरम्भ में प्रतिवेदन मांगा गया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) शाहरा क्षेत्र में भूमि का वास्तविक कब्जा तीन सहकारी आवास निर्माण समितियों को अस्थायी तौर पर दिया गया है । दिल्ली प्रशासन का इसी आधार पर अन्य समितियों को भी सीमांकन पूरा हो जाने पर, जो चालू है, वास्तविक कब्जा देने का प्रस्ताव है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ऐसी रिपोर्टें भूमि का वास्तविक कब्जा दिये जाने से पहले सदस्यों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए आश्वयक समझी जाती है ।

छोटे समाचार पत्रों को परिवार नियोजन सम्बन्धी विज्ञापन देना

4541. **श्री लताफत अली खां : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मई, 1970 के दिल्ली से प्रकाशित पाक्षिक समाचार पत्र

"दारुलसलतनत" में छपे परिवार नियोजन सम्बन्धी विज्ञापन के बारे में लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) छोटे समाचार पत्रों को परिवार नियोजन सम्बन्धी सरकारी विज्ञापन देने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने पाक्षिक समाचार-पत्र को निर्धारित प्रश्नावली में पत्र की खपत के आंकड़े पूछे थे किन्तु बार-बार अनुरोध के बावजूद यह सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

(घ) सरकारी विज्ञापन, जिनमें परिवार नियोजन के विज्ञापन भी शामिल हैं, के लिए समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का चयन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है :—

(1) वास्तविक खपत (सामान्यतया ऐसे पत्रों को विज्ञापन नहीं दिया जाता जिनकी बिक्री संख्या 1000 से कम होती है) ;

(2) नियमित प्रकाशन (छ महीने की अवधि तक नियमित प्रकाशन अनिवार्य है),

(3) किस वर्ग के लोग इसको पढ़ते हैं ;

(4) पत्रकारिता के स्वीकृत नैतिक सिद्धान्तों का पालन ;

(5) अन्य बातें जैसे प्रकाशन का स्तर, भाषाएं, उपलब्ध धनराशि की सीमा में रहते हुए जिन क्षेत्रों में पत्र की खपत करनी है ;

(6) विज्ञापन दरें जो सरकार की प्रचार आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त और स्वीकार करने योग्य हों ।

जो पत्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों को पूरा करते हैं, उन्हें परिवार नियोजन के विज्ञापन दिये जाते हैं । इसके लिए छोटे और मझोले समाचार-पत्रों, विशेषतया भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले पत्रों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है । इस नीति का आगे भी पालन किया जाता रहेगा ।

अखिल भारत महापौर कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष का ज्ञापन

4542. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अखिल भारतीय महापौर कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष से आन्ध्र प्रदेश

सरकार द्वारा हैदराबाद नगर निगम के चुनावों को दो वर्षों के लिए स्थगित करने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन अथवा ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार से इस मामले के तथ्यों की जानकारी देने का अनुरोध किया गया है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में श्रेणी तीन तथा चार के सरकारी कर्मचारियों को स्थाई करना

4543. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में श्रेणी III तथा IV के (श्रेणी वार) ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं जो पदों में छंटनी होने के कारण अन्य कार्यालयों से यहां आये हैं तथा 10 से 20 वर्ष तक लगातार सेवा कर चुकने के बाद अभी आज तक स्थायी नहीं किये गये हैं ; और

(ख) ऐसे मामलों में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली नगर निगम द्वारा श्यामाप्रसाद मुखर्जी पार्क, कालोनी को अपने कब्जे में लिया जाना

4544. **श्री प० ला० बारुपाल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री दिल्ली नगर निगम द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क कालोनी के अपने अधिकार में लेने के बारे में 20 अप्रैल 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6663 के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कालोनाइजर द्वारा सेवाओं में कमियों को दूर करने अथवा अपेक्षित मापदण्डों के अनुसार सेवाओं में कमियों को दूर करने के लिए शुल्क लेने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : इस बस्ती के उस भाग में जहां निर्माण कार्य की अनुमति दे दी गई थी, सेवाओं में रह गई कमियों को दूर करने पर कितना खर्च आयेगा, इसका हिसाब दिल्ली नगर निगम ने निकाल लिया है और कालोनाइजर तथा निवासी कल्याण संघ से इस खर्च को देने के लिए कहा जा रहा है । बस्ती के शेष भाग में नगर निगम इन सेवाओं का काम तभी शुरू करेगा जब भवन योजनायें मंजूर कराने के बाद और इन सेवाओं की कमियों को दूर करने

पर आने वाले खर्च का या तो कालोनाइजर द्वारा अथवा इस बस्ती के निवासियों के द्वारा भुगतान कर दिये जाने पर 50 प्रतिशत प्लाट बन जायेंगे ।

मुकर्जी पार्क दिल्ली के निवासियों को नागरिक सुविधायें

4545. **श्री प० ला० बारुपाल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि मुकर्जी पार्क के निवासी आस पास की कालोनियों क निवासियों के समान ही दिल्ली नगर निगम को सम्पत्ति कर दे रहे हैं परन्तु उन्हें समान नागरिक सुविधायें नहीं मिल रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार मुकर्जी पार्क के निवासियों को कब और किस प्रकार यह सब सुविधायें देगी ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). दिल्ली नगर निगम ने बतलाया है कि एक कालोनी के निवासियों द्वारा दिये गये गृहकर की तुलना दूसरी कालोनी के निवासियों द्वारा दिये गये गृहकर से करना सम्भव नही है क्योंकि गृहकर को निर्धारण कालोनी-वार नहीं बल्कि हर मकान के मिलने वाले किराये अथवा सम्भाव्य उचित किराये के आधार पर किया जाता है ।

श्यामा प्रसाद मुकर्जी पार्क कालोनी के आस पास या तो मंज़ूर शुदा कालोनियां हैं अथवा अनधिकृत कालोनियां हैं । पहले वर्ग की कालोनियों, जिनमें श्यामा प्रसाद मुकर्जी कालोनी सम्मिलित है, सेवाओं के रख रखाव की जिम्मेदारी नगर निगम तभी ग्रहण करता है जबकि नगर निगम द्वारा मंजूर किये गये नक्शों के अनुसार 50 प्रतिशत प्लाटों पर मकान बन चुकते हैं और सेवाओं में कमी की पूर्ति पर आने वाले व्यय का भुगतान कालोनाइजर अथवा निवासियों द्वारा कर दिया जाता है । अनधिकृत कालोनियों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था निगम के गंदी-बस्ती अनुभाग द्वारा की जाती है ।

ग्रेटर कैलाश भाग-2 नई दिल्ली में खरीदे प्लाटों को रजिस्टर कराने की अनुमति

4546. **श्री यशपाल सिंह : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि ग्रेटर कैलाश भाग 2, जो कि डी० एल० एफ० की कालोनी है, के प्लाट बहुत समय पहले बेचे गये थे तथापि प्लाटों के मालिकों को प्लाट रजिस्टर कराने की अभी तक अनुमति नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है जिससे कि प्लाटधारियों द्वारा प्लाटों की खरीद के रजिस्ट्रेशन द्वारा नियमित बनाया जा सके ; और

(घ) ऐसा कब तक हो जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष): (क) दिल्ली नगर निगम द्वारा कालोनी में (सिवाय 'ई' ब्लाक के) मकानों को बनाने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। निगम ने बतलाया है कि मकानों के निर्माण की अनुमति देने के पश्चात ही प्लाटों के पंजीकृत करने की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) निगम के अनुसार कालोनाइज़रों ने अपेक्षित मानकों की सेवायें (सर्विसेज) नहीं डाली है। कालोनाईजरों से यह कहा गया है कि या तो वे सर्विसेज में हुई कमियों को पूरा करें अथवा कमियों को पूरा करने के लिए उसकी लागत दिल्ली नगर निगम के पास जमानत के रूप में जमा करायें। उन्होंने कुछ नहीं किया।

(ग) निगम की स्थाई समिति द्वारा कालोनी के पुनरीक्षित ले-आउट प्लान को 12 दिसम्बर, 1969 को अनुमोदित किया गया और 3 फरवरी, 1970 को कालोनाइजर को अनुमोदन की सूचना दे दी गई। अनुमोदन की शर्तों में एक शर्त थी कि यदि कालोनाइजर, ले-आउट प्लान के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित मानकों के अनुसार सर्विसेज की व्यवस्था करने में असफल रहे तो निगम के आयुक्त को कालोनाईजर द्वारा दी गई जमानत रकम के एक भाग या समस्त (जमानत) को जब्त करने का अधिकार होगा।

(घ) फिलहाल, कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

ग्रेटर कैलाश भाग-2 नई दिल्ली में मकान बनाने की अनुमति

4547. **श्री यशपाल सिह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि ग्रेटर कैलाश भाग 2 नई दिल्ली के 'एस' सैक्टर के प्लाट बहुत समय पहले बेचे गये थे तथापि प्लाट मालिकों को मकान बनाने की अभी तक अनुमति नहीं दी गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषमता के क्या कारण हैं और मकान बनाने की अनुमति कब दी जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष): (क) यह सत्य है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा बस्ती सैक्टर 'एस" में मकानों के निर्माण की स्वीकृति अभी नहीं दी गई है।

(ख) दिल्ली नगर निगम के अनुसार कालोनाईजरों ने अनुमोदित सर्विस प्लानों के अपेक्षित मानकों के अनुरूप सर्विसेज नहीं डाली हैं। कालोनाईजरों से यह कहा गया था कि या तो सर्विस में हुई कमी को पूरा करें या कमियों के पूरा करने की कीमत के लिए दिल्ली नगर निगम के पास रकम जमानत के रूप में जमा करें। उन्होंने कुछ नहीं किया। निगम द्वारा मकानों के निर्माण के लिए तब तक अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कि अपेक्षित मानक की सर्विस पूरी न कर दी जाय।

नागपुर के मेसर्स श्री राम दुर्गाप्रसाद के विरुद्ध जांच

4548. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को विदेशी मुद्रा अधिनियम, आयकर अधिनियम के उल्लंघन तथा अन्य अपराधिक मामलों में दुर्गापुर के मेसर्स श्रीराम दुर्गाप्रसाद के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए कोई जांच आयोग नियुक्त करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) नागपुर के मेसर्स राय-बहादुर श्रीराम दुर्गा प्रसाद द्वारा आयकर अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनिमय, विनियमन अधिनियम के उल्लंघनों तथा अन्य अपराधों के बारे में एक नोट के साथ एक संसद सदस्य से दिनाँक 4-6-1970 का एक पत्र प्रधान मंत्री को मिला था।

(ख) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। परन्तु, सम्बन्धित सरकारी विभागों द्वारा पूछताछ पहले ही की जा रही है।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए परीक्षा

4549. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम दाखिले के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था द्वारा इस वर्ष एक प्रतियोगी परीक्षा ली गई थी ;

(ख) क्या दाखला सूची संस्था द्वारा ली गई परीक्षा में उम्मीदवारों को प्राप्त अंकों तथा उनके विश्वविद्यालयों द्वारा ली गई प्री० मेडिकल अथवा इसके समकक्ष परीक्षाओं में उन्हें प्राप्त अनुपाती समान अंकों के आधार पर बनाई गई थी ;

(ग) यदि हाँ तो दाखिले के लिए संस्था द्वारा ली गई परीक्षा में योग्यता के आधार पर पहले 35 उम्मीदवारों में से कितने उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय स्तर पर प्राप्त अनुपाती अंकों को जोड़ने के पश्चात अन्तिम सूची से निकाल दिया गया था ; और

(घ) जिन उम्मीदवारों को इस प्रकार सूची से निकाला गया था उन्होंने प्री० मेडिकल की परीक्षा किन विश्वविद्यालयों से पास की थी और दाखिले सम्बन्धी परीक्षा में उनकी स्थिति क्या थी।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). जी हाँ।

(ग) नौ

(घ) रोक दिये गये नौ उम्मीदवारों में से सात दिल्ली विश्वविद्यालय से तथा दो उत्तर प्रदेश बोर्ड से उत्तीर्ण थे । प्रवेश परीक्षा में उनकी स्थिति इस प्रकार थी :

13वीं, 21वीं 27वीं, 28वीं, 30वीं, 31वीं, 33वीं, 34 वीं और 35 वीं ।

शिशु भोज्य पदार्थों में मोनोसोडियम ग्लूटेमेट

4550. **श्री बलराज मधोक : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल अनुसंधान से यह सिद्ध हो गया है कि मोनोसोडियम ग्लूटेमेट से मस्तिष्क को हानि पहुंच सकती है ; और

(ख) क्या भारत में शिशु भोज्य पदार्थों एमलस्प्रे, ग्लेक्सो और ओस्टरमिल्क में इस कथित स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थ को नहीं डाला जाता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) कतिपय स्तरों पर मोनो सोडियम एल-ग्लूटामेट (एम० एस० जी०) खाने की चाइनीज रेस्तरां सिन्ड्रोम होना बतलाया जाता है (शामवर्ग, एट० एल०, साईस 1969 द्वारा) और उससे सिरदर्द हो सकते हैं । त्वचा के नीचे प्रयुक्त एम० एस० जी० की बड़ी मात्राओं से जवान चूहों में न्यूरल नेक्रोसिस उत्पन्न हो गया । तथापि, इन निष्कर्षों की पुष्टि के लिए विस्तृत अध्ययन आवश्यक है ।

(ख) जी हां । खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में शिशुओं के आहारों के लिए किसी आंहार-योगज के प्रयोग की अनुमति नहीं है ।

Promotion of Nurses in All India Institute of Medical Sciences

4551. **Shri Digambar Singh : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Medical Superintendent of the Hospital Department of All India Institute of Medical Science has made certain promotions among the nurses :

(b) if so, the number thereof ;

(c) whether the said promotions have been made on the basis of seniority ; and

(d) if not, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). Six posts of Nursing Sisters and two posts of Assistant Matrons at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, have been filled up by promotion on the basis of the recommendations of duly constituted Selection Committee from amongst eligible departmental candidates during 1970.

(c) and (d). The Selection Committees recommended candidates for promotion after taking into account their seniority, fitness for the post and merit. This is done because promotion posts are declared as selection posts where under both seniority and merit are taken into consideration.

कोहाट रिफ्यूजी कोग्रापरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली

4552. **श्री क० लकप्पा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास, तथा नगरीय विकास मंत्री 2 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1198 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोहाट रिफ्यूजी कोग्रापरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, जो दिल्ली को नये भूमि-स्थल का वास्तविक कब्जा इस बीच दे दिया गया है ।

(ख) यदि हाँ, तो कब, तथा यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं और इस समय इस मामले की स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या इस संस्था की महा सभा की बैठक इस बीच आयोजित हुई है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां ।

(ख) वास्तविक कब्जा 20 अगस्त, 1970 को दिया गया था ।

(ग) सोसाइटी की महा सभा की बैठक 3 अक्टूबर, 1970 के लिए निश्चित की गई है ।

रद्दी इस्पात पर आधारित उत्पादन शुल्क का लौटाया जाना

4 53. **श्री न० प्र० यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल 1969, मार्च 1970 में रद्दी लोहे पर आधारित इस्पात पर 75 रुपये प्रतिटन की छूट वाले इस्पात से बनाये गये गृह-विद्युत चूल्हों के मालिकों को उत्पादन-शुल्क की कुल कितनी राशि वापस दी गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : वित्तीय वर्ष 1969-70 में अधिसूचना संख्या 120/69 के० उ० शु० दिनांक 29-4-1969 के साथ पठित संगत अधिसूचना संख्या 26/69 के० उ० शु० दिनांक 1-3-1969 अधिसूचना संख्या 122/69-के० उ० शु० दिनांक 29-4-1969 के साथ पठित अधिसूचना संख्या 27/69 के० उ० शु० दिनांक 1-3-1969 तथा अधिसूचना संख्या 121/69 के० उ० शु० दिनांक 29-4-1969 के अधीन मंजूर की गई छूटों के कारण छोड़े गये केंद्रीय उत्पादन शुल्क की कुल रकम 2,83,07,664 रुपये है ।

अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण

4554. **श्री राम चरण :** क्या वित्त मन्त्री 11 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9098 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलेक्शन ग्रेड क्लर्कों की वरीयता सूची को इस बीच अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है ;

(ख) क्या इस सूची में 2 दिसम्बर, 1963 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/13/63 एस०

टी० सी० तथा 31 मई, 1965 के संख्या 8/20/65 इस्टेब्लिशमेंट (सी) के अनुसार अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को उपयुक्त स्थान दे दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इससे अनुसूचित जातियों के कितने कर्मचारी लाभान्वित हुए ; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त आदेशों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं और अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को वरीयता निश्चित करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सेलेक्शन ग्रेड लिपिकों की 1-3-1970 की स्थिति की परिचायक वरिष्ठता-सूची को अन्तिम रूप दे दिया गया है ।

(ख) 1-3-1970 तक पदोन्नत किये गये अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को उक्त सूची में दिखाया गया है । अनुसूचित जाति के जिन कर्मचारियों को 1-3-70 के बाद पदोन्नत किया गया है उनके नामों को, निर्धारित शर्तों के अनुसार, अगली वरिष्ठता-सूची में दिखाया जायगा ।

(ग) 7 (सात)

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

रामाकृष्णपुरम के सैक्टर दो में अलाटियों द्वारा क्वार्टरों को किराये पर देना

4555. **श्री रामचंद्र वीरप्पा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामाकृष्णपुरम नई दिल्ली, के सेक्टर दो में अलाटियों ने अधिकांश क्वार्टर किराये पर दिये हुए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन क्वार्टरों में साधारणतः किरायेदार रहते हैं और अलाटी नहीं रहते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये किरायेदार अपने क्वार्टरों में रहने वाले वास्तविक अलाटियों को अक्सर तंग करते रहते हैं ;

(घ) क्या सरकार की बिना अनुमति के सरकारी क्वार्टरों को किराये पर देना नियमानुकूल है और क्या ऐसे मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जाती हैं ; और

(ङ) ऐसे मामलों में यदि कोई कार्यवाही की जाती है तो इस बारे में शिकायत के प्राप्त होने के कितना समय बाद कार्यवाही की जाती है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग). जी, नहीं । तथापि, आर० के० पुरम, नई दिल्ली के सैक्टर II के सरकारी क्वार्टरों के उपकिरायेदारी के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(घ) एक सरकारी कर्मचारी, सामान्य पूल वास से आवंटित रिहायश में पात्र श्रेणियों के एक व्यक्ति को उसे दिये हुये भाग के लिये उचित किराया लेकर भागीदार के रूप में रख

रुकता है। यदि रिहायश को उपरिलिखित आधार के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर किया जाता है, या उसे पूर्णतया किराये पर दे दिया जाता है, तो वह अनधिकृत उपकिरायेदारी है और वह आवंटन नियमों के दंडनीय उपबंधों को आकृष्ट करता है। आवंटियों के विरुद्ध लिखित शिकायतें प्राप्त होने पर या अचानक जांच करते समय उपकिरायेदारी मालूम होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। सबसे पहले शिकायत करने वालों को बुलाया जाता है और उसका बयान लिया जाता है और इसके पश्चात आरंभिक जांच की जाती है, जैसे आवंटी जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, को व्यक्तिगत सुनवाई के लिये, और लिखित या अन्य किसी प्रकार की शहादत प्रस्तुत करने के लिए बुलाना जिससे यह मालूम हो सके कि वह उस क्वार्टर में वास्तव में रह रहा है। यदि आरम्भिक जांच से एक मामला बन जाता है तो आवंटी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है जिसमें उसे दिये जाने वाले प्रस्तावित दंड का उल्लेख होता है तथा उसे व्यक्तिगत सुनवाई का एक और अवसर दिया जाता है जिससे वह उचित प्रमाणों अथवा अन्य सबूत से आरोपों का खंडन कर सके। इन सब कार्यवाईयों के पश्चात, अंतिम आदेश दिये जाते हैं।

(ङ) सांविधिक नियमों के उपबंधों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है, और उप-किरायेदारी की कार्यवाही का अर्ध-न्यायिक स्वरूप होने के कारण, ऐसे मामलों में समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली में 'एच' टाइप क्वार्टरों पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति

4556. **श्री रामचन्द वीरप्पा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रीनिवासपुरी कालोनी, नई दिल्ली में कुछ 'एच'० टाइप क्वार्टरों के बारे में जांच की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्वार्टर संख्या एच० 66,68,82,86,94,96,307,311 और 709 के सम्बन्ध में जांच के क्या निष्कर्ष हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त क्वार्टर अभी भी गैर-अलाटी व्यक्तियों के पास हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). क्वार्टर नं० एच-709 को छोड़कर, इन क्वार्टरों के बारे में जांच चल रही है, और जांच पूरी होने पर प्रत्येक मामले में अंतिम निर्णय लिया जायगा। श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली के क्वार्टर नं० एच-709 के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ). जांच पूरी होने के बाद, इस बात का पता लगाना सम्भव होगा कि

इनमें से कितने क्वार्टर गैर आवंटियों के दखल में हैं। यदि यह सिद्ध हो गया कि आवंटियों ने क्वार्टर उप-किराए पर दे रखे हैं, तो उनके विरुद्ध आवंटन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

लू लगने के कारण लोगों की मृत्यु

4557. **श्री० रा० कृ० बिड़ला :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1970 में लू लगने के परिणामस्वरूप देश में बहुत से लोगों की मृत्यु हुई ; और

(ख) यदि हां, तो लू लगने के कारण प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्र में कितने लोगों की मृत्यु हुई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). लू लगना कोई अधिसूच्य रोग नहीं है अतः सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

जीवन बीमा निगम की "अपना घर बनाओ" योजना

4558. **श्री चंद्रशेखर सिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम की 'अपना घर बनाओ" योजना का कितने केंद्रों तक विस्तार कर दिया गया है ;

(ख) कितने पालिसीधारियों ने इस योजना से लाभ उठाया है ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम ने कुल कितनी राशि का ऋण दिया है ; और

(घ) आगामी दो वर्षों में किन अन्य केन्द्रों पर यह योजना लागू कर दी जायेगी ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 161 केन्द्र ।

(ख) जैसी कि स्थिति 31-3-70 को थी, इस योजना के अधीन 5,238 पालिसीधारियों ने ऋण प्राप्त किये हैं ।

(ग) 31-3-70 की स्थिति के अनुसार 14.31 करोड़ रुपये की रकम पेशगी दी गयी है ।

(घ) निगम इस योजना का विस्तार ऐसे सभी केन्द्रों पर करने की सोच रहा है, जहां उसका कोई शाखा कार्यालय मौजूद है । ऐसे केंद्रों की कुल संख्या संभवतः 500 होगी ।

Birla House, New Delhi

4559. **Shri Ram Sewak Yadav : Shri Chandra Shekhar Singh : Shri Sradhakar Supakar :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Birlas have refused to implement the agreement regarding Gandhi Memorial which had earlier been entered into with them ; and

(b) if so, the reasons therefor and the further action Government propose to take in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) and (b). Negotiations with the Birlas about the taking over of Birla House have not been concluded. As no agreed settlement has emerged so far, Government have decided to acquire the property.

सरकारी उपक्रमों के मुसलमान कर्मचारियों को रांची में पृथक क्षेत्रों में आवासों का आवंटन

4560. **श्री नारायणन : श्री देवकी नंदन पाटोदिया :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के मुसलमान कर्मचारियों की ओर से इस आशय के बहुत से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि उन्हें रांची में किसी पृथक क्षेत्र में आवासों का आवंटन किया जाये ताकि वे इकट्ठे रह सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अगस्त, 1967 में दंगा होने के बाद, हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन के प्रबन्धकवर्ग को अपने मुसलमान कर्मचारियों से इस आशय के आवेदन-पत्र मिले थे कि उन्हें हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन की बस्ती में एक अलग स्थान पर फिर से बसाया जाय। किन्तु सम्बद्ध कर्मचारियों ने इस मांग पर आगे जोर नहीं दिया है।

(ख) यह एक ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकवर्ग स्वयं ही आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से कि प्रत्येक परिवार अन्य सम्प्रदायों के लोगों के साथ भी रहे और अलगाव से भी बच सके, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के प्रबन्धक वर्ग ने, बस्ती के विभिन्न स्थानों पर, अपने मुसलमान कर्मचारियों को समूहों में फिर से बसाने के लिए एक योजना तैयार की है।

रेलवे द्वारा इंडेन्ट किये गए तांबे के तारों के स्थान पर एलुमिनियम के तारों का लिया जाना

4561. **श्री बलराज मधोक :** क्या पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लोक लेखा समिति के 49वें प्रतिवेदन के 33वें पृष्ठ पर 1.42 पैरे की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने रेलवे के लिये तांबे के तारों के स्थान पर एलुमिनियम के तार लिये थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि क्रयादेश की प्रतियां प्राप्त हो जाने पर भी रेलवे ने कोई कार्यवाही नहीं की थी ;

(घ) जिन परिस्थितियों में निर्धारित मानकों में ढील की गई क्या उनके बारे में पूरी जांच की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले और इसके लिये दोषी व्यक्तियों के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

पूर्ति मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) से (घ). जी, हां।

(ङ) जांच के परिणाम-स्वरूप यह पता चला कि क्रय-अधिकारी को इस बात का ज्ञान था कि मांगकर्त्ता ने तांबे के तारों की मांग की थी। परन्तु, क्योंकि पहले बहुत से मामलों में, जिनमें मांगकर्त्ता ने तांबे के तारों की मांग की थी, मांगकर्त्ता की सलाह से केवल एल्युमीनियम तार ही खरीदे गए थे। अतः क्रय अधिकारी ने इस मामले में भी यही समझा कि मांगकर्त्ता को एल्युमीनियम तार स्वीकार्य होंगे। फिर भी, उसने मांगकर्त्ता को भेजे गए क्रय-आदेश में एक पृष्ठांकन जोड़ दिया था कि वह क्रय-आदेश के व्यौरों की जांच कर लें और इसकी पुष्टि करें कि वह ठीक हैं। वस्तुतः उसे सामान की विशिष्टताओं में परिवर्तन करने से पूर्व मांगकर्त्ता से पूछ लेना चाहिये था। इस त्रूटि के लिए उसे चेतावनी दे दी गई है कि वह भविष्य में अधिक सतर्क रहे।

बिड़ला समूहों द्वारा मैसूर में सगठित की गई कम्पनियों पर केन्द्रीय करों की बकाया राशि

4562. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में बिड़ला समूहों द्वारा संगठित की गई कम्पनियों की संख्या कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों में इन कम्पनियों पर विभिन्न केन्द्रीय करों की कितनी राशि बकाया थी ; और

(ग) सरकार ने राज्य सरकार की सलाह से इन करों को एकत्र करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). बिड़ला परिवार के सम्बन्ध में नियुक्त दत्त समिति द्वारा बिड़ला कम्पनियों की जो संरचना मानी गयी है, उसके अनुसार मैसूर राज्य में बिड़लाओं की केवल एक कम्पनी अर्थात मेसर्स मैसूर सीमेंट लिमिटेड रजिस्टर्ड है। इस कम्पनी की तरफ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अथवा आयकर की कोई रकम बकाया नहीं है। इस कम्पनी के वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 के कर निर्धारण अभी होने हैं। इस कम्पनी की तरफ यदि सीमा शुल्क की कोई रकम लेना बकाया है तो उसके बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी।

शहरी सम्पत्ति का अधिग्रहण

4563. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्रस्तावित 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा से अधिक शहरी सम्पत्ति को एक निश्चित तिथि के उपरान्त निर्धारित प्रतिकर देकर अपने अधिकार में कर लेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) निर्धारित सीमा से ऊपर की नगरीय सम्पत्ति का सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अर्जन उस योजना का अंग है जो राज्य सरकारों के परामर्श से विचाराधीन है। ऊपरी सीमा कितनी होनी चाहिए, इस बारे में अभी और सोच-विचार नहीं किया गया है।

(ख) सभी राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त होने तथा उन पर विचार किये जाने के बाद ही अन्तिम निर्णय किया जा सकता है। इसके लिए अपेक्षित समय का फिलहाल कोई संकेत नहीं दिया जा सकता।

रूसी वस्तुओं पर लिये गये कमीशन पर कर लगाना

4564. **श्री लोबो प्रभु : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस से आने वाली तथा उसे एजेण्टों द्वारा राजनीतिक दलों को दी जाने वाली वस्तुओं पर कमीशन लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमीशन के बारे में जानने तथा उन पर कर लगाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ; और

(ग) निर्यात तथा आयात से संबन्धित सरकारी विभाग तथा आय कर विभाग के अधिकारियों के बीच सहयोग का क्या तरीका है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र, रूस से माल मंगाने के लिये एजेंटों की नियुक्ति नहीं करता। हो सकता है कि निजी क्षेत्र के कुछ आयात-कर्ता, कमीशन के आधार पर कार्य करने वाले स्थानीय ऐजेन्टों के माध्यम से रूस से माल मंगाते हों। सरकार के पास इस आशय की सूचना नहीं है कि इस प्रकार का कमीशन राजनैतिक पार्टियों को हस्तान्तरित कर दिया जाता है। यदि माननीय सदस्य के ध्यान में कोई विशेष ऐजेन्ट हो तो कर-निर्धारणों के विवरण दिये जा सकते हैं।

(ग) आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा इच्छुक आयात कर्त्ता को केवल तब ही आयात लाइसेंस जारी किया जाता है जब आयातकर्त्ता के मांगने पर आयकर अधिकारी द्वारा जारी किया गया आयकर सत्यापन प्रमाण-पत्र आयातकर्त्ता द्वारा पेश कर दिया जाय। आयकर

सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की यह शर्त, सरकार द्वारा अथवा उन पर्टियों द्वारा किये गये आयातों पर लागू नहीं होती, जिन्हें आयकर विवरणियां प्रस्तुत करने, कर-निर्धारणों को पूरा करवाने तथा अपने करों की तत्काल अदायगी के मामले में आयकर विभाग के साथ उनके सहयोग के कारण आयकर सत्यापन प्रमाण पत्र पेश करने से छूट मिल गई हो।

सरकारी उपक्रमों के लिये बोर्ड

4565. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कई सरकारी उपक्रमों द्वारा दिये गये इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि सरकारी उपक्रमों के ब्यूरों के स्थान पर एक बोर्ड स्थापित किया जाये जो सभी सरकारी उपक्रमों में तकनीकी जानकारी और अनुभव का प्रभावी रूप से आदान-प्रदान कर सके ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सरकार को इस प्रकार के किसी सुझाव का पता नहीं है ।

भारत और युगोस्लाविया के बीच व्यापार

4566. **श्री प्र० के० देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और युगोस्लाविया के बीच सितम्बर तक स्टर्लिंग का अवमूल्यन करने से गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गये हैं ; और

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस बारे में कानूनी सलाह-मशविरा ले रहा है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). प्रथम ऋण-करार और व्यापार तथा भुगतान सम्बन्धी करारों की मुद्रामूल्य परिवर्तन विषयक धारा का अर्थ लगाने के सम्बन्ध में मतभेद होने के कारण भारत और यूगोस्लाविया की सरकारें इस बात पर सहमत हो गयी कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से इस सम्बन्ध में विशेषज्ञ और प्रामाणिक राय ली जाय। उक्त निदेशक के सुझाव पर, दोनों सरकारों ने जेनेवा विश्वविद्यालय, स्विटजरलैंड के विधि विभाग के डीन प्रो० पेरी० ए० ललीव से अनुरोध किया है कि वे सही कानूनी स्थिति के बारे में सलाह दें ।

Sinking of Tube-Wells in Jaunpur (U. P.) under Drinking Water Scheme

4567. **Shri Nageshwar Dwivedi :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the number of tube wells installed in the drought hit areas in Jaunpur (U.P.) under the drinking water scheme ; and

(b) the number of tube-wells out of those working successfully and of those proved to be unsuccessful which are not working and the reasons for not working ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). The Government of Uttar Pradesh have reported that under the drinking water scheme, 29 tube-wells were

bored in the drought hit areas of Jaunpur out of which 21 were successful and 8 unsuccessful and that 17 tube-wells are working and 4 are not working, awaiting power and pump house pumping plant. It has also been reported that during the First Five Year Plan, the Irrigation Department bored 96 tube-wells, out of which 47 were commissioned during the last drought and 49 are lying idle due to non- availability of funds for maintenance.

किसी जिला विशेष के केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारियों को उसी विभाग में नियुक्त करना

4568. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री निहाल सिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान नियमों के अनुसार जिला विशेष के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को उसी जिले में नियुक्त नहीं किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में दिल्ली में कितने मामलों में इस नियम का पालन नहीं किया गया है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परमिल घोष) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय खरीद मिशनों के विदेश-यात्रा के फलस्वरूप उर्वरकों का आयात

4569. **श्री जी० वेंकटस्वामी :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खरीद मिशनों ने उर्वरकों की खरीद के सम्बन्ध में किन-किन देशों का दौरा किया ;

(ख) गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में कितने उर्वरकों की खरीद करने की योजना है ; और

(ग) भारतीय खरीद मिशनों के सदस्यों के नाम क्या हैं और उनकी विदेश-यात्रा पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

पूर्ति मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) हाल में जो प्रतिनिधि मण्डल, किन्हीं पश्चिम योरोपीय देशों तथा जापान द्वारा दिए गए ऋण से, उर्वरकों की खरीद के सम्बन्ध में विदेश गया था, उसने ब्रिटेन, स्विटजरलैंड, इटली, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, हालैंड और जापान का दौरा किया था ।

(ख) 1969-70 में विभिन्न स्रोतों से 6.91 लाख नाइट्रोजन (एन), 1.07 लाख फास्फेटिक (पी) और 1.08 लाख पोटासिक (क) का आयात करने के लिए जो ठेका किया गया था उसमें से 1970-71 में 4.50 लाख नाइट्रोजन (एन), 0.08 लाख फोसफेट (पी) और 0.84 लाख पोटासिक (के) के लिए ठेके दिए जाने की सम्भावना है।

(ग) प्रतिनिधि मण्डल में (1) पूर्ति मंत्रालय के सचिव, श्री के० राम और (2) पूर्ति मंत्रालय के उप सचिव श्री आर० दयाल थे। ब्रिटेन और पश्चिम योरोप में खरीद के लिए बातचीत करने के लिए लंदन स्थित भारत के उच्चायोग के वित्तीय सलाहकार श्री अजीत मजूमदार प्रतिनिधि मण्डल के तीसरे सदस्य थे, और जापान में खरीद के लिए बातचीत करने के लिए जापान में भारतीय दूतावास के परामर्शदाता श्री आर० जे० असरानी उस प्रतिनिधि मण्डल के तीसरे सदस्य के रूप में थे।

लंदन और टोकियो में प्रतिनिधि मण्डल में जो अधिकारी शामिल हुए थे, उन अधिकारियों पर हुए खर्च को छोड़कर शेष कुल लगभग 79,028 रुपये का खर्च हुआ।

केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों पर खर्च

4570. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 के वर्षों में अर्जित कुल राजस्व के समक्ष केन्द्र सरकार के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों पर कितने प्रतिशत धन खर्च किया गया।

(ख) इसकी तुलना में भारतीय रेलवे में यह प्रतिशत कितनी है ; और

(ग) वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में केन्द्र सरकार के तथा रेलवे के राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों पर, अलग-अलग कुल कितना धन खर्च किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). रेलवे से संबंधित सूचना नीचे दिये अनुसार है :

(i) सकल आय की तुलना में अराजपत्रित कर्मचारियों पर प्रतिशत व्यय

1966-67	39.99%
1967-68	41.00%
1968-69	40.05%

(ii) कर्मचारियों पर कुल व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजपत्रित	अराजपत्रित
1966-67	8.69	309.85
1967-68	9.13	336.72
1968-69	9.47	360.77

रेलवे विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के मामले में राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के बारे में कुल व्यय से संबंधित अलग-अलग सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, क्यों कि जिन वर्तमान लेखा शीर्षों के आधार पर लेखा अधिकारियों द्वारा व्यय के खाते रखे जाते हैं स्वयं उनमें ही इस प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं है। जहां तक ऐसे कर्मचारियों का संबंध है जिनको असैनिक अनुमानों में से भुगतान किया जाता है अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन पर होने वाले व्यय की रकम तो अलग से उपलब्ध होती है किन्तु भत्तों पर होने वाले व्यय की रकम का हिसाब समेकित रूप में रखा जाता है। जहां तक रक्षा विभाग का संबंध है कुछ मामलों में अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर होने वाले व्यय का अलग-अलग ब्यौरा उपलब्ध होता है लेकिन कुछ ऐसे अन्य मामलों में, जिनमें केवल कुल व्यय की रकम की उपलब्ध है, इस प्रकार का ब्यौरा उपलब्ध नहीं होता है। खातों में व्यय दिखाने के वर्तमान तरीके से भिन्न किसी और तरीके से सूचना इकट्ठी करने में समस्त देश में फैले हुए संस्थापनों से संबधित अनेक मूल बिलों को देखना पड़ेगा और उसमें बहुत अधिक श्रम लगेगा जो उपलब्ध होने वाले संभावित परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

नई दिल्ली स्थित रीगल पार्क में सभा आयोजित करने पर जनसंघ पर मुकदमा चलाया जाना

4571. **श्री बे० कु० दासचौधरी :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने जनसंघ द्वारा जून, 1970 में नगरपालिका के प्रस्ताव के उल्लंघन में नई दिल्ली के रीगल पार्क में एक सार्वजनिक सभा करने के कारण उस पर मुकदमा चलाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला निर्णयाधीन है।

कलकत्ता की हैरिंगटन स्ट्रीट का पुनः नामकरण करना

4572. **श्री बे० कु० दासचौधरी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जुलाई, 1970 को महापौर प्रसन्ता सूर ने मध्य कलकत्ता की हैरिंगटन स्ट्रीट का नाम बदलकर होची मिन्ह के नाम पर रखा था ;

(ख) क्या इस बारे में निर्णय किसी समिति ने किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यह निर्णय कलकत्ता निगम ने लिया था । 12 सितम्बर, 1969 को हुई बैठक में निगम ने प्रस्ताव पास किया 'कि इस बारे में सब औपचारिकताओं को छोड़ कर हैरिंगटन स्ट्रीट का नाम होची मिन्ह सारनी कर दियां जाये' । तदनुसार, पहली जुलाई 1970 को महापौर श्री प्रसन्ता सूर ने नामकरण किया ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना के सामने के हिस्से को सुन्दर बनाया जाना

4573. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना नदी के सामने के हिस्से को सुन्दर बनाने की अपनी विशाल योजना को पूरा करने के लिये एक करोड़ रुपया एकत्रित करने के लिये बड़े पैमाने पर धन एकत्रित करने का अभियान चलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में जनता से किस सीमा तक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित यमुना तट विकास कोष बोर्ड द्वारा यमुना नदी के अग्र भाग के विकास हेतु निधियों के लिये एक अपील जारी की गई है । निधियां एकत्रित करने का अभियान अभी आरम्भ नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लेह के बाजारों में चीनी माल का बेचा जाना

4574. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री ई० के० नायनार :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेह के बाजारों में चीन की विलासपूर्ण वस्तुओं की प्रचुर मात्रा में सप्लाई की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो लद्दाख में चीनी माल को चोरी छिपे से लाने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि लेह में एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने के एक प्रस्ताव को त्याग दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यह सच नहीं है कि लेह के बाजारों में चीन-निर्मित विलासिता की वस्तुओं की प्रचुर मात्रा में सप्लाई होती है ।

(ख) लद्दाख में, चीनी माल के तस्कर-आयात को रोकने लिए, सीमा-सुरक्षा दल के अधिकारियों को व्यक्तियों तथा वाहनों की तलाशी लेने तथा चोरी-छिपे लाए गए माल को पकड़ने के संबंध में सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत, कुछ शक्तियां प्रत्य योजित की गई हैं ।

(ग) लेह में विभागीय भण्डार खोलने के किसी भी प्रस्ताव के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

चण्डीगढ़ की सहकारी आवास निर्माण समितियां

4575. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सघ राज्य-क्षेत्र, चण्डीगढ़ में कितनी सहकारी आवास निर्माण समितियां बनाई गई हैं ;

(ख) क्या सरकार ने समितियों को कुछ सहायता दी है ;

(ग) क्या संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ का आवासीय भू-खण्डों को कम आय वाले कर्मचारियों को रियायती दर पर आवंटित करने के प्रस्ताव का सरकार ने अनुमोदन कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) संघ क्षेत्र चण्डीगढ़ में बनी सहकारी आवास निर्माण समितियों की संख्या 156 है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). चंडीगढ़ प्रशासन ने कम आय वाले सरकारी कर्मचारियों को रियायती दर पर प्लाटों के आवंटन के लिए एक योजना तैयार की थी । गत मई में, मेरे विभाग द्वारा की गई टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन से योजना को पुनरीक्षित करने का अनुरोध किया गया था । प्रशासन से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Manufacture of Illicit Liquor in a Delhi Municipal Corporation School

4576. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to press reports to the effect that a big den used for manufacturing illicit liquor has been unearthed in a girls school of Delhi run by the Municipal Corporation of Delhi ;

(b) whether Government are also aware of the fact that such dens have also been

unearthed in several other schools on the basis of the information supplied by the persons arrested in this connection ; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir. As a result of a Police raid on 28.6.1970, thirty-one (31) bottles of illicit liquor and articles for manufacture of liquor were recovered from a Government Girls' Higher Secondary School in Subzimandi, Delhi.

(b) and (c). The arrested persons have not given any information in regard to manufacture of illicit liquor in any other school. However, the local administration are already alert and take suitable steps to curb the activities of the unsocial elements. They also organise raids occasionally in different areas of the city and keep strict watch on the boot leggers.

Government Arrears due from Sheikh Abdullah

4577. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some arrears of the Government of India are due from Sheikh Abdullah and his wife ; and

(b) if so, the amount and the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The expression "Arrears of Government" has a very wide coverage. Enquiries made regarding any house rent dues and from Customs and Central Excise authorities show that no arrears are due from Sheikh Abdullah and his wife. However, certain notices were issued to Sheikh Abdullah under the Income-tax and Wealth Tax Acts and the Income-tax Officer concerned is making investigations as to whether Sheikh Abdullah had any texable income or net wealth. As regards his wife, she is neither an existing income-tax assessee nor have any assessment proceedings been initiated against her.

हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्ज लिमिटेड का उत्पादन नमूना

4578. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एसीटनिलाइड संयंत्र निर्माण करने के उपरांत हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड के उत्पादन नमूने का अध्ययन किया है ;

(ख) वर्ष 1969-70 में हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स में कितने अन्य संयंत्रों का निर्माण किया गया है ; और

(ग) क्या कम्पनी विदेशी सहयोग लेने पर फिर से विचार कर रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सरकार ने अध्ययन के बाद हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि० के उत्पादन नमूने का अनुमोदन कर दिया है ।

(ख) केवल एसीटनिलाइड प्लांट पूरा किया गया है तथा 1969-70 में चालू किया गया; सल्फ्यूरिक एसिड, मेटामिनोफेनोल, एनिलीन, हाइड्रोजन तथा बी० एच० सी० संयंत्रों के इस वर्ष पूरे और चालू होने की आशा है ।

(ग) कम्पनी के संयंत्रों की स्थापना में कोई विदेशी वित्तीय सहयोग शामिल नहीं है। टेंडर आमंत्रित करने से बाद, तकनीकी, संयंत्र और उपकरण की सप्लाई के लिए देशीय एवं विदेशी प्लांट सप्लायर्ज को ठेके दिये गये हैं।

लंदन तथा वाशिंगटन स्थित भारतीय सप्लाई मिशन के विरुद्ध शिकायतें

4579. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन तथा वाशिंगटन स्थित भारतीय सप्लाई मिशन गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों की आलोचना का शिकार बने हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पूर्ति मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं। पूर्ति मिशन गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए खरीद नहीं करते हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Special Amenities to Russian Technicians Working in Soviet-Aided Projects

4580. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain special facilities and privileges, like clubs and swimming pools; have been exclusively provided to the Russians working in the projects being run in India with the Russian collaboration and Indians are not allowed to enter those clubs and swimming pools ; and

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No exclusive recreational facilities have been provided to the Russian working in the Central Government Industries undertakings. In Bokaro Steel City although a club has been provided in the residential area of the Soviet specialists for their use in terms of the contract between Bokaro Steel and the Soviet collaborators, a few Indians are also honorary members of the club.

(b) Does not arise.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्यात

4581. **श्री जय सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार कुल कितने निर्यात-आदेश प्राप्त हुए ;

(ख) उनमें से कितने क्रयादेशों की निर्धारित समय तक पूर्ति नहीं की गई तथा उनका कुल मूल्य क्या है ; और

(ग) ऐसे क्रयादेशों की संख्या क्या है जिनसे संबंधित माल को आयात करने वाले देशों ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे निर्धारित स्तर के अनुरूप नहीं थे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार

के निर्माणकारी उपक्रमों द्वारा वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में किए गए वास्तविक निर्यात का मूल्य क्रमशः 20.23 करोड़ 50.23 करोड़ और 69.48 करोड़ रुपये था। इस सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कुल कितने निर्यात आर्डर प्राप्त हुए, कितनों को पूरा नहीं किया गया (उनके मूल्य सहित) और कितने मामलों में माल रद्द कर दिया गया। इतनी विस्तृत सूचना इकट्ठी करने में जितना परिश्रम करना पड़ेगा, उससे निकलने वाले परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे। निर्यात को प्रोत्साहन देना केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों के कार्य में सुधार लाने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका माना गया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें जोशीली बिक्रीकारी, उत्पादन की किस्म में सुधार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, माल की समय पर डिलीवरी आदि सभी उपाय अपनाने के लिए कहा गया है।

नाईलोन कताई तथा पोलिएस्टर धागा संयंत्र

4582. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाइलोन कताई तथा पोलिएस्टर धागा संयंत्रों के स्थापित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितना वित्तीय व्यय आयेगा ;

(ग) इन संयंत्रों की क्षमता कितनी होगी तथा ये कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ; और

(घ) इन योजनाओं को अन्तिम रूप कब दिया जायेगा तथा इनको कार्यान्वित कब किया जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) सरकार, प्रति वर्ष लगभग 7,500 मीटरी टन की क्षमता तक के नये नाइलोन टैक्स्टाइल फिलामैंड यार्न यूनिटों को लाइसेंस देने पर विचार कर रही है। नाइलोन फिलामैंट यार्न (तन्तु) के निर्माण के संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रार्थना पत्र आमन्त्रित करते हुए, एक प्रेस नोट (जिस की प्रति संलग्न है) 5 जुलाई, 1970 को जारी किया गया था। प्रार्थना-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख 16 अगस्त, 1970 थी। इस के उत्तर में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर सरकार विचार करेगी। पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर के बारे में कोई नई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि इस सामग्री का चौथी योजना के अन्त तक का लक्ष्य अब तक लाईसेंसकृत/अनुमोदित क्षमता द्वारा पूरा हो चुका है।

विवरण

प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो भारत सरकार

प्रेस नोट

नाइलोन टैक्सटाइल फिलामैंट यार्न संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव आमन्त्रित।

भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज (डिवैल्पमैंट एंड रेग्यूलेशन) एक्ट, 1951 के अन्तर्गत प्रयोग-

कर्त्ताओं की सहकारी सोसायटियों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों को शामिल करते हुए उद्यमकर्त्ताओं से, जो प्रति दिन 22 मीटरी टन तक के, या तो एक चरण में (प्रति दिन 12 मीटरी टन) अथवा दो चरणों में (प्रत्येक प्रति दिन 6 मीटरी टन) यूनिट आकार वाले नाइलोन टेक्सटाइल फिलामैंट यार्न (तन्तु) के निर्माण के लिए संयंत्रों की स्थापना के इच्छुक हों, औद्योगिक लाइसेंसों के लिए प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये हैं। प्रार्थना-पत्र के साथ, प्रार्थियों को दूसरी बातों के साथ-साथ निम्न मदों से सम्बद्ध समस्त सूचना देनी पड़ेगी :—

(1) योजना की कुल पूंजी लागत ;

(2) कुल विदेशी मुद्रा आवश्यकतायें साधनों के ब्यौरे तथा आर्थिक व्यवस्था की पद्धति सहित ;

(3) योजना के लिए रुपया-मुद्रा आवश्यकताएं, जिनमें उन साधनों को स्पष्टतया बताया गया हो जहां से इनकी व्यवस्था की जाएगी ; और

(4) उन मूल्यों का अनुमान, जिन पर वे यार्न (तन्तु) को बेचने में समर्थ होंगे और वितरण एवं विक्रय प्रबन्ध जिनको करने की वे आशा करते हैं।

प्रार्थना-पत्र, औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार मन्त्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को 16 अगस्त, 1970 तक पहुंचने चाहिएं।

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय, पैट्रोलियम तथा रसायन विभाग, नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1970।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नए नाइलोन प्लांट्स के बारे में नई योजनाओं के अनुमोदन होने से पूर्व उनको अन्तिम रूप देने की/उनके निर्माण की तिथियां बताना सम्भव नहीं है।

Affiliation of Jodhpur Institute with Sindri Fertilizer Factory

4583. **Shri P. L. Barupal : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Plants of Sindri Fertilizer Factory have not been renovated and modernised ;

(b) if so, the reasons for terminating the services of employees of Jodhpur Institute ;

(c) the steps proposed to be taken by Government to affiliate this institute permanently with the Sindri Fertilizers ; and

(d) the time by which a decision would be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Some steps have been taken for improving the production of The Sindri Fertilizer Factory. An additional Lean Gas Plant has been installed. A Naphtha Gasification scheme has been completed and trial runs are in progress. A scheme to effect a substantial improvement in the working of the Factory known as the Sindri Rationalisation Scheme is also under implementation.

(b) to (d). When the Sindri Rationalisation Scheme is implemented, the Sindri Unit will no longer depend on the mineral gypsum obtained at present from Rajasthan.

Consequently, the mining organisation of F. C. I. in Rajasthan will become surplus. The question of absorption of the employees of the mining organisation has already been taken up and the possibity of absorbing them in other suitable organisatons under the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals is being actively explored.

No employee of Jodhpur Organisation working on activities connected with operation of the Sindri Fertilizer Factory ha been retrenched

भारतीय उद्योगों में जर्मनी का विनियोजन

4584. **श्री सीताराम केसरी :** **श्री देवकी नंदन पाटोदिया :**
श्री नाथपाई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी के हरमन जे० एब्स० मिशन ने भारत में उद्योगों में विनियोजन के लिए जर्मनी के औचित्य के बारे में शंका व्यक्त की है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त मिशन के प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया है ; और

(ग) सरकार ऐसी क्या कार्यवाही करना चाहती है जिससे विदेशी विनियोजकों की शंकाएं दूर हो जायें और भारत में अधिक विदेशी पूंजी-विनियोजन हो सके ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). यह कहना सही नहीं है कि डा० हरमन जे० एब्स० के नेतृत्व में आए मिशन ने भारत के उद्योगों में जर्मन पूंजी के निवेश के औचित्य के बारे में शंका व्यक्त की है। मिशन की रिपोर्ट में, जिसका अध्ययन भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है, ऐसी अनेक बातों का उल्लेख किया गया हैं, जिन्हें वह भारत में गैर-सरकारी पूंजी के निवेश के लिए अनुकूल समझता है। रिपोर्ट में अन्य बातों का भी जिक्र किया गया है जिन्हें वह मिशन उक्त निवेश के मार्ग में बाधा समझता है। अपनी रिपोर्ट में, मिशन ने कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकाला है कि इन बाधाओं के बावजूद भी, भारत में विशेष रूप से दरमियाने आकार वाली और छोटी फर्मों के लिए, सफल संयुक्त उद्योगों की स्थापना के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं।

(ग) सरकार का विचार है कि रिपोर्ट में व्यक्त किए गए विचारों के कारण सरकार की नीति के किसी महत्वपूर्ण पहलू में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को साम्यशेयरों में परिवर्तित करना

4585. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को साम्य शेयरों में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्रों की कम्पनियों ने इस कार्यवाही का विरोध किया है ;

(ग) क्या इससे साम्य शेयर पूंजी निरर्थक नहीं हो जाएगी और साम्य शेयर-धारियों के हितों को हानि नहीं पहुँचेगी ; और

(घ) क्या सरकार का विचार कोई निर्णय लेने से पूर्व इस मामले पर पुनः विचार करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) औद्योगिक लाइसेंस नीति विषयक जांच समिति की सिफारिशों से उत्पन्न "संयुक्त क्षेत्र" की धारणा को सरकार ने सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है और भविष्य में इस बात को सुनिश्चित करने का निर्णय भी किया है कि जिन बड़ी-बड़ी प्रायोजनाओं के लिए सरकारी वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त सहायता मिलती हो, उनके प्रबन्ध में, विशेष रूप से नीति निर्धारण के स्तर पर, सरकार अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा ले । सरकारी वित्तीय संस्थाएं भी, वित्तीय सहायता की अपनी व्यवस्थाओं के अधीन, भविष्य में दिये जाने वाले ऋणों और जारी किये जाने वाले ऋण-पत्रों के पूरे के पूरे या आंशिक भाग को, एक निर्दिष्ट अवधि के अंदर-अंदर सामान्य शेयरों के रूप में परिवर्तित करने के अपने विकल्पाधिकार का प्रयोग करेंगी । पहले दिए गए ऋणों और ऋण-पत्रों के सम्बन्ध में सम्बद्ध वित्तीय संस्थाओं को ऐसे मामलों में परिवर्तन करने के बारे में बातचीत करने का अधिकार होगा जिन के सम्बन्ध में रकम की वापसी समय पर न की जाएगी । किन्तु सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए सावधि ऋणों या उनके द्वारा खरीदे गए ऋण-पत्रों पर फिलहाल इस निर्णय को लागू करने का सरकार का विचार नहीं है ।

(ख) और (ग). वाणिज्यिक क्षेत्रों में सरकार के इस निर्णय की कुछ आलोचना की गई है । इस सम्बंध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिन शर्तों पर सावधि ऋणों/ऋण-पत्रों को सामान्य शेयर पूंजी में परिवर्तित किया जाएगा उनका संस्था और कम्पनी के बीच होने वाले सहायता करार में ही निर्धारित कर लिया जाएगा । ऋणों/ऋण-पत्रों को सामान्य शेयर पूंजी में परिवर्तित करने के विकल्पाधिकार का उपयोग संस्थाओं द्वारा सोच-समझ कर किया जाएगा जिससे कि परिवर्तन किए जाने के समय सामान्य शेयरों के बाजार मूल्य में ऐसा कोई जबर्दस्त उतार-चढ़ाव न आए जिससे कम्पनी और संस्थाओं के सामान्य शेयर-धारियों के हितों पर प्रभाव पड़े, और कम्पनी के ऋण और सामान्य शेयर पूंजी के अनुपात में कोई गम्भीर असंतुलन न हो ।

घेरजी इस्टर्न लिमिटेड, बम्बई

4586. **श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घेरजी इस्टर्न लिमिटेड बम्बई इंजीनियरों की एक परामर्शदाती फर्म है जिसमें वाडियां और एक जर्मनी की कम्पनी का साझा है ;

(ख) यदि हां, तो इस फर्म में कितनी विदेशी पूंजी लगी है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस फर्म के जर्मन साझेदार उसमें लगी विदेशी पूंजी का पचास गुना भारत से पहले ही अपने देश भेज चुके हैं ; और

(घ) क्या उक्त राशि को विदेश भेजने से पूर्व उसके लिए अपेक्षित रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). मैसर्स घेरजी ईस्टर्न लिमिटेड, समवाय अधिनियम के अधीन, भारत में पंजीकृत एक कम्पनी है। 2.8 लाख रुपये की इसकी कुल शेयर पूंजी में से 1.375 लाख रुपये के मूल्य के शेयर (49.2 प्रतिशत) मैसर्स घेरजी टैक्सटाईल आर्गेनाइजेशन, ज्यूरिच (स्विट्जरलैंड) के पास हैं और बाकी नौरोजी वाडिया एंड सस प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं। कम्पनी, कपड़ा मिलों के परामर्शदाता इंजीनियर, वास्तुविद्, सर्वेक्षक आदि के रूप में कारोबार कर रही है।

(ग) 1960 से 1969 के बीच, कम्पनी द्वारा, मैसर्स घेरजी टैक्सटाईल आर्गेनाइजेशन, ज्यूरिच को विदेशी मुद्रा के रूप में 39.57 लाख रुपये की रकमें भेजी गई थीं। यह रकम विदेशी सहयोगकर्त्ताओं द्वारा लगाई गई 1.375 लाख रुपये की रकम के लगभग 29 गुना बैठती है।

(घ) सभी रकमें भेजने की स्वीकति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई थी क्योंकि उनका भेजा जाना दोनों कम्पनियों के बीच किये गये तकनीकी परामर्श-करार के उपलब्धों के अनुरूप था जिसकी स्वीकृति सरकार द्वारा 1960 में दी गई थी। यद्यपि करार की कोई समय-सीमा नहीं थी फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक ने कम्पनी को कहा है कि वह 30 जून, 1970 से, जब करार को किये हुए 10 वर्ष पूरे हो जायेंगे, इस करार को समाप्त कर दे। करार की अवधि को 30 जून, 1970 से आगे बढ़ाने के लिए कम्पनी के प्रार्थना-पत्र पर इस समय विचार किया जा रहा है।

बजट के बाद उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

4537. **श्री लोबो प्रभु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 25 जुलाई के "इकनामिक टाइम्स" में छपे श्री लोबे प्रभु के पत्र में दी गई मूल्य वृद्धि की ओर दिलाया गया है ;

(ख) "रा काफी" के 8.75 रु० से 11.50 रु० बिस्कुट में 6.25 से 8.25 रु० मक्खन में 9.50 से 11.25 रु० चाकलेट में 10.45 से 14.00 रु० वातित पेय में 0.35 से 0.45 रु० नारियल के तेल में 5.40 से 7.25 रु० तक हुई वृद्धि में बजट के पेश होने से पूर्व तथा बाद करों का कितना भाग है ;

(ग) क्या सरकार का विचार औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा इस सम्बन्ध में जांच कराने का है ; और

(घ) क्या ब्यूरो लगाये गये लागत सम्बन्धी अनुमानों को आयकर अधिकारियों को उपलब्ध कर दिया गया है ताकि वे मुनाफे पर कर लगाने के लिए उचित अनुमान लगा सके ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 1970-71 के केन्द्रीय बजट में बिस्कुटों, पास्चराइज्ड मक्खन और बिजली को

सहायता से बनाये जाने वाले सिक्कावन्द वातित पेयों (ब्राडेड ऐरेटेड वाटर्स) पर मूल्य 10 प्रतिशत के उत्पादन शुल्क के लगाये जाने की व्यवस्था थी। थोक मूल्यों के अधिकृत सूचक-अंक के अनुसार 28 फरवरी, 1970 और 25 जुलाई, 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताहों के बीच की अवधि में बिस्कुटों के मूल्यों में 13 प्रतिशत और मक्खन (अमुल) के मूल्यों में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई थीं ; मूल्यों में हुई यह वृद्धि, 25 जुलाई, 1970 के "इकनामिक टाइम्स" में श्री जे० एम० प्रभु के पत्र में बतायी गई वृद्धि की अपेक्षा कम जहां तक वातित पेयों का सम्बन्ध है, बजट प्रस्तुत होने के बाद कोका कोला का मूल्य 40 पैसे प्रति बोतल से बढ़ा कर 45 पैसे प्रति बोतल कर दिया गया था लेकिन बाद में इसे घटाकर 42 पैसे प्रति बोतल कर दिया गया।

"इकनामिक टाइम्स" में प्रकाशित लेख मे कच्ची काफी और नारियल के तेल के जो मूल्य बताये गये हैं, वे थोक मूल्यों के सूचक-अंक तैयार करने के लिए सूचित किये गये मूल्यों से ऊंचे है। लेकिन 1970-71 के बजट में, कच्ची काफी, चाकलेट और नारियल के तेल पर लगे उत्पादन-शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गयी थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि बजट पेश किये जाने के बाद की अवधि में इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, इस वर्ष के बजट में लगाये गये करों और शुल्कों के कारण हुई है। इन वस्तुओं के उत्पादन शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वे वहीं हैं जो पहले थीं अर्थात् कच्ची काफी के मामले में 66 रुपये प्रति क्विटल, बिजली की सहायता से बनायी जाने वाली चाकलेट के मामले में 80 पैसे प्रति किलोग्राम और बिजली की सहायता से निकाले जाने वाले नारियल के परिष्कृत तेल के मामले में 110.25 रुपये प्रति मैट्रिक टन।

(ग) जी नहीं श्रीमान।

(घ) और (ङ). ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

Tempo carrying Stolen Cables caught within Parliament House Precincts

4588. **Shri Shiv Charan Lal :**
Shri P. L. Barupal :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a tempo bearing No. DLL 6911 carrying stolen cable was caught in Parliament House Precincts at about 8 A. M. on the 10th June, 1970 and the authorities were informed of it immediately ;

(b) whether it is also a fact that Section Office concerned has not even been suspended so far in this regard but the persons who detected the theft are being harassed ; and

(c) if so, the details of the enquiry conducted in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) Yes Sir. A tempo bearing No. DLL 6911 carrying dismantled salvaged cables was caught in Parliament House Precincts at about 8.00 A. M. on the 10th June, 1970 and the authorities were informed of it immediately.

(b) The Sectional Officer concerned has been transferred from the Parliament House. No instance of harassment of the persons who detected the case has come to notice.

(c) The investigations made through the Vigilance unit of the Central Public Works

Department has indicated that there is a *prima facie* case of malafide intention with an attempt to misappropriate the salvaged cables and it is proposed to initiate proceedings against the person concerned for a major penalty.

भारत से पाकिस्तान को कोयले की और पूर्वी पाकिस्तान से भारत को पटसन की तस्करी

4589. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ समय से पश्चिम बंगाल सीमा स्थित सीमा अधिकारियों की साँठ गांठ से भारत से पाकिस्तान को कोयले की और पूर्वी पाकिस्तान से भारत को पटसन की तस्करी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों में कितनी मात्रा में यह माल पकड़ा गया और इसका मूल्य कितना है ; और

(ग) इस तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). यह सच नहीं है कि पश्चिम बंगाल के सीमा अधिकारियों की सांठ-गांठ से भारत से पाकिस्तान को कोयले का तस्कर निर्यात और पूर्व पाकिस्तान से भारत को पटसन का तस्कर आयात हो रहा है । जब कि पश्चिम बंगाल में भारत-पाकिस्तान सीमा पर पिछले दो वर्षों में कोयला पकड़े जाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, पिछले दो वर्षों में इस सीमा पर पकड़े गये पटसन की मात्रा और मूल्य नीचे दिये अनुसार हैं ;

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1968	16 क्विंटल	3,488 रुपये
1969	15 क्विंटल	1,645 रुपये

(ग) भारत-पाकिस्तान सीमा पर निषिद्ध वस्तुओं के तस्कर आयात निर्यात को रोकने के लिए निम्न उपाय किये गये हैं ;

सूचना एकत्र करने और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करने की सुव्यवस्था जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात-निर्यात का सन्देह है उन पर निगरानी रखना, जिन जहाजों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना और स्थल सीमाओं के सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की गश्त की व्यवस्था । सीमा सुरक्षा दल के अधिकारियों, सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं ताकि वे लोगों की और वाहनों की तलाशी ले सकें और निषिद्ध वस्तुओं को पकड़ सकें । इन उपायों की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

कलकत्ता की जनता के लिये खारा पेय जल

4590. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, फरक्का बांध के पूरा होने तक कलकत्ता के लोगों को खारा पानी पीना पड़ेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि यह सही नहीं है कि कलकत्ता के लोगों को खारा पानी पीने के लिए बाध्य किया जाता है। तथापि, अत्यधिक सूखे के दिनों में विशेषत: मई के मध्य से बरसात शुरू होने से ठीक पूर्व, जून के प्रथम सप्ताह तक हुगली नदी से सप्लाई के हेतु लिए गये कच्चे पानी का खारापन $\frac{3}{4}$ दिनों में अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है। इससे कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है किन्तु $3\frac{1}{2}$ दिनों की खपत की क्षमता वाले जलाशय के पानी के घुल जाने से पीने के लिए दिये जाने वाले इस हुगली के पानी का खारापन घट जाता है। फरक्का बांध के तैयार हो जाने पर यह कठिनाई भी दूर हो जायेगी।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाना

4591. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्ति को कितने रजिस्टर बनाने पड़ते हैं, और उसके क्या कारण हैं ;

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क देने वाले व्यक्ति को कितने फार्म प्रस्तुत करने पड़ते हैं और किसको प्रस्तुत करने पड़ते हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अदा करने वाले व्यक्ति को कितने रजिस्टर रखने होते हैं—यह बात उस व्यक्ति के रोजगार से संबधित वस्तु/वस्तुओं और उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों के स्वरूप पर निर्भर करती है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अदा करने वाले व्यक्तियों की मोटे तौर पर निम्नलिखित तीन श्रेणियाँ हैं :

(i) अनिर्मित उत्पादन को तैयार (क्योर) करने वाला ;

(ii) अनिर्मित उत्पाद का ऐसा थोक व्यापारी जिसके पास माल गोदाम का लाइसेंस हो;

(iii) निर्माता।

निर्धारितियों की इन श्रेणियों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली 1944 के अधीन जो रजिस्टर रखने होते हैं उनकी संख्या संलग्न अनुबन्ध-पत्र-I में दी गई है। जब कभी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के किसी निर्धारिती को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी के सम्बन्ध में कोई विशेष रियायतें मिली होती हैं तो उसे कुछ और रजिस्टर भी रखने पड़ते हैं। ऐसे रजिस्टरों की संख्या अनुबन्ध पत्र-ii में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4113/70]

वे रजिस्टर इस बात का इतमीनान करने के लिए रखे जाते हैं कि उत्पादन शुल्क लगने योग्य सभी उत्पादित वस्तुओं का ठीक ठीक हिसाब-किताब रखा जाता है और उन उत्पादों पर देय शुल्क की निर्धारिती द्वारा अदायगी की जाती है। जहां कहीं अपेक्षित होता है, कच्चे माल का हिसाब-किताब रखा जाता है जिससे कि उससे निर्मित तैयार माल के साथ, इस्तेमाल किये गये कच्चे माल का मिलान किया जा सके।

जहां निर्मित उत्पादों के निर्धारिती अपने निजी खाते रखते हैं, जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त समझे जाते हों, उन्हें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रयोजनों के लिए कोई अन्य खाते रखने से छूट दी जा सकती है ।

(ख) सम्भवतः प्रश्न में उल्लिखित फार्मों की संख्या का सम्बन्ध निर्माण के स्थान, भंडार आदि से शुल्क अदा करके उत्पादन शुल्क लगने योग्य वस्तुओं की निकासी के सम्बन्ध में इस्तेमाल किये जाने वाले फार्मों की संख्या से है । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अदा करने वाले व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे फार्म प्रस्तुत करने आवश्यक होते हैं, वे अधिकारी जिन्हें ये फार्म प्रस्तुत किये जाने होते हैं और इन फार्मों के उद्देश्यों की सूची संलग्न अनुबन्ध-पत्र III में दी गयी है [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 4113/70]

(ग) जो रजिस्टर और फार्म रखे जाने और प्रस्तुत किये जाने होते हैं उनकी बनावट ऐसी होती है कि उन्हें बिना किसी कठिनाई के रखा और भरा जा सकता है। फिर भी इन्हें और अधिक सरल बनाने की आवश्यकता को बराबर ध्यान में रखा जाता है । इस प्रयोजन के लिए स्वनिर्धारण पर निकासी कार्यविधि के लिए एक उप समिति भी है जिसके अधीन केवल अनिर्मित तम्बाकू को छोड़, उत्पादन शुल्क लगने योग्य सभी वस्तुयें आती हैं और उप समिति केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के निर्धारितियों द्वारा रखे जाने वाले फार्मों और रजिस्टरों की नियतकालिक जांच करती है और जहां कहीं आवश्यक होता है उनमें सुधार लाने तथा उन्हें युक्ति युक्त बनाने के लिए सुझाव देती हैं ।

विदेशी तकनीशनों पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा

4542. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी तकनीशनों को नियोजित करके प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है ;

(ख) विभिन्न प्रकार के उद्योगों में नियोजित ऐसे तकनीशनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे तकनीशनों की संख्या को धीरे-धीरे कम करने का है अथवा क्या आधुनिक तथा क्या विकसित मशीनों की स्थापना से इस संख्या में वृद्धि होने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विदेशी तकनीशनों पर विदेशी मुद्रा का खर्च, विदेशी मुद्रा में किये गये भुगतानों और उनको भारत में रुपये में दिये गये वेतन में से बाहर धन भेजने के लिए दी गयी सुविधाओं, दोनों ही कारणों से होता है । इस श्रेणी के विदेशियों के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ; अतः मांगी गयी सूचना देना सम्भव नहीं होगा ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

(ग) यद्यपि सरकार की सामान्य नीति यह है कि कम से कम विदेशी तकनीशनों को नियुक्त किया जाय, परन्तु उद्योग के किसी विशेष क्षेत्र में विदेशी तकनीशनों को नियुक्त करना या न करना उस उद्योग की स्थिति पर निर्भर करेगा ।

Levy of Octroi Duty on Goods Brought into Major Cities in West Bengal

4593. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the last meeting of the Consultative Committee of Members of Parliament on West Bengal, a decision has been taken to levy octroi duty on all goods brought into the major cities of West Bengal ;

(b) if so, the reasons for levying the octroi duty ; and

(c) the income likely to accrue therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The consultative Committee on West Bengal Legislation approved the proposal to levy taxes on entry of goods of certain kinds into Calcutta Metropolitan Area for consumption, use or sale therein, during its meeting held at New Delhi on the 10th June 1970. A President's Act called "The Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Area Act 1970", has since been enacted with effect from 13th August 1970.

(b) The levy of Octroi is considered necessary to supplement the resources of local bodies and to finance various development schemes in the area.

(c) It is estimated that this tax would bring an income of Rs. 44 crores during the remaining period of the Fourth Five Year Plan.

Ceiling on Relief in Famine-Hit Areas in Rajasthan

4594. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Government of Rajasthan has suggested to the Central Government that effective steps should be taken for providing relief to the famine-striken areas by fixing a ceiling thereon ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The reference is perhaps to a request received from the Government of Rajasthan recently for reconsideration of the ceiling of expenditure on drought relief measures in the State in 1970-71. It has already been decided to depute a Central team to assess the present situation and requirement of funds for such relief measures, for purposes of Central assistance.

Loans to Small Farmers from Nationalised Banks

459 . **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to advance loans to the tune of rupees one hundred fifty crores to the farmers from the nationalised banks ;

(b) if so, the number of small farmers who have so far been given loans out of the amount earmarked for this purpose ;

(c) whether Government propose to advance loans to the Harijans and other landless persons also who are doing cultivation as tenants and are unable to purchase land for want of money ; and

(d) if so, the criterion adopted for advancing loans to them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). No fixed target has been fixed for loans to be given by the nationalised banks to farmers, nor has any amount been earmarked for this purpose. The banks will meet the credit needs of all persons engaged in viable productive endeavour, including farmers, subject to the availability of resources. During the period between end of June 1969 and end of May, 19,0 the public sector banks had increased their direct assistance to farmers by Rs. 104.51 crores.

Data are not readily available separately for the small farmers financed by the nationalised banks. The number of accounts of direct financing for agriculture by public sector banks increased from 171,880 by the end of June 1969 to 574,819 by the end of May, 1970. The average amount of loan per borrowal account worked out to Rs. 2500/- indicating that, by and large, the advances were to small and middlesized farmers.

(c) and (d). There are no restrictions regarding granting of advances by the nationalised banks to Harijans and other tenants. Short-term credit to purchase inputs, etc. is made available to tenants and land owners including Harijans. The security of land is not a necessary conidtion for such advances for short-term production purposes. Security assumes importance in the case of term loans for purposes such as digging of wells, sinking tubewells, installing of pump-sets, etc., in which case the assets available with the farmer, including land, are generally obtained as security for the advances.

As the demand for credit in agriculture is large and the rosources of the banks are limited, priority in agricultural lending is given to loans for productive purposes. Loans for the acquisition of land are given a relatively low priority. The criterion adopted for advancing loans does not differ in the case of Harijans and others. The viable and productive nature of the enterprise is the major consideration in granting loans.

"Loan from Canada for Procurement of Wheat, Fertilizer and Machinery"

4596. **Shri Jageshwar Yadav :**
Shri N. R. Laskar :

Will the Ministers of Finance be pleased to state :

(a) whether Government propose to secure a loan of nine and a half crore dollars from Canada ;

(b) if so, whether the said loan would be in the form of cash or in kind :

(c) the period within which the said loan will be repaid and the terms and conditions governing its repayment ; and

(d) whether Government propose to procure wheat, fertilizers and machinery with the said loan ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). The Government of Canada indicated the following assistance to India totalling to C$ 94.5 million (Rs. 65.6 crores) for the year 1970-71 ;—

(i) C$ 37 million (Rs. 25.7 crores) as development loan assistance ;

(ii) C$ 12.5 million (Rs. 8.7 crores) as exports credit assistance through Canadian Export Development Corporation (EDC) ; and

(iii) C$ 45.0 million (Rs. 31.2 crores) as food grants.

Regarding (i) above, two loans have so far been signed for a total amount of C$ 30 million (Rs. 20.8 crores) for purchase from Canada of commodities such as Copper, Zinc, Asbestos, Rapeseed, etc. These development loans are repayable over a period of 5 years inclusive of a grace period of 10 years and are free of interest or any other service charge.

Regarding (ii) above, the Export Development Corporation pledge of C$ 12.5 million (Rs. 8.7 crores) will be mostly used to cover loons already authorised by that Corporation.

Regarding (iii) above, Canada has already authorised food aid on grant terms for the supply of wheat.

सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उत्पादकता के लिये वित्तीय प्रबन्ध

4597. **श्री लोबो प्रभु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 जुलाई, 1970 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित एक ऐसे मामले के संदर्भ में, जिसके अनुसार सिण्डीकेट बैंक द्वारा लगाई गई पूंजी के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई और शिक्षा, गृह-निर्माण तथा पूंजी, निवेश पर व्यय में कमी हुई, मंत्रालय ने अन्य बैंकों द्वारा कृषि के लिए वित्तीय प्रबन्ध करने की स्थिति की जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की है ;

(ख) बैंक और सहकारी संस्थाओं द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी पर क्रमशः ब्याज की दरें क्या हैं, और क्या सहकारी समितियां बैंकों की अपेक्षा नुकसान में रही हैं और जिसके कारण ऋण लेने वाले व्यक्तियों के दायित्वों में वृद्धि हुई है ; और

(ग) दोनों सरकारी एजेन्सियों में प्रतिस्पर्धा और दुहरे कार्य, जैसा भी मामला हो, को रोकने के लिए बैंक के वित्तीय प्रबन्ध को सहकारी समितियों के माध्यम से न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) अध्ययन कार्य में अपनायी गयी कार्य-पद्धति तथा उत्पादकता के सम्बन्ध में निकाले गये निष्कर्ष संदेहास्पद हैं। जहां तक रकमों को अन्य मदों में लगाने की सम्भावना का सम्बन्ध हैं, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कहा गया है कि ऋण के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अपने पर्यवेक्षण कार्य में तेजी लायें।

(ख) और (ग). अन्तिम ऋणकर्ता को सामान्यतः सहकारी संस्थाओं से 8 से 10 प्रतिशत तक तथा वाणिज्यिक बैंकों से 8½ से 9½ प्रतिशत तक की ब्याज दरों पर उत्पादन-ऋण मिलता है। हाल में लिए गये एक निर्णय में यह सिद्धांत रूप में मान लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक ऊंची दरों के मुकाबले, जो कि सम्पन्न वर्गों को दिये जाने वाले ऋणों पर लागू की जा सकती हैं, अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों को रियायती दरों पर ऋण दिया जायगा। विस्तृत ब्यौरा तैयार करने के लिए एक समिति स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह निर्णय, किसानों को दिये जाने वाले ऋणों के मामले में भी लागू होता है। जहां तक दो अभिकरणों द्वारा वित्त प्रबन्ध किए जाने से उन्हीं ऋणकर्ताओं के दायित्वों में वृद्धि होनें का सम्बन्ध है, सम्भवतः माननीय सदम्य का संकेत दुहरे वित्त प्रबन्ध की ओर है। इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करनें के लिए कि कृषक-ऋणकर्ताओं के लिए जरूरत से अधिक अथवा दुहरा वित्त प्रबन्ध न हो, कृषि वित्त निगम लिमिटेड ने, कृषि-वित्त के क्षेत्र में, वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के कायक्रमों में समन्वय तथा एकीकृत कार्यपद्धति की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए 1968 में राष्ट्रीय स्तर पर एक परामर्शदात्री समिति की स्थापना की थी। इस समिति ने, इन दोनों अभिकरणों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कुछ स्थूल मार्गदर्शक सिद्धांतों का सुझाव दिया है। कुछ राज्यों में, राज्य स्तर पर समन्वय

समितियों की स्थापना भी की गयी है। रिजर्व बैंक इस समिति के साथ गहरा सम्पर्क बनाए रखता है।

कृषि क्षेत्र की जरूरतें इतनी अधिक हैं कि सहकारी संस्थाएं उन्हें पूरा करने में असमर्थ हैं क्योंकि एक तो उनके पास पर्याप्त साधनों का अभाव है और दूसरे उनकी रकमें ऋणकर्ताओं से समय पर नहीं मिल रही है। इस सम्बन्ध में, एक बहु-अभिकरण पद्धति मंजूर की गयी है। इसलिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि बैंकों द्वारा सारा वित्त-प्रबन्ध सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाय। किन्तु, एक अस्थायी उपाय के तौर पर, तथा एक प्रारम्भिक प्रायोजना के रूप में, पांच राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पचास जिलों के उन क्षेत्रों में, जहां केन्द्रीय सहकारी बैंक वित्तीय और प्रशासनिक दृष्टि से कमजोर है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए वित्त प्रबन्ध किये जाने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की गयी है। जब तक सम्बद्ध केन्द्रीय सहकारी बैंकों की स्थिति सुदृढ़ नहीं हो जाती तथा वे, इन समितियों के लिए वित्त प्रबन्ध करने का समुचित कार्य-भार अपने हाथ में लेने के लिए पुनः सक्षम नहीं हो जाते, तब तक वाणिज्यिक बैंक इन जिलों में, उन सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से वित्त प्रबन्ध करते रहेंगे जो इन बैंकों को सौंपी गई है। इसके बाद वाणिज्यिक बैंक, किसानों के लिए प्रत्यक्षरूप से वित्त-प्रबन्ध करने का अपना सामान्य काम फिर से करने लगेंगे।

वाणिज्यिक बैंक सामान्यतः अपने ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखना अधिक पसन्द करते हैं। यही वह तरीका है जिसके जरिये वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को अच्छी तरह से जान सकते हैं और अपनी जमा रकमों में वृद्धि कर सकते हैं। ऋण देना ही उनका एक मात्र उद्देश्य नहीं है। यदि सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण दिया जाता रहा तो ग्राहकों के साथ उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध टूट जायगा और जमा के लिए रकमें जुटाने के काम पर भी इसका कुप्रभाव पड़ेगा।

प्रतिरक्षा लेखा कार्यालयों के लेखा अधिकारियों का स्थानान्तरण

4598. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** **श्री ए० दीपा :**
श्री क० लकप्पा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान/स्थायी निर्देशों के अधीन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेश सामान्यतः शिक्षा वर्ष के अन्त में जारी किये जाते हैं ताकि उन कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा में बाधा न पड़े ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि प्रतिरक्षा लेखा कार्यालयों के बड़ी संख्या में लेखा अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश जो कि इस समय जारी किये जा रहे हैं, सदैव की भांति शिक्षा वर्ष के अन्त तक नहीं रोके जा सकते ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस समय इस प्रकार की कोई हिदायतें नहीं हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता। लेकिन शैक्षिक

वर्ष के दौरान स्थानान्तरण के आदेश केवल तभी दिये जाते हैं जब ऐसा करना प्रशासनिक कारणों से नितान्त आवश्यक हो जैसे कष्ट साध्य जन प्रिय स्थानों से वापस स्थानान्तरण या दयाजनक कारणों से बाहर भेजे जाने या कार्यभार आदि के बढ़ जाने से अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ने के कारण होने वाली अदला-बदली ।

दिल्ली की झोंपड़ियों को केन्द्रीय अनुदान देना

4599. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने दिल्ली में झुग्गियों के लिए 22 लाख रुपयों का अनुदान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह धन दिल्ली प्रशासन को दिया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). जी, हां । 22.50 लाख रुपये की राशि दिल्ली प्रशासन को दी गई थी, जिन्होंने अब उसे झुग्गी-झोंपड़ी हटाओ योजना के कार्यान्वियन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को दे दिया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चण्डीगढ़ एक स्वच्छ नगर बनाना

4600. **श्री श्रीचन्द गोयल : क्या स्वास्थ्य तथा परिपार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ को एक स्वच्छ नगर बनाये रखने की दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इस मामले में जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) चण्डीगढ़ प्रशासन ने बतलाया है कि स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में 416 स्वीपरों और 13 सनेटरी जमादारों का स्टाफ शहर को साफ रखने के काम में लगा है । सैक्टर 1 से 12, 16, 18, 22 और सैक्टर 23 के आधा भाग में घर-घर से कूड़ा उठाने की सेवा प्रारम्भ कर दी गई है । अन्य सेक्टरों में कूड़ा कूड़ाघरों से सप्ताह में दो बार उठाया जाता है ।

(ख) इस कार्य में लोगों का सहयोग प्राप्त करने तथा उन्हें शिक्षित करने के उद्देश्य से समय-समय पर सफाई पखवाड़े/सप्ताह मनाये जाते हैं । इस अवधि में जन-सहयोग चाहने बाबत इश्तिहार बांटे जाते हैं । इसके इलावा व्यापक स्थानीय लोकप्रियता वाले समाचार-पत्रों में विज्ञापन निकाले जाते हैं ।

Assessment of Requirement of Doctors during Fourth Five Year Plan

4601. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether Government have made any assessment of the requirements of doctors in the country during the Fourth Five Year Plan on the basis of the demand of various departments ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). No assessment of the requirements of doctors in the country during the Fourth Five Year Plan on the basis of demands of various departments and sectors has been made. The Health Survey and Planning Committee, popularly known as the Mudaliar Committee recommended a norm of one doctor for 3500 people by the end of the Fourth Plan. The estimated population in 1973-74 is likely to be 598.62 million and on this basis the requirement of doctors for the country has been worked out as 1,70,870. According to the estimates based on the expected out-turn and attribution due to deaths, retirement, migration etc., the number of doctors likely to be available by 1973-74 is 1,37,930 giving a ratio of 1:4300 approximately. The number of active doctors estimated during 1968-69 was 1,02,520. This means that during the Fourth Five Year Plan, there will be a net addition of 35,410 doctors.

सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने के बारे में पश्चिमी बंगाल की सरकार को जारी किये गये निदेश

4602. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान का पुनरीक्षण करने के लिये करोड़ रुपयों की व्यवस्था न करने का निदेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं । पश्चिम बंगाल सरकार के 1970-71 से संबंधित व्यय-अनुमानों में, जो संसद में पहले ही पेश किये जा चुके हैं, इस प्रयोजन के लिये 9 करोड़ की एतदर्थ व्यवस्था विद्यमान है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Installation of Statue of Netaji Subash Chandra Bose in Edward Park, Delhi

4603. **Shri Chandrika Prasad :**
Shri Samar Guha :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the decision to install Netaji Subash Chandra Bose's statue in Edward Park, Delhi was taken long ago ;

(b) if so, the reasons for not installing the statue so far ; and

(c) the time by which the statue is expected to be installed ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) No, Sir. The Central Goverment have taken no such decision.

(b) and (c). Do not arise.

डाक्टरी शिक्षा में एकरूपता

4604. **श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल में राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे नई दिल्ली में हाल में हुए सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार डाक्टरी शिक्षा में एकरूपता लाने के लिये शीघ्र कार्यवाही करें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में उनसे क्या उत्तर मिला है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). दिल्ली में हाल ही में आयोजित चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन की सिफारिशों पर 23 और 24 जुलाई को औरंगाबाद में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की कार्यकारिणी समिति ने और आगे विचार किया तथा उन्हे अनुमोदित कर दिया। उनकी सिफारिशों पर अब भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और इसके पश्चात् उन्हें राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के पास भेज दिया जायेगा।

परिवार नियोजन में प्रगति

4605. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, और आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन की प्रगति की सफलता आंकने के दृष्टिकोण से सरकार ने अब तक भारत में 18 वर्ष से निचे, 15 वर्ष से नीचे तथा 10 वर्ष से नीचे तथा 5 वर्ष से नीचे वाले आयु समूह में व्यक्तियों की संख्या बताने वाले आंकड़े इकट्ठे किये हैं तथा ये आंकड़े कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ; और

(ख) वर्ष 1969 के अन्त में भारत की जनसंख्या का नवीनतम अनुमान क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) हाल ही में कोई आंकड़े एकत्र नहीं किए गए हैं। तथापि "भारतीय ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में प्रजनन और मृत्यु की विभिन्न दरों" पर मार्च 1969 में प्रकाशित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट की उन्नीसवीं शृंखला (जुलाई 1964 जून 1965) में जो विवरण दिया गया है वह इस प्रकार है :—

नगर और ग्राम क्षेत्रों में आयुसमूह-वार जनसंख्या की प्रतिशत वितरण

आयुसमूह	ग्रामीण (प्रतिशत)	नगरीय (प्रतिशत)
5 वर्ष से कम	14.78	13.55
10 वर्ष से कम	30.20	27.77
15 वर्ष से कम	43.06	40.75
*20 वर्ष से कम	50.81	50.08

(ख) जनसंख्या अनुमान विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1 मार्च 1970 को भारत की अनुमानित जनसंख्या 54,60,42,000 थी।

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड को पूर्ण चुकाये गए साधारण शेयरों को जारी करना

4606. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आक्सीजन लिमिटेड ने 15,40,000 और अधिक पूर्ण चुकाए गए साधारण शेयरों को जारी करने के लिये पूंजी निर्गमन नियंत्रक की सहमति और रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अनुमोदन के लिये आवेदन किया है कि ताकि उसे कम्पनी के सदस्यों को जिनके नाम कम्पनी के शेयरों के रजिस्टर में है, बोनस शेयर के रूप में दिया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी को ऐसी सहमति और अनुमोदन दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो ब्रिटिश आक्सीजन कम्पनी ब्रिटेन इस कम्पनी के कुल शेयरों का कितने प्रतिशत लेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड ने, शेयर प्रीमियम और सामान्य प्रारक्षित निधि में से 154 लाख की रकम पूंजीकृत करने और अपने वर्तमान शेयरहोल्डरों के नाम, उनके द्वारा धारित प्रत्येक तीन शेयरों पर एक नये सामान्य शेयर के अनुपात से पूर्णतया चुकता बोनस शेयर जारी करने के लिए, अभी हाल में, पूंजी निर्गम (नियन्त्रण) अधिनियम 1947 के अन्तर्गत, पूंजी निर्गम नियन्त्रक की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

(ख) उक्त कम्पनी का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) इस समय इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के लगभग 66.06 प्रतिशत शेयर, नियंत्रक कम्पनी अर्थात् ब्रिटिश आक्सीजन कम्पनी लिमिटेड, ब्रिटेन के पास है।

*18 वर्ष से कम आयु का अनुपात उपलब्ध नहीं है क्योंकि समूह 20 वर्ष से कम आयु का है।

सरकारी उपक्रमों के शेयरों का जनता द्वारा खरीदा जाना

4607. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि सरकारी उपक्रमों के कुछ शेयर जनता में बेचे जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों की सामान्य शेयर-पूंजी में योगदान के लिये जनता को आमंत्रित करने का सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। परन्तु यहां यह बतला दिया जाय कि केन्द्रीय सरकार के कुछ ऐसे उपक्रम भी हैं जिनमें गैर-सरकारी सामान्य शेयर-पूंजी लगी है। ऐसी स्थिति कुछ ऐतिहासिक कारणों से आई है जैसे गैर-सरकारी संगठन को हाथ में लेना, सहयोग-करार में ऐसी शर्त का होना, आदि।

चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन्स की प्रबन्ध समितियों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य प्रबन्धकों का चुनाव

4608. **श्री मयावन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्णय किया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन्स के सदस्य बन सकते हैं तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य प्रबन्धक उनकी प्रबन्धक समिति में चुनाव लड़ सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के इस निर्णय से दोनों को कहां तक सहायता मिलने की सम्भावना है ;

(ग) क्या सभी लोगों द्वारा इस निर्णय का स्वागत किया गया है ; और

(घ) ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सरकारी उद्यमों को सूचित किया गया है कि उनके, उन उद्योगों के, जिनसे उनका सम्बन्ध है, औद्योगिक और व्यावसायिक संघों के सदस्य बनने पर सामान्यतः कोई पाबन्दी नहीं है जैसाकि इस बात से जाहिर है कि बहुत से उद्यमों के मामले में, उनकी अन्तर्नियमावली में इस बात की विशिष्ट रूप से व्यवस्था की गयी है। सरकारी उद्यमों का ध्यान राष्ट्रीय श्रम आयोग की इस सिफारिश की ओर भी दिलाया गया है कि सरकारी उपक्रमों को अपने सम्बद्ध औद्योगिक संघों में शामिल होने के लिये प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भी यह सूचित किया गया है कि इन मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के, विशुद्ध औद्योगिक अथवा व्यावसायिक संघों की प्रबन्धक समितियों के सदस्य बनने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह महसूस किया जाता है कि किसी उद्योग-विशेष की समस्याओं का हल ढूंढने में

सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र के उस उद्योग के हित परस्पर एक-सामान होते हैं, और औद्योगिक क्षेत्र में, नेता होने के नाते, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिये यह आवश्यक है कि वे उस उद्योग के क्षेत्र में, जिससे उनका सम्बन्ध हो, और उसके जरिये उपलब्ध होने वाले और अधिक व्यापक क्षेत्र में, उपर्युक्त भूमिका निभा सकें।

(ग) हालांकि सरकार ने यह पता नहीं लगाया है कि इस फैसले के सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रियाएं हुई हैं, लेकिन यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि इसके परिणामस्वरूप सम्बद्ध व्यक्तियों में कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई है।

सरकारी उपक्रमों के शेयर जनता को बेचा जाना

4609. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसरण में सरकार का विचार आम जनता तथा सरकार में भावनात्मक एकता बढ़ाने के विचार से जनता को सरकारी उपक्रमों के शेयर खरीदने को आमंत्रित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या सही-सही निर्णय किया गया है ; और

(ग) जनता में किन विशिष्ट उपक्रमों के शेयरों का विक्रय किया जा रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का संकेत प्रशासनिक सुधार आयोग की किस सिफारिश की ओर है। प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में ऐसी कोई सिफारिश की गयी प्रतीत नहीं होती जिसके अनुसार आम जनता को सरकारी उपक्रमों के शेयर खरीदने के लिए कहा गया हो।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बारे में लोक-उद्योग में प्रकाशित लेख

4610. **श्री रवि राय :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लोक उद्योग सरकारी उद्यम ब्यूरो सरकारी मासिक पत्रिका में प्रकाशित एक आलोचनात्मक लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इस तथ्य का पता है कि उक्त सम्पादक का मत यह है कि अकुशलता के कारण अतिरिक्त उत्पादन इस कारण जो कार्य अकुशलता हुई, लक्ष्यों में कमी हुई है और वित्तीय हानि भी बहुत हुई है ; और

(ग) इन बाधाओं को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान। सरकार को "लोक उद्योग" पत्रिका के जून, 1970 के अंक में पत्रिका के सेवा-निवृत्त

होने वाले सम्पादक द्वारा लिखित हस्ताक्षरयुक्त लेख की जानकारी है। इस सम्पादकीय लेख में सेवा-निवृत्त होने वाले सम्पादक के व्यक्तिगत मत व्यक्त किये गये थे और यह आवश्यक नहीं कि सरकार के मत भी वही हों, जैसाकि उस लेख में स्वीकार किया गया है।

(ग) सरकारी उद्यमों के सामने जो समस्याएं हैं और उनकी जो कमिया हैं, सरकार को उनकी जानकारी है तथा उसने निम्नलिखित कार्य करके उनके कार्यचालन में सुधार करने के लिये कई उपाय किये हैं :—

(क) उत्पादन में विविधता लाना ;

(ख) निर्यात को प्रोत्साहन देना ; और

(ग) प्रबन्ध और कार्यचालन सम्बन्धी कुशलता में वृद्धि करना।

धातु कर्म कोयला खाने

4611. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कौन-कौन सी धातु कर्म कोयला खाने हैं ;

(ख) क्या देश में धातु कर्म कोयले का उत्पादन करने वाली खानों का नियन्त्रण ऐसी कम्पनियों द्वारा किया जाता हैं जिनके शेयर विदेशियों के पास है ;

(ग) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उन व्यक्तियों के नाम क्या है जिनके पास अधिक शेयर हैं ; और

(घ) क्यां सरकार का विचार ऐसी खानों को अपने नियन्त्रण में लेने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) धातुकर्मी कोयला उत्पादन कर रही खानों के नाम संलग्न विवरण में दिये हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या** एल० टी० 4114/70]

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी वित्तीय संस्थाओं से धन लेने वाली गैर-सरकारी कम्पनियों पर नियंत्रण

4612. **श्री मणिभाई जे० पटेल : श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उन गैर-सरकारी कम्पनियों पर सरकारी नियंत्रण रखने की योजना बनाने पर विचार कर रही है जिनको राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी वित्तीय संस्थाओं से धन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार एक ऐसा सार्थसमूह बनाने का है जिसके पास गैर-सरकारी कम्पनियों में राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी वित्तीय संस्थाओं के सभी शेयरों को एकत्र करके ऐसी कम्पनियों के कार्य में अधिक प्रभावी ढंग से रुचि लेने के लिए पर्याप्त अधिकार होंगे ; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). औद्योगिक लाइसेंस नीति विषयक जांच समिति की सिफारिशों से उत्पन्न 'संयुक्त क्षेत्र' की धारणा को सरकार ने सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है । यह सुनिश्चित करने का निर्णय भी किया गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा प्रायोजित जिन बड़ी-बड़ी प्रायोजनाओं के लिए सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा पर्याप्त सहायता मिलती हो उनके प्रबन्ध में, विशेषरूप से नीति निर्धारण के स्तर पर सरकार अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा ले ।

इस उद्देश्य से कि कम्पनियों के प्रबन्ध में सरकारी हिस्सा बढ़ाया जा सके, सरकारी वित्तीय संस्थाएं भी, वित्तीय सहायता सम्बन्धी व्यवस्था के अधीन, भविष्य में दिये जाने वाले ऋणों और जारी किए जाने वाले ऋणपत्रों को एक निर्दिष्ट अवधि के अन्दर अन्दर, सामान्य शेयरों के रूप में परिवर्तित करने के अपने विकल्पाधिकार का प्रयोग करेंगी । जहां तक कम्पनियों को पहले दिये गये ऋणों और उनके नाम पहले जारी किये गये ऋणपत्रों का सम्बन्ध है उन्हें सामान्य शेयरों में परिवर्तित करने के बारे में, सम्बद्ध वित्तीय संस्थाओं को, अपनी इच्छानुसार उन कम्पनियों के साथ बातचीत करने का अधिकार होगा जिन्होंने निर्धारित समय पर ऋण वापस नहीं किया हो । किन्तु सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मंजूर किये गये सावधि ऋणों या उनके द्वारा खरीदे गये ऋण-पत्रों पर फिलहाल इस निर्णय को लागू करने का सरकार का विचार नहीं है ।

इस नयी नीति को कुछ समय तक लागू किये जाने के बाद, दीर्घावधिक ऋण देने वाली सरकारी वित्तीय संस्थाएं, पर्याप्त संख्या में सामान्य शेयरों की मालिक बन जायेंगी । इस समय, औद्योगिक वित्त निगम जैसी सावधि ऋण देने वाली संस्थाओं पर इस बात का प्रतिबन्ध है कि वे सहायता-प्राप्त उपक्रमों के सामान्य शेयर अनिश्चित रूप से लम्बे समय के लिए नहीं रख सकतीं । यद्यपि कुछ मामलों में यह सम्भव हो सकता है कि अधिकांश शेयर, जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसी निवेशक संस्थाओं को अन्तरित कर दिये जायं फिर भी कुछ समस्यायें ज्यों की त्यों बनी रहेंगी । इस सम्बन्ध में एक सम्भावित हल यह हो सकता है कि सहायता-प्राप्त उपक्रमों के सामान्य शेयरों को रखने और उनका प्रबन्ध करने तथा उन उपक्रमों के प्रबन्ध में लगातार भाग लेने के उद्देश्य से अलग से एक ऐसे अभिकरण की स्थापना की जाय जो दीर्घावधिक ऋण देने वाली संस्थाओं से सम्बद्ध हो। यह विषय विचाराधीन है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यपालिकाओं की सदस्यता

4613. **श्री इंद्रजीत गुप्ता** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों को वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल के सदस्य बनने की अनुमति देने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन्हें पता है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अनेक अधिकारी सैद्धान्तिक रूप में गैर-सरकारी क्षेत्र के पोषक हैं ; और

(घ) क्या, इस बात को ध्यान में रखकर ऐसे अधिकारियों को गैर-सरकारी वाणिज्य तथा उद्योग-मंडल में शामिल होने की अनुमति देने से पहले उनकी अच्छी तरह छानबीन करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकारी उद्यमों को सूचित किया गया है कि उनके, उन उद्योगों के, जिनसे उनका सम्बन्ध है, औद्योगिक और व्यावसायिक संघों के सदस्य बनने पर सामान्यतः कोई पाबन्दी नहीं है जैसाकि इस बात से जाहिर है कि बहुत से उद्यमों के मामले में, उनकी अन्तर्नियमावली में इस बात की विशिष्ट रूप से व्यवस्था की गयी है। सरकारी उद्यमों का ध्यान राष्ट्रीय श्रम आयोग की इस सिफारिश की ओर भी दिलाया गया है कि सरकारी उपक्रमों को अपने सम्बद्ध औद्योगिक संघों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भी यह सूचित किया गया है कि इन मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के विशुद्ध औद्योगिक अथवा व्यावसायिक संघों की प्रबन्ध समितियों के सदस्य बनने पर कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(ख) यह महसूस किया जाता है कि किसी उद्योग-विशेष की समस्याओं का हल ढूंढने में सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के उस उद्योग के हित परस्पर एक-समान होते हैं, और औद्योगिक क्षेत्र में नेता होने के नाते, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए यह आवश्यक है कि वे उस उद्योग के क्षेत्र में, जिससे उनका सम्बन्ध हो, और उसके जरिये उपलब्ध होने वाले और अधिक व्यापक क्षेत्र में उपयुक्त भूमिका निभा सकें ।

(ग) इस प्रकार का कोई सामान्य मत निर्धारित करना उचित नहीं होगा ।

(घ) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

सरकारी उपक्रमों के शेयरों को जनता में बिक्री

4614. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये सरकारी उपक्रमो के शेयरों में जनता द्वारा धन लगाने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी लोगों को सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार दाखिल होने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने यह निर्णय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के राष्ट्रीयकृत संस्थाओं से ऋण लेने के पात्र न होने को ध्यान में रखते हुए किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी बजाए सरकार इन संस्थाओं के वर्तमान नियमों का संशोधन क्यों नहीं करती ताकि वे सरकारी क्षेत्र के उसक्रमों को ऋण दे सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार ने, सरकारी क्षेत्र के नये उपक्रमों की सामान्य शेयर पूंजी में जनता द्वारा रुपया लगाये जाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया है । फिर भी, गैर-सरकारी स्वामित्वाधीन कम्पनियों को हाथ में लिये जाने, सहयोग करारों में की गयी परिकल्पनाओं आदि जैसे ऐतिहासिक कारणों से कुछ सरकारी उद्यमों की सामान्य पूंजी में जनता के भी शेयर हैं ।

(ग) और (घ). सरकार ने वित्तीय संस्थाओं को कहा है कि वे सरकारी उद्यमों को उसी प्रकार की सहायता दें जैसी वे गैर-सरकारी क्षेत्र को देते हैं जैसे ऋण, शेयरों और ऋणपत्रों की खरीद की हामीदारी और/या गारण्टियां/लेकिन यदि उन सम्बद्ध संविधियों द्वारा, जिनके अन्तर्गत इन संस्थाओं की स्थापना की गयी है, इस सम्बन्ध में कोई सीमाएं निर्धारित की गयी हों, तो उन्हें ध्यान में रखना होगा ।

भारत में लगाई गई विदेशी पूंजी

4615. **श्री दे० अमात** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत स्थित विदेशी कम्पनियों द्वारा व्यापार किये जाने वाले वस्तुओं का विवरण क्या है तथा ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनको अपने निवेश का कितने प्रतिशत देश से बाहर ले जाने की अनुमति है ; और

(ग) इसको किस रूप में देश से बाहर ले जाया जायगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मार्च, 1969 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार बैंकों और बीमा कम्पनियों को छोड़कर विदेशी नियंत्रणाधीन कम्पनियों की संख्या 960 थी । ये कम्पनियां विभिन्न प्रकार के उद्योगों जैसे बागान, खनन, पेट्रोलियम, खाद्य और पेय पदार्थों आदि के उत्पादन, वस्त्र उत्पादन, परिवहन उपकरणों, मशीनों और मशीनी औजारों धातुओं और धातु-उत्पादों, बिजली के सामान और मशीनों, रसायनों और सम्बद्ध उत्पादों, व्यापार निर्माण, उपयोगी वस्तुओं, परिवहन और विविध प्रकार के अन्य व्यवसायों में लगी हुई हैं ।

(ख) और (ग). मार्च, 1967 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, विदेशी नियंत्रणाधीन कम्पनियों में किये गये विदेशी निवेश की बकाया रकम 700.5 करोड़ रुपये थी जिसमें से 290.6 करोड़ रुपया विदेशी कम्पनियों का भारतीय शाखाओं में और 409.9 करोड़ रुपया विदेशी नियत्रणाधीन रुपया कम्पनियों में लगा हुआ था । पिछले कुछ वर्षों में शाखाओं के लाभ और विदेशी नियंत्रणाधीन रुपया कम्पनियों के लाभांशों के रूप में बाहर भेजी गयी रकमें इस प्रकार थीं :—

(करोड़ रुपयों में)

	शाखाओं के लाभ	विदेशी नियंत्रणाधीन कम्पनियों के लाभांश	जोड़
1967-68	16.0	29.3	45.3
1968-69	13.0	25.4	38.4
1969-70	5.0	12.0	17.0

सरकार की वर्तमान नीति के अधीन भारतीय करों की अदायगी के बाद, अनिवासियों को लाभ और लाभांशों के सम्बन्ध में रकमें बिना रोक-टोक के भेजी जा सकती हैं।

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण

4616. **श्री सिद्दय्या :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने 25 अगस्त, 1969 को सभी केन्द्रीय मंत्रियों को यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करने के लिए इस आशय का परिपत्र जारी किया था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सेवा में आरक्षित प्रतिनिधित्व कोटा उनके अधीन सभी सरकारी उपक्रमों के आगामी दो वर्षों में पूरा हो जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिपत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ;

(ग) प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने रिक्त पदों के लिए विज्ञापन दिये गये हैं और 25 जनवरी, 1969 से प्रत्येक सरकारी उपक्रम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों से कितने पद भरे गये हैं ; और

(घ) क्या उनको परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त करने और बाद में उनको वहीं समाहित करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां श्रीमान । प्रधान मंत्री ने सभी सम्बद्ध मंत्रियों के नाम एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था कि जहां तक व्यवहार्य हो, दो या तीन वर्षों में, सरकारी उपक्रमों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाये, जो इस सम्बन्ध में उनके लिए पदों को सुरक्षित रखने के लिए जारी किये गये आवश्यक आदेशों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

(ख) उक्त पत्र की प्रतिलिपि, सभा पटल पर रखने का विचार नहीं है।

(ग) इस सम्बन्ध में यह ब्यौरेवार सूचना उपलब्ध नहीं है कि 25 जनवरी, 1969 से सरकारी उपक्रमों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ग के कितने रिक्त पदों के विज्ञापन दिये गये और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त किये गये। इस ब्योरे को इकट्ठा करने में जो परिश्रम करना पड़ेगा वह उससे निकलने वाले परिणामों को देखते हुए बहुत अधिक होगा। 47 सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के अनुसार, कैलेण्डर वर्ष 1969 में, इन उपक्रमों में, 17022 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था जिनमें से 15 9 उम्मीदवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के थे।

(घ) भर्ती करने के सम्बन्ध में जो नियम/आदेश जारी किये जाते हैं उनमें सामान्यत: इस बात का उल्लेख किया जाता है कि सभी उम्मीदवारों की (जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचियों आदिम जातियों के सदस्य भी शामिल होते हैं) नियुक्तियां शुरू में परीक्ष्यमाण रखी जायं।

दिल्ली बाढ़ नियन्त्रण विंग के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य पूल के अन्तर्गत आवास

4617. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य तथा **परिवार नियोजना और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली बाढ़ नियंत्रण विंग के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी सम्पदा निदेशालय के सामान्य पूल के आवास पाने के अधिकारी हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां । सामान्यतः दिल्ली प्रशासन के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारी दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल से वास के आवंटन के लिए पात्र हैं, यदि प्रशासन के अधीन वास का कोई पृथक पूल नहीं हैं, और वे (स्टाफ) जिन कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं वे पात्र क्षेत्रों में स्थित हैं ।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

दिल्ली बाढ़ नियन्त्रण विंग के द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का लागू होना

4618. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली बाढ़ नियंत्रण विंग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत आते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है । दिल्ली बाढ़ नियन्त्रण विंग के कर्मचारी दिल्ली प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं जो इस योजना में सम्मिलित नहीं हुये हैं ।

बदरपुर बिजली परियोजना के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल के अन्तर्गत आवास

4619. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर ताप बिजली परियोजना के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी सम्पदा निदेशालय के सामान्य पूल में आवास पाने के अधिकारी हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). बदरपुर के बदरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के कर्मचारी दिल्ली/नई दिल्ली के सामान्य पूल से रिहायशी वास के पात्र नहीं हैं, क्योंकि बदरपुर, दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास के आवंटन योग्य पात्रता वाले दिल्ली के किसी डाक-क्षेत्र में फिलहाल नहीं आता। तथापि, परियोजना के 39 कर्मचारी जो दिल्ली/नई दिल्ली/फरीदाबाद में सामान्य पूल के रिहायशी वास के दखल में हैं, उनको एक विशेष मामले के रूप में, उस वास को 31-12-1969 तक सामान्य किराये की अदायगी पर अपने पास बनाये रखने की अनुमति दी गई थी।

बदरपुर ताप बिजली घर के तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ देना

4620. **श्री ईश्वर रेड्डी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर ताप बिजली परियोजना के तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). दिल्ली और नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाये जा चुके क्षेत्रों में रह रहे बदरपुर ताप बिजली परियोजना के कर्मचारी उस योजना के अधीन चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के हकदार हैं। खास बदरपुर क्षेत्र अभी तक केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत नहीं है। वहां रह रहे कर्मचारी केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली के अधीन चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं।

हिप्पियों को विदेशी मुद्रा लाने की अनुमति

4 21: **श्री राम गोपाल शालवाले** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हिप्पी अपने साथ विदेशी मुद्रा लाते हैं और यदि हां, तो प्रत्येक हिप्पी को कितनी विदेशी मुद्रा लाने की अनुमति है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विदेशी राष्ट्रिक द्वारा देश में विदेशी मुद्रा की राशि लाने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। चूंकि विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा लायी गयी विदेशी मुद्रा का कोई हिसाब नहीं रखा जाता अतः यह बताना सम्भव नहीं होगा कि हिप्पी यहां कितनी विदेशी मुद्रा लाते हैं।

S. A. S. Examination in Defence Accounts

4622. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that S. A. S. examination in Defence Accounts was held eight months ago *i.e.* in the month of October ; and

(b) if so, the reasons due to which its result has not been announced so far ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The result was announced on 16th June, 1970.

Utilisation of Foreign Aid

4623. **Shri Janeshwar Yadav :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the manner in which the amount of foreign aid received in the year 1969-70 from different countries has been spent ; and

(b) to total amount of loans taken so far by India from foreign countries.

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A statement showing purpose-wise details of foreign aid received for 1 69-70 is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-4115/70].

(b) The total sum of foreign loans authorised (in terms of agreements signed) upto March 31, 1970 amounted to Rs. 8919 crores. The total disbursements upto 31st March, 1970 against the authorised amount, however, amounted to Rs. 7,346 crores. Repayments due in respect of foreign loans involving payments in foreign exchange or through export of goods amounted to Rs 5907 crores, as of 31st March, 1970.

डाक व तार विभाग में सर्कल-वार लेखा-परीक्षण तथा लेखा कार्यों का विकेन्द्रीकरण

4624. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग में सर्कलवार लेखा-परीक्षण तथा लेखा कारों का विकेन्द्रीयकरण करने के प्रस्ताव को क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ख) क्या कर्मचारियों के दावों को शीघ्रता से निपटाने तथा डाक व तार कार्यालय में कुशल लेखा परीक्षण हेतु बिहार सर्कल के डाक व तार विभाग में लेखा परीक्षण तथा लेखा निदेशक को डाक कार्यालय खोलने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो बिहार में इस नीति को क्रियान्वित करने तथा मुजफ्फरपुर, पटना टेलीग्राफ रांची तथा दरभंगा इन्जीनियरिंग डिविजनों में लेखा अधिकारी की नियुक्ति करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) डाक तथा तार विभाग के लेखा-परीक्षा तथा लेखा कार्य के परिमंडल-वार आधार पर विकेन्द्रीकरण के प्रस्ताव पर अमल किया जा रहा है। 1 नवम्बर 1969 से जयपुर तथा त्रिवेंड्रम में तथा 1 दिसम्बर 1969 से कटक में पहले ही नये कार्यालय खोले जा चुके हैं।

(ख) बिहार, मध्य प्रदेश तथा मैसूर परिमंडलों के डाक-तार संबंधी लेन-देन के लेखा-

परीक्षा तथा लेखा विषयक कार्य करने के लिए, चालू वर्ष के बजट में पटना, भोपाल तथा बंगलोर में नये कार्यालय खोले जाने की व्यवस्था है।

(ग) (ख) में उल्लिखित स्थिति को देखते हुए, इस स्थिति में कार्यान्वयन में विलम्ब होने का प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरपुर, पटना, रांची तथा दरभंगा के इन्जीनियरी प्रभागों में लेखा अधिकारी के पदों की हाल ही में मंजूरी दी गई है तथा उनके भरे जाने की सम्भावना है।

भारतीय फिल्मों की दक्षिण अफ्रीका में तस्करी

4625. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** **श्री स० कुन्डू :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन के चेयरमैन ने यह कहा है कि भारतीय फिल्मों की देश में बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चोरी छिपे ले जाई जाने वाली फिल्मों में से कुछ फिल्में दक्षिण अफ्रीका को ले जाई जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अवैध व्यापार को रोकने, तस्करों को पकड़ने और इस समय हो रही भारी हानि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) यह सूचना मिली है कि अन्य देशों को निर्यात की गई कुछ भारतीय फिल्में दक्षिण अफ्रीका को भेज दी जाती हैं।

(ग) इस प्रकार के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सीमाशुल्क अधिकारियों को पहले ही सतर्क किया गया है और हाल ही में भारत के पश्चिम तट पर कुछ फिल्में पकड़ी गई हैं।

Financial Assistance for Banda District in Uttar Pradesh for drought Conditions

4626. **Shri Janeshwar Yadav :** Will the Minister of Finance be pleased to state the financial assistance given to Banda District of Uttar Pradesh for drought conditions in the year 1968-69 and 1969-70 and the manner in which it was spent ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : According to information furnished by the Government of Uttar Pradesh, the following assistance was provided by them in Banda district for the relief of drought conditions in the year 1968-69 and 1969-70 :

		(Rs. in lakhs)	
		1968-69	1969-70
1.	Gratuitious relief	0.17	0.65
2.	Relief works (wages)	0.31	3.47
3.	Distress takavi	12.25	22.00
4.	Suspension/remission in land revenue	4.87	8.05

वस्तुओं की खरीद के लिये दर ठेका प्रक्रिया का सरल बनाया जाना

4627. **श्री हेम राज** : क्या पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों के लिए 30 लाख रुपये के मूल्य के तथा इससे अधिक मूल्य के सामान की खरीद पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच हैं कि दर ठेका प्रक्रिया के कारण इनको प्राप्त करने में बहुत समय लगता है और विकास कार्य लम्बी अवधि तक बन्द रहते हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रक्रिया को सरल बनाने का है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

पूर्ति मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) विभिन्न सीधे मांग अधिकारियों को दर ठेके के आधार पर विभिन्न किस्म के सामान की सप्लाई प्रायः सन्तोषजनक रही है । परन्तु उन मामलों में कठिनाई पैदा होती है, जिन में वस्तुओं के निर्माण के लिये आवश्यक कच्चे सामान की सप्लाई में कमी होती है। हिमाचल प्रदेश सरकार से सी० आई० पाइपों और जी० आई० पाइपों की सप्लाई में विलम्ब के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें आयी हैं । विलम्ब का कारण इस्पात की कमी है ।

(ग) दर ठेकों पर प्राप्ति के सम्बन्ध में वर्तमान प्रक्रिया पूर्णतः सन्तोषजनक है । फिर भी, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय की प्रक्रिया में सुधार करने मे लिए उसका निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है ।

Apprehension of Smugglers on Indo-Nepal Border

4628. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that smuggling is rampant on the Nepal border ;

(b) if so, the total number of smugglers arrested during the last three years, year-wise ;

(c) the number of small and big smugglers separately out of them, year-wise ;

(d) the number of persons who have been awarded punishments ; and

(e) the reasons for acquittirg some of the arrested smugglers ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Cases of smuggling area often detected along the Indo-Nepal border. Having regard to the open border, smuggling cannot be said to be rempant. The total number of smugglers arrested during last three years, year-wise is as follows :—

1967	1968	1969	1970 (uptoJuly, 70)
20	51	114	76

(c) Most of the smugglers caught on this border were found with goods of small value. There is no precise definition of small or big to give separate statistics.

(d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(e) The arrested smugglers are acquitted in a few cases because of lack of sufficient evidence against them.

चण्डीगढ़ में रेहड़ी वालों के लिए अस्थायी दुकानों (बूथ) का निर्माण

4629. **श्री श्रीचन्द गोयल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने रेहड़ी वालों तथा नेहरू और शास्त्री बाजारों के अधिकारियों के लिये छोटी दुकानों तथा अस्थायी दुकानों का निर्माण करने के बारे में निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी अस्थायी दुकानों की संख्या कितनी है तथा उनको क ा बनाया जायेगा ; और

(ग) क्या विशिष्ट बाजार के रेहडी वालों को उस बाजार में बनाई जाने वाली अस्थायी दुकानों में स्थान दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). चण्डीगढ़ प्रशासन का सैक्टर 15, 19, 20, 22 और 23 में रेहड़ी वालों के लिए 500 छोटे शेड बनाने का विचार है जबकि नेहरू और शास्त्री मार्किट वालों के लिए सैक्टर 7 और 30 में फिलहाल 107 बूथ बनाये जा रहे हैं। ये शेड/बूथ किराये पर दिये जायेंगे।

(ग) रेहड़ी वालों को किस सेक्टर में जगह दी जाये और किस आधार पर उन्हें शेड/बूथ दिये जाए। इस बात पर विचार किया जा रहा है।

सरोजिनी नगर नई दिल्ली में ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग पर दुर्घटना होने की सम्भावना वाला क्षेत्र

4631. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरोजनी नगर, नई दिल्ली, में ब्रिगेडियर होशियार सिंह रोड के एक सिरे पर भूमि का एक खाली प्लाट है जहां पर केन्द्रीय रेडियो स्टोर (असैनिक उड्डयन) तथा कार्यकारी अभियन्ता केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग डिवीजन से 1 और 2 को बोर्ड स्थापित किए हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या 17ए के मार्ग पर चल रही डी० एल० पी० 1043 नम्बर की दिल्ली परिवहन की एक बस मई, 1970 में उक्त प्लाट में गिरी पड़ी थी और उसके परिणाम स्वरूप कई यात्री जख्मी हो गए थे ;

(ग) क्या 11 जून 1970 को रात के 11 बजे डी०एल०एल० 5167 नम्बर वाला एक ट्रक उक्त प्लाट के सामने क्वाटरों में एल ब्लाक में प्रवेश कर गया था और उससे दो या तीन आदमी दब कर मर गए थे ;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त प्लाट को समतल करने, पास की सड़क को चौड़ी करने तथा ट्रक स्टैंड को वहां से हटाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां।

(ख) इस विभाग को ऐसी किसी घटना का पता नहीं चला है।

(ग) जी, हां। ट्रक (एल ब्लाक, सरोजिनी नगर) सरकारी क्वार्टरों के पिछले भाग में घुस गया था जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की घटना-स्थल पर ही मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गया था।

(घ) पार्श्ववर्त्ती सड़क को चौड़ा करने अथवा उक्त प्लाट को समतल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु 5 बजे शाम से 9 बजे शाम के बीच गाड़ियों को खड़े करने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में जिलाधीश, दिल्ली ने एक अधिसूचना जारी की है।

(ङ) प्लाट को समतल बनाने अथवा सड़क को चौड़ा करने के कार्य को आवश्यक नहीं समझा गया है। इसी प्रकार की घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए, सरोजिनी नगर के एल ब्लाक और स्टोर्स को जाने वाली सड़क के बीच सफेद रंग से पेंट किए गए ड्रम लगा दिए गए हैं। जिनकी जगह बाद में सुरक्षात्मक दीवार निर्मित की जाएगी।

काण्डला पत्तन तथा इसकी बस्ती का विकास

4632. **श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काण्डला पत्तन की बस्ती के बहुत से नागरिकों से काण्डला पत्तन तथा इसकी बस्ती के विकास के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

यमुनापार मंडावली गांव (फजलपुर) दिल्ली के निवासियों को दिया गया बेदखली सम्बंधी नोटिस

4633. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मण्डावली गांव (फजलपुर) दिल्ली-32 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से अर्जित किया गया है ;

(ख) क्या प्राप्त करने के पश्चात इसके रिहायशी क्षेत्र में कभी भी वृद्धि नहीं की गई है ;

(ग) क्या बढ़ी हुई जन संख्या को ध्यान में रखकर 1885 से पूर्व के रिहायशी क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को छोड़कर गांव के निवासियों की भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 9 (एक) और 10 (एक) के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए हैं ; और

(घ) क्या इस गांव के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के निवासियों को भी इस प्रकार नोटिस दिया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार सारे गांव के बेदखल हुए इन परिवारों जिनकी संख्या 5,000 व्यक्तियों से अधिक है मुआवजा देने का तथा किस प्रकार उनका पुनर्वास करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). मंडावली फजलपुर गांव के "लाल डोरा" (रिहायशी क्षेत्र) के बाहर के निवासियों को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 9 और 10 के अन्तर्गत नोटिस दिये गए हैं । भूमि अर्जन अधिनियम में किसी भेद भाव की व्यवस्था नहीं है । अर्जन अधीन भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को बिना जाति या धर्म के भेद-भाव के नोटिस दिये जाते हैं ।

(ङ) जिन लोगों की भूमि अर्जित की जाती है उनको पूर्व निर्धारित दरों पर भूमि के वैकल्पिक विकासित प्लाट आवंटित किये जायेंगे । वे अधिनियम के अधीन मुआवजे के भी पात्र होंगे ।

फर्मों के रजिस्ट्रेशन में परिवर्तन

4634. **श्री स० कुण्डू** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राक्कलन समिति (चतुर्थ लोक सभा) ने अपने 21वें प्रतिवेदन में फर्मों के रजिस्ट्रेशन तथा विभिन्न राज्यों से सामान की खरीद में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ?

पूर्ति मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

पारादीप उर्वरक परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता

4635. **श्री स० कुण्डू** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप में स्थापित किये जाने वाले उर्वरक कारखाने की लागत क्या है ;

(ख) क्या इस परियोजना में कोई विदेशी मु ा भी लगेगी ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस परियोजना का निर्माण कब आरम्भ होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (घ). सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम को कहा है कि वह पारादीप में आयातित अमोनिया पर आधारित एक उर्वरक सन्यन्त्र की स्थापना के लिए एक तकनीकी आर्थिक सम्भाव्य रिपोर्ट तैयार करें। परियोजना के बारे में पूर्व समय कोई ब्यौरा देना कठिन है।

सुकिन्दा, उड़ीसा, में निकल कारखाना स्थापित करने के कार्य में प्रगति

46 6. **श्री स० कुण्डू** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुकिन्दा, उड़ीसा में निकल कारखाना स्थापित करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या अग्रेतर सर्वेक्षण से उस क्षेत्र में निकल के और अधिक संसाधनों का पता चला है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) उड़ीसा में कटक जिले के सुकिन्दा निकल निक्षेप से निकल के वाणिज्यिक निस्सारण हेतु हिन्दुस्तान कापर लिमिटेट ने सम्भाव्यता अध्ययन प्रारम्भ करवाया है। 1970 वर्ष के अन्त तक सम्भाव्यता रिपोर्ट के तैयार होने की आशा है। सम्भाव्यता अध्ययन के पूरा कर लिए जाने और परिणामों की जांच कर लिए जाने के उपरान्त ही निकल निस्सारण संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में निश्चय किया जाएगा।

निकल अयस्क की अतिरिक्त उपलभ्य राशियों को सिद्ध करने के लिए भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण कटक जिले के कुमारदीह-सूरआबिल क्षेत्र में व्यधन सहित समन्वेषण कार्य कर रहा है। व्यधन-पूर्ण होने के उपरांत ही परिणाम उपलब्ध होंगे।

खाना बनाने को गैस के मूल्य में कमी करना

4637. **श्री स० कुण्डू** :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शान्तिलाल शाह समिति के प्रतिवेदन के अनुसरण में खाना बनाने की गैस के सिलेण्डरों के मूल्य में कमी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शान्ति लाल शाह समिति ने सिफारिश की थी कि तरल पेट्रोलियम गैस के प्रति 14.5 किलोग्राम सिलेण्डर के विक्रय मूल्य में एक रूप तीन रुपये की कमी की जाय चाहे विभिन्न कम्पनियां इस समय विभिन्न स्थानों पर इसे किन्हीं मूल्यों पर बेच रही हों। विभिन्न स्थानों पर मौजूदा मूल्यों में काफी अन्तर है। इन परिस्थितियों में मूल्य ढांचे की जांच करना वांछनीय हो गया। सरकार मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

मैसूर राज्य में परिवार नियोजन केंद्र

4638. **श्री जी० बाई० कृष्णन :**
श्री एन० शिवप्पा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में इस समय कितने परिवार नियोजन केंद्र कार्य कर रहे हैं ;

(ख) इन परिवार नियोजन केन्द्रों को चलाने के लिये वर्ष 1968-69 तथा 1970-71 में केन्द्र द्वारा प्रति वर्ष कितनी सहायता मंजूर की गई ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कितने नये परिवार नियोजन केन्द्र खोले जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मैसूर राज्य में इस समय कार्य कर रहे परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है :—

(1) नगरीय परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र	50
(2) ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र	265
(3) उप केन्द्र	1972

(ख) 1968-69 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए मैसूर राज्य को दी गई सहायता की कुल रकम 144.34 लाख रुपये थी। इसमें से 56.00 लाख रुपये की रकम परिवार नियोजज केंद्रों के लिए थी। वर्ष 1970-71 के लिए 260.25 लाख रुपये का आवंटन किया गया है जिसमें ऐसे केंद्रों के लिए 84.34 लाख रुपये की रकम शामिल है।

(ग) राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही प्रस्तुत कर दी जाएगी।

पिम्परी पेनिस्लीन फैक्टरी के मजदूरों की मांगें

4639. **श्री सत्य नारायण सिंह :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिम्परी पेनिस्लीन फैक्टरी मजदूरों ने 14 जुलाई, 1970 को कोई प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो मजदूरों की मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को प्रबन्धकों के विरुद्ध पिम्परी पेनिस्लीन फैक्टरी के मजदूरों की शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं । एक प्रदर्शन 13 जुलाई, 1970 को 12.30 से 1.00 (अपराह्न) के बीच मध्याह्न-भोजन के समय हुआ था ।

(ख) कोई मांगें नहीं की गई थी । कहा जाता था कि प्रदर्शन प्रबन्धकों की कथित भूल-चूकों को प्रकाश में लाने के लिए किया गया था ।

(ग) और (घ). यूनियन से प्राप्त हुये अभ्यावेदन प्रबन्धकों को विचारार्थ तथा उचित उपचारी कार्यवाही के लिये भेजे गये हैं । अभ्यावेदनों में विभिन्न मामलों अर्थात उत्पादन कार्य-क्रम, पदोन्नति की नीति, नमित्तिक कर्मकारों को समाहृत करने, डेटा प्रोसैसिंग यूनिट के कार्य-करण आदि का उल्लेख है । मामलों पर यूनियन तथा प्रबन्धकों के बीच विचार-विमर्श हो रहा है ।

Report of the Committee for Reduction in Construction Cost of Public Works

4640. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Committee appointed to suggest ways and means to reduce the construction cost of public works has since submitted its report ;

(b) if so, the main recommendations thereof; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) The Government of India have not appointed any Committee to suggest ways and means to reduce the construction cost of public works. But the Government had appointed a Committee to study methods for achieving low cost large scale housing construction in major cities.

(b) and (c). Do not arise.

काश्मीर हाउस, नई दिल्ली के सर्वेंट क्वार्टरों के अलाटियों को मकान खाली करने के नोटिस

4641. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण अवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित काश्मीर हाउस के सर्वेंट क्वार्टरों के अलाटियों को बदले में आवास प्रदान किये बिना ही मकान खाली करने के नोटिस दिये गये हैं, यदि हां, तो ये नोटिस कितने अलाटियों को दिए गए हैं तथा किन परिस्थितियों में दिए गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ वर्ष पूर्व उन में से खाली कराये गए कुछ क्वार्टर उन अन्य लोगों को अलाट किये गये हैं जो काश्मीर सरकार के कर्मचारी नहीं हैं ; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या क्वार्टर खाली करने वालों को बदले में आवास प्रदान किया जा रहा है ; यदि हां, तो कहां तथा किन शर्तों पर ; और

(घ) क्या उनकी ओर से (गृह-कार्य मन्त्री को) कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उनमें क्या-क्या प्रमुख बातें कही गई हैं तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) कश्मीर हाऊस के किसी सर्वेंट क्वार्टर के वास्तविक आवंटी को बेदखली का नोटिस नहीं दिया गया है। कश्मीर हाऊस में 73 सर्वेंट क्वार्टर हैं। 18 रक्षा मन्त्रालय के पास हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर सरकार के व्यापार आयुक्त के पास 54 हैं ; और शेष एक सामान्य पूल में हैं। रक्षा मंत्रालय के पास 19 सर्वेंट क्वार्टरों में से कोई भी सामान्य पूल में नहीं है और न ही कोई अनधिकृत व्यक्ति के दखल में है। वे सब अधिकृत व्यक्तियों को आवंटित हैं। शेष 54 सर्वेंट क्वार्टर (73-19) जो कि जम्मू और कश्मीर सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, उनमें से 14 अनधिकृत व्यक्तियों के दखल में हैं, जो न तो जम्मू और कश्मीर सरकार की नौकरी में हैं और न ही वे उक्त सरकार को कोई किराया दे रहे हैं।

(ख) जी, नहीं। 54 सर्वेंट क्वार्टर, जम्मू और कश्मीर सरकार के उन कर्मचारियों के लिये हैं जो दिल्ली में नियुक्त हैं और परिणामस्वरूप उन्हें जम्मू और काश्मीर सरकार के व्यापार आयुक्त द्वारा केवल कश्मीर सरकार के पात्र कर्मचारियों को आवंटित किया जाता है।

(ग) क्योंकि जम्मू और कश्मीर सरकार सर्वेंट क्वार्टरों को गिराना चाहती है, इसलिए 14 सर्वेंट क्वार्टरों के अनधिकृत दखलकारों को बेदखली के नोटिस दिये गये थे। अनधिकृत दखलकारों के मुकदमें विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीन हैं। अतएव अनधिकृत दखलकारों को वैकल्पिक वास देने की व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, हां। अन्य बातों के साथ अभ्यावेदन में कही गई मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

(i) वे सर्वेंट क्वार्टरों में पिछले 15 वर्ष से 30 वर्ष से रह रहे हैं ;

(ii) वे किराया देने को तैयार हैं, किन्तु व्यापार आयुक्त उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं ; और

(iii) जम्मू और कश्मीर सरकार सर्वेंट क्वार्टरों को इसलिए खाली कराना चाहती है कि वह उन्हें गिराकर एक नया भवन बनाना चाहती है। वैकल्पिक वास का प्रश्न ही नहीं उठता।

इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि संबंधित व्यक्ति सर्वेंट क्वार्टर के अनधिकृत दखलकार हैं तथा जम्मू और कश्मीर सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, राज्य सरकार सर्वेंट क्वार्टरों को खाली कराना चाहती है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर सरकार का उनके स्थान पर एक नई संरचना बनाने के विचार से इन्हें गिराने का प्रस्ताव है।

जीवन बीमा निगम द्वारा गृह निर्माण के लिए ऋण की सुविधाएं

4642. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री जागेश्वर यादव :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने अपने सभी 540 केन्द्रों में गृह निर्माण के लिए ऋण की सुविधाएं देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जीवन बीमा निगम अपनी 'अपना मकान बनाओ' योजना का विस्तार ऐसे सभी केन्द्रों में करने की सोच रहा है, जहां उसका कोई शाखा कार्यालय मौजूद है।

(ख) ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

लोकोपकारी संगठनों द्वारा विदेशों से प्राप्त की गई राशि

4643. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष प्रत्येक विदेशी देश से भारत से काम कर रहे प्रत्येक भारतीय तथा विदेशी "लोकोपकारी" संगठनों द्वारा धन की कुल कितनी राशि प्राप्त की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : बाहर से प्राप्त होने वाली रकमों के सम्बन्ध में सूचना, केवल सांख्यिकीय और भुगतान-शेष के प्रयोजनों के लिए साधारण रूप से ही रखी जाती है। किसी श्रेणी के आधार पर आंकड़े नहीं रखे जाते, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। अतः मांगी गयी सूचना देना सम्भव नहीं है। किन्तु, यदि माननीय सदस्य, देश में किसी विशेष संगठन द्वारा बाहर से प्राप्त की गयी रकमों के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हों, तो उसे देने का प्रयत्न किया जायगा। परन्तु यह सूचना भी बेंकों के जरिये प्राप्त हुई, 10,000 रुपये और इससे अधिक की रकमों के बारे में ही दी जा सकेगी।

राष्ट्रीय बैंकों के संतुलन पत्र

4644. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वर्ष 1969-70 के लिए अपने संतुलन-पत्र तैयार कर लिये हैं तथा प्रस्तुत कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969-70 के लिये प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्य के परिणामों का संक्षिप्त विवरण क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसे अभी तक क्यों नहीं किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 39 (1) के साथ पठित बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और हस्तान्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 10 के अनुसार प्रथम संतुलन पत्र 31 दिसम्बर, 1969 तक के बनाए जाने हैं। वे वित्तीय वर्ष !969-70 के सम्बन्ध में नहीं होंगे। 31 दिसम्बर 1969 की स्थिति के अनुसार, सन्तुलन-पत्रों को अंतिम रूप देना अभी तक सम्भव हो सका है जिसके कारण नीचे बताए जा रहे हैं :

(1) उच्चतम न्यायालय ने बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और हस्तान्तरण) अधिनियम 1969 को रद्द कर दिया था और उस अधिनियम के स्थान पर बनाये गये नये अधिनियम के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की स्वीकृति 31 मार्च 1970 को ही प्राप्त की जा सकी थी। यद्यपि इन 14 नए बैंकों में से प्रत्येक के लिये अतिरिक्त लेखा-परीक्षक (उस समय विद्यमान लेखापरीक्षकों के अतिरिक्त) दिसम्बर, 1969 में नियुक्त किये गये थे किन्तु इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के 1969 के संतुलन-पत्र तथा लाभ-हानि के लेखे तैयार करने तथा अतिरिक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की जाने वाली लेखा-परीक्षा के क्षेत्र के बारे में आवश्यक अनुदेश मार्च, 1970 के अन्त में अथवा उसके बाद ही जारी किये जा सके थे।

(2) चूंकि 1969 के लेखे, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद तैयार किए जाने वाले पहले लेखे थे इसलिए बैंकों द्वारा यथासंभव एक समान रूप से लेखे तैयार कराने के लिए आवश्यक कुछ बातों के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये जाने से पहले, लेखों की अवधि (ये लेखे 19 जुलाई, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक के हों या पूरे साल के) लाभ का विनियोग, अतिरिक्त लेखा-परीक्षकों द्वारा की जाने वाली लेखा-परीक्षा, निदेशकों की रिपोर्ट आदि सम्बद्ध पहलुओं पर विचार करना आवश्यक था।

(3) चूंकि समवाय अधिनियम 1956 ; राष्ट्रीयकृत बैंकों की लेखा-परीक्षा के संबंध में लागू नहीं होता है इसलिए लेखा-परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट के स्वरूप के बारे में कुछ बातें पूछी थीं और लेखा-परीक्षा पूरा किये जाने से पहले उन्हें उन बातों का उत्तर दिया जाना आवश्यक था। इन संतुलन पत्रों को शीघ्र ही अंतिम रूप देने

के उद्देश्य से रिजर्व बैंक, जिसका संबंध मुख्यत: इस विषय से है, इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उर्वरक कम्पनियां

4645. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक विदेशी गैर-सरकारी फर्म के सहयोग से भिन्न-भिन्न किस्म के उर्वरक बनाने के लिये अलग-अलग सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में फर्मों के नाम क्या है ;

(ख) इन फर्मों को अलग-अलग कुल कितने आरम्भिक पूंजी निवेश की अनुमति दी गई और प्रत्येक मामले में विदेशी सहयोगकर्ताओं के शेयरों का अनुपात क्या है ;

(ग) कुल कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई और वास्तव में सहयोगी फर्मों ने कितना धन खर्च किया ; और

(घ) गत तीन वर्ष में विदेशी सहयोग करारों से उर्वरकों के आयात में कितनी कमी हुई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र में इस समय कोई फर्म विदेशी सहयोग से उर्वरक नहीं बना रही है। गैर-सरकारी क्षेत्र की निम्नलिखित फर्मों ने विदेशी सहयोग से उर्वरक कारखानों की स्थापना की है :

	फर्म का नाम	कुल पूंजी निवेश (ईक्विटी) (करोड़ रुपये)	विदेशी सहयोगियों के शेयरों का अनुपात
1.	कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	9.58	47 प्रतिशत
2.	इंडियन एक्सपलोसिव्ज लि० (केवल उर्वरक परियोजना के लिये)	16.68	58.45

(ग) विदेशी सहयोगियों द्वारा निवेश के लिये सरकार द्वारा अनुमोदित रकम उन्होंने दी थी, जिसे परियोजना की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी जरूरतों के अंश को पूरा करने के लिये इस्तेमाल किया गया था। विदेशी सहयोगियों को विदेशी मुद्रा देने का प्रश्न नहीं उठा।

(घ) कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स तथा इंडियन एक्सपलोसिव्ज लि० ने अपने अपने कारखानों में उर्वरक की निम्न मात्राएं उत्पादित की :

वर्ष	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नाइट्रोजन के रूप में	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड पी$_2$ ओ$_5$ के रूप में	इंडियन एक्सपलोसिव्ज लि० नाइट्रोजन के रुप में
	(000 मीटरी टन में)		
1967-68	6.98	1.63	—
1968-69	51.71	35.30	—
1969-70	68.30	64.00	16.9
	126.99	100.93	16.9

कोरोमंडल उर्वरक कारखाने ने उत्पादन दिसम्बर, 1967 में शुरू हुआ था और कानपुर स्थित इंडियन एक्सपलोसिव्ज लिमिटेड उर्वरक कारखाने में दिसम्बर, 1969 से।

उर्वरकों के आयात में उपरोक्त उत्पादन की सीमा तक बचत है।

हार्ड कोक का निर्यात

4646. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों की हार्ड कोक निर्यात करने सम्बन्धी सरकार के निर्णय से कोयला उद्योग में गम्भीर संकट उत्पन्न हो रहा है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हार्ड कोक निर्यात करने के सरकार के निर्णय के पश्चात् मूल्य अत्यधिक बढ़ गये हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या भारत में हार्ड कोक की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार इसके निर्यात सम्बन्धी निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). जी, नहीं। पिछले कुछ वर्षो से सरकार द्वारा थोड़ी मात्राओं में हार्ड कोक का निर्यात अनुज्ञात किया गया है। इस वर्ष के प्रारम्भ में, दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को इस विनिर्दिष्ट शर्त के अध्यधीन हार्ड कोक के कतिपय अधिशेष मात्राओं के निर्यात की अनुज्ञा दी गई थी कि किसी आन्तरिक उपभोक्ता को कष्ट नही भोगने दिया जायेगा।

विभिन्न स्रोतों से कोक के अपर्याप्त प्रदाय एवं बढ़े हुए मूल्यों के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें

प्राप्त हुई हैं। 1970 वर्ष में जुलाई के अन्त तक, कोक के केवल 35,000 मैट्रिक टन का आयात किया गया है और अतः स्वदेशी बाजार में कोक की कमी इन निर्यातों के कारण नहीं कही जा सकती। श्रमिक झगड़े, "इस्को" की कोक-ओवन बैटरियों की क्षति तथा परिणामतः उनकी हार्ड कोक की मांग में वृद्धि आदि जैसे कई अन्य कारणों से कोक के उत्पादन में कमी हुई है।

हार्ड कोक के मूल्य तथा विवरण पर से नियंत्रण हटा लिये जाने के उपरान्त से संयुक्त संयंत्र समिति, जो हार्ड कोक के उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करती है, सुसंगत बातों पर विचार करते हुए, कोक का मूल्य विनियमित करती है। निर्यात संबंध निर्णय लिये जाने के उपरान्त हुई वास्तविक मूल्य वृद्धियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) हार्ड कोक के निर्यात के निर्णय को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता तभी उत्पन्न होगी जब यह स्पष्ट हो जाऐगा कि स्वदेशी कमियां इस के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हैं। मामला अविरत पुनरीक्षाधीन है।

कम्पनियों में जीवन बीमा निगम द्वारा धन लगाया जाना

4647. **श्री जय सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने कुछ ऐसी कम्पनियों में लगभग 100 करोड़ रुपयों की राशि लगाई है जिनका प्रबन्ध दोषपूर्ण है तथा जो घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस त्रुटि के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम क्या है तथा प्रत्येक मामले में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन कम्पनियों से रुपया वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 31-3-1969 को जीवन बीमा निगम के तरजीही शेयरों में 34 करोड़ रुपये और सामान्य शेयरों में 127.39 करोड़ रुपये का कुल निवेश था। जिन कम्पनियों ने अपने तरजीही शेयरों पर लाभांश नहीं दिया था, तथा/अथवा जिन्होंने सामान्य शेयरों पर एक अथवा एक से अधिक वर्षों का लाभांश दिया ही नही था, उन कम्पनियों में निगम ने उपर्युक्त कुल निवेश में से तरजीही शेयरों में 8.57 करोड़ रुपये और सामान्य शेयरों में 29.53 करोड़ रुपये निवेश किया था। इस में से नयी कम्पनियों में तरजीही शेयरों में 4.14 करोड़ रुपये और सामान्य शेयरों में 7.63 करोड़ रुपये का निवेश था। इस प्रकार जो कम्पनियां उन आशाओं के अनुरूप नहीं उतरी, जिनके आधार पर उनके शेयर लिये गये थे, उनमें तरजीही शेयरों में 4.43 करोड़ रुपये का और समान्य शेयरों में 21.90 करोड़ रुपये का निवेश था।

(ख) इन निवेशों को करने के निर्णय, सद्भावना के साथ और इन कम्पनयों के पिछले कार्य के और भावी सम्भावनाओं की सम्यक जांच कर लेने के बाद किये गये थे। यह कोई असामान्य बात नहीं है कि इन में से कुछ फैसले ऐसी परिस्थितियों से गलत साबित हो गये हैं

जिनके बारे में निवेश सम्बन्धी निर्णय लेते समय पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था। ऐसे मामलों में समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है और उसे सुधारने के लिये हर संभव कार्यवाही की जाती है।

(ग) 31-3-1969 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा निगम ने जिन 22 कम्पनियों को ऋण दे रखे थे, उनमें से 9 कम्पनियों ने या तो लाभांश घोषित ही नहीं किया अथवा एक से अधिक वर्षों के लिये कोई लाभांश नहीं दिया। इनमें से 7 नयी कम्पनियां थीं। लेकिन, सभी मामलों में ऋण और उन पर ब्याज की रकम नियत समय पर वापिस किये जाते रहे।

रामपुरा दिल्ली के निवासियों के लिये नागरिक सुविधायें

4648. **श्री क० लकप्पा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुरा, दिल्ली-35 तथा उससे लगती हुई कालोनियों के निवासियों को जल बिजली और नालियों की सुविधाएं अब तक भी प्राप्त नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन सुविधाओं को उन्हें कब तक उपलब्ध कराया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). रामपुरा तथा उससे लगती हुई शान्ति नगर एवं गणेशपुरा कालोनियों में बिजली की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। समीपस्थ क्षेत्रों की कुछ अन्य कालोनियों में बिजली की व्यवस्था का काम चल रहा है जबकि कुछ और कालोनियों में बिजली लगाने के सम्बन्ध में लागत के अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रामपुरा गांव में जल पूर्ति, ईंटों की पटरियों तथा जन-शौचालयों आदि मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था पहले से ही की जा रही है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस गांव से लगती हुई कालोनियों के लिये इन सुविधाओं को जुटाने के हेतु कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है क्योंकि ये कालोनियां उसके विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आतीं।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा खरीदी गई छपाई की मशीनों का बेकार पड़े रहना

4649. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड ने फार्म छपने के लिये वर्ष 1963 में या उसके आसपास लगभग 26,000 रुपये के मूल्य की एक रोनियों छपाई

मशीन खरीदी थी परन्तु उसका अब तक कोई प्रयोग नहीं किया है और अभी भी फार्म बाजार से छपवाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, उसका प्रयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) बाजार में फार्म छपवाने पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). मुख्यत: केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी प्रकाशनों की विभागीय रूप से मुद्रित करने के लिये ही, 1963 में लगभग 23,000 रु० के लागत की एक रोमायर 11 आफसेट प्रिंटिंग मशीन खरीदी गई थी । मशीन बेकार नहीं रखी गयी है । इस मशीन से सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफों, संशोधन पर्चियों तथा ऐसे ही अन्य प्रकाशनों के लगभग 1600 पन्नों की 11,00,000 से अधिक प्रतियां छापी गई । लेकिन अनुभव से ऐसा पता चला है कि इस मशीन का प्रयोग छोटे मुद्रण कार्यों की अपेक्षा बड़े मुद्रण कार्यों के लिए बेहतर ढंग से किया जा सकता है । इस मशीन को पूरी तरह तथा उचित रूप से प्रयोग में लाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

विभागीय प्रयोग के लिए जो फार्म आवश्यक होते हैं उन्हें खुले बाजार में नहीं छपवाया जा रहा है बल्कि उन्हें केन्द्रीय रूप से भारत सरकार के मुद्रणालयों में छपवाया जाता है और समूचे देश में स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क कार्यालयों को फार्म स्टोर, कलकत्ता द्वारा वितरित किया जाता है । इसलिए, बाजार में उन की छपाई पर खर्चा किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी सहायता के लिये करार

4650. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कुल कितनी राशि के लिये विदेशों के साथ सहायता करार किये गये हैं और ये करार किन किन देशों के साथ किये गये हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक देश ने ऋण में कितनी कितनी छूट दी थी ;

(ग) इस समय भारत पर कुल कितनी राशि का ऋण भार है ; और

(घ) प्रतिवर्ष ऋण भुगतान द्वारा कितनी राशि अदा की जाती है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित ब्यौरा प्रस्तुत है ।

विवरण—1

गत तीन वर्षों अर्थात 1967-68 से 1969-70 तक की अवधि में किये गये सहायता करारों तथा प्राप्त की गयी ऋण परिशोधन सम्बन्धी सहायता का विवरण

देश/संस्थान का नाम	1967-68, 196 -69 और 1970-71 के लिए सहायता सम्बन्धी वचन-बद्धताओं के आधार पर किए गए करार		
	करारों की संख्या	कुल मूल्य (करोड़ रुपयों में)	कुल मूल्य में ऋण परिशोधन सम्बन्धी का सहायता/अंश (करोड़ रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
क. विदेशी मुद्रा में चुकाये जाने वाले ऋण			
1. आस्ट्रिया	6	5.0	2.6
2. बेल्जियम	5	13.5	1.6
3. कनाड़ा	16	118.3	3.6
4. डैनमार्क	2	7.0	—
5. फ्रांस	8	61.3	7.2
6. जर्मन संघीय गणराज्य	3	148.3	47.9
7. इटली	3	21.6	9.6
8. जापान	8	106.5	31.9
9. नीदरलैंड	6	24.3	0.9
10. नार्वे	1	1.5	—
11. स्वीडन	2	10.9	—
12. ब्रिटेन	18	222.3	64.9
13. संयुक्त राज्य अमेरिका	22	835.0	13.1
14. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमार्ण और विकास बैंक	6	82.9	33.7
15. अन्तर्राष्ट्रीय विकास व संघ	4	238.1	—
जोड़—क	110	1896.5	217.0

(ख). सामान के निर्यात द्वारा चुकाये जाने वाले ऋण

(1)	(2)	(3)	(4)
बुल्गारिया	1	11.3	—
जोड़—ख	1	11.3	—
कुल जोड़	111	1907.8	217.0

टिप्पणी : 1. ब्रिटेन से प्राप्त सहायता में, 1970-71 के सहायता सम्बन्धी वचनों के आधार पर दिये गये ऋण परिशोधन सम्बन्धी पुनर्वित ऋण की रकम भी शामिल है। इस करार पर 24 मार्च, 1970 को हस्ताक्षर किये गये थे।

2. संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त सहायता में पी० एल० 480 सम्बन्धी परिवर्तनीय ऋणों की रकम शामिल हैं किन्तु इनमें पी० एल० 480 सम्बन्धी अपरिवर्तनीय रुपया ऋण शामिल नहीं है।

3. इसमें 4 अप्रैल, 1968 को रूमानिया के साथ किये गये ऋण करार की रकम शामिल नहीं है, क्योंकि इस करार में ऋण की रकम निर्धारित नहीं की गयी है।

(ग) 31 मार्च, 1970 को भारत के नाम विदेशी ऋणों की 5607 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी जिसकी अदायगी विदेशी मुद्रा अथवा सामान के निर्यात द्वारा की जानी है।

(घ) वर्ष 1969-70 में, मूलधन की वापिसी और ब्याज की अदायगी के रूप में प्रत्येक देश को दी गयी रकम का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-2

देश/संस्थान का नाम	मूलधन	ब्याज	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)
I. विदेशी मुद्रा में चुकाये जाने वाले ऋण			
	(करोड़ रुपयों में)		
1. आस्ट्रिया	0.9	0.7	1.6
2. बैल्जियम	1.3	0.8	2.1
3. कनाडा	2.4	3.0	5.4
4. डैनमार्क	नगण्य	नगण्य	नगण्य
5. फ्रांस	9.8	3.5	13.3
6. पश्चिम जर्मनी	34.2	25.3	59.5

(1)	(2)	(3)	(4)
7. इटली	5.9	3.3	9.2
8. जापान	32.6	18.5	51.1
9. नीदरलैंड	1.3	2.1	3.4
10. स्वीडन	1.0	0.5	1.5
11. स्विटजरलैंड	1.8	1.6	3.4
12. ब्रिटेन	26.1	14.1	40.2
13. संयुक्त राज्य अमेरिका	40.4	29.7	70.1
14. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	41.4	26.7	68.1
जोड़—1	199.1	129.8	328.9
II. सामान के निर्यात द्वारा चुकाये जाने वाले ऋण			
1. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	50.2	10.2	60.4
2. चैकोस्लोवाकिया	5.3	1.4	6.7
3. पोलैण्ड	2.6	0.6	3.2
4. यूगोस्लाविया	4.3	0.8	5.1
जोड़—II	62.4	13.0	75.4
जोड़ (I+II)	261.5	142.8	404.3

उपर्युक्त विवरण में (i) बहरीन, कुवैत, कातार और अन्य सन्धिबद्ध देशों से भारतीय मुद्रा के स्वदेश भेजे जाने के सम्बन्ध में की जाने वाली अदायगियां; और (ii) भारतीय रुपयों में चुकायी गयी ऋणों आदि की रकम शामिल नहीं है।

अखिल भारत बीमा कर्मचारी संघ द्वारा सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण की माँग

4651. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारत बीमा कर्मचारी संघ की उप-समिति ने जिसकी बैठक नई दिल्ली में 23 जुलाई, 1970 को हुई सामान्य बीमे का तुरन्त राष्ट्रीयकरण करने की मांग की है क्योंकि इससे बीमा कर्मचारियों की कार्य करने की दशा में सुधार होगा ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) उस आशय का अखबारों में एक समाचार सरकार के देखने में आया है ।

(ख) और (ग). सरकार इस मामले पर सम्यक प्रकार से विचार कर रही है ।

सामूहिक गृह-निर्माण समितियों का पंजीकरण

4652. **श्री नि० रं० लास्कर** : **श्री श्रीचंद गोयल** :
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी समिति के रजिस्ट्रार को सामूहिक गृह निर्माण समितियों के पंजीकरण के सम्बन्ध में 40 से अधिक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अब तक 40 में से केवल एक समिति को पंजीकृत किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या शेष 39 को कहा गया है कि पंजीकरण के लिए विचार किये जाने से पूर्व वे दिल्ली विकास प्राधिकरण से यह आशय पत्र प्राप्त करें कि उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो क्या पंजीकृत समिति ने यह औपचारिकता अभी तक पूरी नहीं की थी ;

(ङ) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली प्रशासन से नई सामूहिक गृह-निर्माण समितियों को पंजीकृत करने के बारे में निदेश जारी किये थे ; और

(च) यदि हां, तो शेष समितियों को पंजीकृत कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) सामूहिक गृह आवास आधार पर समितियों के रजिस्ट्रेशन के लिए प्राप्त आवेदन पत्र रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज, दिल्ली के विचाराधीन हैं। आवेदनों का परीक्षण पूरे हो जाने के पश्चात उसके द्वारा आगे उचित कार्यवाही की जायेगी।

वि ेशी राष्ट्रजनों की नियुक्ति के बारे में भारत के रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति

4653. **श्री जी० वेंकटस्वामी :**
श्री जनार्दनन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्र है कि भारत के रिजर्व बैंक ने देश में कार्य कर रहे सभी विदेशी बैंकों को आदेश दिये हैं कि विदेशी राष्ट्रजनों को नियुक्त करने के प्रस्तावों पर उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाये ;

(ख) जारी किये गये आदेशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत स्थिति विभिन्न बैंकों में कितने विदेशी राष्ट्रजन कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें क्या वेतन दिया जा रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). इस बात पर प्रभावकारी नियन्त्रण करमे के लिए कि विदेशी बैंकों द्वारा अधिक से अधिक भारतीय कर्मचारी नियुक्त किये जायं, भारतीय रिजर्व बैंक ने, नवम्बर, 1968 में, विदेशी मुद्रा का कारबार करने वाली सभी अधिकृत व्यापारियों को यह कहा गया था कि विदेशी राष्ट्रिकों को नियुक्त करने से पहले वे रिजर्व बैंक से अनुमति ले लें। यह प्रतिबन्ध भारत स्थिति सभी बैंकों पर लागू है जिनमें विदेशी बैंकों की शाखायें भी शामिल हैं। तदनुसार, यदि कोई भारतीय बैंक या विदेशी बैंक की कोई भारतीय शाखा किसी विदेशी राष्ट्रिक को, अपनी सेवा के लिए बुलाना चाहे तो उसे रिजर्व बैंक के पास एक प्रार्थना-पत्र भेजना पड़ता है जिसमें उसे इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा देते हुए यह भी बताना पड़ता है कि उस विदेशी राष्ट्रिक को किस पद पर नियुक्त किया जायेगा तथा उसे किन विशेष कारणों से बुलाया जा रहा है।

(ग) रिजर्व बैंक ने जो सूचना इकट्ठी की है उसके अनुसार, भारत में काम कर रहे विदेशी बैंकों में, 30 जून, 1970 को, 150 विदेशी राष्ट्रिक काम कर रहे थे। एक विवरण संलग्न है जिसमें यह बताया गया है कि भिन्न भिन्न वेतन श्रेणियों में कितने-कितने विदेशी राष्ट्रिक काम कर रहे हैं।

विवरण

30 जून, 1970 को, बैंकों में काम कर रहे विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या का तथा उनके द्वारा प्रति मास लिये जाने वाले मूल वेतन का ब्यौरा।

बैंक का नाम	1,000 से 3,000 रु० तक	3,001 से 7,000 रु० तक	5,001 से 7,000 रु० तक	7,001 से 10,000 रु० तक	10,001 से 15,000 रु० तक	स्तम्भ (2) से स्तम्भ (7) तक का जोड़
बैंक नेशनेले डी० पेरिस	3	2	—	—	—	5
जनरल बैंक आफ दी नीदरलैंड्स	5	—	—	—	—	5
मितसु बैंक लिमिटेड	—	3	2	—	—	5
दी बैंक श्राफ टोकियो लिमिटेड	8	6	—	—	—	14
फर्स्ट नेशनलसिटी बैंक	—	—	—	5	3	8
अमेरिकन एक्सप्रेस इंटर्नेशनल बैंकिग कारपोरेशन	—	1	3	3	—	7
बैंक श्राफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एंड सेविंग्स असोशियेशन	—	—	6	3	1	10
मर्कैंटाइल बैंक लिमिटेड	14	4	2	—	—	20
दी हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन	6	—	1	—	—	7
दी ब्रिटिश बैंक श्राफ दी मिडिल ईस्ट	2	—	1	—	—	3
दी चार्टर्ड बैंक	13	8	1	—	—	22
दी ईस्टर्न बैंक लिमिटेड	1	3	—	—	—	4
नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड	9	31	—	—	—	40
जोड़	61	58	16	11	4	150

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल के लिए दक्षिण-पूर्व भूटान का सर्वेक्षण

4654. **श्री जी० वेंकटस्वामी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूटान ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से दक्षिण-पूर्व भूटान में तेल के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस उद्यम पर कुल कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भूटान ने इस बारे में भारत सरकार से अनुरोध किया है।

(ख) अनुरोध पर उचित रूप से विचार किया जा रहा है।

(ग) यह इस बारे में किये जाने वाले कार्य-संचालनों के परिणाम पर निर्भर होगा।

मोटर गाड़ियों के पुराने टायरों को रसायनों और कच्चे माल बदलने के लिये प्रणाली

4655. **श्री मृत्युंजय प्रसाद : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 'फायर स्टोन एण्ड रबड़ कम्पनी ने मोटर गाड़ियों के पुरानों टायरों को रसायनों और कच्चे माल में बदलने के बारे में एक भंजक आसवन प्रणाली निकाली है जिससे इनको विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं में पुनः प्रयोग किया जा सकता है, एक टन रद्दी टायरों से इस प्रकार 140 गैलन तेल और 1500 घनफुट गैस प्राप्त होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार जांच करेगी।

ग्राउन्ड-अप पेपर तथा उच्छिष्ट से अशोधित पेट्रोलियम बनाना

4656. **श्री मृत्युंजय प्रसाद : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है "कि अमरीका के खान कैमिस्ट विभाग ने यह दिखाया है कि गोबे, ग्राउन्ड अप पेपर और उच्छिष्ट को अशोधित पेट्रोलियम में बदला जा सकता है और यदि बड़े पैमाने पर लाभप्रद हुआ तो इससे ईंधन, तेल और अन्य उत्पाद को शोधित किया जा सकता है" ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विस्तृत जानकारी प्राप्त करेगी जिससे रद्दी कागज का उपयोग करने के लिए प्रयोग प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की जा सके ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान को इसकी जानकारी है। विषय इस समय यू० एस० ए० में प्रयोगशाला स्केल परिक्षण की अवस्था में है। यह अभी निश्चित नहीं है कि यह प्रक्रिया कूड़े करकट को बड़े पैमाने पर कच्चे तेल में बदलने के लिए व्यवहारिक हो जायेगी।

(ख) भारत में इस प्रकार का संयंत्र स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

पारी से अलग आवंटन के मामलों का पुनरीक्षण करने के बारे में विधि मन्त्रालय की सलाह

4657. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विधि मन्त्रालय ने निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास विभाग को यह सलाह दी है कि सरकारी कर्मचारियों को मेडिकल आधारों पर दो वर्षों से अधिक की अवधि से पूर्व के पारी से अलग के मंजूर शुदा मामलों को पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता ; और

(ख) यदि हां, तो विधि मन्त्रालय ने क्या सलाह दी है तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). इस विषय पर केन्द्रीय विधि मंत्रालय से कुछ परामर्श किया गया है तथा मामले पर उस मंत्रालय से आगे और विचार विमर्श किया जाना है। जब तक कि वैज्ञानिक स्थिति पर अन्तिम रूप से विचार प्रतिपादित नहीं कर लिया जाता, तब तक यह बता सकना सम्भव नहीं है कि पहले स्वीकृत किये गये बिना-बारी के मामलों में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

राजधानी में सरकारी कर्मचारियों को प्लाट खरीदने तथा मकान बनाने के लिए ऋण

4658. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में एक ऐसी योजना लागू की है जिसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी राजधानी में प्लाट खरीदने तथा मकान बनाने के लिये ऋण ले सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). 23, जुलाई, 1970 को जारी किये गये

आदेशों के अनुसार, पात्र केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, उनकी ड्यूटी के स्थान पर या जहां सरकारी कर्मचारी का सेवा निवृति के बाद आबाद होने का प्रस्ताव हो, नये भवन के निर्माण के लिए (जिस में इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त प्लाट का अर्जन भी शामिल है) अग्रिम, अब अनुमेय होगा। भवन निर्माण अग्रिम के लिए, अंशतः भूमि की खरीद के लिए और अंशतः भवन के निर्माण के लिए, आवेदन पत्रों को अग्रेषित करते समय, विभागाध्यक्षों को इस बारे में, प्लाट के विक्रेता से पत्र की एक सत्यापित प्रतिलिपि लेकर प्रस्तुत करनी अपेक्षित है कि मूल्य के तय और भुगतान हो जाने पर वह (विक्रेता) अपने पत्र की तारीख से, दो मास की अवधि के भीतर, आवेदक को स्पष्ट रूप से सीमांकित विकासित भूखण्ड (प्लाट) का खाली कब्जा देने की स्थिति में है। विभागाध्यक्ष को ऐसे आवेदन पत्रों की जांच करते समय यह देखना भी अपेक्षित है कि प्रत्यक्ष रूप से, आवेदक उस अग्रिम की पहली किश्त लेने की तारीख के दो मास की अवधि के अन्दर भूमि के बारे में बिक्री-विलेख प्रस्तुत कर सकने की स्थिति में होगा, (जो कि (किश्त) स्वीकृति किये गये अग्रिम का 20 प्रतिशत होगी यदि मकान एक मंजिला बनाया जाना है, और यदि मकान दो मंजिला बनाया जाना है तो स्वीकृति अग्रिम का 15 प्रतिशत होगी)। जहां आवेदक इस मामले को अन्तिम रूप देने में, और पहली किश्त लेने के दो मास के अन्दर विक्रय-विलेख प्रस्तुत करने में, अथवा मकान के निर्माण के लिए प्लान, विशिष्टियां और अनुमान, तत्पश्चात् 6 मास के अन्दर प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे, लिया गया अग्रिम एक मुश्त में वापस करना होगा।

सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली से लिए गए इमारती सामान के नमूने का विश्लेषण

4659. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969 और 1970 में सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली के बी-1 और बी-4 ब्लाक में कुछ फ्लैटों में प्रयुक्त इमारती सामान के कुछ चुने हुए नमूनों का विश्लेषण करवाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले थे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये सफदरजंग एनक्लेव फ्लैट

4660. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये सफदरजंग एनक्लेव फ्लैटों के सम्बन्ध में 28 अप्रेल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7894 के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की लागत के दूसरे मद में विभागीय खर्च की कितनी राशि सम्मिलित की गई है ;

(ख) क्या किराया खरीद अवधि आदि के दौरान निर्माण के लिये प्रशासनिक और प्रबन्ध सम्बन्धी प्रभार दोनों प्रकार के खरीदारों से मौके पर एक किश्त में मूल्य अदा करके इन फ्लैटों की सीधी खरीद की थी और जिन्होंने किराया खरीद योजना के अन्तर्गत इनकी खरीद की थी समान दर से वसूल की गई है ; और यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार है कि पहली श्रेणी के खरीदारों को उनसे इस प्रकार वसूली की गई राशि का कुछ अंश लौटाया जाये क्योंकि प्राधिकरण को उनसे शेष राशि को वसूल करने तथा उनके लेखे रखने आदि कार्यों के लिये कर्मचारी नियुक्त नहीं करने पड़े ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) 125 वर्ग गज फ्लैटों के लिए 1,734 रुपये और 150 वर्ग गज़ के फ्लैटों के लिए 2,032 रुपये ।

(ख) जी, हां । प्रशासनिक तथा प्रबंध संबंधी प्रभारों आदि के कारण वसूल किये जाने वाली राशि, किये गये वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति में है । प्रत्येक फ्लैट की लागत निश्चित करने का एकमात्र व्यवहार्य ढंग यह है कि सारी अनुमानित लागत की पूरी रकम को एक समान से निर्धारित किया जाए । तत्पश्चात्, ब्याज और अग्नि के विरूद्ध बीमा को जोड़कर किराया खरीद के लिए किश्तें निश्चित की जाती हैं ।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर में बतायी गई स्थिति को देखते हुए इन मामलों में किसी रकम की प्रतिपूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सादथा जल सम्भरण योजना (हिमाचल प्रदेश) के लिए 'यूनिसेफ' से सहायता

4661. **श्री रामगोपाल शालवाले** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनिसेफ ने हिमाचल प्रदेश सरकार को सादथा जल सम्भरण योजना के लिए कुछ अनुदान मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की है यह कब मंजूर की गई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि 'यूनिसेफ' से योजना के लिए अनुदान के रूप में एक बड़ी धन राशि मिलने पर भी आवश्यक सामग्री/उपकरण समाप्त हो गए हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत फ्लैट्स में शाम के समय पानी केवल एक घण्टे आता है और उसके लिए 5 रुपये महीना शुल्क लिया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो जल सम्भरण के घण्टों में वृद्धि करने के लिए और मीटर में दिखाई गई खपत के अनुसार शुल्क वसूल करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ). तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में प्लाटों की नीलामी

4662. **श्री यशपाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में प्लाटों को नीलामी करने से रोक दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उन बस्तियों के नाम क्या हैं जहां नीलामी की जानी है ?

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से उक्त प्लाटों को उन बेघर लोगों को जो गाडगिल आश्वासन के अनुसार उनके अधिकारी हैं, शरणार्थियों को लागू होने वाली शर्तों पर, अलाट करने का तथा शरणार्थियों से पट्टा राशि एकत्र न करने का अनुरोध किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन से एक अभ्यावेदन प्राप्त होने पर कुछ नीलाम रोक दिये गये ।

(ग) उन बस्तियों की एक सूची संलग्न है जिनमें निपटान के लिए प्लाट उपलब्ध हैं ।

विवरण

क्रम संख्या	बस्ती का नाम
1	जंगपुरा
2	मालवीय नगर
3	कालकाजी
4	लाजपत नगर I,II,III और IV
5	निजामुद्दीन
6	डिफेन्स
7	झील खुरंजा (गांधी नगर)
8	गुड़ की मण्डी
9	सराय रोहेल्ला
10	रमेश नगर
11	मोती नगर
12	तिहाड़ II

1	2
13	तिलक नगर
14	पटेल नगर
15	राजेन्द्र नगर (पुराना)
16	राजेन्द्र नगर (नया)
17	अली गंज
18	हक़ीकत नगर
19	इन्द्रा नगर (आजादपुर)
20	भरत नगर
21	नरेला कालोनी
22	मल्कागंज
23	अंधा मुग़ल

(घ) और (ड). गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत आने वाले इन अनधिवासियों को आवंटन के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्लाटों को हस्तान्तरित करने का दिल्ली प्रशासन ने सुझाव दिया है। मामला विचाराधीन है ।

Foreign Aid in the Year 1969-70

4663. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Special Secretary, Ministry of Finance, has stated after his return from Paris and Washington in June, 1970 that more foreign aid is likely to be received during this year as compared to the previous year ; and

(b) If so, the extent of additional foreign aid likely to be received during this year as compared to the previous year from each country ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) From general indications, it appears that the total aid commitment for 1970-71 may turn out to be of the order of Rs. 640 crores as against Rs. 610 crores for 1969-70. Country-wise comparisons between the aid for the last year and aid for the current year will be possible only after legislative appropriations and other procedurers are completed in the aid giving countries for aid for the current year.

Production of rea in Fertilizer Factory, Gorakhpur

4664. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be please to state the production (in tons) of urea splays in Fertilizers Factory, Gorakhpur during the years 1967-68, 1968-69 and 1969-70, year-wise and the quantity (in tons) sold and that which remained in stock during each year ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

ऐसेटीलोन तथा अन्य गैस बनाने वाले उपक्रम

4665. **श्री झारखंडेराय :**

श्री जि० मो० बिश्वास :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में निम्नलिखित पदार्थ किस-किस उपक्रम में बनाये जाते हैं ; ऐसेटीलीन, आक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस ; हाइड्रोजन गैस, आर्गन गैस, एसीटोन, आर्क-वैल्डिंग इलैक्ट्रोड्स और गैस-वैल्डिंग कटिंग इक्विप्मैंट ;

(ख) उन उपक्रमों को दिये गये लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन उपक्रमों को प्रदत्त पूंजी क्या है ; और

(घ) गत तीन वर्षों में उन्हें कितना लाभ हुआ ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

राक फास्फेट की कमी के कारण उर्वरक उत्पादन में कमी

4666. **श्री झारखंडे राय :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राक फास्फेट का इस समय अभाव है और इसके कारण उर्वरकों का उत्पादन घट गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) कुछ उर्वरक निर्माताओं ने राक फास्फेट की उपयुक्त सप्लाई प्राप्त करने में कठिनाइयां व्यक्त की है। सप्लाई में कमी मुख्यतः पोत-परिवहन की अनुपलब्धि और भाड़े के बाजार में असाधारण तेजी हो जाने के कारण हुई है, इस परिस्थिति में आयातों का प्रबन्ध करना उचित नहीं समझा गया। कम सप्लाई की अवधि में फास्फेटी उर्वकों का उत्पादन कुछ हद तक घट गया था।

(ग) कठिनाई पर काबू पाने के लिए तत्कालिक उपाय किए गए हैं। देश के निकटतम संसाधनों से तदर्थ आधार पर आयातों का प्रबन्ध किया गया है। साथ-साथ, भाड़े की दरों में सुधार हो जाने से, अन्य संसाधनों से भी आयातों के प्रबन्ध करने के लिए कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त राक फास्फेट के महाराष्ट्र और गुजरात के उप-भोक्ताओं को राजस्थान क्षेत्र की देशीय सप्लाई, जिन्हें वढ़ाया जा रहा हैं, का इस्तेमाल करने का परामर्श दिया गया है। अगले कुछ वर्षों के दौरान राक फास्फेट के आयात का कार्यक्रम तैयार करने तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर कार्यवाही करने के लिए एम०एम०टी०सी० के निदेशकों की एक समिति बनाई गई है।

आय कर के निर्धारण के लिये योजनाएं

4667. **श्री द० रा० परमार :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड (प्रत्यक्ष कर) ने वर्ष 1966-67 और 1967-68 के लिए कर निर्धारण के हेतु "शीघ्र निपटारा" और "थोड़ी आय के मामलों का निपटारा", योजनायें आरम्भ की थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या थोड़ी आय के मामलों पर अधिकार क्षेत्र वाले आय कर अधिकारियों को उनके द्वारा इस योजना के अन्तर्गत किये गये अपने कार्य के गुणात्मक निरीक्षण के मामले में संरक्षण दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सी०आई०टी० गुजरात चार्ज-1 में किसी निरीक्षण सहायक आयुक्त ने केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

जीवन बीमा निगम के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत सामूहिक बीमे को लाना

4668. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या वित्त मंत्री 13 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6118 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामूहिक बीमे के क्षेत्र का विकास करने के बारे में इस बीच विचार कर लिया गया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना तथा उसकी क्रियान्विति के बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यथासम्भव अधिक से अधिक नियोक्ता-कर्मचारी समूहों को सामूहिक संरक्षण देने के प्रयोजन से सामूहिक बीमे के क्षेत्र का विस्तार करने के लिये जीवन बीमा निगम सक्रिय उपाय कर रहा है । इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी रखने वाले सरकारी क्षेत्र के संगठन भी शामिल हैं । उत्पादक सहकारी संस्थाओं जैसे ऐच्छिक समूहों को भी सामूहिक बीमा संरक्षण देने के लिए जीवन बीमा निगम विचार कर रहा है ; ऐसे ऐच्छिक समूहों की पहले, बीमा सम्बन्धी योग्यता के तत्वों के सन्दर्भ में छानबीन की जाती है, जैसे सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, समूह का विधान, सदस्यता की घटा-बढ़ी तथा समूह की आर्थिक वर्धन क्षमता और यदि वे उपयुक्त पाये जाते हैं तो ऐसे समूहों को बीमा संरक्षण दिया जाता है ।

(ख) जहां तक नियोक्ता-कर्मचारी समूहों का संबंध है, जीवन बीमा निगम ने अब तक 371 समूहों को सामूहिक बीमे का संरक्षण दिया है, जिनकी सदस्य संख्या लगभग 2,73,000

है। ऐच्छिक समूहों को सामूहिक बीमा लागू करने के प्रस्तावों पर अभी भी बातचीत चल रही है और अब तक ऐच्छिक समूहों को सामूहिक बीमा लागू करने की योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

पन्ना हीरों पर रायल्टी

4669. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान और धातु मन्त्री** पन्ना हीरों पर रायल्टी के बारे में 15 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6117 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच मामले पर अंतिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने गत वर्ष में रायल्टी से प्राप्त आय के बारे में अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत कर दी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

वसूल किये गये अनाज की बिक्री

4670. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि वसूल किये जाने वाले अनाज के लिए उदार मूल्य देने की वर्तमान नीति जारी रही तो क्या इस बात की आशंका है कि सरकार वसूल किये गये अनाज को आपात अथवा संकट के समय प्रतियोगी मूल्यों पर नहीं बेच सकेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इसपर निगम की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल ही नहीं उठता।

माचिसों में प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी

46 1. **श्री उमा नाथ** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माचिसों से प्राप्त होने वाले राजस्व में बहुत कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसका कारण "सेल्फ रीमूवल" प्रक्रिया को लागू करना है।

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार "सेल्फ रीमूवल" प्रक्रिया को हटाने के बारे में विचार करेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी कर्मचारियों को अपने स्वयं के मकानों से प्राप्त किराये पर आय-कर

4672. **श्री शशि भूषण :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी कर्मचारियों से उनको अपने निजी मकानों के किराये के रूप में प्राप्त आय पर आय-कर लगाती है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जी, हां। किसी भी अन्य व्यक्ति के मामले की भांति, सरकारी कर्मचारियों के मामले में भी, उनको उनके मकानों के किराये के रूप में हुई आय पर सरकार आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 22 के अधीन "गृह सम्पत्ति से आय" शीर्ष के अन्तर्गत आय-कर लगाती है।

बिना बारी के अलाटमेंट के लिए आवेदन-पत्र

4673. **श्री शशि भूषण :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच बिना बारी के सरकारी निवास-स्थान अलाट करने हेतु आवेदन-पत्रों पर विचार करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त आवेदन-पत्रों पर किस आधार पर विचार किया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार अपने पास अनिर्णीत पड़े बिना बारी के सरकारी आवास के अलाटमेंट के लिये सभी आवेदन-पत्रों पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर-विकास मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) फिलहाल बिना बारी के आवंटनों पर प्रतिबन्ध है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, आवंटन के लिए पड़े निलम्बित आवेदन-पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना-पार बस्तियों में मकानों का गिराया जाना

4674. **श्री शशि भूषण :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना पार बस्तियों में मकान गिराये जाने के बारे में 20 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6777 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) और (ख) के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उपर्युक्त जानकारी एकत्र करने में अभी और कितना समय लगेगा ; और

(ग) उन 19 बस्तियों को नियमित करने के बारे में क्या निर्णय किया गया है जहां रिहायशी भूमि है और जो सरकार के विचाराधीन थी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). यमुना पार क्षेत्र में 12 अनधिकृत कालोनियां हैं जो डी०डी०ए० के "विकास क्षेत्रों में" पड़ती है। प्राधिकरण ने इस से पूर्व इन कालोनियों में मकानों के गिराने लिए 835 नोटिस जारी किये थे। स्थिति का अब पुनरीक्षण किया गया है और प्राधिकरण द्वारा इनमें से 8 कालोनियों के नियमितीकरण सम्बन्धी प्लान तैयार किये गये हैं। शेष 4 कालोनियों में से, 3 बृहत्योजना की भूमि उपयोगिता के अनुसार नहीं है और एक में बहुत थोड़ी संरचनायें हैं। परिणामस्वरूप इन कालोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव नहीं है। जिन 8 कालोनियों के लिए नियमितीकरण सम्बन्धी प्लान तैयार किए गए हैं, उन्हें निम्न प्रकार से नियमित करना प्रस्तावित है :—

(i) इन कालोनियों में सारी भूमि को अर्जित किया जाएगा और उनमें मकानों/प्लाटों को लोगों को पट्टे पर दे दिया जाएगा ;

(ii) अर्जन की लागत तथा विकास की लागत और अन्य प्रभारों के बराबर प्रीम्यिम चार्ज की जाएगी ; और

(iii) किसी ऐसी सम्पत्ति के बारे में पट्टा नहीं दिया जाएगा जो दिल्ली में बृहत् योजना के भूमि-उपयोग के अनुसार न हो अथवा जो सड़कों, पार्कों, स्कूलों आदि जैसी किन्हीं सामुदायिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित हों।

(ग) स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

भारत तथा एशियाई विकास बैंक

4675. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई विकास बैंक को भारत ने कुल कितनी राशि दी है ;

(ख) बैंक के शासी निकाय में भारत के प्रतिनिधि का नाम क्या है ;

(ग) बैंक ने एशिया के विकासशील देशों को कुल कितनी सहायता दी है ; और

(घ) क्या भारत ने उपर्युक्त बैंक से सहायता की कोई मांग की है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एशियाई विकास बैंक की पूंजी में भारत का अंशदान 69.75 करोड़ रुपये का है। इसमें से आधी रकम मांगी जा चुकी है और बाकी आधी बाद में मांगी जा सकती हैं। भारत ने 34.875 करोड़ रुपये के मांगे गये भाग की अदायगी बराबर-बराबर की पांच वार्षिक किस्तों में की है।

इसमें से आधी रकम विदेशी मुद्रा में अदा की गई है और बाकी आधी रकम अ-हस्तांतरणीय गैर-ब्याजू रुपया प्रतिभूतियों के रूप में है।

इसके अलावा, हाल में बैंक की तकनीकी सहायता निधि में अंशदान के रूप में 2 लाख रुपया देने का फैसला किया गया है, ताकि बैंक की तकनीकी सहायता योजना के अधीन जब कभी आवश्यकता हो, भारतीय विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं को नियुक्त करने पर होने वाले खर्च को पूरा किया जा सके।

(ख) गवर्नरों के बोर्ड में, इस समय, गवर्नर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण और वैकल्पिक गवर्नर के रूप में वित्त मंत्रालय के अर्थ-विभाग के सचिव डा० आई०जी० पटेल कर रहे हैं। निदेशकमंडल में श्री डी०एस० जोशी भारतीय निदेशक हैं और श्री हिरेमठ भारत के वैकल्पिक निदेशक हैं।

(ग) पहली अगस्त, 1970 की स्थिति के अनुसार, बैंक ने एशिया के विकासशील सदस्य देशों को 135.19 करोड़ रुपये के बराबर की रकम के ऋण दिये हैं जिसमें से 5.37 करोड़ रुपया तकनीकी सहायता के लिए है।

(घ) जी, नहीं। भारत ने अभी तक बैंक से कोई ऋण नहीं मांगा है।

दिल्ली के निकट तेलशोधक कारखाना

4676. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान और धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फारस की खाड़ी में किए गए साझा उद्यम में भारत के हिस्से के उपयोग की समस्या के स्थाई समाधान के लिए दिल्ली के निकट रोस्टम अशोधित तेल (क्रूड) पर आधारित एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). रोस्तम कच्चे तेल के उपयोग के प्रश्न और अतिरिक्त शोधन क्षमता को स्थापित करने तथा इसे किस स्थान पर स्थापित किया जाए कि प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

अन्धेपन को रोकने के उपाय

4677. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्धेपन को रोकने के उपाय के रूप में इस वर्ष सात राज्यों में 16 लाख बच्चों को विटामिन 'ए' देने की योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस योजना पर अनुमानत: कितना व्यय होगा ; और

(घ) इस योजना को किन-किन राज्यों में क्रियान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए, विटामिन 'ए' की कमी की मात्रा के आधार पर चुने गये क्षेत्रों में रहने वाले, एक से तीन वर्ष के बच्चों को विटामिन 'ए' के दो लाख अन्तर्राष्ट्रीय यूनिटों की एक खुराक छह महीनों में एक बार खिलाई जायेगी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों और नगरीय संस्थानों में मातृ, शिशु, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन का काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जाएगा।

(ग) चौथी योजना की अवधि के लिये 40 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(घ) आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, तमिल नाडू, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल।

हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन के बारे में जांच

4678. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिला-बरौनी कानपुर पाइपलाइन्स के बारे में जांच करने के लिए नियुक्त जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) श्री एन० एस० राव ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जांच कमीशन आफ इंक्वारीज एक्ट के अन्तर्गत नहीं थी।

(ख) संक्षेप में, श्री एन० एस० राव के निष्कर्ष निम्न प्रकार है :

(1) पाइपलाइन के इन्जीनियरों ने उचित सचेतना बरती है।

(2) बंगाल सरकार से आपत्तियां प्राप्त होने पर, मामले के विभिन्न पहलुओं पर उचित सावधानी से विचार किया गया।

(3) प्रस्तावित संरक्षण के लिए विदेशी विशेषज्ञों अर्थात वैक्टेलज तथा सनाम प्रोमेट्टी पर कोई दायित्व नहीं है।

(4) भारतीय तेल निगम/भारतीय रिफाइनरीज लिमिटेड ने प्रस्तावित संरक्षण के लिए किये जाने वाले सुरक्षणों के प्रश्न पर विचार किया था, और इस मामले में न ही कोई विलम्ब हुआ है और न ही कोई चूक।

(5) संरक्षण के लिए सरकार की अनुमति पर इंडियन रिफाइनरीज ने कार्यान्विति शुरू

कर दी और जनवरी, 1965 में जिस समय सरकार का खान के मालिकों की आपत्तियों का पता लगा, तब तक कोयला खान क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाई जा चुकी थी।

(6) 1964 में बरौनी शोधनशाला का पहला चरण मुकम्मल करने में कोई महत्वपूर्ण विलम्ब नहीं हुआ था और इसलिए यह कल्पना करने के लिए कोई आधार नहीं है कि किसी प्रकार का विलम्ब होगा।

(7) जुलाई, 1963 से पुनः संरखण के निर्णय लेने तक, निदेशकों के बोर्ड को प्रगतियों के बारे में अवगत नहीं कराया गया है ; लेकिन इण्डियन रिफाइनरीज लि० के प्राधिकारियों की ओर से किसी मौलिक चरित्र की कोई भूल नहीं हुई है।

(8) कोई सम्बद्ध अधिकारी अपने उत्तरदायित्व को निभाने में प्रत्यक्षतः लापरवाह अथवा प्रभावी न था। लेकिन कोयला खनन सलाहकार ने दृढ़ राय न देते हुए कमजोरी दर्शायी जबकि ऐसा करना उसका कर्तव्य था और खानों के मुख्य निरीक्षक ने आत्म सम्मान की भावना को देश हित के चिन्तन से तरजीह दी।

(9) पाइपलाइन के पुनः संरखण के लिए सरकार की मंजूरी पर पुनः विचार करने की आवश्यकता हुई है। यह केवल खनन इन्जीनियरों के परामर्श पर ही नहीं किया जाना चाहिए ; बल्कि देश में विद्यमान कई सम्बद्ध तकनीकी संस्थाओं का भी लाभ उठाना चाहिए।

सरकारी उपक्रमों की समिति ने भी 19 9-70 में भारतीय तेल निगम के पाइपलाइनज प्रभाग की एक स्वतंत्र जांच की। उन विषयों पर जिनकी सरकारी उपक्रमों पर समिति और श्री एन० एस० राव की समिति ने जांच की थी, निष्कर्ष एक दूसरे से भिन्न है। यह सन्देह रहित निश्चित करना कि क्या इन परियोजनाओं से सम्बन्धित अधिकारी सचमुच ही भूल के लिए दोषी हैं और यदि लापरवाही या अन्य कोई बुरा इरादा सिद्ध हो गया तो उपयुक्त अनुवर्ती कार्यवाही करना आवश्यक नजर आता है। मामले की और सरकारी उपक्रमों पर समिति द्वारा बताई गई अन्य बातों की पूर्ण जांच करने के लिए, सरकार ने कमीशनज आफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952 के अन्तर्गत एक व्यक्ति आयोग, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री जे० एन० टकरु होंगे, नियुक्त करने का अब निर्णय किया है।

Payment of Income Tax by Uttar Pradesh Silk Industry Cooperative Organisation, Prem Nagar, Dehra Dun

4679. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the years in which the income of Uttar Pradesh Silk Industry Cooperative Organisation, Prem Nagar, Dehra Dun, exceeded Rs. 25,000 and the actual amount thereof, yearwise ;

(b) the amount of Income-tax paid by the said organisation during each of these years ; and

(c) the amount of Income-tax outstanding against this organisation and the steps being taken to recover the same ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The details of the years and income in which the income of Uttar Pradesh Silk Industry Cooperative Organisation, Prem Nagar, Dehra Dun has exceeded Rs. 25,000/- are as under :

Accounting year	Assessment year	Income as per Profit and Loss Account
		Rs.
1-7-62—30-6-63	1964-65	47,870
1-7-63—30-6-64	1965-66	66,216
1-7-64—30-6-65	1966-67	32,858
1-7-65—30-6-66	1967-68	40,172
1-7-66—30-6-67	1968-69	1,70,442
1-7-67—30-6-68	1969-70	1,34,159
1-7-68—30-6-69	1970-71	49,626

(b) and (c). Nil.

भारतीय तेल निगम द्वारा गुजरात को सप्लाई किए गए अवशिष्ट ईंधन-तेल का मूल्य निर्धारित करना

4680. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्ता :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार का उक्त सुझाव अस्वीकार कर दिया है कि अवशिष्ट ईंधन तेल का मूल्य राज्य सरकार तथा तेल निगम के द्वारा पारस्परिक विचार-विमर्श से निर्धारित किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सुझाव किस आधार पर अस्वीकार किया गया ; और

(ग) क्या उक्त विवाद को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार का कोई अन्य फार्मूला प्रस्तुत करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) तेल-मूल्य समिति की इस सिफारिश, कि गुजरात में गुजरात बिजली बोर्ड और अन्य उपभोक्ताओं के लिए अवशिष्ट ईंधन तेल का मूल्य 45 रुपए प्रति मीटरी टन होना चाहिए, को अस्वीकार करने के सरकार के निर्णय के विरुद्ध गुजरात राज्य में अभ्यावेदन दिया है।

(ख) तेल मूल्य समिति ने सिफारिश की है कि धुवारन प्लांट को सप्लाई के लिए कम्पनी के स्टोरेज पाइनट पर अवशिष्ट ईंधन तेल का मूल्य 45 रुपये प्रति मीटरी टन होना चाहिए। एल० एस० एच० एस० के लिए, जो अवशिष्ट ईंधन तेल का दूसरा नाम है, समिति ने कोई अधिकतम मूल्य प्रस्तावित नहीं किया है ; लेकिन सुझाव दिया है कि मूल्य, क्रेता तथा विक्रेता के बीच बातचीत से तय किया जाना चाहिए। इस प्रकार एक ही उत्पाद के लिए दो सिफारिशें हैं।

अतः यह सिफारिश, कि गुजरात राज्य बिजली बोर्ड के लिए अवशिष्ट ईंधन तेल का मूल्य 45 रुपए प्रति मीटरी टन हो, पक्षपात पूर्ण है, और इसलिए, सरकार ने इसे अस्वीकार किया है। इसके यह तथ्य भी है कि यह मूल्य, दूसरे उपभोक्ताओं द्वारा दिए जा रहे मूल्य की तुलना में बहुत कम हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव है कि मूल्य क्रेता और विक्रेता के बीच बातचीत द्वारा निर्धारित होना चाहिये जैसा कि अन्य केसों में हो रहा है।

नई दिल्ली में नई दिल्ली नगर पालिका के प्रस्तावित फाइव स्टार होटल की इमारत का खाली पड़े रहना

4681. **श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एफ फाइव स्टार होटल चलाने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा निर्मित भव्य भवन खाली पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). नई दिल्ली नगर पालिका ने चाणक्यपुरी में लगभग 1.2 करोड़ रुपये की लागत (भूमि के मूल्य के अतिरिक्त) के एक भवन का निर्माण किया है। नगर पालिका ने सूचित किया है कि भवन के लाइसेंसिंग के लिए कई बार निविदायें मांगीं गई परन्तु इनमें से किसी भी निविदा को पालिका ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि या तो अधिकतम टेण्डर देने वाला निविदा की आधारिक अपेक्षाओं को तथा निर्धारित शर्तों को पूरी नहीं कर सका अथवा अधिकतम टेण्डर देने वाले की शर्तें पालिका को मान्य न थीं।

Loans Advanced to Agriculturists from Nationalised Banks

4682. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government have decided to advance loans to agriculturists on interest at the rate of $2\frac{1}{2}\%$ through the nationalised banks for the development of agriculture ; and

(b) if not, the reasons therefor and the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Considering the interest rates at which the nationalised banks can attract deposits from different sources and their operational costs, it is not possible for them to advance loans to agriculturists at such a low rate of interest as $2\frac{1}{2}\%$. However, at a meeting with the Custodians of the nationalised banks held on the 22nd July, 1970, the Minister of Finance has asked these banks to consider the feasibility of introducing a scheme of differential interest rates under which lower rates are charged from carefully selected low-income groups and progressively stiffer ones from the affluent sections. A committee is to be set up to work out details.

गोल्डन टुबैको कम्पनी द्वारा आयकर तथा धनकर का भुगतान

4683. **श्री सीताराम केसरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 से वर्ष 1969-70 तक की अवधि के लिए गोल्डन टुबैको कम्पनी के भागीदारों के सम्बन्ध में आय-कर तथा धन-कर का क्या अनुमान लगाया गया है ;

(ख) क्या भागीदारों ने इस राशि का भुगतान कर दिया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस संबंध में एक भागीदार को दोषी घोषित किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गोल्डन टुबैको कम्पनी एक लिमिटेड कम्पनी है। लिमिटेड कम्पनी में भागीदार नहीं होते हैं। इसलिए भागीदारों के कर निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय तेल निगम के साथ अनुचित सौदे करने के कारण स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही

4685. **श्री सीताराम केसरी :**

श्री मंगलाथुमाडम :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई द्वारा किये गये सौदों से सन्तुष्ट नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). जैसा कि 27 जुलाई, 1970 को लोक सभा में पूछे गये अता० प्रश्न संख्या 200 के भाग (ख) के उत्तर में बताया जा चुका है, मामले पर भारतीय तेल निगम तथा मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम बैरल मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, बम्बई के बीच बातचीत हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारतीय तेल निगम ने मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। क्योंकि इसका सम्बन्ध भारतीय तेल निगम के अन्य व्यापारिक कम्पनी के साथ कारोबार से है, भारतीय तेल निगम ने अपने क्रय करार के अनुसार कार्यवाही करनी है। सरकार द्वारा इस फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

कार्यालयों को दिल्ली से बाहर ले जाया जाना

4686. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अमहत्वपूर्ण कार्यालयों को दिल्ली से बाहर राज्यों के अन्य शहरों में ले जाने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार सरकारी आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस बात पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) और (ख). सरकार की यह नीति है कि कार्यालय और रिहायशी वास, दोनों के मामले घनता को कम करने की दृष्टि से और भूमि तथा विभिन्न नागरिक सेवाओं पर अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए कार्यालय को दिल्ली से बाहर भेजा जाये। कार्यालयों को बाहर भेजने के प्रस्तावों पर, सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श के बाद कार्यवाही की जाती है, और जिन कार्यालयों की मौजूदगी दिल्ली में अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं समझी जाती है, तथा जो दिल्ली से बाहर रह कर अपनी प्रशासनिक कुशलता में बिना हानि पहुंचाए कार्य कर सकते हैं, उन्हें दिल्ली से बाहर के स्थानों में स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित है।

निर्धारित नीति के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को गत दो दशकों में दिल्ली से शिमला, मसूरी, नागपुर, फरीदाबाद, नांगल, गोरखपुर, लखनऊ, देहरादून, जयपुर आदि भेजा गया है। दिल्ली से कार्यालयों के बाहर भेजने के प्रयत्न जारी हैं, किन्तु आमतौर पर निम्नलिखित कारणों से प्रगति धीमी है :

(क) अन्य नगरों में कार्यालय तथा रिहायशी, दोनों के लिए उपयुक्त वास की कमी।

(ख) दिल्ली से दूरी।

(ग) दिल्ली से बाहर जाने के लिए अन्य कारणों के साथ साथ सचिवालय से सम्पर्क ब ाये रखने की आवश्यकता, प्रशासनिक और कार्यात्मक असुविधा के कारण कार्यालयों की अनिच्छा।

कोलार सोना खान उपक्रम में विदेशी परामर्शदाता

46 7. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोलार सोना खान उपक्रम में विदेशी परामर्शदाताओं की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार विदेशी परामर्शदाताओं की सेवाओं के बारे में मामले की जांच की गई है और यह निश्चय किया गया है कि 31-3-1971 से कोलार सोना खान उपक्रम के विदेशी परामर्शदाताओं की सेवायें समाप्त कर दी जाएं।

'ओपरेशन हार्डराक' सर्वेक्षण

4688. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967 में चलाये गये "आपरेशन हार्डराक" अभियान से देश में कई नई धातुओं का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धातुओं का पता चला है और वे किन-किन क्षेत्रों में पायी गई हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). जी, हां। जुलाई 1967 में आरम्भ किये गये "आपरेशन हार्ड-राक" प्रायोजना के परिणाम स्वरूप, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में जस्ता-सीसा खनिजीकरण खण्ड और बिहार के सिंगभूम जिले में वहारागेरा क्षेत्र में ताम्र खनिजीकरण खण्ड प्रकाश में आए हैं। कुछ बिन्दुओं पर मालिबडनम के छोटे से प्राप्ति-स्थल भी अभिलिखित हुए हैं। इन क्षेत्रों में विगत व्यधन उत्साहवधक है लेकिन अयस्क निकायों की श्रेणी एवं विस्तार के निर्धारण के लिए आगे व्यधन प्रगति पर हैं।

प्रायोजना के प्रथम—प्रावस्था के दौरान अर्थात राजस्थान, आंध्र प्रदेश बिहार एवं पश्चिमी बंगाल के भागों में कुल 93,000 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में हवाई भूभौतिकी सर्वेक्षण पूर्ण किया जा चुका है। अयस्क निकायों की श्रेणी एव विस्तार निर्धारण के लिए प्रगति पर है। भू-रसायन-अन्तर्ग्रस्त भूभौतिकी सर्वेक्षण, भूविज्ञान, फोटो—भूविज्ञान, भूभौतिक से उत्पन्न हवाई विसंगतियों पर चयित लक्ष्यों में व्यधन परीक्षणों से भूगर्भीय अध्ययन प्रगति पर हैं।

रामपुरा, दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय

4589. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामपुरा, दिल्ली-35 में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय अथवा अन्य कोई सरकारी या नगरपालिका का अस्पताल नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त बस्ती में काफी अधिक संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं और उनकी चिकित्सा के लिये कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त क्षेत्र के निवासियों के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोलने तथा अन्य चिकित्सा सुविधायें देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). त्रिनगर क्षेत्र, जिसका रामपुरा एक भाग है, में लगभग 500 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी रहते हैं। केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा सेवा) नियमों के अनुसार उन्हें अधिकृत चिकित्सा सेवकों द्वारा चिकित्सा सेवा सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अनुसार 2000—2500 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक चिकित्सालय खोला जाता है। रामपुरा क्षेत्र में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या इतनी नहीं कि वहां चिकित्सालय का खोला जाना उचित हो।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए फ्लैट बनाने की योजना

4690. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मध्य आय वर्ग के उन लोगों के लिये फ्लैट बनाने की योजना बनाई है जिन्होंने फ्लैट खरीदने के इच्छुक योजना के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अपने नाम दर्ज करवाये थे ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण की बस्तियों के नाम क्या हैं और वहां मध्य आय वर्ग के लिए कितने और किस टाइप के फ्लैट बनाये जायेंगे ;

(ग) क्या सम्बन्धित व्यक्तियों से पूछा गया है कि वे दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार के फ्लैटों में से किस टाइप के फ्लैट लेना चाहते हैं और किस बस्ती में ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या फ्लैट बनाने से पूर्व ऐसा करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया गया धन

4691. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अगस्त, 1969 से 31 जुलाई, 1970 तक प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना धन जमा कराने वाले नये जमाकर्ता की क्या संख्या है और नई जमा की कुल राशि क्या है ;

(ख) निर्यातकों, आयातकों, उद्योगपतियों, दुकानदारों और राज्य सरकारों द्वारा कितना धन जमा कराया गया ; और

(ग) इस अवधि में प्रत्येक वर्ग के लिए व्याज की शर्तें क्या हैं और पिछले वर्ष यह क्या थीं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). नये जमाकर्ताओं ओर नई जमा रकमों की कुल राशि के सम्बन्ध में प्रश्न में पूछी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है क्योंकि बैंक जमा रकमों के सम्बन्ध में आंकड़े इस प्रकार नहीं रखते । भारत भर में फैली हुई 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की 5,000 शाखाओं से इस प्रकार की सूचना इक्ट्ठी करने में जितना समय और पैसा खर्च करना पड़ेगा वह इससे निकलने वाले फल के अनुरूप नहीं होगा ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा रकमों पर ब्याज की दरें

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

	1-9-1969 से पूर्व	1-9-1969 से	1-4-1970 से
	(1)	(2)	(3)
चालू खाते	शून्य (कुछ अपवादों के साथ)	) रिजर्व बैंक की) पूर्व-अनुमति के) बिना कोई	रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना कोई
14 दिन तक की जमा रकमें	शून्य	) ब्याज नहीं) (1-11-1969 से)	ब्याज नहीं
बचत खाते	$3\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$
15 दिन से 45 दिनों के लिये जमा रकमें	दर $1\frac{1}{4}$ प्रतिशत से अधिक नहीं	दर $1\frac{1}{4}$ प्रतिशत से अधिक नहीं	दर $1\frac{1}{4}$ प्रतिशत से अधिक नहीं
46 दिन से 90 दिनों के लिए जमा रकमें	दर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक नहीं	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$
91 दिन या इससे अधिक परन्तु 6 महीनों से कम अवधि के लिए जमा रकमें	4	4	4
6 महीने और अधिक परन्तु 9 महीने से कम अवधि के लिए जमा रकमें	$4\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$
9 महीने और अधिक परन्तु 1 वर्ष से कम अवधि के लिए जमा रकमें	5	5	5
एक वर्ष और अधिक परन्तु 2 वर्ष से कम अवधि के लिए जमा रकमें	$5\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$
दो वर्ष और अधिक परन्तु 3 वर्ष से कम अवधि के लिए जमा रकमें	$5\frac{3}{4}$	$5\frac{3}{4}$	$5\frac{3}{4}$
3 वर्ष के लिए जमा रकमें	6	6	6

	1	2	3
3 वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम अवधि के लिए जमा रकमें	6	6	6½
5 वर्ष के लिए जमा रकमें	6½	6½	6½
5 वर्ष से अधिक परन्तु 6 वर्षों तक, जिसमें पूरे 6 वर्ष भी शामिल है, के लिए जमा रकमें	6½	6½	6¾
6 वर्ष से अधिक की अवधियों के लिए जमा रकमें	6½	6½	7

भारत के स्टेट बैंक में जमा राशि

4692. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के स्टेट बैंक में 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में कुल कितनी-कितनी राशि जमा थी ;

(ख) यह राशि किन मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत जमा थी और प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कुल कितनी राशि जमा थी ; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों और अराष्ट्रीयकृत बैंकों में इन वर्षों में प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत कितनी कितनी राशि जमा थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य उल्लिखित वर्षों का किन-किन तारीखों को जमा राशि के आंकड़े जानना चाहते है। फिर भी, 1967, 1968 और 1969 के अंत में, भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों में मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत जमा राशि के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

31 दिसम्बर, 1967, 31 दिसम्बर, 1968 और 26 दिसम्बर, 1969 की स्थिति के

अनुसार भारतीय स्टेट बैंक और अन्य वाणिज्यिक बैंकों में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जमा राशियां** :

जमा	भारतीय स्टेट बैंक	स्टेट बैंक के सहायक बैंक	1969 में राष्ट्रीयकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	अन्य वाणिज्यिक बैंक		
				विदेशी* अनुसूचित बैंक	भारतीय अनुसूचित बैंक	कार्य कर रहे अनुसूचित बैंक
	1	2		4	5	6

(रकम करोड़ रुपयों में)

31-12-1967 को						
सावधि जमा	382.51	145.92	1139.22	206.34	142.70	13.42
बचतें	139.77	57.84	625.52	78.38	56.62	5.69
चालू	336.13	59.88	547.62	118.11	41.93	6.47
जोड़	858.41	263 64	2312.36	402.83	241.25	25.58
31-12-1968 को						
सावधि जमा	448.94	155.23	1330.87	232.94	157.96	13.62
बचतें	162.49	65.78	713.55	86.89	66.42	6.28
चालू	338.40	65.23	625.06	115.44	49.13	7.51
जोड़	949.83	286.24	2669.48	435.27	273.51	27.41
26-12-1969 को @						
सावधि जमा	551.99	172.57	1449.04	257.05	191.98	12.56
बचतें	203.05	75.71	835.87	100.49	75.88	6.31
चालू	371.83	70.94	526.58	129.83	52.22	5 58
जोड़	1126.87	319.22	2811.49	487.37	320.08	24.45

*इनमें हबीब बैंक और नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान शामिल नहीं है।

@आंकड़े अनन्तिम है ।

**इनमें अन्य बैंकों की और भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की जमा राशियां शामिल है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में समान वेतनमान

4693. श्री अब्दुल गनी डार : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में 31 जुलाई, 1970 को क्या वेतनमान थे ; और

(ख) क्या सरकार का विचार सब राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया में एक जैसी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये समान वेतनमान निर्धारित करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) संलग्न अनुबन्ध में 31 जुलाई, 1970 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रचलित वेतन-मान दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4116/70]

(ख) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

Gold Reserves Found in Raipur and Raigarh Districts of Madhya Pradesh

4694. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Himatsingka :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that gold reserves have been prospected in Raipur and Raigarh Districts of Madhya Pradesh and in the Sone river area of District Balaghat ;

(b) if so, the scheme formulated by Government for its exploitation ; and

(c) the approximate quantity of gold likely to be found in those gold reserves ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Nitiraj Singh Choudhary) : (a) to (c). Investigation for gold are being conducted in Raipur and Raigarh districts and Sone river catchment in Balaghat district by the State Government of Madhya Pradesh. The Geological Survey of India have also conducted preliminary surveys for gold in Balaghat district during 1968-69. As a result of these investigations, only traces of gold particles have been reportedly found in Raipur and Raigarh districts. No indication of gold has been reported in Sone river catchment of Balaghat district.

Since no promising prospects for gold have yet been located, the question of formulation, of any scheme of exploitation at this stage, does not arise.

The Madhya Pradesh State Government authorities are also carrying on prospecting for gold in these areas.

कलकत्ता में हैजा महामारी

4695. **श्री कं० हाल्दर : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते के कुछ क्षेत्रों में हैजा महामारी का प्रकोप फैल गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) हैजे से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) कलकत्ता और इसके बस्ती क्षेत्रों में हैजा फैलने की खबर तो है किन्तु महामारी के रूप में नहीं।

(ख) राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस रोग को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक निरोधी उपाय बरते हैं जिनमें निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं :—

(1) शहर भर में हैजा निरोधी टीके लगाना।

(2) रोगियों के मकानों तथा नालियों को ब्लीचिंग पाउडर तथा चूने से विसंक्रमित करना।

(3) बिना साफ किए हुए पानी का क्लोरिनीकरण तथा सुरक्षित पेय जल की सप्लाई करना।

(4) कटे हुए फलों तथा पेयों की बिक्री पर रोक लगाना।

(5) बासी सब्जियों और सड़ी मछलियों आदि को नष्ट कर देना।

(6) हैजा के नियन्त्रण के लिए भारतीय महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अधीन अस्थायी विनियम जारी करना।

(ग) जनवरी, 1970 से 8 अगस्त, 1970 तक की अवधि में 87 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

प्रत्यक्ष कर जांच समिति

4696. श्री कं० हाल्दर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष कर जांच समिति ने चोरबाजारी तथा कर अपवंचन से संबन्धित विभिन्न पहलुओं पर 106 प्रश्नों वाली कोई प्रश्नावली जारी की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। प्रत्यक्ष कर जांच-समिति ने निम्नलिखित विषयों के विभिन्न पहलुओं पर, एक सौ छः मुद्दों वाली एक प्रश्नावली जारी की है :—

(1) काला-धन तथा कर-अपवंचन

(2) कर से बचाव

(3) कर की बकाया

(4) छूट तथा कटौतियां

(5) कर-प्रशासन

(6) सामान्य

(ख) माननीय सदस्यों के सूचनार्थ संसद् के ग्रथागार में प्रश्नावली की प्रतियां हाल ही में रख दी गयी हैं।

इण्डियन ग्राक्सीजन लिमिटेड में विभिन्न वस्तुग्रों की प्रतिष्ठापित क्षमता ग्रौर उत्पादन

4697. **श्री कं० हाल्दर :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड में विभिन्न वस्तुओं की प्रतिष्ठापित क्षमता ग्रौर उक्त एककों में विभिन्न रासायनिक वस्तुग्रों, गैस, इलैक्ट्रोडों, गैस कटिंग ग्रौर वैल्डिंग उपकरणों का कितना उत्पादन होता है ग्रौर उनकी कीमत क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : सूचना इकट्ठी की जा रही है ग्रौर सभा-पटल पर रखी जाएगी।

केसोराम इण्डस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड द्वारा जारी किये गये ऋण पत्र

4698. **श्री कं० हाल्दर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिरला बन्धुओं की केसोराम इंडस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड ने 1.5 करोड़ रुपये के ऋण पत्र जारी किये हैं ;

(ख) क्या इससे धन के एकत्रीकरण ग्रौर एकाधिकार को ग्रौर ग्रधिक बढ़ावा मिलेगा ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान। केसोराम इंडस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड ने ग्रान्ध्र प्रदेश में स्थित ग्रपने सीमेंट के कारखाने के विस्तार पर ग्राने वाले खर्च को पूरा करने के लिये 150 लाख रुपये के मूल्य के रजिस्टर्ड ऋणपत्रों के ग्रपने प्रस्तावित निर्गम के संबंध में पूंजी निर्गम (छूट) ग्रादेश, 1969 के ग्रन्तर्गत 7 ग्रप्रैल, 1970 को प्रस्तावों का एक विवरण प्रस्तुत किया था। पूंजी निर्गम नियंत्रक ने 27 मई 1970 को इस प्रस्ताव की प्राप्ति स्वीकार की थी। कम्पनी द्वारा ये ऋण पत्र 30 मई, 1970 को एक विवरणपत्र (प्रास्पेक्टस) के जरिये जारी किये गये थे। इनकी बिक्री 15 जून, 1970 को शुरू की गयी थी ग्रौर 24 जून, 1970 को बन्द की जानी थी।

(ख) ग्रौर (ग). एकाधिकारवादी ग्रौर प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रणाली ग्रधिनियम, 1 जून, 1970 को लागू हुग्रा था। सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि क्या इन ऋणपत्रों को जारी करने के लिए, जो कि जारी किये जा चुके हैं, इस ग्रधिनियम के उपबन्धों के ग्रनुसार सरकार की पूर्वानुमति लेना जरूरी था, ग्रौर यदि जरूरी था तो ऋणपत्रों के निर्गम से पहले कम्पनी द्वारा इसके लिये ग्रनुमति न लिये जाने पर इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जानी चाहिये।

स्नातकोत्तर संस्था, चंडीगढ़ में रोगी शैय्याओं (इंडोर बैड्स) की निर्धारित क्षमता

4699. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्नातकोत्तर संस्था, चंडीगढ़ में रोगी शैय्याओं (इंडोर बैड्स) की कुल निर्धारित क्षमता कितनी है ;

(ख) उनमें से कितनी शैय्याओं का प्रयोग नहीं किया जाता और उनके प्रयोग न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्तमान क्षमता को बढ़ाने और बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, संस्थान, चंडीगढ़ के अस्पताल में 1000 पलंग आ सकते हैं ।

(ख) और (ग). उपयोग में केवल 730 पलंग है । पलंगों की संख्या में किसी प्रकार की वृद्धि संस्थान की आवश्यकता तथा साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

बहरे व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों का खोला जाना

4700. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहरे व्यक्तियों के लिये कोई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). चौथी योजना में बहरों समेत सभी असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । तथापि, भारत सरकार ने प्रौढ़ बहरों के लिये हैदराबाद में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर दिया है जो बहरे लड़कों और लड़कियों को आधी दर्जन इंजीनियरी और गैर-इंजीनियरी व्यवसायों में प्रशिक्षण देता है । प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष है ।

अन्य महत्वपूर्ण यूनिटों को जोड़कर अन्ततः इस केन्द्र को एक राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना है ।

Free Telephone Calls Allowed to Government Officials Vis-a-Vis Members of Parliament

4701. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that employees and officers of the Central Government are allowed 1500 free telephonic calls for a period of three months from the Government tele-

phones provided at their residences, whereas Members of Parliament are allowed only 1350 free telephonic calls for the same period from the telephones installed at their residences; and

(b) if so, the reasons for such discrimination ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). Prior to September 1967, there was no ceiling on free calls in respect of residential telephones of Government officials. As a measure of economy, orders were issued on 8-9-1967 to the effect that a government official who is provided with a residential telephone is entitled to 1500 free local calls only per quarter from that telephone (excluding STD calls, if any, which are certified as having been made for official purposes). A Member of Parliament who is entitled to have one free telephone each at Delhi and at his usual place of residence, is entitled to make 5400 free local calls per annum (which works out to 1350 per quarter) from each of these two telephones. The entitlement of Members of Parliament is based on the recommendations of the Joint Committee on Salaries, Allowances and other Amenities to Members of Parliament. In the circumstances, it is considered that the question of any comparison should not arise.

केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क विमाग में अपर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति के लिये आयु सीमा में छूट

4702. **श्री लताफत अली खां :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क विभाग में अपर डिवीजन क्लर्क को इंस्पैक्टर के ग्रेड में पदोन्नत करने के लिये 38 वर्ष की आयु सीमा थी जिसे जून, 1970 में कुछ रिक्त स्थानों को भरने के लिये 40 वर्ष कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण

(ख) इसका प्रयोजन उन उच्च श्रेणी लिपिकों को राहत देना था जो अधिक-आयु के हो चुके थे और जो निरीक्षकों के ग्रेड में रिक्त पदों को भरने पर मई, 1968 में लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण, केंद्रीय उत्पादन शुल्क के निरीक्षक-ग्रेड में पदोन्नति का अवसर खो चुके थे।

दिल्ली में शराब की दुकानों पर छापे

4703. **श्री लताफत अली खां :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली के विदेशी शराब के भंडारों पर सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी नियंत्रणार्थ निरीक्षण करने गये थे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शराब के भंडारों में निर्धारित मात्रा से शराब कम पायी गई या अधिक ;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) क्या ऐसे निरीक्षण राजदूतावासों में भी किये गये हैं और यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) की गयी जांच के परिणामत: दो गोदामों में स्काच व्हिस्की की चौदह (14) बोतलें कम पाई गई।

(ग) एक गोदाम को तो कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है, परन्तु दूसरे के मामले में जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है।

(घ) राजदूतावासों में कोई जांच नही की गयी।

सीमा शुल्क विभाग, नई दिल्ली द्वारा हथकरघा वस्त्र उत्पाद सामग्री का रोका जाना

4704. श्री लताफत अली खां : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघे से बने कपड़े के किसी पार्सल को सीमा शुल्क विभाग, नई दिल्ली ने हाल ही में रोक लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). दिल्ली सीमा शुल्क विभाग द्वारा हाल ही में माल के 13 जत्थे पकड़े गये थे जिनमें हैण्डलूम कपड़े के उत्पाद भरे बताए गये थे। पोतवहन दस्तावेजों में, निर्यातकर्ताओं ने इस माल के ब्यौरे देते समय इन्हें हैण्डलूम की सूती वस्तुएं बताया था। जांच करने पर इस माल में मिल का बना सूती कपड़ा अथवा सिले हुए कपड़े निकले। क्योंकि पोतवहन दस्तावेजों में निर्दिष्ट गन्तव्य स्थानों को मिल के बने सूती कपड़ों तथा सिले हुए कपड़ो के निर्यात के लिए निर्यात व्यापार नियंत्रण लाइसेंस आवश्यक था, इसलिए इस माल को रोक लिया गया और सम्बन्धित निर्यातकर्ता के विरुद्ध न्यायनिर्णय की कार्यवाही शुरू की गई। प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर न्यायनिर्णय के बाद माल को छोड़ दिया गया।

उड़ीसा में एल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना

4705. श्री अ० दीपा : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में एक एल्यूमिनियम कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त कारखाने के लिये कितने कच्चे माल की आवश्यकता होगी और उसके प्राप्त करने के क्या साधन होंगे ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स जे० के० इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता, जो कि पहिले एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया के मैनेजिंग एजेण्ट थे, के पास उड़ीसा में प्रति वर्ष 30,000 मैट्रिक टन

क्षमता के एक नये एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना के लिए एक आशय-पत्र है। उड़ीसा में इस संयंत्र की स्थापना के लिए पार्टी ने एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया के नाम पर औद्योगिक अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सरकार को आवेदन दिया है। यह सरकार के विचाराधीन है।

(ग) इस संयंत्र के लिए अपेक्षित आधारित कच्चा माल बाक्साइट है जो कि उड़ीसा राज्य में गन्धमरधान पठार से मुख्य रूप से उपलब्ध होगा। क्राइओलाइट, एल्यूमिनियम फ्ल्युओराइड, फ्ल्युओरस्पार आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण कच्चे मालों की आवश्यकताओं की पूर्ति, अंशतः स्वदेशी उत्पादन और अंशतः आयातों द्वारा, की जायेगी।

बल्गेरिया के सहयोग से 'गामा गुलोबुटिन' का उत्पादन

4706. **श्री जनार्दनन** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्गेरिया के सहयोग से भारत में 'गामा गुलोबुटिन' का उत्पादन करने के लिये भारत में एक कारखाना स्थापित करने का एक प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त कारखाने की स्थापना पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). निम्नलिखित दो पदों (दवाइयों) के निर्माण के लिए, 16 जनवरी, 1968 को मैसर्स क्योरवैल (इंडिया) लि० नई दिल्ली को, मैसर्स टैकनो एक्सपोर्ट, सोफिया, बुलगारिया के सहयोग से, फरीदाबाद (हरियाणा) में एक नये उपक्रम की स्थापना के लिए एक औद्योगिक लाइसैन्स मंजूर किया गया था :—

(i) गामा गुलोबुलिन	प्रति वर्ष 5 लाख संयुटक
(ii) एलबुमेन	प्रति वर्ष 300 किलोग्राम

विदेशी सहयोग की मुख्य शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

(क) बुलगारिया के मैसर्स टैकनो एक्सोपोर्ट, साम्य पूँजी 49 प्रतिशत तक (अर्थात् 27,50,000 लाख रुपये की साम्य पूँजी के प्रस्तावित प्रचलन में से 13,47,500 लाख रुपये के शेयरस) देगा, जो (पूंजी) संयन्त्र तथा मशीनरी के आयात के लिए आवश्यक—सीमा तक इस्तेमाल की जायेगी और यदि कोई शेष हुई, तो वह नकद अदायगी पर लाई जायेगी ;

(ख) तकनीकी जानकारी की सप्लाई, ट्रेड-मार्कस के प्रयोग आदि के बारे में सात साल की अवधि के लिए निबल विक्रय पर 3 प्रतिशत (करों के अन्तर्गत) की दर से केवल गामा गुलोबुलिन पर रायल्टी की अदायगी ;

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए 10,000 अमरीकी डालरों के बराबर रुपयों में अदायगी ;

(घ) निर्यात की अबाध्य अनुमति होगी और विदेशी फर्म, विश्व-बाजार-मूल्य से

10 प्रतिशत कम मूल्य पर, शुष्क रूप में गामा गुलोबुलिन पदार्थ के वार्षिक उत्पादन के 50 प्रतिशत तक निर्यात की गारण्टी देगी ; और

(ङ) भारतीय फर्म, इण्डो-बुलगारियन क्रैडट एग्रीमैन्ट के अन्तर्गत 7.3 लाख रुपये का ऋण प्राप्त कर सकती है जो 2½ प्रतिशत ब्याज की दर पर ग्यारह वार्षिक बराबर किश्तों में वापिस किया जायेगा ।

फर्म के प्रार्थना-पत्र दिनांक 11 मार्च, 1966 में परियोजना की लागत निम्न प्रकार दर्शायी गई है :—

भूमि		1.5 लाख रुपये
भवन		8.0 ,, ,,
मशीनरी		32.0 ,, ,,
	कुल	41.5 लाख रुपये

औषधियों के नमूनों का स्तर घटिया होना

4707. **श्री जनार्दनन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार के रसायन विश्लेषक द्वारा जांच किये गये औषधियों तथा प्रशासन सामग्री के 379 नमूनों में से 40 नमूने घटिया पाये गये हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इनमें से बहुत से मामलों में इस कारण मुकदमा नहीं चलाया कि घटिया पाई गई औषधियां तथा प्रशासन सामग्री अन्य राज्यों में बनाई गई थी ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इन मामलों की सूचना केन्द्रीय सरकार को दी थी ; और

(घ) यदि हां, तो इन घटिया उत्पादों के निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). महाराष्ट्र राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त द्वारा दी गई सूचना से पता चलता है कि 1969-70 में राज्य सरकारी विश्लेषक द्वारा जांचे गये औषधियों एवं अगंरागों के 1285 नमूनों में से 393 वांछित किस्म के नहीं पाये गये जिन में से 115 महाराष्ट्र राज्य से बाहर के निर्माताओं के थे । जिन नमूनों को घटिया किस्म का बतलाया गया था उनमें से अधिकांश विटामिन वाली औषधियां और ग्राइप वाटर सर्जिकल ड्रेसिंग और टानिक आदि जैसी विविध औषधियां थीं । महाराष्ट्र की फर्मों द्वारा निर्मित इन घटिया किस्म की औषधियों के बारे में प्रशासनिक कार्रवाई की गई जैसे किसी को चेतावनी दी गई, घटिया औषधियों को लेकर उन्हें नष्ट कर दिया गया, बार-बार घटिया बतलाई गई औषधि के निर्माण की अनुमति छीन ली गई, निर्माण कार्य रोक दिया गया तथा लाइसेंस रोक दिये गये अथवा रद्द कर दिये गये ।

(i) नकली औषधियों की निर्माण और बिक्री और (ii) विधिमान्य लाइसेंस के बिना निर्माण और बिक्री संबंधी अपराधों के लिये सामान्यतया अभियोग चलाये जाते हैं। इस निति को महाराष्ट्र सरकार ने अनुमोदित कर दिया है । आमतौर पर राज्य सरकारी विश्लेषक सभी जांच रिपोर्टों की प्रतिलिपि सूचनार्थ भारत के औषधि नियन्त्रक के पास भेज देता है । सब-स्टैन्डर्ड रिपोर्टों पर खासकर ऐसे मामलों में जिनमें जीवन रक्षक औषधियां और आन्त्रेतर औषधियां सम्मिलित होती हैं, केन्द्रीत्र औषधि मानक नियन्त्रण संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य औषधि नियन्त्रण अधिकारी ऐसी त्रुटियों की पुनरावृति रोकने के लिये बर्तें अपने मंडल कार्यालयों की मार्फत आगे कार्रवाई करते हैं । महाराष्ट्र औषधि नियन्त्रण संगठन जिसे भी जांच रिपोर्ट की एक प्रति भेजी जाती है, जांच रिपोर्ट के परिणामों की सूचना आगे कार्रवाई के लिये उस राज्य के अपने प्रतिरूप संगठन को भेज देता हैं जिसमें सम्बन्धित औषधि का निर्माण हुआ हो । उस राज्य का औषधि नियन्त्रक जिसमें निर्माता रहता हो, निर्माताओं के विरुद्ध सामान्यतया निम्नलिखित कदम उठाता है :—

(1) घटिया किस्म की औषधियों को वापस लेना तथा उन्हें नष्ट करना ।

(2) निरन्तर घटिया किस्म की बतलाई जाने वाली औषधि के निर्माण की अनुमति वापस लेना ।

(3) लाइसेंस रोक देना अथवा रद्द करना ।

(4) निर्माण रोकना ।

(5) अपराध के स्वरूप और उसकी गम्भीरता के अनुरूप अभियोग चलाना ।

कोचीन तेलशोधक कारखाने का विस्तार

4708. श्री हिम्मतसिंहका :

श्री मंगलाथुमाडम :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने का विस्तार किया जा रहा है :

(ख) यदि हां, तो विस्तार योजना का ब्योरा क्या है और विदेशी मुद्रा सहित उस पर कुल कितना खर्च आने का अनुमान है ; और

(ग) विस्तार-कार्यक्रम को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

भारत के राष्ट्रपति और फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी के बीच 20-12-1968 को हुए संशोधन करार के अनुसार कोचीन शोधनशाला की क्षमता को 1972 तक 3.29 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष तक विस्तृत किया जाना है । विस्तार योजना की कुल लागत 5.12 करोड़ रुपये (विदेशी मुद्रा अंश 1,250,000 अमरीकी डालर शामिल करते हुए) पूर्वानुमानित है ।

(ग) सम्भाव्य अध्ययन परीक्षणाधीन है। इन्जीनियर्स इण्डिया लि० को ठेका दिया गया है।

सुदमदेह कोयला खानों के प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच सम्बन्धों का बिगड़ना

4709. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुदमदेह कोयला खानों (राष्ट्रीय कोयला विकास निगम) के प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच सम्बन्ध हाल के महीनों में और अधिक बिगड़ गये हैं ;

(ख) क्या वहां ऐसा परियोजना अधिकारी, सुदमदेह, के रवैये के कारण हुआ है, क्योंकि वह श्रमिकों के क्रोध को भडकाता है और उन्हें दण्डित करता है ; और

(ग) श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के सम्बन्धों को सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, नहीं। सुदामदीह कोयला खान के श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के मध्य सम्बन्ध साधारणतः सन्तोषजनक हैं। तथापि एक अमान्यताप्राप्त यूनियन ने अन्य बातों के साथ साथ यह मांग करते हुए हड़ताल का नोटिस दिया है कि उन चार श्रमिकों को, जिन्हें अधिकारियों पर हमला करने और अवचार के काम करने के लिए पदच्युत किया गया था, पुन नौकरी पर लिया जाये :

(ख) जी, नहीं।

(ग) कोयला खान में "शिकायत-प्रक्रिया" है और यूनियनों की मांगों पर विचार करने के लिए प्रबन्धकों तथा यूनियनों के प्रतिनिधियों के मध्य नियमित बैठकें भी की जाती हैं। जिस यूनियन ने हड़ताल की धमकी दी है उसके प्रतिनिधियों के साथ भी प्रबन्धकों ने बातचीत की है।

दरभंगा जिला बिहार में स्टेट बैंक और सेण्ट्रल बैंक की शाखाओं में ऋण के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्र

4710. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा जिला, बिहार में स्टेट बैंक और सैण्ट्रल बैंक की विभिन्न शाखाओं में ऋण के लिए कितने आदेश पत्र एक महिने से अधिक और कितने तीन महीने से अधिक समय से विचाराधीन हैं ;

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या उक्त विलम्ब के लिए जिम्मेवारी निर्धारित की जा रही है और तीन महीने से अधिक विलम्ब होने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की मधुबनी शाखा में 19 नवम्बर या इसके आस पास क्वालिटी मिस्लनरी तथा अन्य फर्मों द्वारा दायर की गई याचिकायें शिकायतों के बावजूद अभी भी विचाराधीन हैं, और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जहां तक सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया का सम्बन्ध है, तीन महीने से अधिक समय से कोई भी ऋण-आवेदन पत्र दरभंगा जिले में स्थित बैंक की किसी शाखा के पास विचाराधीन नहीं है। किन्तु 18 ऋण-आवेदनपत्र ऐसे अवश्य हैं जिन पर विभिन्न स्तरों पर कार्यवाई की जा रही है और जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि उस जिले में स्थित बैंक की शाखाओं के पास एक महिने से अधिक समय से विचाराधीन हैं। स्टेट बैंक आफ इण्डिया से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ग) और (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Dysentery Germs in Water Drawn from Hand Pumps in Delhi

4711. **Shri Bhogendra Jha : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :**

(a) whether the drinking water got from hand pumps in Delhi contained germs of Dysentery ; and

(b) if so, the measures taken by Government to prevent the outbreak of the disease ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

भिवंडी और जयपुर में नशीले पदार्थों का पकड़ा जाना

4712. **श्रीमती इला पालचौधरी :**

श्री देवेन्द्र सिंह गार्चा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय राजस्व गुप्तचर विभाग तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के भिवंडी में स्थित एक गोदाम में से 30 जुलाई 1970 को लगभग 14000 किलो निषिद्ध गांजा और चरस पकड़ी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क के अधिकारियों ने जयपुर (राजस्थान) में एक घर से 31 जुलाई, 1970 को 1.50 क्विन्टल हशीश (चरस) भी पकड़ी थी ;

(ग) यदि हाँ, तो दोनों स्थानों से पकड़े गये इस निषिद्ध नशीले माल का ब्यौरा क्या है और उसका भारत में क्या मूल्य है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्या-क्या मूल्य प्राप्त होगा ;

(घ) इस सिलसिले में कितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं और उन के नाम तथा व्यवसाय क्या-क्या हैं ; और

(ङ) चालू कैलन्डर वर्ष में अब तक कुल कितनी मात्रा में निषिद्ध नशीले पदार्थ पकड़े गये हैं और 1969 में ऐसा कितना माल पकड़ा गया था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। पकड़े गये गांजे की मात्रा 5,461.700 किलोग्राम थी। कोई चरस नहीं पकड़ी गयी थी।

(ख) पकड़ी गयी हशिश की मात्रा केवल 127.600 किलोग्राम थी।

(ग) (i) महाराष्ट्र में मेसर्स नार्दरन इण्डिया गुड्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम से गांजा पकड़ा गया था। भारत में काले बाजार में गांजे की कीमत लगभग 40 लाख रुपये होगी परन्तु अन्तराष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत कई गुणा अधिक मिलेगी।

(ii) जयपुर में भांग गांजे के ठेकेदार राम गोपाल उर्फ गोपाल पाटवा के घर से हशीश की कीमत एक लाख रुपये और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 50 लाख रुपये होगी।

(घ) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के ब्यौरे ये हैं :—

भीवांडी का मामला

उदय पाल सिंह, क्लर्क,

नार्दरन इण्डिया गुड्स ट्रासपोर्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई।

जयपुर का मामला

(1) श्री राम गोपाल, गांजा ठेकेदार।

(2) श्रीमती नानकी देवी पत्नी राम गोपाल।

(3) श्री रूप सिंह, ड्राइवर।

(4) श्री अब्दुल सलाम उर्फ छोट्ट खां, ड्राइवर।

(5) श्री अब्दुल नफुर, पाकिस्तानी राष्ट्रिक।

(ङ) 1969 में तथा 1-1-1970 से 31-7-1970 तक की अवधि में भारत में पकड़े गये निषिद्ध मादक-द्रव्यों का कुल वजन नीचे दिये अनुसार है :—

	1969	1970 (जुलाई 1970 तक)
अफीम	4270 किलोग्राम	1437 किलोग्राम
गांजा	43297 किलोग्राम	8205 किलोग्राम
चरस	643 किलोग्राम	636 किलोग्राम

कलकत्ता निगम के लिए रूस में बनी मशीनें

4713. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी व्यापार प्रतिनिधि ने कलकत्ता निगम के मेयर को रुपये के भुगतान के आधार पर रूस में बनी गली साफ करने वाली, कचरा इकट्ठा करने वाली,

नाली साफ करने वाली मशीनों आदि के बारे में हाल ही में प्रस्ताव रखा है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त प्रस्तावित मशीनों का पहले परीक्षण किया जा चुका है ; यदि नहीं तो क्या इस बारे में कोई व्यवस्था की जा रही है ; और

(ग) कलकत्ता निगम को कुल कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां, सोवियत संघ के व्यापार-प्रतिनिधि 27-7-1970 को महापौर से मिले थे और उन्होंने उन्हें रूस में बनी विभिन्न गाड़ियों के बारे में एक सचित्र पुस्तिका दिखलाई थी। महापौर को विचार था कि उक्त पुस्तिका में अंकित कूड़ा उठाने और मल हटाने वाली गाड़ियां और अन्य गाड़ियां जिनका कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए उपयोग किया जा सके, कलकत्ता नगर-निगम के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकेगी।

(ख) जी नहीं। बातचीत के दौरान महापौर ने वह बात स्पष्ट कर दी थी कि गाड़ियों को पहले चलकर देखने की व्यवस्था की जानी चाहिये और ऐसी प्रत्येक गाड़ी की कीमत बतलाई जानी चाहिये।

(ग) कलकत्ता नगर-निगम का 1970-71 के दौरान निम्नलिखित गाड़ियां, उपस्कर खरीदने का प्रस्ताव है।

1)	कूड़ा ढोने वाली गाड़ियां	50
2)	ट्रैक्टर-कम-ट्रेलर काम्बीनेशन	6
3)	बुलडोजर	2
4)	पे लौडर (फ्रंट लौडर)	2
5)	विष्ठा ढोने वाली टैंकर गाड़ियां	25
6)	मल-प्रणाल जेटिंग यूनिट	8 यूनिट
7)	मल-प्रणालों के लिए पुल-इन-पावर बकेट मशीनें	12 यूनिट
8)	मैनहोल खाली करने वाली मशीन	8 यूनिट
9)	गुल्ली पिट खाली करने वाला उपस्कर	20 यूनिट
10)	पावर रौडिंग मशीनें	4 यूनिट

निकिल निक्षेपों का सर्वेक्षण

4714. **श्री मंगला थुमाकोम** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में निकिल संक्षेपों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया है और निकिल खान के विकास के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ख) इस समय निकिल के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है ; और

(ग) इस बारे में सर्वेक्षण भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग कर रहा है अथवा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग). जी, हां । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण देश में निकिल-निक्षेपों के लिये अन्वेषण करती आ रही रही है । उड़ीसा राज्य के कटक जिले के सुकिन्दा क्षेत्र में विस्तृत अन्वेषण किये जा रहे हैं । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर, मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ने सुकिन्दा क्षेत्र में कंसा खण्ड को खनन पर सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने एवं इस क्षेत्र से धातु-निष्कर्षण के लिए लिया है ।

1969-70 वर्ष के दौरान में 282 लाख रुपये के मूल्य के निकिल के 11272 मैट्रिक टन का आयात किया गया था ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये स्थायी निर्देशक मंडल की नियुक्ति

4715. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए स्थायी निदेशक मंडल की नियुक्ति के स्थान पर अन्तरिम निदेशक-मण्डल नियुक्त करने के क्या कारण हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में स्थायी व्यवस्था कब तक की जायेगी ; और

(ग) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद मंत्री ने किन-किन अनुवर्ती कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). बैंककारी समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन बनायी जा रही एक योजना के अनुसार, 14 राष्ट्रीकृत बैंकों के लिए नियमित निदेशक-मण्डलों का गठन किया जाना है । चूंकि योजना को अन्तिम रूप दिये जाने में अभी कुछ समय लग जाने की सम्भावना है, इसीलिए अन्तरिम व्यवस्था के रूप में पहले निदेशक मण्डल का गठन कर लिया गया है जिस की व्यवस्था उक्त अधिनियम की धारा 7(3) के अधीन की गयी है । योजना को अन्तिम रूप दिये जाने और उसे संसद के सम्मुख प्रस्तुत कर दिये जाने के बाद नियमित निदेशक मण्डलों का गठन किया जायेगा ।

(ग) 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद किये जाने वाले अनुवर्ती उपायों में अधिक महत्वपूर्ण उपाय संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कई अनुवर्ती उपाय किये गये हैं । राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य सारे देश में बैंकिंग सुविधाओं का तेजी से विकास करना और उन क्षेत्रों और समाज के उन वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करना है जिन को बैंकों से ऋणों को यथोचित भाग नहीं मिलता था । इन में से अधिक महत्वपूर्ण उपायों का यहां उल्लेख किया जा रहा है ।

रिजर्व बैंक ने, दिसम्बर 1969 में, मुख्य भारतीय बैंकों के लिए शाखा विस्तार का एक कार्यक्रम बनाया था जिस में बैंक-रहित केन्द्रों पर विशेष जोर दिया गया था। 1350 केन्द्रों की एक सूची परिचारित की गयी थी जिस में से 1186 केन्द्र बैंक-रहित थे। 1970 की पहली छमाही का लक्ष्य 600 शाखाएं खोलना था जिसके मुकाबले 30 जून 1970 तक वास्तव में 875 शाखाएं खोली गयी थीं। हाल में, बैंकों को कुछ ऐसे जिलों में शाखाएं खोलने के सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने को कहा गया है जिन में बैंक सम्बन्धी अधिक सुविधाओं की तत्काल आवश्यकता है। जहां तक ऋण देने का सम्बन्ध है कई बैंकों ने अर्थ-व्यवस्था के उन क्षेत्रों को सहायता देने के लिए नयी योजनाएं बनायी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैं जैसे किसान, छोटे पैमाने के उद्योगपति, सड़क परिवहन चालक और आत्म-नियोजित व्यक्ति। इन क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों में, बकाया रकमों की मात्रा और खातों की संख्या के संदर्भ में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार ने, छोटे किसानों, छोटे व्यापारियों, सड़क परिवहन चालकों और आत्म-नियोजित व्यक्तियों जैसे अब तक उपेक्षित क्षेत्रों को बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में एक गारण्टी योजना बनाने का निर्णय किया है। सिद्धान्त रूप से यह निर्णय किया गया है कि बैंकों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को सस्ती दरों पर रुपया दिया जाना चाहिये और इस के मुकाबले अपेक्षाकृत सम्पन्न वर्गों से उत्तरोत्तर कई दरों पर व्याज लिया जाना चाहिये। इस निर्णय को लागू करने के लिए ब्यौरा तैयार करने के उद्देश्य से, शीघ्र ही, एक समिति बनायी जायेगी।

प्रत्येक जिले में क्रमबद्ध और समन्वित रूप से बैंक व्यवस्था का जोरदार विकास करने के लिए एक दीर्घकालीन उपाय के रूप में, रिजर्व बैंक ने 'बैंक नेतृत्व योजना' (लीड बैंक स्कीम) बनायी है। इस प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक ने दिसम्बर, 1969 में, कुछ महानगरीय क्षेत्रों और संघीय राज्य क्षेत्रों को छोड़ कर, भारतीय संघ के सभी जिलों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों को सौंप दिया था। प्रत्येक बैंक को जमा के लिए रकमें जुटाने की सम्भाव्यता और ऋण की आवश्कताओं की पूर्ति में रहने वाले अन्तर का पता लगा कर जिले के साधनों का सर्वेक्षण करने में उदाहरण प्रस्तुत करना है। रिजर्व बैंक द्वारा बनायी गयी अनुसूची के अनुसार प्रत्येक जिले की अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के संबंध में बुनियादी आंकड़े इक्ट्ठे करने के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य भावी कार्यक्रम तैयार करने के लिए आधार तैयार करना है।

ऋण-प्रस्तावों के मूल्यांकन और उनकी वित्तीय जांच के काम में सुधार करने और इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं कि ऋण का अन्तिम उपयोग उचित रूप में हो। 1 करोड़ रुपये से अधिक राशि के बैंक-ऋणों के आवेदनों की जांच भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बड़े ध्यान से की जाती है ताकि अतिरिक्त ऋण का मेल, अतिरिक्त उत्पादन की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ बिठाया जा सके। बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपेक्षाकृत अधिक राशि अर्थात् 25 लाख रुपये अथवा इससे अधिक की अलग-अलग ऋण-सीमा के प्रस्ताओं के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की सावधानी बरतें। रिजर्व बैंक ने इस उद्देश्य से बैंकों की सहायता करने के लिए कि वे ऋण-सुविधाओं से सम्बन्धित प्रस्तावों के बारे में विवेकपूर्ण फैसला कर सकें, एक प्रपत्र (प्रोफार्मा) तैयार किया है।

व्यापारियों को बैंक-धन का उपयोग सुप्रबन्धित कम्पनियों के शेयरों को मुट्ठी में करने और उन कम्पनियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने से रोकने के लिए सरकार ने हाल ही में एक उपाय करने का फैसला किया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा जायेगा कि वे उन ऋण-कर्ताओं द्वारा जिन्हें 50,000 रुपये से अधिक की ओवरड्राफ्ट की सीमा की मंजूरी हासिल है, उनके पास गिरवी रखे गये शेयरों को अपने नाम अन्तरित करने पर बल दें। बैंक, इस प्रकार गिरवी रखे गये शेयरों के सम्बन्ध में, ऋणकर्ताओं के अनुरोध पर पहले की तरह सहज रूप से प्रति-पत्र-अधिकार (प्राक्सी) देने से भी इन्कार कर देंगे। बैंक मतदान के अधिकार अपने पास रखेंगे ताकि वे जन-हित को देखते हुए अपने विवेक के अनुसार उनका प्रयोग कर सकें। रिजर्व बैंक इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करेगा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से भिन्न बैंक भी ऐसी ही नीति का पालन करें।

जमा के लिए और अधिक रकमें जुटाने के कार्य की गति को तेज करने की समस्या को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया है कि वे जमा के लिए रकमें जुटाने का अभियान शुरू करें और जमा के लिये रकमें आकर्षित करने के लिए नयी योजनाएं चालू करें। जमा के लिए रकमें जुटाने के काम को तेज करने के उपायों पर, 22 जुलाई 1970 को वित्त मंत्री की, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के साथ हुई बैठक में विचार किया गया था। जमा के लिए रकमें जुटाने के अभियान में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने जमा की छोटी रकमों के संग्रह के सम्बन्ध में दलाली देने के बारे में लगायी गयी अपनी पाबन्दियों में ढील दे दी है और लम्बी अवधि वाली सावधि जमा की उन रकमों के ब्याज की दरों में वृद्धि कर दी है। बैंक-कर्मचारियों को जमा के लिए रकमें जुटाने के अभियान में पूरे दिल से भाग लेने के लिए दिये जाने वाले प्रोत्साहनों पर विचार किया जा रहा है।

जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न कम्पनियों तथा फर्मों में लगाई गई पूंजी

4716. **श्री कंवर लाल गुप्त : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम की 70 करोड़ रुपये की राशि केवल 65 कम्पनियों में लगी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम का विचार बैंकों के समान ही इन कम्पनियों में मताधिकार प्राप्त करने का है ;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम ने गत वर्ष अपनी पूंजी विनियोजन नीति में कोई परिवर्तन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ). जीवन बीमा निगम ने एक निवेश समीक्षा समिति का हाल ही में गठन

किया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने और जीवन बीमा निगम तथा सरकार द्वारा उसकी जांच किये जाने के बाद निवेश सम्बन्धी नीति में यदि कोई परिवर्तन किया जाना हो तो तत्सम्बन्धी प्रश्न की जांच की जायेगी।

Direct Business with Customers by Agents of L. I. C.

4717. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agent of an Insurance Company can have direct business with the customers without any agency licence under the Insurance Act ; and

(b) if so. whether the Life Insurance Corporation is carrying on direct business involving a very larger amount of money without the help of the agents ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) No, Sir.

(b) Yes. Sir. The Insurance Act, 1938 does not prohibit acceptance of insurance business *by an insurer* direct from the clients.

Assistance for Drought-Affected Areas in Rajasthan

4718. **Shri Meetha Lal Meena :**
Shri R. K. Birla :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government have received any request from the Government of Rajasthan to the effect that a major portion of the additional amount of Rs. 100 crores allotted for the construction works in rural areas and for the development of areas where drought condition prevail perpetually under the Fourth Five Year Plan be allotted to them ; and

(b) if so, the amount demanded by Rajasthan Government and the additional amount Central Government are in a position to allot to Rajasthan Government to enable the State to face the serious drought conditions prevailing there ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Out of the total provision of Rs. 100 crores for the rural works programmes during the Fourth Plan period, the Government of Rajasthan had requested for an outlay of Rs. 36 crores for ten districts of the State. Subsequently, the State Government furnished data for inclusion of twelve districts under the programme.

So far only a part list of the districts to be taken up under the programme has been finalised. The part list includes six districts in Rajasthan. The allotment of additional districts to various States/Union Territories has not yet been finalised.

Evaders of Taxes

4719. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of tax-payers in the country, who were tried for tax evasion during the year 1969-70 and the amount of tax realised ; and

(b) the amount of tax still to be realised and the special measures Government propose to adopt to realise the same ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). During the year 1969-70, prosecution for tax evasion was launched in 26 cases. The launching of prosecution has nothing to do with the realisation of tax because even before the prosecution is launched, the taxes may have been fully realised.

कृत्रिम रेशा उद्योग को उत्पादन शुल्क से राहत

4720. **श्री हिम्मतसिंह का :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अगस्त 1970 के 'टाइम्स आफ इंडिया, में प्रकाशित भारतीय कृषि रेशा संघ (मैन-मेड फाइवर एसोशिएशन आफ इंडिया) के अध्यक्ष के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें कृतिम रेशा उद्योग के लिये उत्पादन शुल्क में राहत की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) मैन-मेड फाइवर एसोशिएशन आफ इंडिया के अध्यक्ष का यह सुभाव नोट कर लिया गया है कि यदि सरकार उत्पादन शुल्क में प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की राहत दे सके तो जनता को उपभोक्ता मूल्यों में तदनुरूप राहत दी जा सकेगी।

27 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

Correcting Statement to Unstarred Question No. 89, dated 27.7.1970.

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : मंत्रियों और अधिकारियों के फर्नीचर, बिजली, स्टेशनरी आदि सम्बन्धी खर्चे में कटौती के बारे में 27 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर में यह कहा गया है कि 'मंत्रियों और उप-मंत्रियों के निवास स्थानों पर बिजली और पानी की सप्लाई के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। तथापि, उन्होंने स्वेच्छा से 2400 रुपये प्रतिमास की ऊपरी सीमा को मान लिया है। इस ऊपरी सीमा से अधिक पानी तथा बिजली की खपत के लिए मंत्री अदायगी करने का उत्तरदायी है।' इस उत्तर में टाइपिंग की एक गलती हो गयी है। सही स्थिति यह है कि स्वेच्छा से ऊपरी सीमा 200 रुपये प्रतिमास अथवा 2400 रुपये प्रति वर्ष है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिमी बंगाल-बिहार सीमा के निकट हल्दिया-बरौनी तेल पाईप लाइन में छुट-पुट चोरियों और विनाशक गतिविधियों के समाचार

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : आपने कल ही इस बात का उल्लेख किया था कि इस प्रकार के वक्तव्य सदस्यों को जल्दी उपलब्ध होने चाहियें ताकि वे उनका अध्ययन कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्री महोदय द्वारा पढ़ा जा सकता है।

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : मेरा अनुभव यह है कि मंत्री आपके निदेशों का पालन नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : आज मैं अपवाद के रूप में ऐसा करता हूँ। मैं उन्हें आगे के लिए चेतावनी देता हूं कि वे अपना वक्तव्य यथा समय मुझे दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मैं पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री का ध्यान अविलम्बिनीय लोक महत्व के निम्न विषय कि ओर दिलाता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ;-

> "पश्चिम बंगाल-बिहार सीमा के निकट हल्दिया-बरौनी तेल पाइप लाइन में छुट-पुट चोरियों और विनाशक गतिविधिओं का समाचार"

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : सदस्यों को उक्त वक्तव्य 12 बजे प्राप्त हुआ इसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे बताया गया था कि उसे कर परिचालित कर दिया गया था। मुझे पता नहीं कि ऐसा कैसे हुआ।

हल्दिया-बरौनी-कानपुर उत्पाद पाइप लाइन दो मुख्य खण्डो, अर्थात्, (क) बरौनी-कानपुर (ख) और बरौनी हल्दिया तथा वरादवर से मौरीग्राम तक 50 किलो मीटर की एक ब्रांच लाइन से सम्मिलित है। सितम्बर 1967 से बरौनी-हल्दिया खन्ड, बरौनी शोधनशाला से भारतीय तेल निगम के विपणन प्रभाग के प्रेषण केन्द्र तक पेट्रोलियम-उत्पाकों का परिवहन कर रही है।

2. इसके परिचालनों के तीन सालों के दौरान अबतक पेट्रोलियम उत्पादकों की चोरी/उठाई गीरी के सदेहयुक्त प्रयास की मुख्य चार घटनाओं का पता चला है। पहली मुख्य घटना जसीदीह के निकट 8 मार्च, 1968 को हुई, दूसरी पहली घटना से 20 किलो मीटर 8 दिसम्बर, 1969 को, तीसरी 10 मई, 1970 को और चौथी झाझा में 4/5 जून, 1970 को हुई। केवल पहली घटना में ही पाइपलाइन-दाब में कुछ कमी पाई गई। सात अन्य मामूली प्रदाय किये गये हैं।

यह पता लगा है कि पहली घटना में लगभग 50 किलो लीटर मोटर स्पिरिट की हानि हुई। अन्य घटनाओं में कोई हानि अथवा सम्पति को विशेष क्षति नहीं पहुंची हैं।

इन पुनरावृति घटनाओं और इनके लगभग एक ही क्षेत्र में घटने से सरकार और भारतीय तेल निगम को चिन्ता हुई है। हमने इस विषय को गृह मंत्रालय के माध्यम से राज्य सरकार के समक्ष उठाया है। इन घटनाओं में पुलिस-जांचों से अब तक कोई सफलता नहीं हुई है। संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय पुलिस ने सशस्त्र गश्त शुरु कर दी है और, अपराधियों का पता लगाने के लिए सतर्कता वरत रही है।

इन ध्वंसात्मक तत्वों द्वारा तोड़-फोड़ के प्रति भेद्यता का आंकन करने के लिए औद्योगिक सुरक्षा दल ने भी नवम्बर और दिसम्बर, 1968 में हल्दिया-बरौनी, कानपुर पाइपलाइन का निरीक्षण किया। भेद्यय पाइन्टस की सुरक्षा-व्यवस्था के बारे में उनकी सिफारिशों को भारतीय तेल निगम ने स्वीकार किया है। दल की सिफारिश अनुसार भारतीय तेल निगम ने प्रभावित क्षेत्रों में गश्त को बढा दिया है और औद्योगिक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। पाइपलाइन ढांचे की सुरक्षा के लिए, सरकार केन्द्रीय औद्योगिक

सुरक्षा दल की सेवाएं उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। भारतीय तेल निगम ने गेज-एडापटर्स को कन्करीट लगाकर दबा दिया है जिसमें उन तक पहुंचना कठीन बना दिया हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : उक्त तेल की पाइप लाइन न केवल असैनिक प्रयोजनों के लिए उत्पाद सप्लाई कर रही है बल्कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं भी पूरी कर रही है। गत दो या तीन वर्षों में पेट्रोलियम के उत्पादों की चोरी का मामला बहुत गम्भीर है, परन्तु इस बारे में सरकार ने हमें पहले कभी सूचना नहीं दी।

वर्षा काल में पाइप लाइनें खुली रहती हैं और इन्हें आसानी से नुकसान पहुंच सकता है।

बरौनी और हल्दिया के बीच आठ मुख्य नदी घाट हैं। इन घाटों के साथ-साथ जाने वाली पाइप लाइनें बिलकुल खुली हैं।

उक्त पाइप लाइनों की देख भाल के लिए न केवल औद्योगिक सुरक्षा दल ने 40 सिफारिशें की थीं बल्कि इसके अतिरिक्त घोष समिति ने भी इस बारे में ठोस सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों को दिये तीन वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कार्यवाही नही की गई है। सुरक्षा अधिकारी के पद पर भी नियुक्ति नहीं की गई है।

यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने, जिसके आप सभापति थे, अपने 66 वें प्रतिवेदन में स्पष्टतः कहा है कि इस बारे में कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई है यद्यपि उनकी गैर-जिम्मेदारी का रिकार्ड है।

उक्त समिति ने यह भी सिफारिश की है कि इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध शीघ्र विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा अधिकारियों पर ऐसे आक्षेप लगाये गये हैं और उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने की सिफारिश किये जाने के बाद भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं। उक्त समिति की सिफारिशों का स्वीकार न कर अन्य आयोग नियुक्ति करने के क्या कारण हैं? सरकार पाइप लाइनों की सुरक्षा के बारे में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित क्यों नहीं कर रही है?

डा० त्रिगुण सेन : इन पाइप लाइनों के बारे में लगभग 40 सिफारिशें प्राप्त हुई थीं। भारतीय तेल निगम से पता लगा है कि उसमें से अधिकांश सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा चुका है। कुछ सिफारिशों को गृह-विभाग को भेजा जाना आवश्यक था अतः उन्हें वहां भेजा गया है। सुरक्षा अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई थी। उक्त गतिविधियां झाजा और जसीडी के 20 किलो मीटर तक सीमित हैं। इस बात की भी सूचना मिली है कि माल डिब्बे तोड़ने वाले व्यक्ति इस क्षेत्र में अधिक सक्रिय हैं।

राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा सम्बन्धी उपाय न किये जाने के कारण सुरक्षा सम्बन्धी मामले पर भारतीय तेल निगम द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का उल्लेख किया है। सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच की है और इस बारे में श्री एन० एस० राव की भी जांच रिपोर्ट है। दोनों प्रतिवेदन एक दूसरे के विपरीत हैं। फिर भी मेरे मंत्रालय के अनुरोध पर सरकार ने जांच आयोग नियुक्त करने का निर्णय लिया था। (अन्तर्बाधाएं) सरकारी

उपक्रमों संबंधी समिति ने अधिकारियों और सरकार के दोषपूर्ण कार्य के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की है । आरोपों को जांच आयोग को सौंपने की आवश्यकता है और इसीलिए उक्त आयोग की नियुक्ति की गई है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मन्त्री सदन को इस प्रकार गुमराह नहीं कर सकते । एन० एस० राव समिति ने केवल सहयोग देने के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन दिया था । लेकिन सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने न केवल सहयोग देने बल्कि अन्य बातों के बारे में प्रतिवेदन दिया था । अतः यह कहना उचित नहीं है कि दोनों ने भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये और इसलिए तीसरी समिति की आवश्यकता है ।

डा० त्रिगुण सेन : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने सिफारिशें देते समय सरकार की कार्यवाही की और कुछ अधिकारियों की आलोचना की थी । नियम प्रक्रिया के अनुसार इस मामले को जांच आयोग को सौंपना आवश्यक है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर क्या विभागीय कार्यवाही की गई है ?

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : समिति द्वारा की गई सिफारिशों का बहुत महत्व है । लेकिन उनकी अवहेलना की जा रही है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : माननीय मन्त्री को औषधियों का लोप कराने में सफलता प्राप्त हुई है और अब उन्होंने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की खिल्ली उड़वाई है । प्रतिवेदन में दोषी व्यक्तियों क विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करने को कहा गया है लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है । सरकार ने समय को बरबाद करने के लिए और जांच आरम्भ कर दी है (अन्तर्बाधाएं) बहुत सी विमान दुर्घटनाएं घटिया किस्म का तेल सप्लाई किये जाने के कारण हुई हैं । भारतीय सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं । लेकिन सरकार कर्त्तव्य निष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है और इस दुराचार में सांठ-गाँठ करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार दे रही है ।

क्या माननीय मन्त्री इस बात का आश्वासन देंगे कि जब तक इस मामले में जांच पूरी नहीं हो जाती इमानदार और कर्त्तव्य निष्ठ अधिकारियों को पूरा संरक्षण दिया जायेगा और उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जायेगा और परेशान नहीं किया जायेगा ? क्या सरकार मंगत राम, कश्यप, राजवाड़े आदि जैसे व्यक्तियों को, जो उच्च पद पर काम कर रहे हैं, उक्त निगम से अलग रखेगी ? (अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को उन व्यक्तियों का उल्लेख नहीं करना चाहिए जो स्पष्टीकरण करने के लिए सभा में उपस्थित न हों ।

डा० त्रिगुण सेन : विधि मन्त्रालय ने हमें यह सलाह दी है कि यदि हम इस प्रतिवेदन के आधार पर किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तो हमें जांच आयोग नियुक्त करना पड़ेगा । ऐसा किये बिना हम दोषी अधिकारियों को दण्ड नहीं दे सकते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार उन अधिकारियों को संरक्षण देगी जिन्होंने दुराचार और भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए सहायता दी ?

डा० त्रिगुण सेन : माननीय सदस्य को इस बात में संदेह नहीं होना चाहिए कि जिन अधिकारियों ने साक्ष्य देकर सहायता की है उन्हें परेशान नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा कोई मामला है तो माननीय सदस्य उस बारे में मुझे बतायें।

श्रीमती इला पालचौधरी (कृष नगर) : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उक्त पाइप लाइन प्रतिरक्षण और असैनिक प्रयोजनों के लिए पेट्रोल ले जाती है क्या भारतीय तेल निगम ने इन लम्बी पाइप लाइनों की सुरक्षा के बारे में विचार किया है ? कुछ राज्यों ने यह सुझाव दिया है कि भारतीय तेल निगम के नियंत्रण में सुरक्षा बल होना चाहिये जो पाइप लाइनों के तोड़-फोड़ किये जाने को रोके।

डा० त्रिगुण सेन : भारतीय तेल निगम ने इस बारे में सब जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है और पाइप लाइनों को बनाये रखने और उनके कार्य करते रहने के लिये 'वाच एण्ड वर्ड' विभाग की व्यवस्था की है।

शाहदरा—सहारनपुर लाइट रेलवे के बन्द किये जाने के बारे में

RE: CLOSURE OF SHAHDARA-SAHARANAUR LIGHT RAILWAY

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The S. S. Light Railway is going to be closed from 1st September. As a result of it, about 1500 workers will be retrenched. The S. S. Light Railway is 140 kilometre long and it serves 150 markets. But you have not accepted a Calling Attention Notice on that subject. When Dr. Ram Subhag Singh was the Railway Minister he had told the House that this railway line would be nationalized.

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : मैं इस बारे में बाद में वक्तव्य दूं या इस सम्बन्ध में अभी संक्षिप्त में उत्तर दूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में शाम को वक्तव्य दें।

श्री बलराज मधोक : सरकार यह बताये कि क्या वह इसको बन्द कर रही है या इसका राष्ट्रीयकरण कर रही है ? (अन्तर्बाधाएं)

Shri Prakash Vir Shastri : That Railway is going to be closed from tomorrow and as a result of it, about 1500 employees would be rendered unemployed But the hon. has stated that he would make a statement in this regard tomorrow.

श्री नन्दा : मैंने कहा था कि मैं जल्द बाजी में कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता हूं। (अन्तर्बाधाएं)

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : सदन में कितने ही मंत्री इस बात का आश्वासन दे चुके हैं कि लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। (अन्तर्बाधाएं)

श्री बलराज मधोक : सरकार इस बारे में बचन दे चुकी है और अब वह अपने बचन से नहीं हट सकती ।

श्री नंदा : मैं इस बारे में कोई नया वचन नहीं दे सकता । (**अन्तर्बाधाएं**)

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : If the Government do not fulfill its commitments there is no use of giving any assurance by the Ministers. It is a very serious problem and the hon. Minister must make a statement in this regard.

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : Government should take over the railway line from Vachnal to Bheem Nagar in Saharsa District. It should also take over the railway line from Ara to Sahasram in Sahabad District.

श्री स० बो० बनर्जी : माननीय मन्त्री इस बात का आश्वासन दें कि उक्त रेलवे लाइन को कम से कम तीन महीने तक बन्द नहीं किया जायेगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वार्षिक योजना प्रगति प्रतिवेदन, 1968-69

राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी की ओर से वार्षिक योजना प्रगति प्रतिवेदन, 1968-69 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**—4098/70]

भारतीय तेल निगम के पाइप लाइन प्रभाग के मामलों की जांच करने के लिए एक जांच आयोग की स्थापना के बारे में विवरण इत्यादि

पेटोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय तेल निगम के पाइप लाइन प्रभाग के मामलों की जांच करने के लिए एक जांच आयोग की स्थापना के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**—4100/70]

(2) (एक) कोयला क्षेत्र में हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन की सीध के पुनर्निर्धारण के लिए सरकार के निश्चय के कारक परिस्थितियों की जांच सम्बन्धी प्रतिवेदन (एन० एस० राव प्रतिवेदन) की एक प्रति । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**—4099/70]

(दो) प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण को सभा-पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने के लिए एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**—4101/70]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पत्र

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उप-धारा के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—4102/70]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, 1968-69 इत्यादि

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) हाइड्रोकार्बन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1968 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(3) उपर्युक्त मद (1) तथा (2) में उल्लिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—4103/70]

(4) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति ;

(एक) कृत्रिम रबड़ (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1969, जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4922 में प्रकाशित हुआ था । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—4104/70]

(दो) कृत्रिम रबड़ (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1970, जो दिनांक 16 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1094 में प्रकाशित हुआ था ।

(5) कृत्रिम रबड़ (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1969, अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 4923, जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कृत्रिम रबड़ के विक्रय मूल्य निश्चित किये गये थे ।

(दो) एस० ओ०, 4924, जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) एस० ओ० 1092, जो दिनांक 16 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 1969 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4923 में कतिपय संशोधन किया गया था ।

(चार) एस० ओ० 1093, जो दिनांक 16 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—4106/70]

(पांच) एस० ओ० 2669, जो दिनांक 4 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(6) उपर्युक्त मद (4) और (5) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुये विलंब के कारणों को बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—4106/70]

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 457 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1970, जो दिनांक 1 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1116 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 1970, जो दिनांक 1 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1117 में प्रकाशित हुये थे । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—4107/70]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944, बीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1153 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक

5 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—4108/70]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1142, जो दिनांक 8 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० एस० आर० 1143, जो दिनांक 8 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) जी० एस० आर० 1177, जो दिनांक 12 अगस्त, 1 70 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) जी० एस० आर० 1178, जो दिनांक 14 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—4109/70]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 19 2 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 47वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 25 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1092 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 48वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 25 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1093 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 49वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 25 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1094 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 50वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 8 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1139 में प्रकाशित हुये थे ।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 51वां संशोधन नियम, 197 , जो दिनांक 8 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1140 में प्रकाशित हुये थे ।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 52वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 8 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1141 में प्रकाशित हुये थे।

(सात) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 53 वां सशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 15 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1175 में प्रकाशित हुये थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4410/70]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे सूचना देनी है :

"कि राज्य-सभा ने 25 अगस्त, 1970 को हुई अपनी बैठक में भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 1970 को पास कर दिया है।"

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक

INDIAN TELEGRAPH (AMENDMENT) BILL

सचिव : मैं राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 1970 की प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

सदस्य की दोषसिद्धी

CONVICTION OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे एडीशनल सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, लखीमपुर, जिला खेड़ी, से दिनाँक 29 अगस्त, 1970 का एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि लोक-सभा के सदस्य श्री जागेश्वर यादव पर, जो इस समय जिला जेल, खेड़ी, में रखे गये हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन प्रख्यापित आदेशों का उल्लंघन करने के कारण मुकदमा चलाया गया और उन्हें 29 अगस्त, 1970 को तीन दिन के साधारण कारावास का दण्ड दिया गया।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

श्री गु० च० नायक (क्योंझर) : मैं सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 15वां प्रतिवेदन पेश करता हूँ।

अतिरिक्त अनुदानों की माँगें (रेलवे), 196-6

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS) 1968-69

रेल मन्त्री (श्री नन्दा) : मैं वर्ष 1968-69 के लिए बजट (रेलवे) संबंधी अनुदानों की अतिरिक्त मांगों का एक विवरण पेश करता हूँ।

राष्ट्रपति के साथ अधिकारियों के सामान की पालम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जाँच पड़ताल के बारे में तारांकित संख्या 6 के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य

CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. NO. 6 RE : SEARCH OF BAGGAGE OF OFFICERS ACCOMPANYING PRESIDENT BY CUSTOMS AUTHORITIES AT PALAM

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : उपरोक्त प्रश्न के (ग) भाग के उत्तर में, राष्ट्रपति के साथ जाने वाले दल के उन अधिकारियों के नामों की सूची, जो कर-मुक्त भत्ते के अतिरिक्त सामान लाये, अनुबन्ध I में दी गई थी। एक त्रुटि के कारण उस सूची में श्री सीता राम का नाम भी शामिल हो गया था। हवाई अड्डे के राजस्व विभाग के मूल रिकार्ड की जांच के बाद यह पाया गया कि श्री सीताराम कर-मुक्त भत्ते के आधार पर लाये जा सकने वाले सामान के अतिरिक्त अन्य सामान नहीं लाये तथा उन से कोई शुल्क नहीं लिया गया। अत: अनुबन्ध I में क्रम संख्या 5 पर श्री सीताराम से संबंधित प्रविष्टियां काट दी जायें। इस त्रुटि से श्री सीताराम को जो कष्ट हुआ होगा उसके लिये खेद है।

इन्डियन एयरलाइन्स फोकर फ्रेंडशिप वायुयान के सिलचर से 29 अगस्त, 1970 से लापता होने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : INDIAN AIRLINES FOKKER FRIENDSHIP AIRCRAFT MISSING SINCE TAKE OFF FROM SILCHAR ON 29.8.1970

अध्यक्ष महोदय : डा० कर्ण सिंह।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। विमान के गुम होने की यह घटना शनिवार को हुई तथा मंत्री महोदय यहाँ 9 बजे तक रहे। उन्होंने सभा को इसकी सूचना नहीं दी। अब यह सिद्ध हो गया है कि वह विमान उड़ान योग्य नहीं था तथा सारे फोक्कर फ्रेंडशिप विमान इन्डियन एयर लाईन्स की सेवा से तुरन्त ही हटा लिये जाने चाहियें।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : आकाशवाणी पर इन से विपरीत ही एक समाचार था। इस घटना में मेरा एक सहपाठी भी अन्तर्ग्रस्त है। उनका नाम जे० के० बरुआ है। दोपहर के

समय आकाशवाणी ने समाचार दिया कि विमान के ध्वंसावशेष हाफना में देखे गये थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि सिलचार से गोहाटी जाने वाला विमान हाफना कैसे पहुंच गया।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मुझे अत्यन्त चिन्ता के साथ सदन को सूचित करना पड़ता है कि इंडियन लाइन्स का फोकर फ्रेंडशिप एफ-27-400 विमान रजिस्ट्रेशन संख्या वी० टी० डी० डब्ल्यू० टी० शनिवार 29 अगस्त दोपहर बाद से लापता हो गया है। विमान इम्फाल से सिलचर, गोहाटी और अगरतला के मार्ग से कलकत्ता के लिए अनुसूचित यात्री उड़ान पर था। विमान 14.36 बजे सिलचर से गोहाटी के लिए उड़ा, और सिलचर के विमान यातायात नियंत्रण के साथ उसका 14.44 बजे तक सम्पर्क था।

विमान जिसमें 34 यात्री और कार्मिक दल के 5 सदस्य सवार थे, गोहाटी में 15.02 बजे उतरने वाला था। जब यह विमान गोहाटी के विमान यातायात नियंत्रण के साथ सम्पर्क स्थापित करने में असफल रहा तो इसकी स्थिति पता लगाने की तत्काल कार्यवाही की गई तथा संबंधित सब एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया गया, जिसमें भारतीय वायु सेना तथा जिला अधिकारी भी सम्मिलित थे। क्योंकि सिलचर से गोहाटी का मार्ग कई स्थानों पर पाकिस्तानी भू-भाग के निकट से होकर गुजरता है, अतः पाकिस्तानी प्राधिकारियों को भी तत्काल सूचना दे दी गई थी।

एक हेलीकोप्टर सहित भारतीय वायु सेना के विमानों ने तत्काल उसकी हवाई खोज करनी प्रारम्भ कर दी। कल भी यह खोज जारी रही तथा इन्डियन एयर लाइन्स का भी एक विमान उनके साथ खोज करने में शामिल हो गया। हवाई तथा जमीन के मार्ग से भी खोज जारी है परन्तु कई अपुष्ट सूचनाओं के बावजूद गुमशुदा विमान का अभी पता नहीं चल सका है। आज प्रातः 07.00 बजे यह खोज फिर प्रारम्भ कर दी गयी। पाकिस्तानी प्राधिकारी भी सीमा के उस पार अपनी तरफ के इलाके में विमान की खोज करने में सहयोग दे रहे हैं।

मुझे विश्वास है कि यह सदन भी इस मामले में उतना ही चिंताग्रस्त है जितना कि मैं, और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि गुमशुदा विमान को ढूंढ़ने के लिए हर प्रयत्न किया जा रहा है।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : यह सिद्ध हो चुका है कि दिल्ली में हड़ताल के कारण विमानों की भली प्रकार से जांच नहीं की गई थी... (व्यवधान)

डा० कर्ण सिंह : एक सदस्य ने फोकर फ्रेंडशिप विमान सेवा के बारे में प्रश्न उठाया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसकी पूरी जांच की जाती है। वस्तुतः ये विमान बड़े लोकप्रिय तथा विश्वभर में उपयोग में लाये जाते हैं। यदि हमें थोड़ी सी भी त्रुटि का सन्देह हुआ तो हम इन विमानों को तुरन्त सेवा से हटा लेंगे। वैसे तो यह बड़ी ही दुर्भाग्य-पूर्ण घटना है परन्तु हम सारा दोष दुर्भाग्य का नहीं मानते। आकाशवाणी की सूचना भी एक संस्थापन पूर्व की खबर थी। इसकी घोषणा भी की गई थी।

सीमा शुल्क टैरिफ विधेयक

CUSTOMS TARIFF BILL

प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना

श्री रा० की० अमीन (ढंढ़का) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा सीमा-शुल्क सम्बन्धी विधि को और समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये नियत समय को 1 अप्रैल, 1971 तक बढाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सीमा-शुल्क सम्बन्धी विधि को और समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये नियत समय को 1 अप्रैल, 1971 तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

इस समय सार्वजनिक दीर्घा से कुछ दर्शकों से कुछ नारे लगाये गये।

At this stage some visitors from the Public Gallery raised some slogans.

राष्ट्रीय गौरव के अपमान का निवारण विधेयक

PREVENTION OF INSULTS TO NATIONAL HONOUR BILL

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं राष्ट्रीय गौरव के अपमान के निवारण के लिये एक विधेयक प्रास्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय गौरव के अपमान के निवारण के लिये एक विधेयक पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं।

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक

SUPREME COURT JUDGES (CONDITION OF SERVICE) AMENDMENT BILL

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : मैं उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरस्थापित करने की अनुमति चाहतां हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरस्थापित करने की अनुमति दी जायें।"

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Speaker, Sir, I oppose this Bill. The increment in the pay and allowances of the Supereme Court or High Court Judges is not a social necessity but merely an extravagance. Moreover a move is already afoot to impeach these Judges in thier actions.

I, therefore, request the Government to withdraw this Bill.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री शिव चन्द्र झा का समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 19 8 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री राम निवास मिर्धा : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश संबंधी सांविधिक संकल्प—वापस लिया गया—तथा दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE : DELHI UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE—WITHDRAWN—AND DELHI UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : यह सभा अब श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा 27 अगस्त 1970 को पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर और आगे विचार करेगी :

"कि यह सभा 20 जून, 1970 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (1970 का अध्यादेश संख्या 4) का निरनुमोदन करती है।"

इसके अतिरिक्त सभा डा० वी० के० आर० वी० राव द्वारा 27 अगस्त, 1970 के पेश किये निम्नलिखित प्रस्ताव पर भी और विचार करेगी :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

डा० वी० के० आर० वी० राव अपना भाषण जारी रखें।

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : इस विधेयक का विरोध करने वाले माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया था तथा वह इसके भी विरुद्ध नहीं थे कि दिल्ली विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए प्राइवेट परीक्षार्थियों के पंजीकरण की अनुमति दे । उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी क्षेत्रों तथा वहां की शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा है परन्तु क्योंकि वे बातें उनके संकल्प से सम्बन्धित नहीं थीं अतः मैं उनका विस्तार से उत्तर देना उचित नहीं समझता ।

मैं उनके इस आरोप का दृढ़ता से खंडन करता हूँ कि कुछ छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में उपकुलपति ने पक्षपात का व्यवहार किया । मैं सभा को विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति बड़ी ही कुशलता से अपना कार्य करते रहे हैं तथा इसी के फलस्वरूप ही दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसी अनेक मुसीबतों से बचा रहा जिससे अन्य अनेक विश्वविद्यालय प्रभावित हैं । उपकुलपति के इस कठिन कार्य में इस सबका नैतिक समर्थन उन्हें उपलब्ध होना चाहिये । हम सब जानते हैं कि डा० राज ने बड़ी ही निपुणता से अपना कार्य किया है और उनके व्यवहार में पक्षपात आदि का सन्देह करना अनुचित है । अनुशासनात्मक कार्यवाही वस्तुतः उपकुलपति द्वारा नियुक्त एक परिषद ने परीक्षाओं के पश्चात की थी तथा इस बारे में कार्यकारी परिषद् में भी विचार किया गया था । अतः मैं उपकुलपति के विरुद्ध आरोप का बड़ी कड़ाई से खंडन करता हूँ ।

फिर माननीय सदस्य ने यह गलत बताया है कि 30,00 छात्र प्रतिदिन दिल्ली से रोहतक व फरीदाबाद जाते हैं । वस्तुतः उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के गाजियाबाद, सोनीपत गुड़गांव रोहतक तथा फरीदावाद जैसे बड़े उपनगरों के कुल कालेज-छात्रों की संख्या भी 20,000 से अधिक नहीं है । लगता है वह यह संख्या बताते समय एक शून्य अधिक जोड़ गये ।

मैं समझता हूं कि दिल्ली से बाहर दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या मंत्री महोदय शिक्षा प्रदान करने वाली निजी दुकानों के बारे में भी कोई विधेयक ला रहे हैं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : यह प्राइवेट कालेज बहुत पहले से विद्यमान हैं । छात्रों को प्राइवेट परीक्षा देने के लिए दी जा रही सुविधा से इन शिक्षण संस्थाओं की समस्या उत्पन्न नहीं हुई । मुझे पता चला हैं कि दिल्ली प्रशासन इस मामले पर गम्भीरता से विचार कर रहा है और वह महानगर परिषद में इस सम्बन्ध में विधेयक ला रहे हैं । मेरा अपना मत यह है कि कोई लाइसेंस पद्धति होनी चाहिए । भले ही हम इन संस्थाओं पर नियन्त्रण न रखें, फिर भी हमें किसी प्रकार के निरीक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हम जनता को परामर्श दे सकें कि कौन-कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता वाले अध्यापक रखती हैं । मैं इस बारे में दिल्ली प्रशासन को लिखूंगा । जितने भी संशोधन रखे गये हैं उनका मुख्य अभिप्राय यही था कि दिल्ली सीमा क्षेत्र के बाहर के छात्रों को भी सुविधाएं दी जायें ।

दिल्ली में शिक्षा प्रसार के लिए सराहनीय प्रयत्न किये गये हैं । वर्ष 1961-62 में कालेजों

में 21171 छात्र थे जबकि वर्ष 1969-70 में 56296 ऐसे छात्र हैं। कालेजों की संख्या 27 से बढ़कर 53 हो गई है जिनमें से पांच कालेजों मे सायं कालीन शिक्षण दिया जाता है। इसके इलावा 19 2-63 से पत्राचार पाठ्यक्रम भी चल रहे हैं।

एक अच्छे कालेज की स्थापना करना सरल कार्य नहीं है। कई वर्ष पहले से योजना बनाने पर भी हम उनके लिए आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह जुटाने में सफल नहीं हो पाते।

प्राइवेट कालेजों एवं पत्राचार पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 40 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं जबकि प्राइवेट छात्रों के लिए पंजीकरण के लिए ऐसा कोई प्रतिशत नहीं होगा। इससे नौकरी पेशा लोग भी, जो कालेजों में नहीं जा सकते, अपनी उच्च शिक्षा सम्बन्धी आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों के लिये आकाशवाणी से लेक्चरों के प्रसारण की चेष्टा कर रहा है। इससे देश भर के छात्र-समुदाय को लाभ होगा।

यह व्यवस्था प्रथमतः दिल्ली के छात्रों के लिए प्रारम्भ की गई है। कई अन्य विश्वविद्यालयों में प्राइवेट छात्रों को परीक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस समय 10-11 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो प्राइवेट छात्रों को परीक्षा देने की सुविधाएं देते हैं। महिलाओं एवं शिक्षकों को ऐसी सुविधाएं देने वाले 30-35 और विश्वविद्यालय हैं। हम चाहते हैं हरेक विश्वविद्यालय दिल्ली जैसी सुविधाएं प्रदान करें। दिल्ली के बाहर के छात्रों को सुविधा देने की इस विश्वविद्यालय के पास क्षमता नहीं है। इस पद्धति को प्रारम्भ होने दीजिये और देखिये कि छात्रों की सुविधा के लिये रेडियों से लेक्चरों के प्रसारण आदि की क्या व्यवस्था की जाती है। मैं सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वे अपने संशोधनों पर आग्रह न करें।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर चार मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Four minutes past Fouteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*.]

श्रीमती इला पालचौधरी (कृषनगर) : कृषनगर जिला नदिया में लोगों को बुरी तरह पीटा गया। हम चाहते हैं कि अपराधी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाए।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The law and order situation in the metropolitan city of Delhi is deteriorating day by day. Dacoities, Murders are taking place every now and then. The Members of Metropolitan Council and that of Corporation are being Gheraoed at their residences and the police is not take any notice of all these happenings. We have given a call attention notice which should be accepted and discussion be allowed here.

Shri Ramavatar Shastri (Patna): The services of Central Bank, Punjab National Bank and Bihar Bank at Patna have been deteriorating for the last two months and the clearing house is closed. The hon. Minister should intervene and bring about normal conditions there.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): It has been the convention of this House that whenever a privilge issue is raised, the Edition of the newspaper concerned is addressed and the reply received from him is intimated to the House by the Chair. I wanted to move a motion of privilege against "Indians Nation" of Patna and I was not allowed to move it.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में स्थिति का पता लगाऊंगा ।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : बाह्य छात्रों सम्बन्धी संशोधन विधेयक बहुत देर से लाया गया है । कलकत्ता में ऐसी ही व्यवस्था 1954 में की गई थी । विद्या के तीन स्रोत हैं, एक गुरु की छत्रछाया में, दूसरे पुष्कल धन से तथा तीसरे विद्या के द्वारा विद्या प्राप्ति । भारतीय परम्परा में विद्या प्राप्ति का चौथा कोई मार्ग नहीं है ।

प्रस्तुत विधेयक का सम्बन्ध बी० ए० पास कोर्स से ही है तथा मुख्यत या सेवा में अधिक अवसर प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य है । यदि सेवाओं में बी० ए० पास की आवश्यकता को हटा दिया जाये तो स्नातकों के स्तर को इस प्रकार गिराना नहीं पड़ेगा । इस बारे में नियुक्त तीन सदस्यों की समिति ने भी सिफारिश की थी । क्या मंत्री महोदय उन सुझावों का ध्यान रखेंगे ।

इस विधेयक द्वारा विश्वविद्यालय को शक्ति दी गई है कि वे इस बारे में कानून बना सके । क्या मंत्री महोदय विधि निर्माण में अपने प्रभाव का कुछ उपयोग करेंगे ? इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्राइवेट छात्रों के लिए वैसे ही नियम बनाए जाएं जैसे नियमित छात्रों के लिए हैं । मेरा सुझाव है कि एम० ए० के छात्रों के लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाए । रेडियो द्वारा लेक्चरों से कुछ लाभ नहीं होगा ।

प्राइवेट कालेजों को कालेज नाम का दुरुपयोग करने से रोका जाना चाहिए ।

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेंकानाल) : मैं विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के सम्बन्ध में सहमत न होते हुए भी मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि वह दिल्ली से बाहर के छात्रों के लिए भी व्यवस्था करें ।

मैं समझता हूँ कि इस विधेयक से दाखिले की समस्या का कुछ समाधान तो होगा परन्तु इससे कई हानियां भी होंगी ।

इस समय विद्यार्थी ऐसे कमरों में पढ़ते है जिनमें बहुत भीड़ रहती है, जहां कभी-कभी बैठने का स्थान भी नहीं होता । प्रोफैसरों के वेतन कम हैं और उन्हें बहुत अधिक छात्रों को पढ़ाना पड़ता है । मैं समझता हूँ कक्षाओं में छात्रों की संख्या न्यूनतम रखनी चाहिए ।

इस विधेयक से नौकरी पर लगे लोगों को अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने का अवसर मिलेगा ।

मैं चाहता हूं कि सरकार बेरोजगारी बीमा व्यवस्था चालू करे जैसे कि अन्य उन्नतिशील देशों में है ।

प्रबन्ध व्यवस्था में छात्रों के सहयोग के मामले पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ब्रिटेन जैसे रूढ़ियावादी देश ने भी इस बारे में तथा दृष्टिकोण अपनाया है।

छात्रों की समितियां बननी चाहिएं। अध्यापकों और छात्रों की संयुक्त समितियां भी बनाई जानी चाहिए।

छात्रों को पाठ्यक्रमों के ढांचे और प्रभावशाली शिक्षण पद्धतियों पर विचार विमर्श करने के अवसर मिलने चाहियें।

परीक्षा पद्धति में भी सुधार किया जाना चाहिये। छात्रों की योग्यता परखने के कई साधन अपनाए जाने चाहिएं। उनकी रट्टा लगाने की शक्ति को ही प्रमुखता नहीं देनी चाहिए।

बहुत कम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें रोजगार के अवसरों सम्बन्धी सूचना केन्द्र हैं। मैं आशा करता हूँ कि मन्त्री महोदय छात्रों के हित में सभी विश्वविद्यालयों में ऐसे केन्द्र स्थापित करेंगे।

दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने कानून और व्यवस्था के मामले में दृढ़ता बरती है। मुझे पता चला है कि उन्होंने कुछ तत्वों के साथ भेद-भाव बरता है इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राइवेट छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति के बारे में है। माननीय सदस्य यदि विषय से बाहर जाएंगे तो हम यह चर्चा समय पर समाप्त नहीं कर पाएंगे।

श्री यादव शिवराम महाजन (बुलडाना) : दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संख्या 24000 से बढ़कर 60000 हो गई है और कालेजों की सख्या 23 से 70 हो गई है। पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 16000 छात्र हैं। पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल ने 10000 से अधिक को पढ़ाने में अक्षमता व्यक्त की है। इसे देखते हुए वर्तमान विधेयक सराहनीय है।

इस विधेयक से ऐसे सभी छात्रों को लाभ होगा जो या तो कम अंकों के कारण दाखला नहीं पा सके अथवा धनाभाव के कारण पढ़ाई जारी नहीं रख सके अथवा ऐसी लड़कियों को लाभ होगा जो विवाह हो जाने के कारण पढ़ाई जारी नहीं रख सकीं। बाह्य छात्रों के लिए व्यवस्था कोई नई बात नहीं है। लन्दन विश्वविद्यालय ने यह व्यवस्था 50 वर्ष पूर्व प्रारम्भ की थी। आज भारत के 13 विश्वविद्यालयों में यह व्यवस्था है।

प्राइवेट कालेज शिक्षा के स्तर को गिरा रहे हैं। उनके चंगुल से छात्रों को छुटकारा दिलाना चाहिये।

प्राइवेट छात्रों को पुस्तकालय की सुविधाएं मिलनी चाहियें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Delhi is the capital of India and as such there should be no restriction on the students of other States for registration of private candidates.

To meet the growing demand of students the university should be expanded and more colleges should be opened.

Ample ammenities including play grounds and hostels should be provided so that the students are not inclined towards Naxalite activities.

Efforts should be made to check the universities from encouraging communal activities within their campuses.

In the end, I would request the Education Minister to get the students rusticated by Delhi University re-admitted so that peace may be established there.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I welcome the provisions being made for private candidates. The explanation given by the hon. Minister for restricting this facility to students of Delhi is not convincing. He has not given any statistics as to how many students from other States are likely to take examinations.

So far none of the Indian Universities has been able to introduce a system whereby students could work their way through Education or meet their educational expenses by earning side by side.

The standard of our Universities is falling. It is because our Universities are examining bodies and not teaching universities. The Professors are victims of groupism and politics and do not devote themselves towards writing.

Every member of our society should be well qualified. It will in the long run benefit our society.

The hon. Minister should accept the amendments moved here. With these words, I support this Bill.

श्री रा० ढ़ो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : यह विधेयक स्वागत योग्य है और मैं समझता हूं कि इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा का प्रसार प्रजातंत्र का अनिवार्य अंग है। बढ़े हुए छात्रों की समस्या विचारणीय है।

मैं समझता हूँ कि शिक्षा ही नहीं बलिक अच्छी शिक्षा देना राज्य का कर्त्तव्य है। अधिकाधिक प्रात: कालीन और सायकालीन कालेज खोले जाने चाहिएं जिससे कि कमाई के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखने की सुबिधाएं उपलब्ध हो सके। अधिक कालेज अवश्य ही खोले जाने चाहिएं। मैं अधिकारी-वर्ग तथा विशेषत: योजना आयोग से कहना चाहता हूं कि चौथी योजना में शिक्षा के लिऐ अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि समाज प्राइवेट कालेजों को समाप्त करना चाहता है तो और कालेज खोने जाने चाहिएं। मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे बाहर के छात्र लिए जाने के बारे में प्रस्तुत संशोधनों को वापिस लें।

पिछले वर्ष अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के छात्रो के लिए 36 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गये थे परन्तु इस वर्ष उस सुविधा को समाप्त कर दिया गया है। यह व्यस्वथा पुन: की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Delhi being the capital of India naturally has some special importance. But for some time past activities of the type that had been going on in Calcutta and other universities are being indulged in here as well.

I feel that the Delhi University should maintain its standard. The problem of admission should be solved by starting more shifts in colleges.

In the matter of appointments in Delhi University, priority should not be given to the Graduates of this University.

The hon. Minister should discuss the matter of Hindi Medium with the Vice-chancellor so as to ensure that no student answer his question papers in Hindi is declared unsuccessful due to the fact that he answered his question papers in Hindi.

Like a few others, Delhi University is a Central University. Efforts should be made to establish at least one Central University in every State so that uniformity is brought about.

Banaras and Aligarh are both Central Universities. An Act has been passed in respect of the former but nothing has so far been done in respect of Aligarh University. A Bill for that should be introduced early.

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : I am happy that my suggestions have this time been accepted and a Bill permitting private candidates to take Delhi University examinations has been introduced. It can prove a success, if the University opens its libraries in various colonies for the benefit of private candidates.

Effor's should be made for the preparation of books in Hindi. At present most of the students answer in Hindi while the majority of lecturers teach in English. This anomaly should be removed.

Extension lectures should be held for the benefit of private students in various colleges. Some minimum standard should be fixed for the private coaching institutes. If these institutes can be improved, there may not be any need for correspondence courses.

If private students fair well in the first year, they should be allowed admission in regular colleges, if they so choose.

Delhi University is a Central University and as such it should be a model university. Certain powers have been delegated to the Heads of Departments but it should be ensured that they maintain their standard.

We had suggested that the school of International Studies, I.I.T., Institute of Medical Sciences and Jamia Millia should also be affiliated with Nehru University. We are happy that the School of International Studies has been made affiliated with the University. But Jamia Millia has not been got affiliated so far, what is the reason ? If Jamia Millia is not affiliated, then the feeling that the Government is a firm supporter of secularism would evaporate. The authorities should be asked either to get the institution affiliated or close it down. If the institutions go unimplemented, then the aid of Rs. 20-25 lakhs should be stopped.

One more University should be opened in Delhi and it should be managed and controlled by the State Government like Universities in other States. Either Delhi University be made to comply with the instructions of Delhi Administration or a separate university be established for the State.

I support the Bill and hope a favourable consideration of my views by the hon. Minister.

श्रीमती इला पालचौधरी (कृषनगर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूँ क्योंकि यह योजना विशेष रूप से स्त्रियों के लिए उपयोगी होगी। प्रायः माध्यमिक शिक्षा के पश्चात उनका विवाह हो जाता है। अब वे अपना नाम बाह्य छात्राओं के रूप में लिखा सकती हैं और अपना अध्ययन जारी रख सकती हैं। "अध्ययन के साथ-साथ अर्जन" भारत में आज बहुत आवश्यक बात हो गई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों और अध्यापकों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। जिस अनुपात में छात्रों की संख्या बढ़ी है शिक्षकों की संख्या उस अनुपात में न बढ़ने के कारण संतोष-जनक शिक्षा प्राप्र नहीं होती है। यह ठीक है कि पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत छात्र और बाह्य छात्र विश्वविद्यालय क्षेत्र के वातावरण से मुक्त होंगे और वे अपने अध्ययन की ओर अधिक ध्यान दे सकेंगे।

विधेयक के खण्ड 2 में क्षेत्रीय सीमाओं के, जहां विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार है, अन्दर रहने वाले छात्रों का मामला है । इस पर उदारता से विचार किया जाना चाहियें। बहुत से ऐसे सैनिक तथा सिविल कर्मचारी हैं जो विश्वविद्यालय क्षेत्र के अन्तर्गत रहते हैं परन्तु उन्हें अपने सेवा सम्बन्धी कार्यों के लिए बाहर रहना पड़ता है । इस प्रकार के व्यक्तियों को भी पत्राचार पाठ्यक्रम से वंचित नहीं रखा जाना चाहिये ।

भारत के विश्वविद्यालय में पश्चिमी ढंग के रेगिंग का अनुकरण किया जा रहा है । नये विद्यालयों का शिक्षाक्रम इस प्रकार से आरम्भ किया जाता है कि वे विश्वविद्यालय के योग्य नहीं रह जाते क्योंकि इस प्रकार रेगिंग द्वारा उन्हें शारीरिक तथा मानसिक हानि पहुंचाई जाती है । विश्वविद्यालय अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को अंक कम होने के कारण जो प्रवेश नहीं दिया जाता है, इस ओर भी ध्यान देना चाहिये । इन जातियों के छात्रों के लिए स्थानारक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये और ये स्थान इन्हीं जातियों के विद्यार्थियों से पूरे किये जाने चाहियें, ताकि वे ऐसी शिक्षा से वंचित न रहें जिसका उन्हें वास्तव में आवश्यक है।

रेडियों के माध्यम से शिक्षा दिया जाना एक बहुत अच्छा विचार है इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करती हूँ ।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) मेरे विचार से काफी समय पश्चात् सही उद्देश्य से एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है । अब बाहर के छात्रों को भी स्नातक-कहलाने का अवसर-प्राप्त हो जायेगा और किसी न किसी प्रकार की डिग्री उन्हें प्रदान की जा सकेगी । किन्तु उस सुविधा को केवल उन लड़कों तक ही जिनके पास धन है या जो बड़ों नगरों के समीप रहते है, सीमित न रखा जाय । यह सुविधा सभी को प्राप्त होनी चाहिये । यह सुविधा दिल्ली तक ही सीमित क्यों रहे ? इस सुविधा को समस्त देश के लिए लाभकारी बनाया जाय ।

मेरे विचार से कुछ लाख छात्रों से अधिक प्रतिवर्ष पंजीकरण के लिए नहीं आयेंगे । पैसे की कठिनाई सामने आयेगी परन्तु मंत्री महोदय यदि प्रयत्न करेंगे तो कोई न कोई साधन निकल आयेगा । इस योजना में कार्यालयों आदि का अधिक कार्यभार नहीं होगा ।

अन्य दूसरे विश्वविद्यालयों द्वारा भी इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए एक विधेयक पेश किया जाना चाहिये जिससे इस सुविधा से समस्त देश लाभान्वित हो सके ।

एक प्रगतिशील देश के लिए यह आवश्यक है कि उसकी शिक्षा सम्बन्धी नीति उदार हो ताकि अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो सकें । विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित अर्हताएं और शर्तें कठोर नहीं होनी चाहियें । किसी भी छात्र को जिस सामान्य तौर से डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलेगा, पंजीकृत किया जाय । इसको पूरा करने के लिये अधिक स्कूल तथा कालेज खोले जाना चाहियें ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्ताचार पाठ्यक्रम के लिए 8000 छात्रों को पंजीकृत किया है पर उनका पाठ्यक्रम अभी तक भी शुरू नहीं हुआ है । मंत्री महोदय को इस मामले पर ध्यान देना चाहिये ।

श्री एस० कन्डप्पन (मैट्टूर) हाल ही में समाचारों में एक समाचार छापा था कि चीन में शिक्षित लोगों को फिर से शिक्षित करने तथा अशिक्षितों को शिक्षित करने का अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा ही अभियान हमारे देश में भी चलाया जाना चाहिये। शिक्षा के सम्बन्ध में देश की शोचनीय स्थिति के लिए देश के राजनीतिज्ञ तथा देश की सरकार उत्तरदायी है।

जो एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का आधार होना चाहिए दिल्ली 12 तथा अन्य विश्वविद्यालयों में भी इसका नितांत अभाव पाया जाता है। दुर्भाग्य से इस बात की समुचित सराहना नहीं की गई है कि दिल्ली एक ऐसा नगर है जिसमें सभी देशों तथा देश के सभी प्रान्तों के लोग रहते हैं अतः इसके स्वरूप को उसी प्रकार से बनाये रखना चाहिये। इस सम्बन्ध में यह सुझाव विचारनीय है कि प्रत्येक राज्य में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए जो कि अन्य विद्यालयों के लिये उच्च आदर्श स्थापित करें।

प्रोफेसरों के सम्बन्ध में विशेषकर भाषा के प्रोफेसरों के सम्बन्ध में जो दिल्ली विश्वविद्यालय में है, कुछ शिकायतें सुनी गई हैं। अच्छा यह होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के न केवल हिन्दी बल्कि अन्य अनेक भाषाओं को माध्यम बनाया जाय।

प्रोफेसरों के चयन के सम्बन्ध में कोई मानदण्ड निश्चित किया जाना चाहिये। दूसरे राज्यों के प्रोफेसरों को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्त किया जाना चाहिये, इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिये योग्यता के अतिरिक्त अन्य कोई मानदण्ड नहीं हो सकता, केवल गुण-योग्यता के आधार पर ही चयन किया जा सकता है, अन्य किसी आधार पर नहीं। राजस्तर के विश्वविद्यालयों में भी इसी पद्धति को अपनाया जाना चाहिये।

हिन्दी के विषय में, जहां तक दिल्ली तथा ऐसे क्षेत्र जहां मुख्य रूप से हिन्दी बोली जाती है, मुझे कोई विरोध नहीं है कि वहां के विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाय। परन्तु जहां तक दूसरी भाषाएं बोलने वाले का सम्बन्ध है केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उनको अंग्रेजी माध्यम रखने की छूट दी जानी चाहिये या ऐसा माध्यम दिया जाना चाहिए, जिसको अधिकतर छात्रों ने प्राथमिकता दी है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिये।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I congratulate the hon. Minister for the provision made for private students to appear in Degree examinations. Delhi being the cosmopolitan city of India, facilities of higher education through all regional languages of Indian Union should be extended in Delhi University.

Some members have made certain suggestions regarding Jamia Millia and Muslim University, Aligarh, I do not object to them. But they should not forget that the books prescribed in the Schools of Uttar Pradesh include some lessons which hurt the Sentiments of Muslims and spread anti-muslim feelings. Some remedial measures should be taken in this regard.

Professors should try to make a specific distinction between right and wrong and instruct the students accordingly. False propaganda should be condemned and such propagandists should be taught to speak the truth.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : We are thankful to the hon. Minister for the provision made in the Bill to enable the private students to appear in Degree examinations.

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

As hon. Prime Minister has stated whole of our educational structure requires basic changes. The present education is training the people only for services. This trend is to be changed.

Nearly 80 per cent of our people live in villages, where we have provided no schools and colleges. Today schools, colleges and university are the monopoly of cities The Government should pay attention to villages and establish more colleges there to cater to the needs of ever increasing number of students in rural areas.

The elections in Universities have become a costly affair like parliamentary elections. Besides this political parties are also playing active part in University elections. This should be stopped to check the growing bad blood among the students.

Some students have been declared unsuccessful or even rusticated for answering questions in Hindi, our national language. This handedness on the part of Vice-chancellor is highly improper and objectionable. Delhi University should not become a police estate. Such a dictator type of Vice-Chancellor should be removed and some liberal democrat should be posted there. The cases of all those students who have been rusticated should be reviwed.

As regards admissions, students from rural areas do not get any sympathetic consideration. Students having 40 percent marks or below are not entitled to admission, these students try to get some jobs but do not succeed. After this, they try to such admissions in law classes but there too they are not admitted. These circumstances turn them into Naxalites. I would request the Government not to neglect the student from rural areas.

The Government should provide all the facilities for encouraging sports in colleges and universities. Delhi University should take special interest in giving impetus to wrestling and more funds should be allocated for the purpose.

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : The existing educational system of the country needs an overall change. The Central Universities should make efforts to give the students jobs according to their qualifications, the very day student leaves the University. This will have very good results.

The undesirable system of admission in Central Universities, that is, admitting the students on the basis of a high percentage, needs revision.

Not only in Delhi University but in all the Central Universities, we find an attachment to English. A student of Delhi University was declared as failed because he had answered in Hindi Medium. His answer books were not examined and he was declared as failed. The students who made a protest against this were rusticated. This is highly improper ; such things should not happen.

Elections in Delhi University has become a closely affair. It is due to t : system of indirect elections. The existing system should be done away with and all the students should be entitled to cast their votes for the various posts in the students nion.

Appointments in Universities and specially in Delhi University should not be made on political considerations Politically motivated appointments are creating id blood in educational institutions and poisoning the University campus. Such practices should be rooted out altogether.

डा० वी० के० आर० वी० राव : कहा गया है कि सरकारी सेवाओं के लिए अर्हता बी० ए० नहीं होनी चाहिये । मैंने इस विचार से कई बार सहमति प्रकट की है और अनेकों बार सरकार के सम्मुख मैंने इस सुझाव को रखा भी है । कई वर्ष पहले गोपालास्वामी आयगंर समिति ने भी

ऐसा ही सिफारिश की थी । जिन पदों के लिये ऊंची योग्यता के व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है हमें उन्हें नियुक्त नहीं करना चाहिये । सरकार द्वारा यह निश्चय किया जाना चाहिए कि किन किन सेवाओं के लिए स्नातक डिग्रं आवश्यक होगी, बाकी सेवाओं के लिये पदों के अनुसार कम से कम अर्हता निश्चिय की जानी चाहिये ताकि कालेजों में प्रवेश की समस्या को हल किया जा सके ।

विश्वविद्यालयों ने अध्यादेशों का प्रारूप तैयार नहीं किया है । जब तक यह विधेयक पारित नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार के अध्यादेश का प्रदाय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है ।

जहां तक प्राइवेट छात्रों को सुविधा प्रारूप करने का सम्बन्ध है, मेरे विचार से ये सुविधायें एम० ए० (स्नातकोत्तर छात्र) के विद्यार्थियों को भी दी जानी चाहियें । ऐसे अनेकों विद्यार्थी हैं जिन्होंने स्नातक डिग्री प्राप्त कर ली है और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं । इस प्रकार की सुविधा से अनेकों व्यक्तियों को लाभ होगा ।

1969 के उपकुलपति सम्मेलन का हवाला दिया गया है । यदि 1970 में हुई उपकुलपतियों की बैठक की कार्यवाही को ध्यान से देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा मंत्री ने इस बात पर बराबर जोर दिया है कि कालिज की प्रशासन समिति में छात्रों को भी हिस्सा दिया जाना चाहिये । यद्यपि कालेज के प्रसाशन में छात्रों को हिस्सा देने का कार्य कठिन है फिर भी हमें इस ग्रन्थों को आसानी से सुलझानी चाहिये और स्वयं छात्रों को कठिन परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए उपाय निकालने का अवसर दिया जाना चाहिये ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में नक्सलवादी गतिविधियों के विषय में भी कहा गया हैं । आजकल प्रत्येक व्यक्ति नक्सली गतिविधियों से चिन्तित है । दिल्ली विश्वविद्यालय में केवल कुछ नारे जो रात्री के अन्धकार में इधर-उधर लिख दिये जाते हैं, पाये जा सकते हैं । दूसरे अतिरिक्त नक्सलवादी गतिविधियों का अन्य कोई प्रदर्शन नहीं होता है । मुझे कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसमें किसी प्रोफेसर का नक्सलवादी गतिविधियों में हाथ बटाया गया हो । दिल्ली प्रशासन दिल्ली तथा दिल्ली विश्वविद्यालय की गतिविधियों के विषय में बहुत सजग है । गृह-मन्त्रालय भी इस ओर ध्यान दे रहा है । हम इस प्रकार की गतिविधियों को यहां से यथासंभव दूर रखना चाहते हैं । इसलिए इस विषय में किसी जांच आदि की मांग नहीं की जानी चाहिए ।

जहां तक इस सुविधा से लाभान्वित होने वालों की संख्या का प्रश्न है, दिल्ली से बाहर के छात्रों की संख्या के विषय में अनुमान लगाना बहुत कठिन है ।

शिक्षा पर अधिक धनराशि व्यय करने का सुझाव दिया गया है । मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूँ । इस राशि को अधिक कालिज खोलने के बजाय शिक्षा का स्तर ऊंचा करने पर व्यय किया जाना चाहिये । 80 स्थानों के रिक्त रहने की जो बात कही गयी है उसके विषय में जानकारी प्राप्त की जायेगी ।

प्रवेश के लिए प्रतिशत प्राप्तांक बढाने के विषय में भी जानकारी प्राप्त की जायेगी । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के प्रवेश के लिए आवश्यक प्राप्तांक

5 प्रतिशत के स्थान पर और अधिक कम किये जाने चाहियें। जहां तक कालेजों में दो पारियां की व्यवस्था करने का प्रश्न है, इस प्रकार की व्यवस्था करना बहुत कठिन है।

दो पारी प्रणाली के कारण अधिक जटिलायें उत्पन्न होती हैं। इसका एक ही उपाय है कि अधिक कालेज खोलने के लिए अधिक धन मिले।

कुछ सदस्यों ने विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा पत्रों का हिन्दी में उत्तर दिये जाने के बारे में प्रश्न उठाया है। जहां तक मुझे स्मरण है उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को जांचा नहीं गया है। शिक्षा परिषद का संकल्प सम्भवतः यह था कि इन उत्तर-पुस्तिकाओं को लिखी नहीं गई अथवा रद्द समझा जाये। वह इस सारे प्रश्न पर विचार कर रही है कि भविष्य में क्या किया जाये।

मेरी इस बारे में कुछ कहने की इच्छा नहीं थी क्योंकि विश्वविद्यालयों के पूर्ण स्वायत कार्य-संचालन में यदि कोई बात जरा भी संदेह उत्पन्न करे तो मैं उसे दोष समझता हूँ। इस विशेष मामले पर मैंने सोचा कि इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष रखा जाना चाहिए।

इस बारे में बने हुये नियम स्पष्ट है। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। जब कि उनका कहना है कि परीक्षा का माध्यम हिन्दी है। केवल संविधान में उपबन्ध होने से ही प्रत्येक विश्वविद्यालय में परीक्षा का माध्यम हिन्दी नहीं हो जाता है। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपना माध्यम निर्धारित करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में बी० ए० (पास) तथा बी० ए० (आनर्स) पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा का माध्यम हिन्दी है और वे शीघ्र ही एम० ए० में भी यह व्यवस्था करने वाले हैं।

यदि छात्रों का हायर सैकण्डरी परीक्षा तक हिन्दी, तमिल अथवा तेलगू माध्यम होता है तो जब वे कालेज में पढ़ते हैं तो अन्य माध्यम होने से उन्हें अपना ज्ञान व्यक्त करने में कठिनाई होती है।

वास्तव में ये नियम दिल्ली विश्वविद्यालय के पक्ष में हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुझे इस बारे में कुछ करने का अधिकार भी नहीं है। मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिये सम्पर्क स्थापित कर रहा हूँ। केवल इन दो छात्रों के लिये ही नहीं वरन् उन सब छात्रों के लिए जिन्होंने जिस माध्यम से शिक्षा पाई है उससे भिन्न माध्यम से उन्हें परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसी स्थिति अन्य स्थानों पर भी उत्पन्न हो सकती है अतः यह शिक्षा की सामान्य समस्या है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सम्पर्क से सुलझाना है।

प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रश्न के सम्बन्ध में, शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और दूसरों से इसका उल्लेख किया गया है और एक नीति सम्बन्धी निर्णय लिया गया है कि और अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किये जायेंगे।

प्रश्न उठाया गया कि तमिलनाडु में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिय, साथ ही परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी अथवा प्रादेशिक भाषाओं में से कोई भाषा होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो माध्यम हिन्दी होना चाहिए और चूंकि तमिलनाडु सरकार हिन्दी

माध्यम रखना नहीं चाहती है अतः मैं नहीं चाहता कि कोई विवाद उत्पन्न हो। मैं चाहता हूँ कि देश में शांति बनी रहे। (व्यवधान)

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि चण्डीगढ़ केन्द्र शासित क्षेत्र है उसमें जो विश्वविद्यालय है वह भी केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत होना चाहिये। चण्डीगढ़ को पंजाब का अंग बताया जा रहा है क्योंकि यह तो सरकार का नीति सम्बन्धी निर्णय है। अतः पंजाब में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए संघ राज्य क्षेत्रों का तर्क देने का कोई उपयोग नहीं है।

जहां तक दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय की शाखायें खोलने का सम्बन्ध है, हमारे पास पहले से ही एक योजना है। वास्तव में धन के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना का अनुमोदन करेगा। हम दिल्ली में ही नहीं बल्कि कई अन्य स्थानों पर पाठ्य-पुस्तकों के केन्द्र खोलना चाहते हैं। यह भी सुझाव दिया गया है कि क्या स्वयंपाठी विद्यार्थियों को पुस्तकालय सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की जायेंगी। इस सुझाव पर गहराई से विचार किया जायेगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय तो स्वयंपाठी विद्यार्थियों को टेलीविजन पर भाषण अथवा पुस्तकालय को सुविधायें प्रदान करके विभिन्न तरीकों से उन्हें सुविधा देना चाहता है।

स्वयंपाठी विद्यार्थियों के विश्वविद्यालय में पंजीकरण के नियमों में कठोरता के बारे में माननीय सदस्य श्री कुण्डू ने कुछ संदेह व्यक्त किया। स्वयपाठी विद्यार्थियों के लिये अधिक से अधिक सरल नियम बनाये जायेंगे।

इलाहाबाद से श्री मिश्रा का यह सुझाव आया कि छात्रों को प्रवेश के समय नियुक्ति देने की गारन्टी दी जाये, यह सम्भव नहीं है क्योंकि यदि ऐसी गारन्टी दी जाती है तो प्रवेश के कठोर नियम होंगे जब कि वह चाहते हैं कि प्रवेश के नियम भी उदार हों।

यह प्रश्न उठाया गया था कि दिल्ली में दो विश्वविद्यालय क्यों नहीं खोल दिये जायें। मेरे विचार से दिल्ली में दूसरे विश्वविद्यालय की स्थापना से दिल्ली की समस्या सुलझ जायेगी, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। वैसे इसकी जांच की जायेगी क्योंकि लोग समझते हैं कि एक नया विश्वविद्यालय खोला जाए।

प्रश्न उठाया गया है कि वर्तमान योजना सभी छात्रों के लिए क्यों नहीं रखी जा सकती और क्यों इसे केवल दिल्ली के छात्रों तक ही सीमित रखा जाए? इसके दो या तीन कारण हैं। प्रथम कारण यह है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। उनसे यह आशा नहीं की जाती है कि वे एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में प्रवेश करें। यदि ऐसा हो जाएगा तो मुसीबत पैदा हो जाएगी क्योंकि सभी राज्यों तथा विश्वविद्यालयों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। 11 अथवा 12 विश्वविद्यालय जो स्वयंपाठी विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हैं, उनका भी क्षेत्राधिकार है। किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय ने स्वयंपाठी विद्यार्थियों के इस प्रश्न पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड के साथ चर्चा नहीं की है जो सभी विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मन्त्रालय इस पर विचार करेगा और देखेगा कि क्या किया जा सकता है।

दूसरी सभा में दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कुछ मांगें रखी गयी थीं। उनका कहना है कि लगभग 18,000 छात्र पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत हैं। समस्त देश के विद्यार्थियों को वह विश्वविद्यालय पत्राचार पायठ्क्रम में प्रवेश देना नहीं चाहता है। हम इस प्रश्न पर विचार करने का प्रयत्न करेंगे कि कहाँ तक इस परिभाषा में उन छात्रों को सम्मिलित किया जा सकता है जिनके पास दिल्ली विश्वविद्यालय की उपाधियां है लेकिन ऐसा हो सकता है कि वे दिल्ली में नहीं रहते हों।

अतः हम यह सोचेंगे कि इस दिशा में क्या किया जा सकता। यदि माननीय सदस्य जिन्होंने सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया है, हमारे उत्तर से संतुष्ट न हों तो भी मैं उनसे संकल्प वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापतनम) : काम की गारन्टी देने के बारे में क्या मन्त्री महोदय कुछ व्यावसायिक कालेजों के प्रथम तीन अथवा चार स्थान प्राप्त करने वालों को यह गारन्टी देने के लिए तैयार होंगे ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं काम देने वाला नहीं हूं। इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को यह सुझाव भेज दिया जायेगा।

श्री स० कुण्डू : मन्त्री महोदय यह घोषणा क्यों नहीं करते कि दूसरे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भी ऐसे ही उपबन्ध होंगे ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : उनमें से एक में ऐसे ही उपबन्ध हैं। बाकी पर विचार किया जाएगा।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Chairman, Sir, some of the points have been cleared by the answer of the hon. Minister. It is still not clear whether the permission would be given to private candidates for appearing in the M.A., B.A. or B.Sc. examinations. An ordinance is to be issued...

डा० वी० के० आर० वी० राव : 'आर्डिनेंस' शब्द के बारे में कुछ भ्रान्ति है। विश्वविद्यालय द्वारा भी 'आर्डिनेंस' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'आर्डिनेंसेज' हमारे सदन में कहलाने वाले आर्डिनेंसेज सर्वथा भिन्न होते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister should state the policy, which has been decided, for the information of the House regarding private candidates. Either the University should have decided or the Government should have taken a decision.

The Delhi University Act requires to be amended because it has almost become outdated.

A comprehensive Bill in this regard should be introduced .. *(Interruptions)*

डा० वी० के० आर० वी० राव : हम विश्वविद्यालयों के संचालन सम्बन्धी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बारे में व्यापक कानून तो लाया जाना ही है। जब हमें विश्वविद्यालयों के भावी संचालन सम्बन्धी विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेंगे तो दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम अपनी वर्तमान हालत में नहीं रह सकता है।

Shri Kanwar Lal Gupta : An hon. Member enpressed anxiety over the Naxalite activities which were prevalent in Delhi University but the hon Minister replied that there were no such activities. I requested him to order an enquiry into it. It is there in the record of the Police. I charge the hon. Minister for oversimplyfying the matter.

The hon. Minister stated that he had an open mind regarding two Universities for Delhi. According to the Vice Chancellor a saturation point has reached in Delhi University due to a strength of 60,000 students there.

डा० वी० के० ग्रार० वी० राव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस मामले पर विचार किया जायेगा । फिर भी वह इस पर बल दे रहे हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister knows little about procedure. He himself has answered certain questions which were not relevant to the Bill ...(*Interruptions*)

I was saying that a saturation point has reached in Delhi University. Previously the hon. Minister was in favour of two campuses. but it is a good thing that he has an open mind about two Universities for Delhi It is learnt that the Central Government is interfering in it. It would be better if two Universities are established. The indiscipline among students increasing The authorities of the Delhi University want to take more powers regarding governing bodies, employment etc. Such type of autocracy must be checked, otherwise it may cause confrontation between Delhi University and Delhi Administration.

In educational institutions, the minimum qualifications of teachers should be laid down so that academic atmosphere may be created.

A uniform policy of admission should be adopted. Different Universities have got different rules. I suggest that a uniform standard of admission should be evolved in the ensuring conference of Ministers of Education.

I am sorry to say that the students having 5 ·59 per cent marks were not admitted to B.Sc. (Hons.) courses in Delhi University. The admission to candidates must not be restricted to Delhi residents only. Similarly in other Universities, the candidates of Delhi University cannot be admitted.

I conclude with one thing. I want the hon. Minister to talk to the Vice-Chancellor and the residents of Delhi. The Vice Chancellor deserves congratulations for curbing violence but at the same time he is having an autocratic attitude. He does not reply to the Member of Parliament even. it is his P.A. who does so.

I appreciate the strong action taken by the Vice-Chancellor for curbing violence but at the same time I expect him not to keep any political bias in regard to the students.

I have only technical abjection to this Bill. Instead of having autocractic attitude, the Vice-Chancellor should behave with them properly because they are the representative of the public. With these words I would like to withdraw my resolution.

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The Resolution was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री बलराज मधोक : मैं अपने संशोधन संख्या 2 और 3 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री स० कुण्डू : मैं अपने संशोधन संख्या 4 और 5 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Shiva Chandra Jha : Mr. Chairman, Sir, Clause 2 of this Bill reads :

"has been registered by the University, subject to such candidates as may be laid down in the Statutes and Ordinances, as external candidates, being persons residing within the territorial limits to which the powers of the University extend ',

The word "within" is mentioned in Clause 2 of the Bill. If the word "or without" is added, it would serve twofold purpose. The candidates who reside outside the territorial limits of the Delhi University would also be benefited because they would get opportunity of appearing externally in the examinations. I am not convinced with the answer given by the hon Minister that there is no need of another University in Delhi. There are five or six Universities in Loss Angeles.

Therefore, I request that my amendment may be accepted.

श्री बलराज मधोक : मेरा साधारण सा संशोधन है। मैं चाहता हूँ कि क्षेत्रीय सीमाओं को दिल्ली के राजधानी क्षेत्र तक बढ़ाया जाना चाहिये। दिल्ली का विस्तार हो रहा है और कुछ बस्तियां जहाँ दिल्ली के लोग रहते हैं, अब संघ राज्य क्षेत्र की सीमा से बाहर हो गये हैं और सभी प्रकार से वे दिल्ली के निवासी हैं। मन्त्री महोदय को यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए तथा इस प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में संशोधन किया जा सकता है।

दिल्ली के बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से परीक्षायें पास करके बाहर रहने लगे हैं, क्योंकि वे वहां सुरक्षा बल आदि में सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बच्चों को भी ये सुविधायें दी जानी चाहियें, जो राजधानी क्षेत्र में बस गये हैं। ऐसा हो सकता है कि वे दिल्ली से बाहर सुरक्षा बल अथवा अन्य सिविल सेवाओं में कार्य कर रहे हों।

श्री लोबो प्रभु : विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार कालेजों तथा शिक्षण-संस्थाओं पर प्रभाव डालता है। परन्तु वह व्यक्तियों पर प्रभाव नहीं डालता है। किसी एक व्यक्ति को केवल किसी एक विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने के लिये इसलिये विवश नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि वह संयोग से वहां मौजूद है।

दूसरा तर्क प्रशासनिक कठिनाई से सम्बन्धित था। भारत बहुत बड़ा देश है तथा दिल्ली भारत की राजधानी है। प्रशासनिक कठिनाई के बारे में मेरा यह उत्तर है कि यह मामला विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को पढ़ाने से संबंधित नहीं है वरन् उन्हें पंजीकृत करने तथा परीक्षा लेने का है। अतः इस मामले में किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए।

तीसरा प्रश्न 'निवास' स्थान का है। इसे स्पष्ट नहीं किया गया है कि 'निवास' एक सप्ताह का होना चाहिए अथवा एक वर्ष का अथवा इससे अधिक का होना चाहिए। "निवास" शब्द की परिभाषा स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए अन्यथा इसके कारण विवाद उठ सकते हैं।

यह भी तर्क दिया गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय इस बारे में रूचि नहीं दिखाता है। फिर भी सरकार संसद् को दिल्ली विश्वविद्यालय की आपत्तियों पर विचार करना चाहिए। इसे समूचे भारत का अंग समझा जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग लेने का अधिकार होना चाहिए।

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : मेरा पहला संशोधन खंड 2 के उप-खंड (3) से सम्बन्धित है। मैंने सुझाव दिया है कि किसी छात्र को अर्हताओं या अन्य बातों के कारण परीक्षा में बैठने से न रोका जाए।

दूसरा संशोधन बहुत महत्त्वपूर्ण है जो स्नातकोत्तर पत्राचार पाठ्य-क्रम की कक्षाओं से संबंधित है। मन्त्री महोदय ने बताया है कि स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए लगभग 8,000 छात्रों को पंजीकृत किया गया है। उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए तथा उसके लिए आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए।

दिल्ली विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार भी बढ़ाया जाना चाहिये।

Shri B. P. Mandal (Madhepura) : The clause regarding the restriction on the private candidates for appearing in the examinations should be omitted. The candidates residing in other parts of the country must be permitted to appear as private candidates in the examinations of Delhi University.

English has not yet been eliminated from the country. The medium of instruction in Delhi University is English. Hindi must also allowed as medium of instructions.

डा० वी० के० आर० वी० राव : दिल्ली विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार को दिल्ली से बाहर के क्षेत्रों तक बढ़ाने सम्बन्धी संशोधन को स्वीकार करना कठिन है। प्रश्न यह है कि क्या 'क्षेत्राधिकार' की परिभाषा में केवल उन लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जोकि दिल्ली के निवासी हैं बल्कि उन लोगों को जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षायें दी हैं या वे यहां पर पढ़े हैं, उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। सरकार इस बात की परीक्षा करेगी कि क्या ऐसा दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अन्तर्गत किया जा सकता है।

राजधानी क्षेत्र के बारे में जांच की गई। राजधानी क्षेत्र के बारे में कोई वैध परिभाषा नहीं मिली। दिल्ली राज्य की तो परिभाषा मिलती है परन्तु राजधानी क्षेत्र की परिभाषा नहीं मिलती है।

पत्राचार छात्रों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी छात्र को पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए बाध्य नहीं करता है परन्तु यदि वह छात्र इसमें प्रवेश ले लेता है तो उसे पत्राचार पाठ्यक्रम छात्र के रूप में परीक्षा में बैठने दिया जाए। यदि कोई छात्र असफल हो जाता है तो उसे भूतपूर्व छात्र के रूप में प्राइवेट बैठने के लिए कोई रोक नहीं होगी।

आशा है कि सदन मेरी बात से सहमत होगा तथा विधेयक को पारित करेगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया

Amendment No. 2 was put.

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में 34 ;　　**विपक्ष में** 120
Ayes 34 ;　　**Noes 120**

संशोधन अस्वीकृत हुआ।
The amendment was negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3, 4, 5 और 6 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।
The Amendments Nos. 3, 4, 5 and 6 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खण्ड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : On a point of order, Sir**

Mr. Chairman : There is no point of order.

———

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

सभा का अवमान

CONTEMPT OF THE HOUSE

संसद्-कार्य और नौ-वहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : महोदय, आज सुबह दर्शक दीर्घा में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं निम्नलिखित संकल्प सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा संकल्प करती है अपने को (1) स्वामी योगेश्वरा नन्द गिरि और (2) श्री राज कुमार जैन बताने वाले व्यक्तियों ने, जिन्होंने आज 12-45 बजे म० प० पर दर्शक दीर्घा से नारे लगाए और जिनको वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, गम्भीर अपराध किया है तथा वे इस सभा के अवमान के अपराधी हैं।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि उनको मंगलवार, 1 सितम्बर, 1970 के 6 बजे म०प० तक साधारण कारावास की सजा दी जाये और तिहाड़ जेल, दिल्ली भेज दिया जाए।"

पहला मामला पूना जिला के घोड़ागांव के निवासी स्वामी योगेश्वरा नन्द का है। उन्हें यह शिकायत थी कि भीमशंकर नामक स्थान में एक प्राचीन मन्दिर है और महाराष्ट्र सरकार उसे तोड़ रही है। उन्होंने इस मामले पर विरोध प्रकट करना चाहा। उन्होंने कुछ नारे लगाए। अतः वाच एण्ड वार्ड कर्मचारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मंदिर तथा उसकी मूर्तियों को तोड़ रही है। इस मामले को वह महाराष्ट्र विधान सभा में ले गए। (व्यवधान)

दूसरा मामला इस प्रकार है। एक अन्य व्यक्ति श्री राज कुमार जैन की यह शिकायत है कि उन्होंने इतिहास में बी० ए० (आनर्स) की परीक्षा उत्तीर्ण की। वह दिल्ली विश्वविद्यालय की एम०ए० (इतिहास) की परीक्षा में बैठे और अन्तिम परीक्षा में उन्होंने अपने प्रश्न-पत्र का उत्तर हिन्दी में दिया। जब परिणाम घोषित किया गया तब उनका नाम उत्तीर्ण उम्मीदवारों की सूची में नहीं था। उन्होंने अपने साथियों सहित इसके विरोध में उपकुलपति के कार्यालय पर प्रदर्शन किया तथा नारे लगाए। "मेरी कापी जांची जाए।" आज उन्हें दर्शक दीर्घा से वाच एण्ड वार्ड कर्मचारियों द्वारा हटा दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि अपने को (1) स्वामी योगेश्वरानन्द गिरि और (2) श्री राज कुमार जैन बताने वाले व्यक्तियों ने, जिन्होंने आज 12.45 बजे म० प० पर दर्शक दीर्घा से नारे लगाये और जिनको वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, गम्भीर अपराध किया है तथा वे इस सभा के अवमान के अपराधी हैं।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि उनको मगलवार, 1 सितम्बर, 1970 के

6 बजे म० प० तक साधारण कारावास की सजा दी जाए और तिहाड़ जेल, दिल्ली भेज दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सदस्य को रिहाई

RELEASE OF MEMBER

सभापति महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है :

"कि सब डिवीजनल न्यायाधीश, बाराबंकी से, अध्यक्ष के नाम दिनांक 31 अगस्त, 1970 का एक बेतार सन्देश प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया है कि लोक-सभा के सदस्य श्री झारखण्ड राय को सात दिन की सजा भुगतने के बाद आज रिहा किया गया।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त और अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों पर प्रस्ताव

MOTIONS RE: REPORTS OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY

सभापति महोदय : अब सभा श्री पी० गोविन्द मेनन द्वारा 20 मई 1970 को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :

'कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के 16वें, 17वें, और 18वें प्रतिवेदनों पर जो क्रमश: 24 अप्रैल, 1968, 15 मई, 1969 तथा 30 मार्च, 1970 को सभा-पटल पर रखे गये थे, विचार करती है।"

सभा श्री सूरज भान द्वारा 20 मई, 1970 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर भी आगे विचार करेगी, अर्थात् :

"कि अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षणिक विकास सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (भाग 1—5) तथा सम्बद्ध दस्तावेजों पर, जो 10 अप्रैल, 1969 को सभा-पटल पर रखे गये थे, विचार किया जाये।"

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : Sir, the last thousands of years the Harijans and Adivasis have been exploited by the people of higher castes. (*Interruptions*) There compromise between Brahman and Bania classes and these two classes exploited the society together. This exploitation continued for thousands of year. During this period of 20-22 years of Independence corruption and exploitation continued as before. An hon. Member

said that the Harijans did not beg. There is a caste namely 'Dom' in Scheduled Castes. This whole caste depends upon beggary. In the eastern sector of Uttar Pradesh Harijans collect the dung excreted by the oxen in order to take out wheat from that dung because the oxen eat wheat while threshing.

Mr. Chairman : You may continue your speech next time.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत की अदायगी के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE : INTERIM RELIEF TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

श्री उमानाथ (पुट्टूकोटै) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने 70 रुपये प्रति मास के हिसाब से अंतरिम सहायता की मांग की है क्योंकि गत 20 वर्षों में मूल्यों में वृद्धि के कारण उनके सब प्रकार के लाभ समाप्त हो गये हैं और उनके वेतन में संशोधन करने सम्बंधी कार्य में अभी समय लगेगा। सरकार ने इस माँग को भी वेतन आयोग के पास भेज दिया है जिसपर गत तीन महीनों से कोई निर्णय नहीं किया गया है। सरकार ने इस मामले पर इस प्रकार कार्यवाही की है कि सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत मिलने से पूर्व बीच की अवधि के लिए एक अन्य अन्तरिम राहत की मांग करनी पड़ेगी। मेरे विचार में इस मामले को वेतन आयोग के पास भेजने की आवश्यकता ही नहीं थी। हमने इसी विलम्ब को ध्यान में रखते हुए उस प्रस्ताव का विरोध किया था। मंत्री महोदय ने विलम्ब का कारण यह बताया है कि 300 से अधिक ज्ञापन प्राप्त हुए है अतः उनकी छानबीन करके, उन्हें उचित रूप से समझ कर ही कोई निर्णय किया जा सकता है। यदि वेतन आयोग ने वेतनमानों के बारे में अंतिम निर्णय करना होता तो इस प्रकार की प्रक्रिया उचित समझी जा सकती थी। सरकार ने जो अन्तरिम सहायता देनी है उसका समायोजन अंतिम सहायता में हो जाना है। यह एक प्रकार का अग्रिम वेतन है अथवा एक अस्थाई अल्पावधि ऋण है जिसका समायोजन अंतिम राहत मिलने पर हो जायेगा। क्या सरकार को ऐसे कार्य के लिए भी वेतन आयोग की सहायता की आवश्यकता है? यदि सरकार अब भुगतान कर देती है और वेतन आयोग का निर्णय बाद में होता है तो इसमें क्या हानि है? परन्तु सरकार का तर्क यह है कि अंतरिम सहायता पिछली तारीख से दी जाती है, इसलिए सरकारी कर्मचारियों को कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा। सरकार के इस तर्क के अनुसार तो अंतरिम राहत की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर मंत्री महोदय का कहना है कि जब वेतन आयोग इस विषय पर विचार कर रहा है तब सरकार अपने आप अंतरिम राहत की घोषणा कैसे कर सकती है। यह कोई तर्क नहीं है। औद्योगिक न्यायाधिकरण, उच्च-न्यायालयों अथवा सर्वोच्च-न्यायालय में कई मामले विचाराधीन होते हैं परन्तु सम्बधित वर्ग कई बार आपस में बातचीत करके विवाद को सुलझा लेते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय उन निर्णयों का अनुमोदन कर देता है। अतः मैं मांग करता हूं कि सरकार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके अंतरिम राहत के सम्बंध में समझौता कर ले और फिर उसे वेतन आयोग के पास भेज दे। इससे कर्मचारियों की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति हो जायेगी। परन्तु वास्तव में सरकार इस मामले

में भी टालमटोल करना चाहती है। सरकारी कर्मचारियों को संगठित होकर इस प्रकार की कार्यवाही का विरोध करना चाहिये जिससे सरकार बातचीत करके इस समस्या को हल करने पर विवश हो जाये।

Shri Deven Sen (Asansol) : I do not understand the reason of delay in granting interim relief to Central Government employees. It is beyond doubt that the prices have increased and interim relief is not an unreasonable demand. Our Government feels that in case wages are increased then the prices would also increase. In this connection, I may point out that the percentage of working class is insignificant as compared to the population of this country and in view of this the aforesaid theory cannot work here

Secondly, I feel that Government is following the policy of wage freeze without any declaration The tribunals appointed by the Government take 10 years or so in taking a decision I condemns this policy of delay and request the Government to give interim relief to the Government servants as early as possible.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : सरकार ने जब वेतन आयोग नियुक्त किये जाने की घोषणा की थी तब हमने उनको अत्यधिक कार्य सौंपे जाने पर आपत्ति की थी। हमारा अनुमान था कि वेतन आयोग की सिफारिशों में विलम्ब होगा और मूल्य बढ़ते रहने के कारण सरकारी कर्मचारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उस समय हमने कहा था कि अंतरिम सहायता दी जानी चाहिए। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने अंतरिम सहायता के रूप में 70 रुपये की मांग की थी। यदि सरकार ने अपने कर्मचारियों को राहत देने के विचार से वेतन आयोग नियुक्त किया है तो उन्हें अंतरिम सहायता देने में क्या हानि है। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्यक्ष ने, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, अपने निर्णय में बताया था कि निर्वाह सूचकांक और मूल्य वृद्धि में तालमेल बिठाना भी एक समस्या है और वस्तुओं के मूल्यों में वास्तविक वृद्धि और उस सम्बंध में कर्मचारियों की आवश्यकता का सही अनुमान कभी भी नहीं लगाया गया है। महाराष्ट्र में प्रोफेसर डी० आर० लकडवाला ने सिद्ध कर दिया है कि मूल्य सूचकांक जो भी हो उसमें 29 बिन्दुओं का अंतर रहता है। उड़ीसा में नमूने के रूप में किए गए कुछ सर्वेक्षण के अनुसार 40-50 बिंदुओं का अंतर रहता है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कहा है कि वास्तविक मजूरी निरंतर कम हो रही है। यदि सरकारी कर्मचारियों को दो वर्ष तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाये तो मूल्यों के सूचकांक में और वृद्धि हो जाएगी और प्रत्येक वर्ष महंगाई के अनुसार महंगाई भत्ता देने का सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। अतः वित्त मंत्री को इस समस्या पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। इस समस्या को वेतन आयोग के पास भेजने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इससे अनावश्यक विलम्ब होगा। अंतरिम राहत देने के बारे में सरकार जीवन निर्वाह के खर्च में वृद्धि को ध्यान में रख कर स्वयं निर्णय कर सकती है। सरकार की इस कार्यवाही से मुझे संदेह होता कि वह अपने कर्मचारियों को अंतरिम राहत नहीं देना चाहती।

रेलवे के आकस्मिक श्रमिकों के बारे में सेवा की शर्तें निर्धारित रही है, उनमें से कुछ श्रमिक गत 20 वर्ष से काम कर रहे हैं। इस मामले को भी वेतन आयोग को भेजना चाहिए। इस वर्ग को भी अंतरिम राहत दी जानी चाहिए।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : There is discontentment among the Government employees. The Government should consider their problems by taking them into confidence and declare interim relief without any further delay.

Shri Sheo Narain (Basti) : I would request the hon'ble Minister to announce interim relief immediately as Government employees have great hopes from him. He should also arrange to reinstate one thousand policeman who are still under suspension. There is an atmosphere of landlessness in the country. I, therefore, suggest that Government should atleast satisfy their own employees by giving them interim relief at an early date.

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों और वास्तविक आवश्यकताओं की जांच करने के लिए ही तीसरे वेतन आयोग को नियुक्त किया है। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि अंतरिम राहत के मामले को वेतन आयोग को भेजने की क्या आवश्यकता थी ? यदि उन्होंने उन 500 ब्यौरे-वार ज्ञापनों को देखा होता जो विभिन्न कर्मचारी संघों ने वेतन आयोग को भेजे हैं तो उन्हें पता चलता कि विशेषज्ञों द्वारा विचार किए बिना तदर्थ अंतरिम राहत देने से क्या कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं।

जैसाकि मैंने पहले बताया है, हमें अंतरिम राहत देने में, सिद्धांत रूप में, कोई आपत्ति नहीं है। हम केवल यह चाहते हैं कि अन्तरिम राहत सुविचारित सिद्धांतों के आधार पर दी जाए ताकि सरकारी कर्मचारियों के किसी वर्ग को यह न महसूस हो कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। उपर्युक्त ज्ञापनों से पता चलता है कि अन्तरिम राहत का मामला काफी पेचीदा है। अतः यह बिल्कुल गलत आरोप है कि सरकार ने केवल देर करने के लिए इस मामले को वेतन आयोग के पास भेजा है। हम इस मामले को शीघ्र निपटाना चाहते हैं परन्तु हम चाहते हैं कि कार्य न्यायोचित ढंग से हो। हम बिना सोचे-समझे तदर्थ राहत नहीं देना चाहते। अन्तरिम राहत दे के लिए सुविचारित आधार तभी तय किया जा सकता है जब वेतन आयोग जैसी विशेषज्ञ संस्था इस विषय पर विचार करके सरकार को अपनी सिफारिशें भेजे। कर्मचारियों को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। हम जानते हैं कि अन्तरिम राहत देने में विलम्ब के कारण उन्हें प्रति मास कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमने वेतन आयोग को लिखा है कि वे गत किसी तारीख से अन्तरिम राहत देने की सिफारिश कर सकते हैं : अतः इस बीच की अवधि में कर्मचारियों की कोई हानि नहीं होगी। अतः माननीय सदस्यों को सरकार के इरादे पर संदेह नहीं करना चाहिए।

मैं सरकारी कर्मचारियों से अपील करता हूँ कि वे राजनीतिज्ञों द्वारा गुमराह न हों। इस मामले पर सहानुभूति-पूर्ण ढंग से और खुले दिल से विचार किया जाना चाहिए। अतः मेरे विचार में सरकार न विलम्ब कर रही है और न इसको अधिक पेचीदा बनाने का प्रयत्न कर रही है। सरकारी कर्मचारियों के साथ सीधे बातचीत करने का कोई प्रश्न ही नहीं क्योंकि इस प्रकार की बातचीत से कोई परिणाम नहीं निकलेगा और इससे समय भी अधिक लगेगा।

मुझे प्रसन्नता है कि वेतन आयोग इस मामले पर अविलम्ब विचार कर रहा है। हमें आशा है कि वे अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करेंगे। मुझे यह भी आशा है कि सरकार तथा उसके कर्मचारी इन सिफारिशों को स्वीकार कर लेंगे और इस अन्तरिम सहायता से संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री काशीनाथ पाण्डेय (पदरौना) : सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करने का

मामला जब वेतन आयोग को भेजा गया है तो सरकार द्वारा अन्तरिम राहत की घोषणा किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। परन्तु सरकार वेतन आयोग से अनुरोध कर सकती है कि वे अंतरिम सहायता की अविलम्ब घोषणा करें।

श्री उमानाथ : मंत्री महोदय ने अभी-अभी बताया है कि यह आवश्यक नहीं कि जिस तारीख को वेतन आयोग अन्तरिम राहत की घोषणा करेगी, उसी तारीख से दिया जाये। वह भूतलक्षी प्रभाव से भी दिया जा सकता है। यदि सरकार का ऐसा इरादा है तो उन्हें एक फरवरी से अन्तरिम सहायता दिये जाने की घोषणा कर देनी चाहिए। इसमें क्या कठिनाई है? सरकार तारीख तो स्वयं निश्चित कर सकती है।

श्री स० कुण्डू : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने अन्तरिम राहत देना सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। यदि यह ठीक है तो इसकी कोई समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। अतः मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस सभा को विश्वास में लेकर अन्तरिम राहत की घोषणा करने के सम्बंध में कोई तारीख घोषित करेंगे?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मत्री महोदय ने सहानुभूतिपूर्ण वक्तव्य दिया है परन्तु उसका विशेष महत्व प्रतीत नहीं होता। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल वेतन आयोग को मिला था। उन्होंने हमें बताया कि वे 26 से 31 तारीख तक साक्ष्य लेंगे। तत्पश्चात् उस पर विचार विमर्श करके सितम्बर के पहले या दूसरे सप्ताह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। हम इससे संतुष्ट है। हम यह पूछना चा ते हैं कि क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की जायेगी अथवा क्या इस सभा की इस सर्वसम्मत मांग को आयोग को भेजा जायेगा? सरकार उनको यह निदेश क्यों नहीं दे सकती कि वह 15 सितम्बर तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें। सरकार को यह भी आश्वासन देना चाहिए कि वह इस प्रतिवेदन को तुरन्त क्रियान्वित कर देंगे।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : It is necessary to give interim relief to Central Government employees with retrospective effect. It should be given atleast from the date of appointment of Pay Commission The Government should give a categorical assurance about this. In case Government cannot give any specific date, they could say that they expect the report in a fortnight or so.

Shri Suraj Bhan (Ambala) : First of all I do not think whether the Pay Commission would make any useful recommendations because there is no labour representative in it. However I would like to know whether the recommendations would be accepted *in toto* ? I would also like the hon'ble Minister to give an assurance that the interim relief will be paid in cash.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The delay in announcing the interim relief is causing great concern among Government employees. In view of it I would like to know whether Government is prepared to fix a time-limit within which the announcement will be made ; if so, what is the time-limit ?

Shri Sheo Narain : Will the Government give interim relief to their employees by 2nd October the birthday of Mahatma Gandhi ?

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The cycle of increase in prices, the appointment of Commissions and the increase in dearness allowance on the basis of the recommendations of the commissions is going on to the Government contemplate to evolve a

formula according to which the facilities of Government employees would automatically increase in proportion to the increase in prices and there will be no need of appointing a commission ?

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : We also have sympathy in our hearts for Government employees. Though our Government have taken a decision to give interim relief to their employees, yet I would like to know the time by which it will be given.

Shri Vidya Charan Shukla : As regards the questions about specifying the date with effect from which the relief is to be given, I want to say that there is difference of opinion about it. Some of the employees want it to be 1st January or 1st February 1970 while others want it to be 1st October 1969. So, it is not proper on the part of Government to specify such a date. It is justified that the date should be specified by the Pay Commission itself.

श्री उमानाथ : किन्तु जांच के दौरान सरकार के प्रतिनिधि को यह बताना पड़ेगा कि सरकार किस तारीख से देना चाहती है। सरकार जो तारीख वेतन आयोग को बतायेगी, वही तारीख माननीय मंत्री आज भी बता सकते हैं।

Shri Vidya Charan Shukla : I think it is not desirable that I should disclose now the advice we have given or propose to give to the Pay Commission. Our opinion will be there in Pay Commission's records.

As regards the question of fixing the time-limit for Pay Commission for submitting their report. I want to tell that the Members of the Pay Commission, when asked, declined to tell as to how much time they will take for submitting their report in this respect.

श्री उमानाथ : इस तारीख के बताने में तो कम से कम लोक हित का कोई प्रश्न नहीं है। सरकार जो तारीख वेतन आयोग को बतायेगी, वही तारीख सभा को भी बताई जा सकती है।

Shri Vidya Charan Shukla : The opinion of Government is that it will not be proper for them to fix a date. They want that the Commission itself should fix the date.

सभापति महोदय : जहां तक मैं समझता हूं सरकार ने तारीख के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

श्री उमानाथ : बात ऐसी नहीं है। वेतन आयोग को वे तारीख के बारे में सुझाव अवश्य देंगे, तो उस तारीख को सरकार सभा को बताने में क्यों संकोच कर रही है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सरकार के लिए यह अनिवार्य नहीं होता कि वह कोई तारीख सुझाये। यदि सरकार चाहे, तो ऐसा सुझाव दे सकती है, अन्यथा नहीं। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री स० मो० बनर्जी के नेतृत्व में गये प्रतिनिधिमंडल से भी वेतन आयोग ने किसी तारीख का जिक्र नहीं किया था।

श्री स० मो० बनर्जी : वेतन आयोग ने यह काम सितम्बर में करने के लिए कहा था।

श्री स० कुण्डू : वेतन आयोग कहता है कि वे इस मामले में 'यथा शीघ्र' निर्णय करेंगे। इस 'यथा शीघ्र' का मतलब क्या है ?

Shri Vidya Charan Shukla : Hon. Member, Shri Suraj Bhan, suggested that Government should accept the recommendations of the Pay Commission *in toto*. But this

suggestion is not good. Suppose the Pay Commission does not recommend as much as Government want to give to their employees. In this case Government will give more than what is recommended by the Pay Commission. So it is not desirable to make it a principle to accept the recommendations of the Pay Commission as they are. Moreover, ultimately it is the responsibility of Government and not that of the Pay Commission. Thus, the decision of the Commission is not final and the Government is not bound to accept it. The decision taken by Government and approved by Parliament is final.

He will be happy if the Pay Commission submits its reports and we are in a position to make announcement about interim relief before 2nd October. Shri Prakash Vir Shastri has asked about evolving such a formula, as will facilitate the increase in dearness allowance in proportion to the increase in the prices. Such a formula exists even now and that is Gajendergadkar formula, which is related to All-India working class consumer prices index. According to this formula the dearness allowance will be raised further on the increase in the twelve monthly average by 10 points.

———

शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे के बन्द किये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: CLOSURE OF SHAHDARA-SAHARANPUR LIGHT RAILWAY

Mr Chairman : As Shri Goyal is not present in the House now, so the half-an-hour discussion standing in his name lapses. Now the Minister of Railways will give a statement regarding Shahdara-Saharanpur Light Railway.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, we have given notice of Calling Attention and the notice of Short Notice Question. So we request you to allow us to ask supplementories after the Minister has made the statement, as according to the Chair's ruling the Call Attention should be taken first if its notice is received earlier then the intimation of the Minister to give statement on the same subject.

Mr. Chairman : But it is also the practice that questions are not allowed after the Minister has made the statement.

Shri Prakash Vir Shastri : If the notice of Call Attention or Short Notice Question is received first, then we should be allowed to put supplementories

Mr. Chairman : Let the Minister now make the statement I will allow one or two Members, who gave notices to ask questions.

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : कम्पनी द्वारा 5 जुलाई, 1970 को जारी किये गये नोटिस के बारे में मुझे जिस दिन पता चला है, उस दिन से मैं निजी तौर पर कम्पनी के कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों के निकट सम्पर्क में बराबर रहा हूँ। मैंने उनसे उन विभिन्न उपायों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया है जिनके द्वारा लगभग 1200 कर्मचारियों की बेरोजगारी के डर से निबटा जा सकता है। यह बातचीत आज भी हुई और आगे भी जारी रहेगी। हमने इस बात के लिए काफी प्रयास किया है कि कम्पनी तीन महीने के लिए रेलवे का बन्द करना स्थगित कर दें ताकि इस समस्या से निबटने के लिए हम कोई उपयुक्त तरीका निकाल सकें। इन प्रयासों का कोई फलदायक नतीजा नहीं निकला है।

यह सुनिश्चित करने के लिए मैं श्रम मंत्रालय से सम्पर्क बनाये हूँ कि कम्पनी कर्मचारियों

की बकाया रकम का भुगतान कर दे और उनके प्रति अपने दायित्वों को पूरा करे। यह स्पष्ट है कि जब तक छंटनी से सम्बन्धित क्षतिपूर्ति ओर अन्य बकाया राशि का भुगतान कर्मचारियों को नहीं कर दिया जाता तब तक वे कम्पनी के कर्मचारी बने रहेंगे भले ही कम्पनी लाइन पर गाड़ियां चलाना बन्द कर दे। मैं यहां यह वता देना चाहता हूं कि शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे (छोटी लाइन, 149 कि० मी०), शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे कम्पनी द्वारा शाहदरा (दिल्ली) से सहारनपुर तक चलायी जाती है। रेलवे कम्पनी उस एक करार के अन्तर्गत लाइन को चलाती है जो प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हुआ था और अब भारत सरकार अधिनियम, 1935 के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार के साथ चालू है। सात वर्ष के अन्तराल पर इस लाइन को खरीदने का विकल्प भारत सरकार को है।

इस लाइन को खरीदने के विकल्प की अंतिम तारीख पहली अप्रैल, 1969 थी और इस तारीख से काफी पहले यह विनिश्चय किया गया था, जबकि रेल मंत्री श्री सी० एम० पुनाचा थे, कि इस लाइन को न खरीदा जाये क्योंकि वित्तीय दृष्टि से यह लाभप्रद नहीं थी। जुलाई, 1970 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित किया था कि लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण करने का विचार भारत सरकार का नहीं है और राज्य सरकार से यह आग्रह किया गया था कि कम से कम कुछ और समय तक इसे चलाया जाय, जैसा कि पश्चिम बंगाल में पहले किया जा चुका था। कर्मचारियों के सम्बन्ध में मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से निवेदन किया था कि उन्हें उत्तर प्रदेश सड़क सेवाओं में समाहित कर लिया जाय और यदि इस पर भी कुछ फालतू कर्मचारी रह जाते हैं तो, मैंने कहा था कि उन्हें उत्तर रेलवे में समाहित करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है बशर्ते वे उपयुक्त पाये जायें।

हमें उस पत्र का अब तक कोई उत्तर नहीं मिला हैं। 29 तारीख की रात को मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से बातचीत की और इस बात पर सहमति हो गई है कि समस्या को बेहतर रूप में सुलझाने के उद्देश्य से हम लोगों के साथ परामर्श करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक सचिव प्रतिनियुक्त करेगी। 1957-58 से इस कम्पनी को प्रायः हर वर्ष हानि होती आ रही है और कुल हानि कम्पनी की प्रदत्त पूंजी से अधिक है। कम्पनी द्वारा यह कहा गया है कि सड़क पर चलने के लिए जिन बसों और ट्रकों को अनुमति दी गयी है, वे प्रायः रेलवे लाइन के समानान्तर चलती हैं जिसके कारण कम्पनी की आय गिर गयी है और कम्पनी के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह इसे आगे चलाती रहे तथा और हानि उठाये।

श्री राम सुभग सिंह ने सदन में आज एक बहुत स्पष्ट बयान दिया है कि वे तथा अन्य रेल मंत्रियों ने अतीत में राष्ट्रीयकरण के पक्ष में बचन दिया था। आज सदन में यह प्रश्न उठाये जाने के बाद अंतराल के समय में मैंने पूछताछ की और मुझे पता चला कि 26-8-69 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न 5028 का उत्तर देते समय डा० राम सुभग सिंह ने बताया था कि अप्रैल, 1969 में पूरा होने वाले करार के अन्तर्गत खरीद के सबसे बाद वाले विकल्प के सम्बन्ध में सरकार द्वारा हाल में एस० एस० लाइट रेलवे की खरीद के प्रश्न पर विचार किया गया और सभी सम्बन्धित तत्वों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि इस रेलवे को न खरीदा जाये। रेलवे के चल स्टाक और अन्य परिसम्पत्तियों की हालत बड़ी खस्ता है क्योंकि 1961-62

से इस पर बदलाव और नवीकरण का कोई काम नहीं किया गया है । 72 लाख रुपये के क्रय मूल्य के अलावा, 42 लाख रुपये परिसम्पत्तियों के पुन: स्थापन के लिए तत्काल अपेक्षित होंगे और इतने पर भी यह रेलवे लाभप्रद नहीं होगी क्योंकि सवारी और माल यातायात, दोनों के लिए सड़क प्रतियोगिता बहुत कड़ी है ।

कर्मचारियों ने यह विचार किया है कि एक सहकारी समिति बनायी जाये और अपनी भविष्य निधि की रकम और कम्पनी से मिलने वाली अन्य रकमों को इकट्ठा करके वे स्वयं रेलवे को चलायें लेकिन मुझे भय है कि जब तक सड़क प्रतियोगिता मौजूद है तब तक ऐसी कोई भी समिति घाटे में ही रहेगी । मैं कर्मचारियों को इस प्रकार का काम करने की सलाह नहीं दे सकता क्योंकि इस प्रकार वे अपने कठिन परिश्रम से बचाई हुई रकम बरबाद कर देंगे । मेरी राय में, सबसे अच्छा रास्ता यह होगा कि इस क्षेत्र में सड़क सेवायें चलाने के लिए एक या दो सहकारी समितियां बनायी जायें और राज्य सरकार को कहा जाय कि वह कर्मचारियों द्वारा बनाई गई इन सहकारी समितियों को लाइसेंस दे न कि किसी अन्य व्यक्ति को । यदि स्वयं कर्मचारी भी इस रेलवे को सहकारी आधार पर चलाना चाहेंगे तो भी यह एक उपयुक्त सौदा नहीं होगा जबतक उत्तर प्रदेश की सरकार बसों और ट्रकों को लाइसेंस देकर और अधिक सड़क प्रतियोगिता का होना बन्द नहीं कर देती ।

Mr. Chairman : First I would like to tell you that the Call Attention on this subject was disallowed. So I am giving permission only to Shri Shastri to put supplementories as a special case, because he has now raised the question.

Shri Prakash Vir Shastri : If it is so, then I request that this chance should be given to Shri Raghuvir Singh Shastri through whose constituency this Railway runs.

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : Mr. Chairman, hon. Minister has not mentioned that part of Dr. Ram Subhag Singh's statement, in which he had stated that the narrow gauge line does not meet the requirements of this fertile area and so, the Government was of the opinion thar there should be a broad gauge line in this area. I would like to know the time by which Government will fulfil their commitment of laying a broad gauge line in this area.

The argument that this railway faces hard competition from road transport is not solid one, as every railway has a road parallel to it and even then they are remunerative. The Martin Company maintains the fictitious balance-sheets and account-books on the basis of which the Company shows losses. May I know whether Government have got the balance sheets and other account books of this Company examined in order to know the veracity of the so-called Company's losses.

Lasly, I take the point of re-employment of those who have been rendered unemployed bv the closure of this railway. The responsibility of re-employment of these employees is of the Government of India and the U.P. Government. They all should be observed in Indian Railways particularly in Northern Railway. Government should also ask the company to make payment of compensation and other dues to the employees as soon as possible. Government should also see that these employees are not forced to vacate the quarters unless they are observed elsewhere. They should not be deprived of electric and water facilities.

Shri Gulzari Lal Nanda : As regards the nationalisation of this railway, Government is not committed to it. As regards the laying of broad gauge line, I can say this

much that the survey for it is being done and the decision will be taken thereon, when it will be completed. But still I am not in a position to commit that a broad gauge line will be laid there. It will be decided on the basis of survey report. Moreover, I will do as much for the employees as I can.

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 1 सितम्बर, 1970/10 भाद्र, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 1st September, 1970/Bhadra 10, 1892 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6.